दशम माला, खण्ड 30, अंक 26

बुधवार, 27 अप्रैल 1994
7 वैशाख 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 30, नवां सत्र, 1994 / 1915 (शाक)

अंक 26, बुधवार, 27 अप्रैल, 1994/7 वैशाख, 1916 (शाक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	441-444	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	445-460	25-50
*अतारांकित प्रश्न संख्या :	4974-5085, 5087-5166, 5168-5192 और 5194-5207	50-273
जातिभेद रहित दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के आविर्भाव के बारे में		274-282
सभा पटल पर रखे गए पत्र		282-288
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		288
तीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		
प्राक्कलन समिति		
चालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		288
लोक लेखा समिति		
इकहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत		289
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
(एक) तैंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		289
(दो) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन - **सभा पटल पर रखे गए**		289

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था ।

सभा की बैठकों से सदसयों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही–सारांश - **सभा पटल पर रखा गया** 290

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन - **प्रस्तुत** 290

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन - **सभा पटल पर रखा गया** 290

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मध्यमस्तरीय सूखा-रोधी कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता 290

श्री शरत पटनायक

(दो) केरल के कोडंगलूर पत्तन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता 291

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन

(तीन) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में नगरपालिकाओं से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के लागू किये जाने की आवश्यकता 291

प्रो० पवन कुमार बंसल

(चार) काठगोदाम, उत्तरप्रदेश से मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और जम्मू के लिए नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता 292

श्री बलराज पासी

(पांच) मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले खारगांन के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता 292

श्री रामेश्वर पाटीदार

रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प ; 293-386

अनुदानों की मांगें (रेल), 1994-95 ; और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1990-91

श्री पवन कुमार बंसल	293
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	297
श्री बृशिण पटेल	301
श्री उमराव सिंह	303
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	306
श्री हरिन पाठक	310
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर	314
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	316
श्री मंजय लाल	316
श्री भोगेन्द्र झा	318
कुमारी ममता बनर्जी	320
श्री अन्ना जोशी	323
श्रीमती सुशीला गोपालन	326
श्री याइमा सिंह युमनाम	328
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	330
श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी	333
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	336
श्री तेज नारायण सिंह	338
श्री अयूब खां	338
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	339
श्री हाराधन राय	340
श्री एस०एस०आर० राजेन्द्र कुमार	342

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या 343

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 343

डा० रामकृष्ण कुसमरिया 344

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 345

श्री सी०के० जाफर शरीफ 346

विनियोग (रेल) संख्या 2, विधेयक, 1994 770

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ 386

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ 387

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ 387

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1994 388

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ 388

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी०के० जाफर शरीफ 389

लोक सभा

बुधवार, 27 अप्रैल, 1994/7 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नमक का उत्पादन

*441. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991-92, 1993 और मार्च, 1994 तक कुल कितनी मात्रा में नमक का उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नमक का खाने के लिए उद्योगों के लिए और निर्यात के लिए कितनी मात्रा में उपयोग किया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रयोजनों हेतु नमक को शुद्ध करने के लिए नमक धोवनशालायें स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में 1991, 1992, 1993 और जनवरी, 1994 तक उत्पादित नमक की मात्रा क्रमशः 124, 135, 137 और 5 लाख मी० टन थी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ) नमक को औद्योगिक प्रयोजन के लिए शुद्ध करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कोई

नमक-शोधनशाला की स्थापना करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

खाद्य प्रयोजन, औद्योगिक इस्तेमाल और निर्यात के लिए 1991 से जनवरी, 1994 तक की अवधि में जारी मात्रा इस प्रकार थी :-

(आंकड़े मी० टन में)

जारी मात्रा

वर्ष	खाद्य प्रयोजन	औद्योगिक इस्तेमाल	निर्यात	कुल
1991	62.43	41.83	5.73	109.99
1992	53.38	45.56	4.07	103.91
1993	60.96	48.12	6.05	115.13
1994 (जनवरी तक)	6.25	4.48	0.58	11.31

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, देश में नमक एक ऐसा आईटम है जिसे गरीब, अमीर सभी लोग समान रूप से प्रयोग में लाते हैं और नमक के उत्पादन से लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं । अभी भी महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर अपने दस जिलों में, जहां साधारण नमक पैदा होता था, उसे पैदा करने पर, उपयोग करने पर और बेचने पर पाबन्दी लगा दी है जिससे हजारों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या साधारण नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके लिए उन्होंने कोई जांच करवाई है और उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

आयोडीन युक्त नमक के बारे में भी विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है । कुछ लोगों का कहना है कि आयोडीन युक्त नमक खाने से भी स्वास्थ्य को नुकसान होता है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों के द्वारा उसके बारे में भी कोई अध्ययन करवाया जा रहा है ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञों के द्वारा नमक की जांच करने के पश्चात् ही यह पता लगा है कि आयोडाइज़्ड नमक ही खाना चाहिए । इसे रिफाइन्ड किया जाता है ताकि इसका प्रोडक्शन शुद्ध हो।

[अनुवाद]

नमक की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार शोधनशालाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ऐसे 20 उद्यमियों का पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है, जो खाने के लिए और औद्योगिक उपयोग के लिए नमक की गुणवत्ता सुधारने व बेहतर बनाने के लिए नमक शोधनशालाएं स्थापति करने में रुचि रखते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सर्वे करने के पश्चात ही पता लगा है कि स्वास्थ्य के लिए तो एडीबल सॉल्ट ही खाना चाहिए ।

डा० रमेश चन्द तोमर : मैंने यह भी पूछा था कि क्या आपने साधारण नमक के बारे में कोई जांच करवाई है ?

श्रीमती कृष्णा साही : सर्वे का मतलब ही है कि जांच करवाई है । इसलिए बहुत से राज्यों में इसे बैन भी कर दिया गया है । जैसे 19 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसे टोटल बैन किया है और 4 राज्यों ने पारशल बैन किया है । बाकी राज्यों को भी लिखा गया है कि साधारण नमक से घेंगा हो जाता है । आयोडीनयुक्त नमक इसका उपचार है । 1995 तक पूरे देश में इसी नमक को खाने के लिए सरकार पाबंद होगी ।

डा० रमेश चन्द तोमर : माननीय मंत्री जी ने बताया कि साधारण नमक से घेंघा बीमारी हो जाती है लेकिन आयोडीनयुक्त नमक ज्यादा उपयोग करने से भी लोग विकलांग हो जाते हैं और तरह-तरह की दूसरी बीमारियां हो जाती हैं । इसके बारे में विशेषज्ञों ने भी कहा है । इसकी भी आप जांच करायें । मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि नमक का 70 परसेंट एक्सपोर्ट बंगलादेश को किया जाता था लेकिन अब वह निरन्तर घट रहा है । बड़ी मात्रा में नमक तस्करी द्वारा बंगलादेश पहुंच रहा है । यदि यह बात सही है तो इस तस्करी को रोकने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, तस्करी के माध्यम से सम्भवतः नहीं पहुंच रहा है। यह बात सही है कि दूसरे देशों में जो नमक भेजा जाता है, उसमें बंगलादेश का पहला नम्बर, नेपाल का दूसरा, जापान का तीसरा और मलेशिया का चौथा नम्बर है। 1991 में बंगलादेश में 270.9 हजार टन, 1992 में 150.9 हजार टन और 1993 में 320.6 हजार टन गया। यह कम कैसे हुआ? **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयोडीनयुक्त नमक खाना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मेरे पास सरकारी लैबोरेट्री का समाचार है कि आयोडीन अधिक मात्रा में खाने से भी हानि होती है क्योंकि आयोडीन कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भी हमें प्राप्त होता है। इसके कारण से आयोडीन खाने वाले लोगों को पैरेलैसिस हो रहा है। क्या सरकार ने आयोडीन नमक खाने का बहाना बना कर बड़ी कम्पनियां जैसे टाटा कम्पनी और विदेशी कम्पनियों को यह रिफाइनरीज़ और धोवनशालायें लगाने का लाइसेंस देने की जो योजना बनायी है, उसके कारण गरीब मजदूर जोकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नमक बनाते हैं, बेरोज़गार हो गये हैं। क्या बड़े पूंजीपतियों को नमक बनाने का काम देना महात्मा गांधी के उन आदर्शों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने नमक आन्दोलन करके इस देश को आजाद कराया।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़े व्यापारियों को हम प्रोत्साहित करते हैं।

[अनुवाद]

नमक शोधनशालाएं स्थापित करने के लिए बड़ी कंपनियों को अनुमति दे दी गई है, मैं अपनी बात दोहरा

रही हूं कि नमक विभाग की पूर्व अनुमति से वे अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त नमक को आंतरिक बाजार में बेच सकते हैं।

[हिन्दी]

मैंने रेस्ट्रिकशन्स इम्पोज़ किये हैं। मेरी बिना अनुमति के वे बाजार में नमक नहीं बेच सकते हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गये हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि स्माल सैक्टर के मैन्यूफैक्चर्स 35 परसैंट नमक तैयार करते हैं। उनको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : आप बड़े निर्माताओं को लाइसेंस दे रही हैं और उसके कारण छोटे मज़दूर बेकार हो रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने बताया है कि नहीं हो रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : मैंने सवाल पूछा था कि अधिक मात्रा में आयोडीन पहुंच रहा है और अन्य खाद्य पदार्थों से भी आयोडीन शरीर में जा रहा है। यह आयोडाइज़्ड नमक ज्यादा खिलाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए कोई आपने सर्वे कराया है कि इससे लोगों में पैरालिसिस की बीमारी बढ़ रही है?

श्रीमती कृष्णा साही : यह तो स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है, हम कैसे बता सकते हैं कि उनको पैरालिसिस होता है या नहीं लेकिन मेरा कहना है कि इसकी जांच करेंगे। जांच तो हो रही है, जांच का प्रावधान किया है...**(व्यवधान)**... अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रियों को प्रोटैक्शन दें।...**(व्यवधान)**... मैं कह रही हूं कि सारे देश में सरकार ने इस बात का सर्वे कराने के बाद ही निर्णय लिया है कि 1995 तक आयोडाइज़ेशन ऑफ एडीबल सॉल्ट कार्यक्रम पूरा कर लिया जायेगा। जब तक इससे बीमारी उत्पन्न नहीं होती है, तब तक स्वास्थ्य विभाग और नमक विभाग...

अध्यक्ष महोदय : आप समझ लीजिए, वह सीधा-सादा पूछ रहे हैं कि ज्यादा आयोडीन बॉडी में जाने से पैरालिसिस होता है, इसकी आपको जानकारी है? नहीं है तो करवा लेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : इसकी जानकारी हम स्वास्थ्य विभाग से करा लेंगे।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या यह बात सही है कि देश में नमक का उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि होम उपभोग के बाद भी और निर्यात करने के बाद भी करीब 4-5 लाख टन नमक हर साल सड़ जाता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, समुद्र में फेंक दिया जाता है, इसकी तो जानकारी नहीं है लेकिन इतना मैं कह सकती हूं कि हमारा देश नमक का रिकार्ड प्रोडेक्शन कर रहा है और तीन वर्षों में, जो हमारा टार्गेट था, उससे ज्यादा हमने एचीव किया है और देश में नमक की कोई भी शार्टेज नहीं है लेकिन फेंका नहीं जाता है। वह इण्डस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, वह खाने के लिए इस्तेमाल होता है, फेंकने की बात नहीं है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने शार्टेज की बात नहीं कही, मैंने तो कहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और निर्यात के बाद भी फेंका जा रहा है।

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय का संरक्षण कर रहा हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार निर्यात प्रतिशत बहुत ही कम है और यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमक की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है।

नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि निर्यात के लिए मांग बढ़े और अतिरिक्त नमक...

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न को सीधे-सीधे पूछिए। इसे सैद्धांतिक मत बनाइये।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : नमक की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या नमक की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रीमती कृष्णा साही : जी हां, महोदय **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर दे दिया है।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर में यह पाया गया है कि औद्योगिक उद्देश्य के लिए नमक की सरकारी क्षेत्र में धोवनशालाएं स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गांधीधाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, गुजरात ने वहां नमक धोवनशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि जापान और अन्य तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्रों को नमक का निर्यात बढ़ाया जा सके।

यदि हां तो इस प्रस्ताव या सुझाव का क्या हुआ?

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, नमक की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार शोधनशालाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। खाने और औद्योगिक उपयोग के लिए नमक की गुणवत्ता सुधारने व इसे बेहतर बनाने के लिए नमक शोधनशालाएं स्थापित करने में रुचि रखने वाले 20 उद्यमियों को सरकार ने पंजीकरण की अनुमति प्रदान की है। तीन प्रान्तों, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों पर तो प्रोडक्शन शुरु भी हो गया है। सरकार प्राइवेट एण्टरप्रिन्योर्स को लाइसेंस दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर्स की दिलचस्पी जागी है। करीब-करीब 15 प्रोजेक्ट्स इम्लीमेंटेशन की स्टेज पर है और पांच का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, और यह भी प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर्स के ऊपर निर्भर है।

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योग

***442. श्री गुमान मल लोढा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे और बड़े रुग्ण उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च 1993 तक की स्थिति के अनुसार ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी थी;

(ग) इनमें कुल कितनी राशि का ऋण अन्तर्गस्त है;

(घ) क्या इन उद्योगों की रुग्णता से देश में रोज़गार के बढ़ते अवसरों पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोज़गार के कितने प्रतिशत अवसर कम हुए हैं; और

(च) इन उद्योगों की रुग्णता दूर करने के लिए सरकार ने क्या अतिरिक्त उपाय किये हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। बैंकों के प्राधिकार में आने वाली रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों तथा गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों की सुख्या तथा मार्च 1992 के अंत तक उनके पास बकाया बैंक ऋण की राशि के विवरण इस प्रकार है :-

(करोड़ रूपये में)

श्रेणी	इकाइयों की संख्या		बकाया ऋण	
	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1991	मार्च 1992
1. लघु उद्योग रुग्ण उद्योग	221472	245575	2792.04	3100.67
2. गैर-लघु उद्योग रुग्ण एकक	1461	1536	5105.57	5786.55
3. कमजोर गैर-लघु उद्योग एकक	876	813	2870.21	2646.08
योग	223809	247924	10767.82	11533.30

मार्च, 1993 को समाप्त अवधि के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) जी, नहीं। उदाहरण के लिए लघु औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोज़गार मार्च 1991 में 125.30 लाख से बढ़कर मार्च, 1992 में 129.80 लाख और मार्च, 1993 में 134 लाख हो गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता को रोकने के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं :-

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों को स्वीकृति दे सकेंगे।

4. भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां (एस०एल०आई०आई०सी०) स्थापित की हैं ताकि सभी अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वय किया जा सके और जीव्य रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन पुनःस्थापना पैकेज तैयार किए जा सकें।

इसके अलावा सरकार ने बड़े और मझौले उद्योगों के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :-

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

2. रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

3. श्रमिकों के युक्तिकरण के लिए संसाधन प्रदान करके औद्योगिक पुनःसंरचना की अवधि के दौरान श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है।

लघु एकक

केन्द्र और राज्य सरकार दोनों रुग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए उपाय करती है। ये निम्नलिखित हैं:-

1. प्रबन्धकीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उद्यमियता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, कार्यशालाएं आयोजित करती है, क्लिनिक इत्यादि चलाती है।

2. प्रौद्योगिकीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार तकनीकी अधिकारियों द्वारा एककों की जांच की अनुमति देती है, लघु उद्योग सेवा संस्थानों के जरिये कार्यशाला सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं और अन्य तकनीकी मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, औजार-कक्षों एवं उत्पादन और प्रक्रिया विकास केन्द्रों के जरिये सहायता

प्रदान करती है।

3. विपणन समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार मूल्य वरीयता के जरिए विपणन सहायता, सरकारी खरीद कार्यक्रम में खरीद वरीयता, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये विपणन सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार लघु उद्योग विकास निगम के जरिए विपणन सहायता प्रदान करती है।

4. बुनियादी सुविधा का प्रावधान करना राज्य सरकारों का दायित्व होता है जो विकसित औद्योगिक भू-खण्ड, शेड, इत्यादि उपलब्ध कराती है।

5. केन्द्र सरकार रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्स्थापना कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थानों के जरिये वित्त के प्रावधान के प्रति भी चिंतित है। वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए रुग्ण एककों के पुनर्जीवन हेतु किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :-

(क) रुग्ण एककों की पुनःस्थापना के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना।

(ख) 1 अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रूपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(ग) केन्द्र सरकार के कहने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी०आर० नायक, पूर्व उप-गर्वनर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1992 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने ऋण, रुग्णता ऋण की समस्याओं और अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर विचार किया। समिति ने रुग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए कई सिफारिशें की हैं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन, राज्य स्तर न्यायाधिकरण की स्थापना, शिकायतों को दूर करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों का मंच के रूप में इस्तेमाल, राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियों को पुनर्जीवित करना इत्यादि शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने कुछ सिफारिशों संबंधी निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है जैसे- रुग्ण एककों की संशोधित परिभाषा और रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना पर ली जाने वाली ब्याज की कम दर।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र कार्यशील पूंजी के ऋण के जरिये अपनी वार्षिक उत्पादन का 20 प्रतिशत प्राप्त करेंगे।

(ङ) लघु उद्योग बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम का एक भाग है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने रुग्ण उद्योगों के बारे में जो उत्तर दिया है, उसमें स्पष्ट है कि 1981 में जो 28,758 रुग्ण उद्योग थे उनकी संख्या 1992 में बढ़कर 2,46,911 हो गई है। एक वर्ष में ही यदि पिछले साल के आंकड़ों से आप तुलना करें, तो 24 हजार उद्योग और ज्यादा रुग्ण स्थिति में हो गए हैं। मेरे प्रश्न का 'अ' भाग - आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि उद्योग बीमार न हों और बीमार होने के बाद भी उनको वायबल करने के लिए ये-ये कार्य किए हैं। इतने सारे उपाय होने के बाद भी उद्योग रुग्ण हैं।

इससे लगता है कि आपके उपाय अपर्याप्त हैं। मैं जानना चाहता हूं, इसके बारे में आप क्या नए उपाय करेंगे? 'ब'- आपने बताया है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूट्स के पास 17,383 करोड़ रूपये बैड-एंड-डाउटफुल-डैट्स हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं, इसको निकालने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं?

[अनुवाद]

श्री एम० अरूणाचलम : महोदय, प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या हम रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए नए-नए उपाय कर रहे हैं। मैंने प्रमुख उत्तर में कहा है कि रुग्णता में वृद्धि हुई है। नाईक समिति ने इसकी जांच की थी और रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है। रिज़र्व बैंक ने इन रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश दिए हैं।

दूसरे मुद्दे के बारे में मेरा यह कहना है कि इन रुग्ण एककों में 11,533.30 करोड़ रूपये की राशि लगी है। हमने कुछ एककों को बचाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। लघु क्षेत्र में हमने 13,289 एककों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है और लघु क्षेत्र में लगभग 2,23,336 एकक अर्थक्षम नहीं हैं। हमने एककों को बचाने का कार्यक्रम बनाया है और इससे धन की वसूली हो जाएगी। हमने वित्त मंत्री को यह सुझाव दिया है कि लघु क्षेत्र के लिए भी बी०आई०एफ०आर० जैसा संस्थान स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वर्तमान उदारता या उधारता की जो नीति है उसके अनुसार यह इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट उस सर्वे के अनुसार, उनके स्वयं के नोट के अनुसार आने वाले समय में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी तादाद में सिक हो जाएंगी और यह श्री आर० बालासरन के एक सर्वे के अनुसार 22 लाख में से 5 लाख इंडस्ट्रीज़ अपने शटर्स क्लास करके बंद कर देंगी। इस कारण से लाखों बेरोज़गार मज़दूर सड़कों पर आ जाएंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जो मज़दूर अनएम्पलायमेंट के अंदर आ जाएंगे और लगातार आ रहे हैं, आपने सोशल सिक्योरिटी, अनएम्पलाएमेंट बेनिफिट या अल्टरनेटिव कोई एम्पलायमेंट देने के लिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि बनाया है, तो आपने इस वर्ष कितनों को रोज़गार दिए हैं।

मैं सिर्फ एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिक इंडस्ट्रीज़ की डेफिनिशन को, जो हमारी गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंडेशन्स की थी उसके अनुसार परिवर्तित करके सिक इंडस्ट्रीज़ को और अधिक पुनर्जीवित करने के लिए उसमें परिवर्तन करने वाले हैं और उन्होंने जो वाईंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल का सुझाव दिया है वे बनाने वाले हैं, इस बारे में आप जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री एम० अरूणाचलम : जहां तक रोज़गार का संबंध है, नई आर्थिक नीति लागू करने के पश्चात् रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। वर्ष 1992 के दौरान लघु उद्योगों में हमने लगभग 134.00 लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिया जबकि लक्ष्य 128.90 लाख का था। हम वर्ष 1993-94 के दौरान लघु उद्योगों में 138.35 लाख

व्यक्तियों को रोज़गार देने की आशा कर रहे हैं इसलिए इस क्षेत्र में बेरोज़गारी बढ़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गुमान मल लोढा : क्या ऐसी स्थिति 22 लाख एककों की है अथवा रुग्ण उद्योगों की? मैं रुग्ण उद्योगों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री एम० अरूणाचलम : बेरोज़गारी बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि लघु उद्योगों पर सरकार की उदारीकरण नीति का प्रभाव गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पड़ा है। उन्होंने यह कहा है कि हमारे उद्यमी गुणवत्ता के प्रति अधिक सचेत हुए हैं और उन्होंने प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और वे मानव संसाधनों में भी निवेश कर रहे हैं तथा अनुसंधान और विकास कार्य भी कर रहे हैं। सभी ने यह कहा है कि भारत का लघु क्षेत्र काफी विकसित हो गया है और प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, देश में रुग्ण उद्योगों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि न तो सरकार रुग्णता को रोकने के प्रति गंभीर है और न ही रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने में रुचि रखती है। कुछ समय पूर्व सरकार ने एक मोनोग्राफ प्रस्तुत किया था जिसमें सरकारी क्षेत्र के उन 52 उद्योगों की सूची दी गई थी जो रुग्ण हो गए हैं। उसमें यह कहा गया था कि कुछ उद्योगों को पुनः चालू करने की अपेक्षा उन्हें बंद किया जाना अधिक महंगा होगा। इसका एक उदाहरण है राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम जिसे पहले एन०पी०सी०सी० के नाम से जाना जाता था और कल ही इस बारे में प्रश्न उठाया गया था। इस एकक को बंद करने में 164 करोड़ रूपये लगेंगे और इसे पुनः चालू करने में केवल 102 करोड़ रूपये खर्च होंगे। लेकिन ऐसे उद्योगों को भी पुनः चालू नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या सरकार कुछ समय पहले दिए गए सुझाव पर विचार करेगी कि वह मज़दूरों को विश्वास में ले और प्रबन्धकों को समस्या का समाधान करने के लिए बुलाए तथा ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही करे जहां उद्योग बंद करने की लागत उसे पुनः चालू करने से अधिक है? क्या आप इस संबंध में गंभीरता से उपाय करेंगे?

श्री एम० अरूणाचलम : जहां तक रुग्णता का संबंध है चीन जैसे देशों में भी दिवालियेपन की दर 30 प्रतिशत है...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वहां पर पुनः चालू करने की दर क्या है? क्या आप यह जानते हैं?

श्री एम० अरूणाचलम : चीन में दिवालियेपन की दर 30 प्रतिशत है और संयुक्त राज्य अमेरीका में यह 25 प्रतिशत है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन वहां वे तुरंत अन्य क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। मैं भारत के बारे में पूछ रहा हूं। **(व्यवधान)**...

श्री एम० अरूणाचलम : जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, मेरे सहयोगी इसका उत्तर देंगे। अन्यथा मैं इसकी जानकारी एकत्र कर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सभा में जो आंकड़े दिए हैं हम उनसे अधिक संतुष्ट नहीं हैं। मंत्री हमेशा आंकड़े देते रहते हैं। वास्तव में रुग्ण उद्योग को पुनः चालू करने के लिए सरकारी विभागों

या बैंकों के बीच समन्वय नहीं है। जब एक रुग्ण उद्योग सहायता के लिए सरकार से सहायता मांगता है तो जब तक यह दी जाती है तब तक इसकी लागत और महंगी हो जाती है....

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया विषय के बारे में ही बोलिए। हमने 1½ प्रश्न पर ही 25 से अधिक मिनट लगा दिए हैं ।

श्री ई० अहमद : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार एक प्रमुख समस्या यह है कि मूल्य वरीयता के माध्यम से विपणन समर्थन का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकारें राज्य लघु औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से विपणन समर्थन प्रदान करती हैं। वास्तव में कुछ राज्यों में लघु क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम भी रुग्ण हो गए हैं। वह उद्योगों को स्वयं रुग्णता की समीक्षा करने के लिए सहायता देने में समर्थ नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि लंबे-लंबे वक्तव्यों में बताई गई सहायता के अतिरिक्त रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए समय पर सहायता देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री एम० अरूणाचलम : महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि सरकार ने जो नाईक समिति गठित की थी उसने रुग्णता के कारणों की जांच की थी। इसने अनेक उपायों का सुझाव दिया था। इसने ऐसे 85 जिलों का पता लगाया था जहां लघु क्षेत्र के उद्योग स्थापित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिजियक बैंकों को निदेश दिया है कि वे लघु क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंक खोलें।

डा० बी०जी० जावाली : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से यह पता चलता है उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं रुग्ण उद्योगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हजारों करोड़ों रूपये व्यर्थ हो रहे हैं। अन्य सरकारी क्षेत्र के एकक जहां बी०आई०एफ०आर० ने कुछ सहायता दी है उनके बारे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इसके कारण जानने का कोई प्रस्ताव है कि उनमें लगातार वृद्धि क्यों हो रही है।

श्री एम० अरूणाचलम : मेरे विभाग द्वारा इसके कारण जानने के लिए एक अध्ययन किया गया था। उससे यह पता चला कि इसके अनेक कारण हैं जैसे वित्तीय, विपणन, कच्चा माल, श्रम समस्या और भागीदारों के बीच विवाद।

[अनुवाद]

बेरोज़गारी

***443. श्री हाराधन राय :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1992-93 के आरम्भ में राज्य-वार कितने व्यक्ति बेरोज़गार थे;

(ख) 1992-93 के दौरान प्रतिवर्ष रोज़गार वृद्धि दर क्या थी;

(ग) प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन नए पदों के सृजन हेतु किस प्रकार की वृद्धि नीति की आवश्यकता है; और

(घ) 10 मिलियन नए पदों के लिए क्षेत्र-वार रोज़गार क्षमता कितनी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय अप्रैल, 1992 में पूरे देश के लिए खुली बेरोज़गारी का बैकलॉग 17 मिलियन अनुमानित किया था। वर्ष 1992 के लिए ऐसे अनुमान विभिनन राज्यों के लिए नहीं किए गए थे। बेरोज़गारी के राज्यवार अनुमान एन०एस०एस०ओ० द्वारा रोज़गार और बेरोज़गारी के संबंध में किए गए अंतिम व्यापक सर्वेक्षण से 1987-88 के लिए उस वर्ष में उपलब्ध हैं। ये अनुमान अनुबंध में दिए गए हैं।

वर्ष 1992-93 के दौरान रोज़गार वृद्धि की दर लगभग 2 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

रोज़गार आठवीं पंचवर्षीय योजना को बल दिया जाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। योजना की रोज़गार कार्यनीति में अर्थव्यवस्था के विकास की उच्च दर के साथ रोज़गार सृजन की गति बढ़ाने के लिए उच्च रोज़गार क्षमता वाले सैक्टरों, उप सैक्टरों और क्षेत्रों के तीव्र विकास की परिकल्पना की गई है। सकल घरेलू उत्पाद की 5.6 प्रतिशत वार्षिक लक्षित वृद्धि और परिकल्पित किए गए अनुसार वृद्धि के सैक्टरवार निर्धारण से आठवीं योजना में लगभग 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। इन रोजगार अवसरों का राज्यवार खुलासा अनुबंध-II में दिया गया है। ऐसा खुलासा प्रत्येक वर्ष के लिए उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-I

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोज़गारों की अनुमानित संख्या (000 में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1490
2.	असम	282
3.	बिहार	942
4.	गुजरात	563
5.	हरियाणा	349
6.	हिमाचल प्रदेश	64
7.	जम्मू और कश्मीर	125
8.	कर्नाटक	569
9.	केरल	1718
10.	मध्य प्रदेश	648

11.	महाराष्ट्र	1091
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	2
14.	नागालैण्ड (शहरी क्षेत्र)	2
15.	उड़ीसा	614
16.	पंजाब	293
17.	राजस्थान	709
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	1974
20.	त्रिपुरा	32
21.	उत्तर प्रदेश	1218
22.	पश्चिम बंगाल	1430
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
24.	अरूणाचल प्रदेश	1
25.	चण्डीगढ़	20
26.	दादर और नगर हवेली	नगण्य
27.	दिल्ली	120
28.	गोवा, दमन और दीव	39
29.	लक्ष्यद्वीप	3
30.	मिज़ोरम	0
31.	पांडिचेरी	40
	अखिल भारत	14354

टिप्पणी :

1. पाक्षिक स्थिति अवधारणा के अनुसार बेरोज़गार वह व्यक्ति है जिसे काम के लिए उपलब्ध होने पर भी संदर्भित सप्ताह के दौरान एक घण्टे का काम भी नहीं मिलता।
2. बेरोज़गार व्यक्तियों के अनुमान 1 जनवरी, 1988 के लिए 1981 और 1991 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके अनुमानित जनसंख्या पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (साप्ताहिक स्थिति) 43वां राउन्ड की दरों को लागू करके निकाले गए हैं।

3. नेग का तात्पर्य नगण्य से है।

4. 1987-88 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख और कारगिल जिले और नागालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

अनुबंध-II

आठवीं योजना (1992-97) के लिए क्षेत्रक द्वारा, सृजन रोजगार के अनुमान

क्षेत्रक		अतिरिक्त रोज़गार (मिलियन व्यक्ति)
1.	कृषि	16.5
2.	खनन और उत्खनन	0.7
3.	विनिर्माण	6.5
4.	निर्माण	3.7
5.	विद्युत, गैस और जल	0.2
6.	परिवहन और संचार	3.0
7.	अन्य सेवाएं	12.0
	कुल	42.6

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय : महोदय, उत्तर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है और यह गलत तथा टाल-मटोल करने वाला जवाब है। **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : क्या यह संसदीय है?

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं में इतना अस्पष्ट नहीं है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से अलग रखा जाए।

श्री हाराधन राय : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार आंकड़ों के बगैर किस प्रकार कार्य कर सकती है। तथापि, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है : (क) प्रतिवर्ष श्रमशक्ति में अनुमानित कितनी श्रमशक्ति जुड़ जाती है? (ख) क्या यह प्रतिवर्ष सृजित किये जाने वाले रोज़गार के अवसरों से कहीं अधिक है? तथा (ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में पूर्वानुमानित इसमें कितनी वृद्धि हुई है?

श्री गिरिधर गोमांगो : वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार जिन लोगों को रोज़गार दिया जाना है, मैं पहले ही उससे संबंधित विवरण दे चुका हूं। यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1987-88 में किया गया था।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं

कि इस वर्ष एक सर्वेक्षण किया गया था। वर्ष 1995 में इसे प्रकाशित किया जाएगा।

1992 में 70 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया जाना था। उसके पश्चात् 1996-97 में उसमें 35 मिलियन अतिरिक्त श्रमशक्ति जुड़ जायेगी। वह 52 मिलियन बैठती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 43 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 9 मिलियन लोगों को रोज़गार देना शेष रहेगा।

श्री हाराधन राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1992-93 के शुरु में कितने लोगों को रोज़गार दिया जाना शेष है, लेकिन मंत्री महोदय ने मुझे वर्ष 1987-88 के आंकड़े दिए हैं, जिसका वर्ष 1992-93 के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

योजना आयोग ने विकास की 5.6 प्रतिशत दर के पूर्वानुमान पर 43 मिलियन रोज़गार के अवसरों का अनुमान लगाया है क्योंकि विकास दर उससे बहुत कम है। 43 मिलियन लोगों को रोज़गार देने के लक्ष्य में कितनी कमी होने का पूर्वानुमान है?

श्री गिरिधर गोमांगो : रोज़गार की विकास दर देश में सकल घरेलू उत्पाद की विकास के आधार पर होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 43 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि 1992-93 में कितना बैकलॉग बेरोज़गारी का लेकिन मुझे 1987-88 का फिगर्स दिया गया है। सरकार ने जानबूझ कर कम बेरोज़गारी बताने का ऐसा जवाब दिया है। सरकार ने 1992 में जवाब दिया है कि 3 करोड़ 67 लाख 58 हज़ार बेरोज़गार हैं जिसमें दो करोड़ ग्यारह लाख एजुकेटिड बेरोज़गार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं कि सही जवाब दिया जाए सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि सन् दो हजार ईसवी तक देश में पूर्ण रोज़गारी हो जाएगी ओर प्रतिवर्ष टेन मिलियन रोज़गारी का सृजन किया जाएगा अगर इंडस्ट्रीयल ग्रोथ 5 प्रतिशत और जी०डी०पी० ग्रोथ 5-6 परसेंट होगा। हमारी रोज़गारी बढ़ने की दर 1.6 परसेंट है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी देर तक प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछना है। अभी तक सिर्फ दो प्रश्न कवर हो चुके हैं।

श्री काशीराम राणा : हमारी रोज़गारी बढ़ने की दर कम है और बेरोज़गारी बढ़ने की दर अधिक है तो सरकार ने सन् दो हजार तक पूर्ण रोज़गार की घोषणा की है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेगी? गारंटी रोज़गार योजना महाराष्ट्र में चल रही है तो इस तरह से सरकार क्या पूर्ण रोज़गारी के लिए सारे देश में इसको इम्पलीमेंट करेगी?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट - एन०एस०एस०ओ० रिपोर्ट (1987-88) के संबंध में पहले ही मुख्य प्रश्न में जवाब दे चुका हूं , मैंने इसे टाला नहीं है। 1995 की रिपोर्ट, जिसमें रोज़गार तथा बेरोज़गारी से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण है, राज्यवार उपलब्ध कराई जायेगी।

उसमें दो या तीन प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ दो प्रश्न हैं। सन् दो हजार ए०डी० तक क्या आप सभी लोगों को रोज़गार देंगे और महाराष्ट्र में रोज़गार गारंटी स्कीम चल रही है तो उसको यहां पर लागू करेंगे क्या?

श्री गिरिधर गोमांगो : अध्यक्ष महोदय, फुल एम्पलायमेंट पासिबल होगा या नहीं होगा, यह बताना मुश्किल है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है तो इस तरह गड़बड़ करने से क्या फायदा है, जवाब तो ले लें।

श्री गिरिधर गोमांगो : फुल एम्पलायमेंट के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने आठवीं प्लान तक की फिगर्स दी है कि 17 मिलियन बैकलॉग 1992 में बैकलॉग था और 35 मिलियन एडीशनल एम्पलायमेंट जनरेट करेंगे जो 52 मिलियन होता है। उसमें जब 43 मिलियन एम्पलायमेंट जनरेट करेंगे तो 9 मिलियन बैकलॉग रहेगा...**(व्यवधान)** फुल एम्पलायमेंट देने के लिए वायदा कैसे कर सकता हूं? यह इंटरनल रिसोर्सेस के आधार पर होगा ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीयल या ट्रान्सपोर्ट में बढ़ायेंगे?

श्री गिरिधर गोमांगो : उसी बारे में बोल रहा हूं, जी०डी०पी० का ग्रोथ रेट वही है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रोज़गार गारंटी योजना अथवा उसी प्रकार की कोई योजना सारे देश में शुरु करने जा रहे हैं?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, महाराष्ट्र रोज़गार योजना जैसी योजनाओं सहित अनेक योजनाएं हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, रोज़गार सृजन के बारे में माननीय मंत्री ने जो लम्बे-चौड़े दावे किये हैं, उन्हें वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा नकारा गया है। वर्ष 1993 में 1080 मिलियन श्रम दिवसों का सृजन किया जाना था। वास्तव में पहले सात महीनों में, केवल 109 मिलियन श्रम दिवसों का सृजन किया गया था। अगर आप इसकी गणना करें तो जिन लोगों को अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है, उनकी संख्या 17 मिलियन बैठती है और वर्ष में उन्हें 15 या 16 दिन कार्य के मिलते हैं अगर वास्तव में यह 100 मिलियन हो, तो फिर एक वर्ष में उन्हें तीन दिन कार्य के मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की भी यही स्थिति है। वर्ष 1989-90 में इसके लिए 1369 करोड़ रूपये रखे गए थे और वर्ष 1992-93 में यह राशि 1134 करोड़ रूपये रखी गई। इसके लिए सहायता राशि कम कर दी गई। वर्ष 1989-90 में 3.33 मिलियन लोगों को काम दिलाने के लिए सहायता दी गई और 1992-93 में 2 मिलियन लोगों को सहायता दी गई। यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया

गया है। अगर वे इसी दर से रोज़गार का सृजन करेंगे तो एक या दो वर्षों बाद स्थिति क्या होगी क्योंकि प्रति वर्ग खर्च के साथ-साथ रोज़गार सृजन भी कम किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास बेरोज़गारी से पीड़ित जनता को वास्तविक रोज़गार देने के लिए क्या कोई कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह दर कम हो रही है तो आप ग्रामीण जनता को किस प्रकार रोज़गार दे सकेंगे?

श्री गिरिधर गोमांगो : शिक्षित बेरोज़गारों तथा अशिक्षित बेरोज़गारों के लिए सरकार पहले ही अनेक योजनाएं शुरु कर चुकी है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, पी०एम०आर०वाई० रोज़गार गारंटी योजना इत्यादि अनेक योजनाएं पहले ही शुरु की जा चुकी हैं और कार्यान्वित की जा चुकी हैं। विभिन्न योजनाओं के आधार पर जिस श्रमशक्ति का सृजन होगा, उसका भी मैं...**(व्यवधान)**...अपने विवरण में उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन कार्यक्रमवार, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं विभाग से आंकड़े एकत्र करके ब्यौरे पेश करूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, चेहरों की भांति कई बार आंकड़े तथा सांख्यिकी भी भ्रम पैदा करने वाले होते हैं। हमें माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चला है कि वर्ष 1992-93 के दौरान 2 प्रतिशत रोज़गार की दर का अनुमान लगाया गया है। साथ ही, हम जानते हैं कि रोज़गार बाजार में जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं, उनकी संख्या एक करोड़ है और रोज़गार वास्तव में 70 लाख लोगों को ही दिये जा रहे हैं। इससे हर वर्ष बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। लेकिन आम भावना यह है कि बिना किसी समन्वय के योजनाओं की प्रचुरता से वास्तव में कोई उद्देश्य हल नहीं होता।

पहला प्रश्न, जो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा वह यह है कि इस सम्बन्ध में क्या निगरानी रखी जा रही है तथा क्या सरकार योजनाओं को व्यवस्थित अथवा समेकित करने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारे कार्य की देखरेख एक एजेंसी द्वारा ही की जाए और एक ही काम कई जगह न हो और इच्छित उद्देश्य प्राप्त हो सके? वास्तव में मंत्री महोदय के वक्तव्य में यह अस्पष्ट है कि रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिक विस्तार से यह नहीं कहा है, लेकिन तथ्य यह है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। उस स्थिति से हमें किस प्रकार निपटना होगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप योजनाओं को समेकित करेंगे और उन पर निगरानी रखेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : निगरानी का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों जिनमें कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी शामिल है, द्वारा किया जाता है। हम सरकार द्वारा शुरु किए गए विभिन्न कार्यक्रमों पर निगरानी रख रहे हैं। इन सब योजनाओं के परिणामस्वरूप आबंटन के साथ-साथ जो रोज़गार के अवसर सृजित किये गये हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का यही लक्ष्य है अर्थात् जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और अधिक रोज़गार का सृजन करना। कार्यक्रमवार रोज़गार सृजन के बारे में निगरानी का काम संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : समेकन व्यवहारिक नहीं होगा।

|हिन्दी|

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि नयी आर्थिक नीति के उदारीकरण से रोज़गार के नये अवसर प्रदान किये जायेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार उस उदारीकरण की कौन सी नीति के आधार पर रोज़गार के अवसर प्रदान करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना और दर्शन था कि देहाती और शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारों की संख्या ज्यादा है और देश के देहाती इलाकों में लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करके बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई समाधान करने जा रही है?

|अनुवाद|

श्री गिरिधर गोमांगो : आधारभूत सुधारों का लक्ष्य रोज़गार के अधिक अवसर पैरा करना होता है। वही सरकार का उद्देश्य है। माननीय सदस्य आधारभूत सुधारों के परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं। वे आधारभूत सुधारों के कारण रोज़गार के अवसर बढ़ने तथा अर्थव्यवस्था विकास के साथ जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या रोज़गार प्रदान करने के लिए आप लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे?

श्री गिरिधर गोमांगो : ऐसे अनेक मंत्रालय/विभाग हैं जहां रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं और मानदंड सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उस वृद्धि के आधार पर मैं सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की बात कर रहा हूं - अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने से आर्थिक विकास होता है। ये दोनों बातें परस्पर संबंधित हैं लेकिन इनमें संतुलन मुश्किल से ही होता है।

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय मंत्री ने जवाब में जो आंकड़े दिए हैं, वे गलत हैं। मैं इसका कारण नहीं जानती लेकिन इन दिनों हमें मंत्रियों से विशेष उत्तर नहीं मिल रहे हैं। मुझे इसका बहुत दुःख है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। हमें पता चला है कि उनके आंकड़े गलत हैं और हमारे आंकड़े सही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने ये आंकड़े कहां से लिए हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : उनके पास आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। मैं मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहती हूं। बेरोज़गारी की समस्या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि यह हमारे देश की बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह प्रधानमंत्री महोदय को एक सुझाव दें कि बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक आयोजित करके कुछ विवेकपूर्ण निर्णय अवश्य लेना चाहिये ताकि वे एक कार्य योजना तैयार कर सकें ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सके। मंत्री महोदय जो कह रहे हैं उससे लगता है कि एक विभाग का दूसरे विभाग से कोई समन्वय नहीं है। देश के हित में — मुझे विश्वास है कि सभा मेरा समर्थन करेगी - मेरा यह सुझाव है कि एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य योजना मंत्रालय करता है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं उनके प्रश्न का जवाब दूंगा। पिछली बार भी माननीय सदस्या ने यही प्रश्न उठाया था और माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलायेंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक आयोजित की गई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बेरोज़गारी पर एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने अप्रैल 1993 में इस मुद्दे पर चर्चा की थी और एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद, उस रिपोर्ट की प्रमुख बातों को सभी राज्यों को परिचालित किया गया ताकि वे अपने स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही कर सकें। ऐसा किया जा चुका है।

जो कुछ मैंने यहां कहा है वह उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर है। मैं यहां वही बात दोहरा रहा हूं। लेकिन वह कह रहे हैं कि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महोदय, हम इस पर ध्यान क्यों न दें मेरा इरादा सही उत्तर देने का है।

औद्योगिक विकास

***444. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में जुलाई और अगस्त, 1993 में वृद्धि होने के बाद इसमें सितम्बर, 1993 में गिरावट आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक विकास का माह-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमित विकास और वसूली के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। तथापि, 1993-94 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान समग्र औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक कार्य-निष्पादन पर सामान्यतया मांग संबंधी बाधाओं, कठोर ऋण नीति तथा 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के कारण अपनाये गये स्थिरिकरण उपायों के अल्पकालिक प्रभावों का असर पड़ा था। इन बाधाओं को दूर कर देने से औद्योगिक उत्पादन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

(घ) जुलाई, 1991 की नयी औद्योगिक नीति में किए गए नीतिगत उपायों, व्यापार नीति और बाद के बजटों में घोषित किए गए सहायक राजकोषीय व वित्तीय उपायों सबका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन की विकास की गति को तेज करना है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 1980–81 = 100)

		माहवार (1993)									तिमाहीवार (1993)			
क्षेत्र	भार	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	प्रथम तिमाही अप्रैल जून	दूसरी तिमाही जुलाई सित.	तीसरी तिमाही अक्तू. दिस.	अप्रैल- दिस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
संपूर्ण उद्योग का सूचकांक	100.0	207.0	205.6	206.8	210.8	213.4	214.4	212.7	220.8	240.9	206.5	212.9	224.8	214.7
विकास दर (प्रतिशत)		-0.9	0.2	1.2	4.8	5.7	-0.2	2.0	1.9	6.7	0.2	3.4	3.6	2.4
विनिर्माणकारी सूचकांक	77.1	195.2	193.7	197.3	202.5	204.0	207.2	201.8	210.3	230.5	195.4	204.6	214.2	204.7
विकास दर (प्रतिशत)		-1.2	0.4	-0.7	4.5	4.8	-1.6	1.9	1.0	7.3	-0.5	2.5	3.5	1.8
खनन सूचकांक	11.5	212.0	205.0	207.2	202.1	198.5	199.4	214.0	227.4	251.2	208.1	200.0	230.9	213.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
विकास दर (प्रतिशत)		-7.4	-11.4	3.6	3.6	2.0	2.0	1.8	1.8	3.8	-5.5	2.5	2.5	-0.2
विद्युत सूचकांक	11.4	281.4	286.8	270.4	275.4	292.2	278.1	284.7	285.6	300.9	279.5	281.9	290.4	283.9
विकास दर (प्रतिशत)		6.4	9.4	9.3	7.3	13.3	5.5	2.3	6.7	6.2	8.3	8.7	5.0	7.3

नोट : प्रतिशत विकास दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सूचकांक का विकास है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था हालांकि यह सही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और व्यापार संतुलन हमारे अनुकूल है फिर भी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार होना बाकी है। 1980 दशक की 8.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक औद्योगिक विकास दर के विपरीत वर्ष 1993-94 के पहले छ: महीने के समय में औद्योगिक विकास की दर केवल 1.6 प्रतिशत थी। मुख्य समस्या उत्पादन क्षेत्र में दिखाई दे रही है जिसमें वर्ष 1993-94 में केवल 0.6 प्रतिशत विकास दर रिकार्ड की गई है। उत्पादन क्षेत्र में अच्छे परिणाम सामने न आने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5 से 6 प्रतिशत के औसत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

|हिन्दी|

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपेक्षित ग्रोथ क्यों नहीं हुई। मैं कहना चाहती हूं कि रीस्ट्रक्चरिंग या रीवेम्पिंग की नयी नीति जब आती है तो उसमें कुछ लोगों को शंकाएं होती हैं और एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा समय लगा एडजस्टमेंट में, फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में एडजस्टमेंट में कम समय लगा है। 1991 के सीवियर बेलेन्स ऑफ पेमेण्ट क्राइसेज़ के कारण इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ा था। फलस्वरूप इंपोर्टेड गुड्ज़ की कीमत प्रभावित हुई थी और फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी। इसलिए रूपए के डीवेल्यूएशन के कारण इंपोर्टेड गुड्ज़ का दाम बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट घटाने के बाद पब्लिक सेक्टर में व्यय को भी नियंत्रित करना पड़ा था और इनफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए जो हमारे नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता थी, इस कारण औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध ऋण में काफी कटौती की गई और उपलब्ध की गई राशि काफी ऊंचे रेट ऑफ इंटरस्ट पर दी गई। साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि जो उन्होंने मेनुफेक्चरिंग सेक्टर की बात की है। मैन्यूफेक्चरिंग सैक्टर में इंडस्ट्रीज़ के 17 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 12 ग्रुप्स ने अप्रैल से दिसम्बर, 1993 तक पौजिटिव रेट ऑफ ग्रोथ दिखलाया है, 5 ग्रुप्स के मामले में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है लेकिन शेष में मौडरेट बढ़ोतरी हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार ने इस संबंध में अनेक कदम उठाये हैं। पहला कदम यह उठाया है कि उद्योगों को विकसित करने के लिये और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये जहां पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है वहीं प्लान आउटले को भी बढ़ाया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया है। पहले इसमें रिजर्वेशन था लेकिन अब इसमें उसे उत्साहित किया है। जो अन्य कदम उठाये गये हैं, वे भी काफी प्रभावकारी हैं जैसे कि टेरिफ स्ट्रक्चर का रेशनेलाईज़ेशन हुआ है और उसके प्रोसीजर को भी सिम्पलीफाई किया गया है। इम्पोर्ट तथा एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की गयी है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी और कैश रिज़र्व रेशो में भी कटौती की गयी है। इन सबके कारण अब औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को अधिक ऋण उपलब्ध हो सकेगा। कॉमर्शियल एडवांसेज़ के मिनिमम लैंडिग रेट में भी कमी की गई है और चालू खाते में रूपये की कन्वरटिबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर के लिये केन्द्रीय योजना में भी बड़ी राशि आबंटित की गयी है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर की प्रशंसा करता हूं। मेरा

दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आर्थिक विशेषज्ञों की राय यह है कि भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह के कारण भारतीय व्यापार उद्यमियों पर इतना दबाव पड़ा है कि वे नये औद्योगिक उपक्रम आरम्भ करने से कतरा रहे हैं। दूसरी ओर, वे आनुषंगिक उद्योग आरम्भ करने की कोशिश कर रहे हैं और वे अन्य कारखाने लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जोकि विदेशी निवेशकों को सहायता प्रदान करें। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि इसे ठीक स्तर पर लाने के लिए और हमारे देश के व्यापारिक समुदाय में आत्मविश्वास भरने के लिए वे किन कदमों को उठाए जाने पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : इंडस्ट्रीज़ क्षेत्र में, हमारे जो डौमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट देश में हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए... **(व्यवधान)**...कभी मैं सोचती हूं कि शायद मुझे बीच में टोक कर कोई अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, छोटे-मोटे उद्योग करने वाले हैं, चाहे वह कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जिनकी अभी मैंने चर्चा की है। इसके अलावा कई रियायतें भी दी गयी हैं। कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सात वर्षों के अधिक पुरानी मशीन के इम्पोर्ट पर पहले जो प्रतिबंध था, अब उसे हटा लिया गया है जिससे काफी लाभ हमारे उद्योगों को पहुंचा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन से समय-समय पर विचार-विमर्श करके, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जाती है। जो प्रौसीजरल या प्रशासनिक विलम्ब होता था, उसे भी दूर किया जा रहा है। उनके सैक्टरों में लाइसेंस की आवश्यकता को हटा दिया गया है। एक्साइज़ ड्यूटी में काफी कटौती की गयी है और अधिक मात्रा में ब्याज दर को 20 प्रतिशत को घटाकर 14 प्रतिशत की दर पर, ऋण वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट मार्च का आयोजन किया गया था जिसमें बाहर से अनेक लोग आये थे और हमारे देश के जो उद्योग लगाने वाले लोग थे, उन लोगों का बाहर से आये लोगों के साथ इंटर-एक्शन हुआ था, मैन-टू-मैन डिस्कशन हुआ था कि कैसे उद्योगों को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखने से, अभी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और जितनी हमारी डिमांड है, इनको देखने से ऐसा लगता है कि हमारे तीनों सैक्टर्स में वृद्धि हुई है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में काफी काम किया गया है। हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं - जैसे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से करीब 48 हजार करोड़ रूपये पब्लिक इश्यूज़ के द्वारा प्राप्त किये गये हैं। कार्पोरेट सैक्टर की यूनिट्स ने करीब 425 करोड़ रूपये की विदेशी पूंजी प्राप्त की है।

एक्सपोर्ट में जैसी मैंने पहले चर्चा की है 1993 से फरवरी 1994 के बीच में एक्सपोर्ट में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जुलाई 1991 के बाद करीब 300 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ख्याल से 14 हजार इन्वेस्टमेंट इन्टेंशन्स प्राप्त हुई हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आखिरी तीन तारांकित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोज़गार की दृष्टि से, सकल घरेलू उत्पाद में विकास की दृष्टि से तथा अनेक कारणों से हम इसमें रुचि रखते हैं। अब स्थिति भयंकर प्रतीत हो रही है। उत्तर यह है कि मांग की कमी है। अब यह एक आश्चर्यजनक उत्तर है क्योंकि एक ओर

कर में रियायतें दी जा रही हैं। बचत की दर नहीं बढ़ रही है और फिर भी वे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है। वास्तव में यदि निर्यात 20 प्रतिशत बढ़ गया है तब इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं की कुल उपलब्धता जोकि केवल 2 प्रतिशत बढ़ी है, हमारे देश में पहले की अपेक्षा आज कम है। इसीलिए, इस प्रकार का प्रश्न वैध प्रतीत नहीं होता। वस्तुओं की कुल उपलब्धता में कमी आई है। रोज़गार की स्थिति बहुत गम्भीर है। 5.6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि 45 मिलियन रोज़गार के अवसरों को सृजित किया जाएगा।

श्री पी०सी० चाक्को : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। अब स्थिति यह है कि विकास दर 5.6 प्रतिशत तक नहीं पहुंची है और इसलिए हमें सन् 2000 तक 45 मिलियन रोज़गार के अवसरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नई नीति तैयार करनी होगी। इस अध्ययन में आपने विकास दर के आंकड़े दिए हैं।

क्या आप इस सम्बन्ध में ब्यौरा दे सकते हैं? क्या यह भी सही है कि पूंजीगत माल क्षेत्र ने भी काफी नुकसान उठाया है? मुख्यतः आपका औद्योगिक विकास टिकाऊ उपभोज्य वस्तुओं के क्षेत्र से होता है जोकि विलासिता की वस्तुओं का क्षेत्र है। आपको क्या आंकड़े प्राप्त हुए हैं? इसे समझने की कोशिश करते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की विकास दर क्या है?

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी, आप मंत्री जी से इतने लम्बे प्रश्न का उत्तर देने की उम्मीद कैसे करते हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रश्न यह है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग की विकास दर क्या है; सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की विकास दर क्या है; निजी क्षेत्र के उद्योगों की विकास दर क्या है और लघु पैमाने के उद्योगों की विकास दर क्या है? आप इसका ब्यौरा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास सूचना है तो आप दे दीजिए अन्यथा आप लिखित में भी भेज सकते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मेरे पास है वह मैं दे रही हूं और जो नहीं है उसको मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगी। इन्होंने कंज्यूमर कैपीटल गुड्स की बात कही है। मैं बताना चाहती हूं कि इस सैक्टर में +3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई गई है। स्माल स्केल सैक्टर में 9 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सैक्टर में +13.5 प्रतिशत ग्रोथ हुई है और इन्टरमीडिएट गुड्स में +10 प्रतिशत ग्रोथ और बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ में +3.2 प्रतिशत ग्रोथ हुई है और जो आंकड़े आपने दिए हैं उनके बारे में और जानकारी मैं आपको भेज दूंगी।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने माना है कि औद्योगिक विकास में बहुत कमी आई है और औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आई है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि इसका क्या यह भी कारण है कि कोर सैक्टर में आपने प्राइवेटाइजेशन की बात चलाई, उसके कारण जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको डिप्रैशन हो जाता है और उससे उत्पादन में कमी आती है, तो क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन न

करने की सोच रही है? जैसे कि 'इसको' में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन न करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन को बन्द करने की सोच रही है?

श्रीमती कृष्णा साही : सरकार का नीति निर्धारण तो ऑन-गोइंग प्रोसेस है, वह चलता रहता है, समय-समय पर जो आवश्यकता होती है उसके मुताबिक नीति में परिवर्तन करते हैं।

श्री पी०सी० चाक्को : माननीय मंत्री जी ने जो आशाएं व्यक्त की हैं वह बहुत अच्छी हैं। हम सभी चाहते हैं कि वे इसमें सफल हों। लेकिन तथ्य यह है कि उद्योगों ने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। उद्योगों को काफी रियायतें दी गई हैं लेकिन उद्योगों द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। अर्थव्यवस्था में विकास मुख्यतः कृषि द्वारा होता है न कि उद्योगों द्वारा।

मुख्य बात यह है कि सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए 6 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास की दर निवेश के अनुपातिक हो सकती है। वर्ष 1994-95 में 6 प्रतिशत विकास की दर का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेशों को गतिशील बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई गई है?

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आयुध डिपो श्रीनगर में विस्फोट

***445. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में एक आयुध डिपो में 29 मार्च, 1994 को शक्तिशाली विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप जन-जीवन, हथियारों और गोला बारूद के हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारण की कोई जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न आयुध कारखानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस विस्फोट में एक सिविलियन के अतिरिक्त एक मेजर जनरल सहित तेरह सेना कार्मिकों की मृत्यु

हुई। इसमें कोई हथियार नष्ट नहीं हुए। गोला-बारूद डिपो में नहीं रखा जाता है। इसमें बरामद किए गए केवल कुछ विस्फोटक और विस्फोटक यंत्र ही नष्ट हुए थे।

(ग) और (घ) : इस संबंध में जांच-अदालत की कार्रवाई चल रही है।

(ङ) सरकार ने देश की विभिन्न आयुध निर्माणियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें से कुछ अनुबंध "क" में दिए गए हैं।

विवरण

सरकार ने देश की विभिन्न आयुध निर्माणियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(1) प्रत्येक निर्माणी में वार्षिक रूप से सुरक्षा जांच की जाती है।

(2) प्रत्येक निर्माणी में पूर्ण सक्षम सुरक्षा अधिकारी के अधीन एक सुरक्षा अनुभाग है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। कई निर्माणियों में सुरक्षा समितियां भी हैं जिनमें कामगारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है।

(3) प्रत्येक अनुभाग का प्रभारी अधिकारी अपनाए जाने वाले सुरक्षा संबंधी मानदंड अपने अनुभाग में सप्ताह में एक बार पढ़कर सुनाता है।

(4) हर छठे महीने बिजली की सभी फिटिंगों और प्वाइंटों की जांच की जाती है। इसके लिए एक जर्नल भी रखा जाता है।

(5) निर्माणियों के बहि:स्रावों को निर्माणियों से बाहर निकालने के पूर्व उपचार करके निष्प्रभावी बना दिया जाता है।

(6) खतरनाक रसायनों विस्फोटकों और गोला-बारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनका भंडारण, विस्फोटकों के परिवहन और भंडारण संबंधी समिति द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते हुए किया जाता है।

(7) सभी निर्माणियों में रसायनों, विस्फोटकों और गोला-बारूद के निर्माण की प्रत्येकप्रक्रिया और बिजली की विभिन्न प्रकार की फिटिंगों, विभिन्न प्रकार से निर्मित भवनों और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली सावधानियों आदि के बारे में अलग से सुरक्षा संबंधी अनुदेश मौजूद हैं।

(8) सुरक्षा-अनुदेशों का उल्लंघन पर कठोर दण्ड दिया जाता है।

(9) प्रत्येक निर्माणी में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं। कामगारों को आवधिक रूप से अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

कागज़ का उत्पादन

***446. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सफेद कागज़ की प्रतिवर्ष कुल कितनी मांग है;

(ख) इस समय इस प्रकार के कागज़ का कितना उत्पादन होता है;

(ग) सफेद कागज़ का, विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का विचार केरल में पुनालूर पेपर मिल का अधिग्रहण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : देश में सफेद कागज़ की कुल मांग 11.25 लाख मी० टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। उत्पादन और मांग में समानता है क्योंकि यह भी लगभग 11.25 लाख मी० टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

(ग) देश सामान्य किस्म के सफेद कागज़ का उत्पादन करने में आत्मनिर्भर है। सरकार ने सफेद कागज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(1) सफेद कागज़ के निर्माण के लिए कच्चा माल यानि कास्ठ लुगदी और रद्दी कागज़ का कम सीमा-शुल्क पर आयात लाइसेंस के प्रतिबंधों के बिना आयात करने की अनुमति दी गई है।

(2) खोई, कृषि अपशिष्टों, रद्दी कागज़ तथा अन्य अपरंपरागत कच्चे माल से बनी न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी का इस्तेमाल करने वाले सफेद कागज़ के उत्पादन को अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त रखा गया है, बशर्ते कि उत्पादनस्थापना-स्थल संबंधी नीति के अनुरूप हो। ऐसे कागज़ के लिए सीमा-शुल्क भी रियायती दर पर लगाया जाता है।

(3) आशय पत्रों के रूप में 5.4 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता मंजूर की गई है और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई०ई०एम०) में 36.5 लाख मी० टन की और क्षमता की परिकल्पना की गई है।

(4) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने चरणबद्ध रूप में अपने मिलों का नवीकरण, प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं शुरु की हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके।

(घ) और (ङ) : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, एक समिति पुनालूर पेपर मिल्स की पुनर्स्थापना की संभावना पर विचार कर रही है।

बायोगैस क्षमता

***447. श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) अब तक कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ग) देश में बायोगैस क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) : देश में पशु आधारित 120 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। अब तक इस संभाव्यता के लगभग 16 प्रतिशत भाग का दोहन किया गया है। देश में बायोगैस संयंत्रों के विस्तार को बढ़ाने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इनमें बायोगैस संयंत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली भरण सामग्री का विविधीकरण, बायोगैस संयंत्रों के नए डिजाइनों का विकास और परीक्षण, उपलब्ध संसाधनों से इस कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए आर्थिक राज सहायता में प्रगामी रूप से कमी करना; इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों और निजी उद्यमियों की अधिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना; टर्न की उद्यमियों की अधिक सहभागिता के माध्यम से रखरखाव कार्य में सुधार लाना; संयंत्रों की उचित ढंग से संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के संबंध में उपयोगकर्ताओं और संभाव्य उपयोगकर्ताओं के बीच शिक्षा और प्रशिक्षण कार्य में तेजी लाना शामिल है।

भारतीय बायलर अधिनियम 1923

***448. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम :**

श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिनियम के संशोधन प्रारूप तैयार करते समय केन्द्रीय बायलर बोर्ड और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु और मंझोले उद्योगों पर इन प्रस्तावित संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : भारतीय बायलर अधिनियम 1923 में बनाया गया था तब से बायलर उद्योग के स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है, उदाहरण के लिए 1960 में एक विशिष्ट प्रकार के बायलर के उत्पादन पर केवल 25,000 रूपये ही लागत आती थी, जबकि अब भारत में कुछ बायलरों के उत्पादन पर 100 करोड़ रूपये से अधिक लागत आती है। इसके अतिरिक्त आयात पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय भारत अब बायलरों का निर्यात कर रहा है। इससे भारतीय बायलर अधिनियम के उपबंधों में परिवर्तन करने की जरूरत है।

भारत सरकार ने बायलरों से संबंधित कानून की व्यापक समीक्षा के प्रस्तावों के लिए केन्द्र तथा राज्य

सरकारों के अधिकारियों, निर्माताओं तथा बायलरों के प्रयोक्ताओं की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशें तथा साथ में भारतीय बायलर अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव दो विभिन्न अवसरों पर सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के पास भेजे गए थे। कुछ राज्य सरकारें भारतीय बायलर अधिनियम के कार्यान्वयन का केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बारे में समिति की मुख्य सिफारिशों के विरूद्ध थीं।

अतः अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. अपील की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

2. केन्द्रीय बायलर बोर्ड की कार्य प्रणाली को सशक्त बनाया जा रहा है।

3. फैक्ट्री अधिनियम के अनुरूप पैनल्टियों को बढ़ाया जा रहा है।

4. निर्माणाधीन तथा उपयोग में लाए जा रहे बायलरों के निरीक्षण और प्रमाणीकरण के काम का विकेन्द्रीकरण किया जाए ताकि इस उद्योग को त्वरित सेवा मिल सके और वह बाजार की मांग को जल्दी पूरा कर सके।

5. ऊर्जा बचाने तथा पर्यावरण सुधारने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाया जा रहा है।

लघु, मझौले तथा अन्य उद्योगों के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन्हें इन संशोधनों से निम्नलिखित रूप से लाभ मिलेगा।

1. विनिर्माण तथा प्रयोग के दौरान इनके बायलरों का शीघ्र निरीक्षण होगा।

2. उनकी अपीलों पर त्वरित निर्णय होगा।

3. अफसरशाही विलंब तथा हस्तक्षेप कम करके बायलरों का त्वरित पंजीकरण होगा।

4. पंजीकरण प्राधिकरणों और निरीक्षण प्राधिकरणों के बीच मतभेदों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

5. नकली बायलरों को हटाया जा सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

6. भाप जनित्रण की लागत कम हो जाएगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

***449. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के यूनिटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्यंक यूनिट में किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक यूनिट को कितना घाटा और लाभ हुआ;

(घ) इन यूनिटों को घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय कौन-कौन से यूनिट बंद पड़े हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) कंपनी को वर्ष 1991-92 व 1992-93 में क्रमशः 26.08 करोड़ रूपए तथा 2.72 करोड़ रूपए का निवल लाभ हुआ। वर्ष 1993-94 में इसका अनुमानित निवल घाटा 116 करोड़ रूपए है।

(घ) घाटा मुख्यतः कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, पुराने उत्पाद, उच्च उपरि लागतों, मांग में कमी तथा अधिक मालसूचियों व देनदारियों के कारण है।

(ङ) कोई भी एकक बंद नहीं पड़ा है।

विवरण

इकाइयां	उत्पाद प्रभाग
1. एच०एम०टी० 1 और 2 बंगलौर, कर्नाटक	1. मशीन टूल्स
	2. डाई कास्टिंग
	3. बाल स्क्रू
	4. सेन्ट्रल रिकन्डीशनिंग
2. एच०एम०टी० 3 पिंजौर, हरियाणा	5. मशीन टूल्स
	6. ट्रैक्टर्स
3. एच०एम०टी० 4 कलमस्सेरी, केरल	7. मशीन टूल्स
	8. प्रिंटिंग मशीनरी
4. एच०एम०टी० 5 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	9. मशीन टूल्स
	10. प्रेसेस
5. एच०एम०टी० 6 अजमेर, राजस्थान	11. मशीन टूल्स
6. प्रिसीज़न मशीनरी, बंगलौर	12. प्रिसीज़न मशीनरी
7. लैम्प डिवीज़न, हैदराबाद	13. लैम्प्स
8. फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	14. फूड प्रोसेसिंग एण्ड डेयरी मशीनरी
9. वॉच फैक्टरी 1 एंड 2 बंगलौर, कर्नाटक	15. वाचेस मैकेनिकल एंड क्वार्ट्ज़
10. वॉच फैक्टरी 3 श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	16. वाचेस मैकेनिकल
11. वॉच फैक्टरी, तुमकूर, कर्नाटक	17. वॉच मैकेनिकल एंड क्वार्ट्ज़

12. वॉच फैक्टरी 5 रानीबाग, उत्तर प्रदेश	18. वाचेस मैकेनिकल
13. स्पेशल वॉच केस डिवीज़न, बंगलौर	19. वॉच केसेज़
14. मिनिएचर बैटरी, गुवाहाटी, असम	20. मिनिएचर बैटरी
15. सी०एन०सी० सिस्टम्स डिवीज़न, बंगलौर, कर्नाटक	21. सी०एन०सी० सिस्टम्स
16. ट्रैक्टर असेम्बली, मोहाली, पंजाब	22. ट्रैक्टर (असेम्बली)

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

***450. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि की अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस आशय की अनुमति कब तक दे दी जाएगी;

(घ) इन राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) इन राज्यों ने अब तक कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 1993-94 के सिंचाई सेक्टर के संशोधित परिव्यय क्रमशः 376.10 करोड़ रूपये, 289.86 करोड़ रूपये और 22.07 करोड़ रूपये है।

(ङ) वास्तविक व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त हो गई है तथा वर्ष के उत्तरार्द्ध में ही सारणीबद्ध की गई है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना

***451. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त परिणामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि इसमें कोई कमी रही है, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) इस योजना में किये गये/किये जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की निरंतर मानीटरी तथा समीक्षा करती है।

(ख) और (ग) : 1993-94 के दौरान 40,000 उद्यमों के लक्ष्य के मुकाबले 82,000 से अधिक आवेदनों की बैंकों को सिफारिश की गयी है। 40,000 लाभार्थियों के लिए 30 करोड़ रूपये की राज सहायता निधि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 30075 आवेदकों को ऋण मंजूर किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, 31 मार्च तक स्वीकृत मामलों की अंतिम रिपोर्ट अभी भी आनी है। यदि कोई कमी हो, तो उसके कारणों का पूरा अनुमान अंतिम परिणाम मिलने पर किया जाएगा।

(घ) प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के लिए 1994-95 हेतु 145.00 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं। 1994-95 के लिए राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ङ) इस समय योजना में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3135
2.	असम	726
3.	बिहार	1892
4.	दिल्ली	550
5.	गोआ	77
6.	गुजरात	527
7.	हरियाणा	762
8.	हिमाचल प्रदेश	201
9.	जम्मू एवं कश्मीर	102
10.	कर्नाटक	1943
11.	केरल	1606
12.	मध्य प्रदेश	2942
13.	महाराष्ट्र	4731

14.	मणिपुर	सूचना प्रतीक्षित है।
15.	मिज़ोरम	15
16.	उड़ीसा	826
17.	पंजाब	1030
18.	राजस्थान	1252
19.	तमिलनाडु	2680
20.	त्रिपुरा	124
21.	उत्तर प्रदेश	3951
22.	पश्चिम बंगाल	812
23.	अंडमान निकोबार	15
24.	चंडीगढ़	37
25.	दादर एवं नगर हवेली	24
26.	दमन एवं दीव	सूचना प्रतीक्षित है।
27.	लक्ष्यद्वीप	सूचना प्रतीक्षित है।
28.	मेघालय	सूचना प्रतीक्षित है।
29.	पांडिचेरी	75
30.	अरूणाचल प्रदेश	सूचना प्रतीक्षित है।
31.	नागालैंड	सूचना प्रतीक्षित है।
32.	सिक्किम	सूचना प्रतीक्षित है।

विवरण-II

1994-95 के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	18,200
2.	असम	6,600
3.	बिहार	22,150
4.	गुजरात	8,500
5.	हरियाणा	4,100

6.	हिमाचल प्रदेश	2,100
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1,200
8.	कर्नाटक	10,100
9.	केरल	15,000
10.	मध्य प्रदेश	15,450
11.	महाराष्ट्र	20,000
12.	मणिपुर	900
13.	मेघालय	300
14.	नागालैंड	250
15.	उड़ीसा	6,570
16.	पंजाब	4,900
17.	राजस्थान	8,300
18.	सिक्किम	250
19.	तमिलनाडु	17,400
20.	त्रिपुरा	620
21.	उत्तर प्रदेश	27,400
22.	पश्चिम बंगाल	22,900
23.	अंडमान एवं निकोबार	250
24.	अरूणाचल प्रदेश	250
25.	चंडीगढ़	430
26.	दादरा एवं नगर हवेली	250
27.	गोआ	520
28.	मिज़ोरम	250
29.	पांडिचेरी	460
30.	लक्ष्यद्वीप	250
31.	दमन एवं दीव	250
32.	दिल्ली	4,540

कम्प्यूटर विकास कार्यक्रम

*452. **डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सॉफ्टवेयर इन्डस्ट्री का विचार कम्प्यूटर कार्यक्रम के विकास के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर फर्मों को व्यापार में प्रमुख सहयोगी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या उन्होंने कुछ भारतीय सॉफ्टवेयर फर्मों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडवर्डो फलेरो) : (क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर निर्यात संवर्धन परिषद्, वाणिज्य मंत्रालय नीदरलैंड स्थित भारतीय दूतावास तथा नीदरलैंड स्थित विकासशील देशों से आयात संवर्धन केन्द्र के साथ मिलकर नीदरलैंड-भारत सॉफ्टवेयर व्यवसाय अवसर परियोजना (निस्बॉय) कार्यान्वित कर रहा है। नीदरलैंड के परामर्शदाताओं ने भारत का दौरा किया तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर कम्पनियों के साथ बैठकें आयोजित कीं ताकि भारतीय कम्पनियों की क्षमता का पता लगाया जा सके तथा उनका चयन किया जा सके और उन्हें नीदरलैंड में उपयुक्त अन्त्य-प्रयोगकर्ताओं/सॉफ्टवेयर कम्पनियों के सम्पर्क में लाया जा सके। तकनीकी तथा व्यवसायिक बातों को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि डच उद्योग कम्प्यूटर प्रोग्रामों के विकास के लिए भारतीय फर्मों का चयन करेगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*453. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने परिवारों को लाभ मिला;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान लाभान्वित परिवारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धि संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है। इस अनुबन्ध में यह देखा जा सकता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को 1991-92 और 1992-93 में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था। 1993-94 के लिये फरवरी, 1994 तक के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। तथापि, यह अनुभव किया गया है कि इस वर्ष के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	5177.52	4880.00	8416.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	469.44	416.00	686.00
3.	असम	1414.06	1332.00	2770.00
4.	बिहार	10361.80	9778.00	15974.00
5.	गोआ	97.80	86.00	142.00
6.	गुजरात	2132.11	2010.00	3090.00
7.	हरियाणा	510.19	480.00	742.00
8.	हिमाचल प्रदेश	182.66	172.00	2242.00
9.	जम्मू व कश्मीर	255.10	240.00	462.00
10.	कर्नाटक	3240.68	3054.00	5650.00
11.	करेल	1760.48	1660.00	2056.00
12.	मध्य प्रदेश	6865.57	6472.00	10664.00
13.	महाराष्ट्र	5546.00	5228.00	9174.00
14.	मणिपुर	40.94	38.00	200.00
15.	मेघालय	122.82	116.00	192.00
16.	मिज़ोरम	195.60	174.00	288.00
17.	नागालैण्ड	205.38	182.00	300.00
18.	उड़ीसा	3391.85	3198.00	6826.00
19.	पंजाब	431.46	406.00	528.00

20.	राजस्थान	3306.82	3118.00	4430.00
21.	सिक्किम	39.12	34.00	56.00
22.	तमिलनाडु	4648.44	4382.00	7608.00
23.	त्रिपुरा	144.87	136.00	618.00
24.	उत्तर प्रदेश	13857.12	13062.00	20508.00
25.	पश्चिम बंगाल	5791.65	5460.00	7542.00
26.	अंडमान व निकोबार	48.90	43.00	71.00
27.	दादर एवं नगर हवेली	9.78	9.00	15.00
28.	दिल्ली	48.90	-	-
29.	दमन एवं दीव	19.56	17.00	28.00
30.	लक्षद्वीप	5.00	4.00	7.00
31.	पांडिचेरी	39.12	35.00	58.00
	अखिल भारत	70360.74	66222.00	109343.00

विवरण-II

1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94 (फरवरी, 94 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	222848	179038	202436
2.	अरूणाचल प्रदेश	10888	13642	5351
3.	असम	46416	40204	45801
4.	बिहार	336972	264252	260341
5.	गोआ	2989	2456	2847
6.	गुजरात	72326	61842	70101
7.	हरियाणा	24756	23349	20765
8.	हिमाचल प्रदेश	11819	6956	8040

9.	जम्मू व कश्मीर	13581	7331	3976
10.	कर्नाटक	108841	103856	102374
11.	केरल	57562	50517	48744
12.	मध्य प्रदेश	294810	184083	192654
13.	महाराष्ट्र	197967	177651	160123
14.	मणिपुर	4908	3158	5073
15.	मेघालय	2874	3011	2105
16.	मिज़ोरम	2811	3474	2673
17.	नागालैण्ड	5442	3996	3632
18.	उड़ीसा	111712	93226	84832
19.	पंजाब	27453	25248	18709
20.	राजस्थान	131986	101366	98936
21.	सिक्किम	1610	1142	916
22.	तमिलनाडु	161603	144987	175055
23.	त्रिपुरा	16343	11414	4727
24.	उत्तर प्रदेश	462259	387961	390936
25.	पश्चिम बंगाल	201476	171695	31577
26.	अण्डमान व निकोबार	1502	895	492
27.	चण्डीगढ़	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	313	300	281
29.	दिल्ली	550	-	-
30.	दमन व दीव	482	524	467
31.	लक्षद्वीप	124	156	66
32.	पांडिचेरी	1343	1043	1294
	अखिल भारत	2536566	2068773	1945324

विवरण-III

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
	(परिवार लाख में)	(परिवार लाख में)	
1991-92	22.52	25.37	112.66
1992-93	18.75	20.69	110.33
1993-94	25.73	19.45	75.60
			(फरवरी, 94 तक)

नए लघु उद्योग

***454. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में नए लघु उद्योगों का पता लगाकर उन्हें बढ़ावा देने के लिए 85 जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों को बैंकों से आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) : लघु क्षेत्र को संस्थागत ऋण पर्याप्तता और उससे सम्बद्ध पहलुओं के संबंध में नायक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं कि बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों (एस०एफ०सी०) को ऐसे 85 प्रमुख जिलों जिनमें लघु उद्योगों की दूसरी अखिल भारतीय गणना (1988) के अनुसार 2000 से अधिक पंजीकृत लघु एकक हैं, उनमें लघु एककों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रमुख वित्तीयन अभिकरणों के रूप में कार्य करना चाहिए। इन 85 जिलों में 45 जिले वाणिज्यिक बैंकों और 40 जिले राज्य वित्तीय निगमों के सुपुर्द किये गये थे। बाद में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 62 जिले वाणिज्यिक बैंकों और 23 जिले राज्य वित्तीय निगमों को आबंटित कर दिये थे। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सलाह दी है कि एस०आई०डी०बी०आई० की सिंगल विन्डो स्कीम के अधीन जिन एककों का वित्तीयन किया जा सकता है उन सभी लघु उद्योग एककों की कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करना स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंक शाखाओं या एम०एफ०सी० का उत्तरदायित्व होगा। इसका उद्देश्य ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाकर इन जिलों में लघु उद्योग एककों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिलाना है। जहां तक शेष राष्ट्र का प्रश्न है ऋण की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

जिले के लिए प्रमुख बैंकों के नाम की सूची

राज्य	जिला	प्रमुख बैंक/वाणिज्यिक बैंक
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	आंध्रा बैंक
(3)	कृष्णा	इंडियन बैंक
	रंगा रेड्डी	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बिहार	धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया
(3)	पटना	पंजाब नेशनल बैंक
	गया	पंजाब नेशलन बैंक
गुजरात	अहमदाबाद	देना बैंक
(3)	राजकोट	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
	सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
हरियाणा	अंबाला	पंजाब नेशनल बैंक
(2)	गुड़गांव	सिंडिकेट बैंक
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(1)		
कर्नाटक	बंगलौर (शहरी)	केनरा बैंक
(4)	धारवाड़	विजया बैंक
	कनारा (दक्षिण कन्नड़)	सिंडिकेट बैंक
	मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

केरल	इर्नाकुलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(8)	कोट्टायम	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
	कोजीकोड	केनरा बैंक
	त्रिचूर	केरना बैंक
	त्रिवेन्द्रम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	अल्लेपी	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
	पालघाट	केनरा बैंक
	क्वीलोन	केनरा बैंक
मध्य प्रदेश	भिंड	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
(12)	छत्तरपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	जबलपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	रायगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
	रायपुर	देना बैंक
	सतना	इलाहाबाद बैंक
	छिंदवाड़ा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	होशंगाबाद	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	मन्दसौर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	अम्बिकापुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	दुर्ग	देना बैंक
	खरगांव	बैंक ऑफ इंडिया
महाराष्ट्र	पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(1)		
पंजाब	अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक
(4)	जालंधर	यूको बैंक
	लुधियाना	पंजाब एंड सिंध बैंक
	संगरूर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
राजस्थान	भीलवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
(3)	जयपुर	यूको बैंक

	उदयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
तमिलनाडु	चेंगलपट्टु	इंडियन बैंक
(6)	कोयम्बटूर	केनरा बैंक
	सेलम	इंडियन बैंक
	कामराजर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	उत्तरी आर्काट	इंडियन बैंक
	थंजावूर	इंडियन बैंक
उत्तर प्रदेश	वाराणसी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(4)	आगरा	केनरा बैंक
	मेरठ	सिंडिकेट बैंक
	कानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	यूको बैंक
(8)	दक्षिण 24 परगना	यूनाइटेड बैंक
	उत्तर 24 परगना	इलाहाबाद बैंक
	बीरभूम	यूको बैंक
	बर्दवान	यूको बैंक
	हुगली	यूको बैंक
	कलकत्ता	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	मिदनापुर	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

62

विवरण-II

एस०एफ०सी० को आबंटित जिलों का नाम दर्शाने वाली सूची

राज्य	जिला	एस०एफ०सी० के कार्यालयों/ शाखाओं का क्षेत्राधिकार
आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	ईलुरू
(3)	गुंटूर	गुंटूर
	हैदराबाद	हैदराबाद

दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
(1)		
गुजरात	बड़ोदरा	बड़ोदरा
(2)	वलसाद	वापी
हरियाणा	करनाल	करनाल
(2)	फरीदाबाद	फरीदाबाद
कर्नाटक	बेलगाम	बेलगाम
(4)	बेलारी	बेलारी
	चित्रदुर्गा	चित्रदुर्गा
	शिमोगा	शिमोगा
महाराष्ट्र	ग्रेटर बम्बई	ग्रेटर बम्बई
(1)		
पंजाब	फरीदकोट	फिरोज़पुर
(5)	गुरदासपुर	अमृतसर
	पटियाला	पटियाला
	होशियारपुर	होशियारपुर
	रोपड़	रोपड़
तमिलनाडु	दक्षिण आरकोट	कुडालोर
(5)	मद्रास	मद्रास
	मदुरै	मदुरै
	त्रिचिरापल्ली	त्रिचिरापल्ली
	पेरियार	इरोड
23		

ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार के लिये प्रशिक्षण

***455. डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार के लियें प्रशिक्षण देने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ट्राइसेम) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में क्या उपलब्धियां रहीं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण युवा स्वरोज़गार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) का मुख्य उद्देश्य गरीबों की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उद्यमशीलता का हुनर प्रदान करना है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों, उद्योगों, सेवाओं और व्यवसायिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोज़गार शुरु कर सकें। 1983 में इस उद्देश्य को मज़दूरी रोज़गार शामिल करके व्यापक बनाया गया था।

(ख) यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 7,65,569 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 1993-94 के आंकड़े अभी अधूरे हैं।

आई०एम०डी०, एस०ओ०आई०, एन०ए०टी०एम०ओ० में प्रचालन सेवाएं

***456. श्री हरिन पाठक :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मौसम विज्ञान और आई०एम०डी०, एस०ओ०आई० तथा एन०ए०टी०एम०ओ० के माध्यम से सर्वेक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध कराई गयी प्रचालन सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सेवाओं का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया है और अन्य विकसित देशों की तुलना में ये सेवाएं कैसी हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मौसम विज्ञान, सर्वेक्षण के क्षेत्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई०एम०डी०) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एस०ओ०आई०) तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन के माध्यम से ये परिचालनात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं :-

भारत मौसम विज्ञान विभाग :-

भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि, जल प्रबंध, चक्रवात चेतावनी सेवायें, उड्डयन मौसम वैज्ञानिक सेवाएं तथा भूकम्प मानीटरिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में परिचालनात्मक सेवायें प्रदान करता है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टोपोग्राफिकल कवर प्रदान करता है। इनमें रक्षा बलों, हिन्द महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के 44 पत्तनों के लिए ज्वार-भाटीय पूर्वानुमान लगाना, विश्व श्रृंखला के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों/भौगोलिक मानचित्रों को

संकलित/मानचित्रित एवं तैयार करना, विश्वविमानन चार्ट तैयार करना, विकास परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, पर्यटन मानचित्रों, सड़क मानचित्रों, डाक मानचित्रों, रेलवे मानचित्रों तथा अन्य विशिष्ट मानचित्रों को तैयार करना, भौगोलिक नामों का मानकीकरण, भारत की बाहरी सीमाओं का अभिनिर्धारण, मानचित्रों का अंकीयकरण तथा सम्पूर्ण देश का आकाशीय फोटोग्राफिक कवर उपलब्ध कराने पर नियंत्रण तथा समन्वय।

राष्ट्रीय एटलस तथा थिमैटिक मानचित्रण संगठन :-

संगठन राष्ट्रीय एटलस के संशोधन, भू-उपयोग मानचित्रण एटलस भू-प्रकार मानचित्रण, एटलस भू-संसाधन एटलस, विद्यार्थी-संदर्भ एटलस, सामाजिक-आर्थिक एटलस, हिन्द महासागर क्षेत्र एटलस, तथा जिला योजना मानचित्र श्रृंखला जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन की सेवाओं का आधुनिकीकरण एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आई०एम०डी० की परिचालनात्मक सेवाएं अर्थात् संचार संगणनात्मक तथा मौसम पूर्वानुमान क्षमताएं आधुनिकीकृत कर (आधुनिक उपकरणों के समावेश द्वारा) दी गई है। भारतीय सर्वेक्षण बिभाग ने मानचित्रों के अंकीयकरण की प्रक्रिया को बहुत हद तक समूची दुनिया में इस क्षेत्र में हुए हाल के विकासों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बनाया है - नेटमो आजकल, भौगोलिक आंकड़ों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए डिजिटल (अंकीय) मानचित्रण प्रणाली की स्थापना द्वारा अपने प्रकार्यों को आधुनिक बनाने की एक योजना पर काम कर रहा है।

नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया

***457. श्री छीतू भाई गामीत :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे;

(घ) उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सरकार से बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की परिसम्पत्तियों को बेचने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की चल और अचल सम्पत्ति सहित आज तक कुल कितने मूल्य की परिसम्पत्तियां हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : चूंकि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नियुक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रचालन एजेंसी) ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया था कि नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन

ऑफ इण्डिया लिमिटेड आर्थिक रूप से सक्षम कंपनी नहीं है, अतः औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 को हुई अपनी अंतिम सुनवाई में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उचित व न्यायसंगत है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपना मत बम्बई स्थित माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया है।

(ग) नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के श्रेणीवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(क) कार्यपालक	- 19
(ख) पर्यवेक्षक/स्टाफ	- 139
(ग) कुशल कामगार	- 65
(घ) अकुशल कामगार	- 461
	684

(घ) प्रभावित कर्मचारियों को कानून के अंतर्गत तथा ग्राह्य वैधानिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

(ङ) और (च) : औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकार से नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की परिसम्पत्तियों को बेचने के लिए नहीं कहा है। तथापि, कंपनी की परिसंपत्तियों का सकल पुस्तक मूल्य 1.89 करोड़ रूपये है, जिसमें चल सम्पत्ति (0.21 करोड़ रूपए) तथा अचल सम्पत्ति (1. 68 करोड़ रूपए) का मूल्य शामिल है।

ग्रामीण आवास योजना

***458. श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कमज़ोर वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने के प्रयास में सहायता देने की योजना को स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितना व्यय होगा;

(ग) ग्रामीण आवास के लिए राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को क्या भूमिका सौंपी गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) : गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न राज्यों में किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें और तेज करने

के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरु की है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए उनके द्वारा किए गए आबंटन के 50 प्रतिशत से अन्यून होंगी जिसमें उनके द्वारा 1992-93 में प्राप्त ऐसी योजनाओं पर खर्च के स्तर से अलग गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए संस्थागत ऋण भी शामिल हैं, के अनुपात में रिलीज़ की जायेगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत नए मकानों के निर्माण के लिए विद्यमान आवासों में सुधार करने तथा स्थलों तथा सेवाओं के आयोजन के लिए एक लोचनशील तरीके से राज्यों को मदद दी जायेगी जिसमें अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी :-

(क) स्थल तथा सेवाएं	2700.00 रूपए
(ख) आवास में सुधार करना	6000.00 रूपए
(ग) नए मकानों का निर्माण	12000.00 रूपए

जबकि चल रही योजनाओं के मापदंड द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी की सही-सही मात्रा का निर्धारण हो सकेगा, आवास में सुधार करने तथा निर्माण करने हेतु सब्सिडी का केन्द्रीय अंश यूनिट लागत के अधिकतम 45 प्रतिशत अथवा राज्य सब्सिडी जो भी कम हो, होगा। लाभार्थियों को उनके आवास में सुधार करने तथा अपने आवासों का निर्माण करने के लिए लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जाएगी। हालांकि मकानों के लिए प्रोटोटाइप तथा डिज़ाइन नहीं होगा। इस योजना के अन्तर्गत शुरु की गई कालोनियां मिश्रित होनी चाहिएं।

3. 1993-94 में राज्यों को रिलीज़ की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :-

		(लाख रूपये में)
1.	बिहार	700.00
2.	गुजरात	176.00
3.	उड़ीसा	206.00
4.	त्रिपुरा	15.00
5.	राजस्थान	2.50
		1100.00

4. आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण आवास योजना के लिए 350 करोड़ रूपए के आबंटन की परिकल्पना की गई है। 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

5. उपरोक्त अनुदेशों के आधार पर ये निधियां राज्य सरकारों द्वारा अपने कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी। योजना के सफल कार्यान्वयन तथा निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

मोटर कार उद्योग

***459. डा० मुमताज अंसारी :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर कार उद्योग इस समय मन्दी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग ने कितना निर्यात किया;

(घ) मोटर कार निर्माताओं को लाइसेंस देते समय क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) इस समय इस उद्योग को क्या-क्या वित्तीय रियायतें दी गई हैं/दी जा रही हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991-92 के दौरान 63,964 (619 करोड़ रूपये), 1992-93 के दौरान 73,891 (700 करोड़ रूपए) तथा 1993-94 (अप्रैल से फरवरी तक) 1,06,463 (820 करोड़ रूपए) आटोमोटिव का निर्यात किया गया है।

(घ) यात्री कारों के निर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(ङ) आटोमोबाइल क्षेत्र कम्पोनेंट्स/उप-कम्पोनेंट्स के आयात पर 50 प्रतिशत रियायती सीमा-शुल्क का लाभ उठा रहा है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर आयात-शुल्क को और घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। ईंधनक्षम हल्के वाणिज्यिक वाहन भी 100 प्रतिशत रियायती उत्पाद-शुल्क का लाभ उठा रहे हैं।

शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार

***460. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**

श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शिक्षित युवाओं को रोज़गार देने के लिए जवाहर रोज़गार योजना की समीक्षा करने हेतु लघु उद्योग विभाग के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके निदेश-पद क्या-क्या हैं;

(ग) अक्तूबर, 1993 से आज तक कुल कितने व्यक्तियों को स्वरोज़गार दिया गया है;

(घ) यह योजना अब तक किन-किन राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत मार्च, 1994 तक कितने आवेदन पत्रों को निपटाया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) : लघु उद्योग विभाग जवाहर रोज़गार योजना का कार्य नहीं देख रहा है। माननीय सदस्य संभवतया प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना का उल्लेख कर रहे हैं जिसे शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्व-रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1993 को आरंभ किया गया था।

केन्द्र सरकार ने इस योजना के अधीन कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी के लिए सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसकी संरचना इस प्रकार है :-

1. सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) - अध्यक्ष

सदस्य

1. अपर सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
2. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, उद्योग मंत्रालय
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
7. सलाहकार (वी०एस०आई०), योजना आयोग
8. कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्रामीण योजना तथा ऋण विभाग
9. सचिव, लघु उद्योग, महाराष्ट्र सरकार
10. सचिव, लघु उद्योग, पश्चिम बंगाल सरकार
11. सचिव, लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार
12. सचिव, लघु उद्योग, असम सरकार
13. निदेश (पी०एम०आर०वाई०), सदस्य सचिव

उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :-

1. योजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
2. वास्तविक, वित्तीय तथा मात्रा की दृष्टि से प्रगति की समीक्षा करना।
3. वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
4. राज्य सरकारों तथा विभिन्न विभागों, बैंकों और योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्ग्रस्त एजेंसियों के बीच संपर्क के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करना।

5. उद्यमिता विकास सहायता उपलब्ध कराने और उद्यमिता विकास से संबंधित संस्थाओं व आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने के प्रस्तावों पर विचार करना।

6. कार्य संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन अथवा सुधार करना।

(ग) से (ङ) : प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना 1993-94 के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शहरी इलाकों में कार्यान्वित कर दी गई है। इस योजना में 1994-95 से ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया जायेगा।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के अधीन लगभग 2,20,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला कार्य बलों ने 40,000 लक्ष्य की तुलना में लगभग 82,500 मामलों की बैंकों को सिफारिश दी है।

अब तक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30,075 आवेदकों को प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना के अधीन ऋण मंजूर किए गए हैं। तथापि 31 मार्च तक मंजूर किए गए मामलों से संबंधित अन्तिम रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। प्रत्येक उद्यम के चालू हो जाने पर 2 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा।

विदेशी सहायता प्राप्त जल योजनाएं

4974. श्री बी० देवराजन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण जल क्षेत्र में ''यूनीसेफ'' और विश्व बैंक से सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और सहायता मिल रही है; और

(ग) इस क्षेत्र में कब से सहायता मिल रही है और अभी तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के नाम निम्न हैं :-

(1) महाराष्ट्र के 10 जिलों में समेकित ग्रामीण जल सप्लाई तथा पर्यावरण स्वच्छता।

(2) कर्नाटक के 12 जिलों में समेकित ग्रामीण जल सप्लाई तथा पर्यावरण स्वच्छता।

परियोजनाएं जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली के राज्यों में यूनिसेफ के द्वारा कार्यान्वित एवं वित्तपोषित की जा रही हैं वे निम्नलिखित हैं :-

- संचार एवं सामाजिक जागरूकता

- राष्ट्रीय जल कुओं की खुदाई कार्यक्रम तथा ग्रामीण जल सप्लाई में हैंडपंप तथा पाइप द्वारा जल सप्लाई

प्रणाली से संबंधित गतिविधियों को सहायता।

- प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा निगरानी मूल्यांकन अध्ययन।

- राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में गिनीकृमि उन्मूलन के लिए एकीकृत परियोजना।

(ग) यूनिसेफ की सहायता 1960 से प्राथमिक विद्यालयों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में जल सप्लाई की मांग को मद्देनज़र रखते हुए आरंभ हुई। बाद में इसे भू-जल विकास में किफायती प्रौद्योगिकियों तथा क्षमता वर्द्धन की प्रोन्नति एवं हस्तांतरण को दे दी गई। 1985 से पूर्व यूनिसेफ से प्राप्त सहायता से संबंधित आंकड़ों की ग्रामीण विकास मंत्रालय में निगरानी नहीं की गई है। मास्टर प्लान संचालनों 1985-89 तथा 1990-95 के लिए सहायता निम्न प्रकार है :-

	(मिलियन अमेरिकी डालर)
1985-89	37.14
1990-95	53.30 +

+ इसमें किए जा चुके तथा 1995 के लिए अनुमानित खर्च शामिल हैं।

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त सहायता निम्नलिखित है :-

	(करोड़ रूपए में)
महाराष्ट्र	33.468
कर्नाटक	4.000

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थाई करना

4975. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पांच वर्ष की लगातार सेवा के बावजूद भी स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित विशेष नीति/निर्देश क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) : स्थायीकरण के मामलों पर संबंधित नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है जो सरकार के अधीन बहुत बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों में बंटे हुए हैं और इस बारे में सूचना केन्द्रकृत रूप में नहीं रखी जाती है। तथापि, स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति

समिति की बैठकें समय पर आयोजित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। स्थायीकरण की नीति को भी 1.4.88 से सरल बना दिया गया है और अब स्थायीकरण स्थायी पदों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ नहीं है और यह केवल एक बार कर्मचारी की सेवा में प्रवेश वाले ग्रेड में किया जाता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

4976. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के प्रथम दस महीनों के दौरान अनिवासी भारतीयों और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने विभिन्न परियोजनाओं में परियोजनावार तथा राज्यवार कुल कितनी पूंजी का निवेश किया;

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के उत्पादनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में किये गए पूंजी निवेश का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1993-94 के पहले दस महीनों के दौरान होटल, अखबारी कागज़, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, पेट्रोलियम, कपड़ा, अस्पताल और उन्नत उपचार केन्द्र इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत अनिवासी कुल निवेश लगभग 2660 करोड़ रूपये और विदेशी निवेश लगभग 5900.00 करोड़ रूपये था। अनिवासी भारतीय निवेश अनुमोदनों के स्थापना-स्थल के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ये ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) किसी औद्योगिक परियोजना की फलन अवधि एक परियोजना से दूसरी परियोजना और एक उद्योग से दूसरे उद्योग में अलग-अलग होती है क्योंकि उद्यमी को परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कई प्रभावी उपाय करने होते हैं। इसलिए निर्यात के जरिये सम्भावित विदेशी मुद्रा के अन्तःप्रवाह का अनुमान लगाना समय से पूर्व होगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1991 से 1993) भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में स्वीकृत अनिवासी प्रवासी भारतीय/विदेशी निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

	अनिवासी भारतीय निवेश	विदेशी निवेश
	(करोड़ रूपए में)	
1991	330.40	534.11
1992	1849.42	3887.54
1993	3249.92	8859.33

इन्दिरा आवास योजना

4977. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस योजना के तहत राजस्थान में कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के चुने हुए परिवारों को कितने मकान आबंटित किए गए;

(घ) क्या कुछ मकान मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूरों को भी दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने मकान दिए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन तथा मौटे तौर पर निर्धारित लक्ष्य विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरु किया गया था और यह 1989-90 से जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत चलती रही है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत फरवरी, 1994 तक राजस्थान में 60105 मकान निर्मित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) : इंदिरा आवास योजना जवाहर रोज़गार योजना की एक उप-योजना है। 1992-93 तक जवाहर रोज़गार योजना आबंटन का 6 प्रतिशत इंदिरा आवास योजना के लिए आता था और योजना विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मज़दूरों के लाभ के लिए थी। वर्ष 1993-94 से इंदिरा आवास योजना के लिए आबंटन को जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत आबंटन से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है तथा योजना को जवाहर रोज़गार योजना आबंटन का गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों पर अधिकतम 4 प्रतिशत खर्च के आधार पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों तक बढ़ा दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या तथा किए गए खर्च के आधार पर की जाती है। तथापि, निर्मित मकानों की श्रेणीवार संख्या अर्थात् अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूरों के लिए अलग-अलग निगरानी केन्द्र स्तर पर नहीं की जाती है।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यवार आबंटन तथा मोटे तौर पर लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	इंदिरा आवास योजना के लिए आबंटन (लाख रूपए में)	लक्ष्य (बनाए जाने वाले मकानों की संख्या)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2710.00	19357
2.	अरूणाचल प्रदेश	32.25	204
3.	असम	892.12	5987
4.	बिहार	5315.56	34853
5.	गोवा	34.85	249
6.	गुजरात	994.79	6884
7.	हरियाणा	238.96	1707
8.	हिमाचल प्रदेश	110.73	791
9.	जम्मू व कश्मीर	225.00	1424
10.	कर्नाटक	1819.64	12997
11.	केरल	1986.03	12570
12.	मध्य प्रदेश	3433.96	24528
13.	महाराष्ट्र	2954.27	19827
14.	मणिपुर	41.34	262
15.	मेघालय	48.37	306
16.	मिज़ोरम	20.38	129
17.	नागालैंड	51.85	328
18.	उड़ीसा	2198.44	15214
19.	पंजाब	679.71	4855
20.	राजस्थान	1426.69	9873
21.	सिक्किम	18.88	119
22.	तमिलनाडु	2449.79	17499
23.	त्रिपुरा	53.69	340
24.	उत्तर प्रदेश	6604.18	45704
25.	पश्चिम बंगाल	2428.55	17347
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15.27	109
27.	दादर व नगर हवेली	8.29	59
28.	दमन व दीव	4.88	35
29.	पांडिचेरी	14.95	107
	कुल	36813.42	253575

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, दिल्ली द्वारा विकसित गर्भ निरोधक

4978. श्री राम नाईक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित और परीक्षण किए गए गर्भ निरोधक खतरनाक पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रुपों द्वारा इन गर्भ निरोधकों का विरोध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : जी नहीं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, दिल्ली में विकसित किए गए गर्भ निरोधकों को अब तक इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर जैसे गहन विष विज्ञान अध्ययनों और उसके बाद चरण-I और II क्लिनिकल जांचों के आधार पर खतरनाक नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ) : जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रुप कई गर्भ निरोधकों को शुरु किए जाने का विरोध कर रहे हैं मुख्यतः आरोपित किए जाने वाले और सुईं के जरिए इस्तेमाल में आने वाले गर्भ निरोधकों का। उनकी मुख्य दलील यह है कि तरीके ऐसे होने चाहिएं, जो महिलाओं के नियंत्रण में हो न कि व्यवस्थापकों के नियंत्रण में। वे इस बात की भी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि सम्भवतः इन तरीकों का दुरूपयोग किया जा सकता है।

अधिकारियों, प्रख्यात वैज्ञानिकों और समाज-वैज्ञानिकों की भागीदारी से स्थानीय महिलाओं के ग्रुप के साथ 11 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में एक बैठक आयोजित की गई। विस्तृत प्रस्तुतीकरण के बाद कई गलत सूचनाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई। महिला ग्रुप के प्रतिनिधियों को मुद्दावार लिखित उत्तर उपलब्ध कराया गया। उसके बाद, गर्भ निरोधकों के अनुसंधान और परीक्षण का कोई सक्रिय विरोध नहीं किया गया।

महिलाओं के लिए कल्याण योजना

4979. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 16 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजनावार पूरे देश और विशेष रूप से बिहार के लिए स्वीकृत व्यय क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक आठवीं योजना के शुरु में योजनावार पूरे देश और विशेष रूप से बिहार के लिए कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) 1994-95 में पूरे देश में राज्यवार और विशेष रूप से बिहार के लिए कितनी राशि आबंटित की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। विवरण में क्रम संख्या 1 से 9 तक दी गई स्कीमें स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं जो केन्द्र सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त करते हैं। महिला समृद्धि योजना के संबंध में निधियां राज्यों को आबंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि यह स्कीम देश में केन्द्रीय डाक विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	स्कीम का स्वरूप केंद्रीय सेक्टर (सी एस) /केंद्रीय प्रायोजित (सी. एस. एस.)	आठवीं योजना परिव्यय संपूर्ण देश के लिए	बिहार के लिए
1	2	3	4	5
1.	कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	सी एस	35.00	+
2.	महिलाओं (एन ओ आर ए डी) के लिए रोज़गार एवं आय सृजक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्रों की स्थापना	सी एस	20.00	+
3.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के कन्डेन्सड पाठ्यक्रम	सी एस	40.00	+
4.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	सी एस	25.00	+
5.	प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम (एस टी ई पी) को सहायता	सी एस	57.00	+
6.	जन-सहयोग में ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजक कार्यक्रम	सी एस	7.50	+
7.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष (राष्ट्रीय महिला कोष)	सी एस	31.02	+
8.	सराय	सी एस	5.00	+
9.	महिलाओं के विरुद्ध अनियमितताओं की रोकथाम हेतु शिक्षण कार्य	सी एस	2.25	+
10.	महिला समृद्धि योजना	सी एस	60.50	-
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास	सी एस एस	152.50	साल दर साल आधार पर आबंटन किया गया
12.	बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा	सी एस एस	280.00	*

व्यय 1992-94		परिव्यय 94-95		अभ्युक्तियां
सम्पूर्ण देश के लिए	बिहार के लिए	सम्पूर्ण देश के लिए	बिहार के लिए	
6	7	8	9	10
13.30//	+	7.75	+	
8.00//	+	4.00		
16.00//	+	8.00	+	
10.25//	+	5.50	+	
16.05//	+	15.00	+	
2.25//	+	2.00	+	
31.01//	+	0.01	+	
4.63//	+	2.74	+	
0.60//	+	0.35	+	
10.50//	-	50.00	-	2.10.93 को शुरु किया, 1993-95 में परिव्यय उपलब्ध कराया
38.10	179.13	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया		
129.36		131.32	+	बालिकाओं के लिए व्यय 1992-94 तथा परिव्यय 94-95 अलग से उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4	5
13.	महिला समाख्या	सी एस	51.00	
14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए हॉस्टल	सी एस एम	40.00	*
15.	महिलाओं के लिए विज्ञान एवं तकनीकी	सी एस	2.00	*
16.	महिला क्वायर योजना	सी एस	0.50	-
17.	महिला संगठनों की सहायता	सी एस एस	5.00	*
18.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सी एस एस	3350.00	साल दर साल आधार पर आबंटन किया गया
19.	जवाहर रोज़गार योजना (जे आर वाई)	सी एस एस	18400.00	- वही -
20.	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन	सी एस एस	5100.00	- वही -
21.	ग्रामीण स्वच्छता	सी एस एस	380.00	- वही -
22.	नेहरू रोजगार योजना	सी एस एस	227.00	- वही

6	7	8	9	10
10.18/	-	8.90		बिहार में क्रियान्वित नहीं
16.83	0.66//	9.25	*	
2.00	5.00	1.00	0.01	
0.25	-	7.00	-	बिहार में क्रियान्वित नहीं
-	-	1.00		ई एफ सी में हाल ही में अनुमोदन किया
1412.33	162.63	1098.21	162.32	
5375.99	911.52	3855.00		अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया
1196.04	69.77	890.00	54.69	
54.31	3.27	60.00	5.60	
145.77//	1693.79	70.00		अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया

+ आबंटन राज्यवार नहीं दिए जाते, भारत सरकार सीधे एन जी ओ को अनुदान देती है।

// व्यय में शामिल 1993-94 के आंकड़े अनंतिम हैं।

आबंटन राज्यवार नहीं किये जाते, विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव का अनुरोध पर वित्त पोषण किया जाता है।

कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन

4980. श्री बापू हरि चौरे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कीटनाशक तथा फफूंदनाशक दवाइयों के नाम क्या हैं जो अब तक राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन हेतु देश में ही विकसित और जारी की गयी हैं अथवा निकट भविष्य में जारी की जाएगी, उनकी शर्तों और रायल्टी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उससे लघु क्षेत्र को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन हेतु देश में विकसित और जारी की गई कीटनाशक फफूंदनाशक और शाकनाशक दवाइयों के नाम, उन व्यावसायिक कम्पनियों के नाम, जिन्हें एन०आर०डी०सी० द्वारा इनका लाइसेंस दिया गया और लाइसेंस की अवधि और प्रकृति संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। व्यावसायिक और संविदागत गोपनीयता के कारण लाइसेंसों की वित्तीय शर्तें बताना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों के लिए हैं। सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं विषाक्तता परीक्षण की सख्त आवश्यकता होने के कारण स्माल स्केल सैक्टर में इस प्रकार के तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों का निर्माण सामान्यतः सम्भव नहीं है। तथापि, ऐसे सामान्य कीटनाशक और तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों के सुत्रण भी हैं जिसके लिए स्माल स्केल सेक्टर में उत्पादन संयंत्र लगाए जा सकते हैं। सी०एस०आई०आर० की अनेक अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कीटनाशकों/कीटनाशक सूत्रों की सूची और उन स्माल स्केल यूनिटों के नाम जिन्हें एन०आर०डी०सी० द्वारा इनका लाइसेंस दिया गया है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	प्रक्रम/उत्पाद	को जारी की गई	लाइसेंस की तिथि	निबंधन और शर्तें लाइसेंस की अवधि	लाइसेंस की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
				(वर्ष)	
1.	निट्रोफेन	1. मैसर्स दिल्ली पेस्टिसाइड्स प्रा०लि०, बम्बई	01.03.75	7	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव
		2. मैसर्स अमर डाइकैम लि०, बम्बई	01.11.77	7	-वही-

1	2	3	4	5	6
2.	सिमैजाइन	1. मैसर्स अमर डाइकैम लि०, बम्बई	01.11.77	5	–नॉन इक्सक्ल्यूसिव
		2. मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इंड० लि० पुणे	01.11.82	5	–वही–
3.	टेट्राडाइफॉन	1. मैसर्स दिल्ली पेस्टिसाइड्स (प्रा०) लि०, बम्बई	01.03.75	7	–वही–
4.	एट्राज़ाइन	1. मैसर्स अमर डाइ कैम लि० बम्बई	01.11.77	5	–वही–
		2. मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इंड०लि० पुणे	01.11.82	5	–वही–
5.	डालपॉन	1. मैसर्स हाइको प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि० बम्बई	01.03.76	5	–वही–
		2. मैसर्स जयदेव एग्रो कैमिकल्स (प्रा०) लि०, जयपुर	01.03.76	5	–वही–
		3. मैसर्स गारमॉर पेस्टिसाइड्स (प्रा०) लि० दरियागंज, दिल्ली	01.05.77	5	–वही–
		4. श्री बी०वी० राव, पुणे	01.04.80	5	–वही–
		5. मैसर्स आई०डी०एल० कैमिकल लि०, दिल्ली	01.07.81	5	–वही–
		6. मैसर्स सुदर्शन कैमिकल इंड० लि०, पुणे	01.11.82	5	–वही–
6.	एन्डोसल्फान	1. मैसर्स भारत पल्वराइजिंग मिल्स लि० बम्बई	01.03.76	5	–वही–
		2. मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टि-साइड्स लि०, नई दिल्ली	01.07.78	5	–वही–
7.	डायमेथाएट	1. मैसर्स पीएनएम कं०, इरोड	01.03.78	7	–वही–

1	2	3	4	5	6
		2. मैसर्स मीको फार्म कैमिकल्स लि०, मद्रास	01.09.78	7	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव
		3. मैसर्स शॉ वालेस एंड कं० लि०, कलकत्ता	01.12.78	7	-वही-
		4. मैसर्स खटाऊ झंकार लि०, बम्बई	01.01.83	7	-वही-
8.	एथियन	1. मैसर्स शॉ वालेस एंड कं० लि०, कलकत्ता	01.12.78	7	-वही-
		2. मैसर्स खटाऊ झंकार लि०, बम्बई	01.10.89	7	-वही-
9.	कार्बोक्सिन	1. मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इंड०लि०, पुणे	01.01.78	7	-वही-
		2. मैसर्स भारत पल्वराइजिंग मिल्स लि० बम्बई	01.05.78	7	-वही-
		3. मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, कलकत्ता	01.06.79	5	-वही-
10.	एथेफॅन	1. मैसर्स वासन कैमिकल्स प्रा० लि०, बंगलौर	01.08.78	7	-वही-
		2. मैसर्स हाइकाउन्ट एग्रो, क्विलोन	01.10.79	7	-वही-
		3. मैसर्स शाह पेस्टोकैम (प्रा०) लि०, बम्बई	01.01.80	7	-वही-
		4. मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इंड०लि०, पुणे	01.08.82	7	-वही-
		5. मैसर्स वसुधा बॉयोटेक प्रा० लि०, हैदराबाद	01.11.88	7	-वही-

1	2	3	4	5	6
11.	तम्बाकू और अपशिष्ट से निकोटीन सल्फेट	1. मैसर्स उरवाकुंज निकोटीन	01.04.60	14	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव-
		2. श्री धीरूभाई मुलजी पटेल, करिआ, गुजरात	01.08.60	14	-वही-
		3. मैसर्स नेशनल टुबेको बाई प्रोडक्टस इंडिया, सहारनपुर	01.06.62	14	-वही-
		4. श्री एम०पी० पटेल, सुनव गुजरात	01.02.66	14	-वही-
		5. मैसर्स कोरोमंडल टुबेको बाई प्रोडक्टस, घनावरम	01.12.70	10	-वही-
		6. श्री प्रदीप जयपुरिया, कलकत्ता	01.11.72	14	-वही-
		7. मैसर्स गनेश टुबेको इंडस्ट्री, बोसांड	01.08.74	14	-वही-
		8. मैसर्स सुपर कैमिकल्स, निपानी	01.11.74	14	-वही-
		9. मैसर्स एग्रोकैम इंडिया, परचम प्रकासम ए०पी०	01.07.74	14	-वही-
		10. डा० जे०ए० नायक, शिमला	01.10.74	14	-वही-
		11. मैसर्स अविनाश निकोटीन कैमिकल्स, बेलगाम	01.10.74	14	-वही-
		12. श्री एच०एस० पटेल, धरमाज	01.12.75	14	-वही-
		13. श्री के०वी० रंगास्वामी, इरोड	01.08.75	14	-वही-
		14. श्री सुभाष कुमार, पटना	01.05.75	14	-वही-
		15. मैसर्स कैम्पर प्रा०लि०	01.09.79	10	-वही-

1	2	3	4	5	6
		16. मैसर्स क्रॉन फाइन कैमिकल्स बेलगाम	01.08.83	14	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव-
		17. मैसर्स सुनीता एग्रो इंड० बम्बई	01.12.86	10	-वही-
12.	मोनोक्रॉटोफॉस	1. मैसर्स नोसिल, बम्बई	01.08.81	5	-वही-
		2. मैसर्स नैशनल इन्सैक्टीसाइड्स एंड कैमिकल्स लि०, चंडीगढ़	01.11.82	5	-वही-
		3. मैसर्स क्रॉप हैल्थ प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	01.03.85	5	-वही-
		4. मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि०, नई दिल्ली	01.03.87	5	-वही-
		5. मैसस वेनटैक पैस्टिसाइड्स प्रा० लि०, हैदराबाद	01.07.87	5	-वही-
		6. मैसर्स कनॉरिआ एग्रोकैमिकल्स (फारमर्ली वरधान लिमिटेड), कलकत्ता	26.12.88	5	-वही-
		7. मैसर्स वोल्टाज़ लिमिटेड, सिकन्दराबाद	01.12.89	5	-वही-
		8. मैसर्स टैनटैक, मद्रास	01.03.90	5	-वही-
		9. मैसर्स जे०के०बी०एम० लि०, कलकत्ता	01.06.90	5	-वही-
		10. मैसर्स हिन्दुस्तान पुसाकोडे, दिल्ली	01.05.92	5	-वही-
13.	डायजिनॉन	1. मैसर्स मोतीलाल पैस्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	01.05.80	5	-वही-
14.	फॉस्फेमिडान	1. मैसर्स मोसिल, बम्बई	13.05.86	7	-वही-

1	2	3	4	5	6
		2. मैसर्स कर्नारिआ एग्रो कैमिकल्स, कलकत्ता	26.12.88	7	नॉन इक्सक्ल्यूसिव-
		3. मैसर्स वोल्टाज़ लिमिटेड, बम्बई	01.01.90	7	-वही-
15.	डी०डी०वी० पी० टैक्नीकल एंड इट्स फॉरमुलेशन्स	1. मैसर्स नोसिल, बम्बई	13.05.86	7	-वही-
		2. मैसर्स गुजरात इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड, अंकलेश्वर	01.04.88	5	-वही-
		3. मैसर्स कॉनोरिआ एग्रो	26.12.88	5	-वही-
16.	लिंडेन	1. मैसर्स रन्जीत इन्डस्ट्रीज़, गुजरात	01.09.70	14	-वही-
		2. मैसर्स भारत कैमिकल इन्डस्ट्रीज़, बंगलौर	01.12.70	14	-वही-
		3. मैसर्स जैपाल उद्योग, नई दिल्ली	01.05.71	14	-वही-
		4. मैसर्स गुजरात एग्रो ऑयल लि०, अहमदाबाद एंड कैमिकल, बेहरामपुर	01.01.71	14	-वही-
		5. मैसर्स लक्ष्मी कैमिकल्स एंड इन्सैक्टीसाइड्स, कोयम्बटूर	01.04.72	14	-वही-
		6. मैसर्स महालक्ष्मी कैमिकल्स बड़ोदा	01.05.72	14	-वही-
		7. मैसर्स श्रीराम एग्रो कैमिकल्स गुजरात	01.05.72	14	-वही-
		8. मैसर्स जे०जे० कैमिकल प्रोडक्ट्स, कलकत्ता	09.01.73	14	-वही-
		9. मैसर्स प्लांट पैस्टिसाइड्स इण्डिया, कटक	01.06.73	14	-वही-

1	2	3	4	5	6
		10. मैसर्स इण्डिया पैस्टिसाइड्स (प्रा०) लि०, लखनऊ	01.08.73	14	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव
		11. मैसर्स उत्कल पैस्टिसाइड्स कैमिकल, बेरामपुर	01.10.73	14	-वही-
		12. मैसर्स मिको फार्म चैम० लि०, मद्रास	01.02.73	14	-वही-
		13. मैसर्स रवी मितरा कैमिकल्स जलगौंन	01.05.74	14	-वही-
		14. मैसर्स कृष्णाकैम प्रोडक्ट्स बंगलौर	01.07.74	14	-वही-
		15. मैसर्स पी०एन०एम० को०, इरोड	01.08.74	14	-वही-
		16. मैसर्स कनथेन पैस्टिसाइड्स मदुरई	01.01.76	14	-वही-
		17. मैसर्स एग्रो स्टेरिको आइसोमार कैम० इंडस्ट्री. हैदराबाद	01.03.77	14	-वही-
		18. मैसर्स लिंडाने (पोंडा) प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	01.03.77	14	-वही-
		19. मैसर्स लालोहा कैमिकल्स, बंगलौर	01.06.78	14	-वही-
		20. मैसर्स कैमिन्पेस्ट ग्रेन्यूल्स मद्रास	01.05.87	10	-वही-
		21. मैसर्स कानोरिआ कैम लि० रेनुकौट	01.10.88	10	-वही-
		22. मैसर्स सकलासपुर एग्रो	01.11.90	14	-वही-

1	2	3	4	5	6
17.	डूरोफ्यूम फॉमूलेशन	1. मैसर्स सी० पी० कैमिकल्स बंगलौर	01.12.73	14	नॉन इक्स्क्ल्यूसिव
		2. मैसर्स कैमिन्पेस्ट ग्रेन्यूल्स	01.05.87	14	-वही-
18.	डूरोबेस फॉरमूलेशन	1. मैंसर्स पेस्ट कंट्रोल इंडिया मैसूर प्रा०लि०, बम्बई	01.10.68	14	-वही-
19.	इंसैक्ट प्रूफिंग ऑफ गनी बैग्स	1. मैसर्स ओरिंयटल पैस्टिसाइड्स मैसूर	01.06.74	10	-वही-
		2. मैसर्स पोकैमपैड पैस्टिसाइड्स करीम नगर, ए०पी०	01.04.74	10	-वही-
20.	मिथाइल ब्रॉमाइड	1. मैसर्स माइसोदत प्रा०लि०, बंगलौर	01.10.77	7	-वही-
21.	डायकोफॉल	1. मैसर्स हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	01.03.75	10	-वही-
22.	एडेफेनफॉस	1. मैसर्स धरमसी मोरारजी कैमिकल्स लि०, बम्बई	01.07.82	10	-वही-
23.	टरपाइनिल थिसिनेसेटसिटेट (थनाइट)	1. मैसर्स कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बरेली	01.03.69	14	-वही-
24.	मिनी फ्यूम टेबलेट्स फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ फूडग्रेन्स	1. मैसर्स सेवग्रेन, बेलगाम	01.04.90	10	-वही-
25.	एन्टी रेसिस्टेंट इन्सेक्टिसाइड्स फर्मेन्टेशन	1. स्वरूप कैमिकल्स प्रा०लि०, लखनऊ	01.09.89	10	-वही-
26.	एसिफेट	1. मैसर्स वॉनटेच पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, हैदराबाद	01.05.92	10	-वही-

विवरण-II

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम	कीटनाशक का नाम/कीटनाशक सूत्र	लाइसेंस प्राप्त स्माल स्केल यूनिट का नाम	लाइसेंस की तिथि
1.	सीएफटीआरआई, मैसूर	डूरोबेस फार्मूलेशन	मै० पेस्ट कंट्रोल इंडिया प्रा० लिमिटेड	1.10.1968
2.	सीएफटीआरआई, मैसूर	डूरोफ्यून फार्मूलेशन	1. मै० सी०पी० कैमिकल्स, बंगलौर	1.12.1973
			2. मै० चैमिन पेस्ट ग्रेन्यूल्स प्रा० लि०, मद्रास	1.05.1987
3.	सीएफटीआरआई, मैसूर	लिंडेन	1. रंजीत इंडस्ट्रीज़, बरोच, गुजरात	1.09.1970
			2. भारत कैमिकल इंडस्ट्रीज़, बंगलौर	1.12.1970
			3. जैपाल उद्योग, नई दिल्ली	1.05.1971
			4. लक्ष्मी कैमिकल एंड इंसैक्टिसाइड्स, कोयम्बटूर	1.04.1972
			5. महालक्ष्मी कैमिकल्स, बड़ोदा	1.05.1972
			6. श्रीराम एग्रोकैमिकल्स, गुजरात	1.05.1972
			7. जे०जे० कैमिकल प्रोडक्ट्स कलकत्ता	9.01.1973
			8. लालोहा कैमिकल्स, बंगलौर	1.06.1973
			9. मै० प्लांट पेस्टिसाइड्स इंडिया, कटक	1.06.1973
			10. इंडिया पैस्टिसाइड्स प्रा० लि०, लखनऊ	1.08.1973
			11. उत्कल पैस्टिसाइड्स एंड कैमिकल, बेहरामपुर	1.10.1973

			12. रवी मितरा कैमिकल्स, जलगांव	1.05.1974
			13. कृष्णाकैम प्रोडक्ट्स, बंगलौर	1.07.1974
			14. पी०एन०एम० को०, इरोड	1.08.1974
			15. लिंडेन (पोंडा) प्रा०लि०, पांडिचेरी	1.03.1974
			16. कनथेन पैस्टिसाइड्स, मदुरै	1.01.1976
			17. सकलासपुर एग्रो कैमिकल्स प्रा०लि०	1.11.1990
4.	एन०सी०एल०, पुणे	निकोटीन सल्फेट	1. ऊर्वाकुन्ज निकोटीन इन्डस्ट्रीज़, धर्माज	1.04.1960
			2. श्री दिरूभाई मुन्जीभाई पटेल, कारिआ	1.08.1960
			3. कॉरॉमन्डेल टोबेको बाइप्रोडक्ट्स घनावाराम	1.12.1970
			4. श्री प्रदीप जैपुरिया, कलकत्ता	1.11.1972
			5. श्री के०वी० रंगास्वामी, इरोड	1.08.1974
			6. गणेश टोबेको बाइप्रोडक्टस इंडस्ट्री, बॉरसाद	1.08.1974
			7. सुपर कैमिकल्स, निपानी	1.11.1974
			8. एग्रोचैम इण्डिया, प्रकासम डिस्ट्रिक	1.07.1974
			9. डा० जे०ए० नायक, शिमला	1.10.1974
			10. अविनाश निकोटीन कैमिकल्स बेलगांव	1.10.1974
			11. श्री एच०एस० पटेल, धर्माज	11.2.1975

1	2	3	4	5
			12. श्री सुभाष कुमार, पटना	1.05.1975
			13. श्री एम०पी० पटेल, गुजरात	1.02.1976
			14. कैमपुरे प्रा०लि०	1.09.1979
			15. क्राउनफाइन कैमिकल्स, बेलगांव	1.08.1983
			16. सुनीता एग्रो इंड०, बम्बई	1.12.1986
			17. नैशनल टोबेको बाइप्रोडक्ट्स इंडिया, सहारनपुर	1.06.1992
5.	आई०ए०आर०आई०, नई दिल्ली	एन्टी रेसिस्टेंट इंसैक्टिसाइड फार्मूलेशन्स	मैसर्स स्वरूप कैमिकल्स प्रा०लि० लखनऊ	1.09.1979

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन

4981. श्री एन०जे० राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में गुजरात को कितनी राशि दी गई और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) : गुजरात में विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और लघु पन-बिजली पर आधारित अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाएं शुरु की गई हैं।

राज्य में अब तक निम्नलिखित प्रणालियां स्थापित की गई हैं :

(1) पवन ऊर्जा	28 मेगावाट
(2) लघु पन-बिजली विद्युत	2 मेगावाट
(3) बायोमास गैसीफायर	1.3 मेगावाट
(4) सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	14 किलोवाट

(5) प्रकाश और समुदाय सुविधा के लिए स्टैंड एलोन एस॰पी॰वी॰ प्रणालियां   2163 सं॰

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विभाजन के अनुसार राज्य को 3.73 करोड़ रूपए की कुल राशि प्रदान की गई है :-

(1) 1991-92   1.97 करोड़ रूपये

(2) 1992-93   0.38 करोड़ रूपये

(3) 1993-94   1.38 करोड़ रूपये

(ग) आठवीं योजना के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। परियोजनाएं, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों और मानदण्डों के अनुसार तथा उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, बजटीय संसाधनों की उपलब्धता और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के आधार पर शुरु की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों का अनाधिकृत कब्जा

4982. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री 22 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3113 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण पत्र के अनुसार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं॰	कालोनी	टाईप-ए	टाईप-बी	टाईप-सी	टाईप-डी	टाईप-ई	टाईप-एस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अल्बर्ट स्क्वायर	--	10	--	--	--	--
2.	अलीगंज	05	--	--	--	--	--
3.	एंड्रयूज़ गंज एक्सटेंशन	--	--	--	--	01	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आरामबाग	09	04	04	--	--	--
5.	एशियाई खेलगांव परिसर	--	--	--	--	02	--
6.	बापानगर	--	--	--	--	--	02
7.	बी०के०एस० मार्ग	--	--	11	--	--	01
8.	चित्रगुप्त रोड	--	--	06	--	--	--
9.	चाणक्यपुरी	--	--	--	--	--	02
10.	देव नगर	--	--	04	--	02	--
11.	डी०आई०ज़ेड० एरिया	--	12	17	--	--	--
12.	फायर ब्रिगेड रोड	--	--	--	--	01	--
13.	काका नगर	--	--	--	--	03	--
14.	करोल बाग	--	--	02	--	--	--
15.	किदवई नगर	10	16	--	--	03	--
16.	लक्ष्मीबाई नगर	--	06	01	16	--	--
17.	लोधी कालोनी	--	08	21	03	--	--
18.	लोधी गार्डन	--	--	--	--	--	01
19.	लोधी एस्टेट	--	--	--	--	--	01
20.	लोधी रोड कॉम्प्लेक्स	--	01	31	--	01	--
21.	महादेव रोड	--	--	--	--	--	01
22.	मन्दिर मार्ग	--	07	--	--	--	--
23.	मार्केट रोड	--	--	--	--	01	--
24.	एम०बी० रोड	17	53	33	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	मिन्टो रोड	08	--	03	01	--	--
26.	एम०के० रोड	--	--	02	--	--	--
27.	मोहम्मदपुर	--	05	--	--	--	--
28.	मोती बाग	02	23	--	--	--	01
29.	नानकपुरा	--	05	01	02	--	--
30.	नौरोजी नगर	--	04	--	--	--	--
31.	नेताजी नगर	24	15	02	--	01	--
32.	नार्थ एवेन्यू	--	--	--	--	--	01
33.	पंडारा रोड	--	--	--	09	03	--
34.	पी०के० रोड	10	--	--	--	--	--
35.	नार्थ-वेस्ट मोतीबाग	--	--	01	05	--	--
36.	प्रेम नगर	18	--	--	--	--	--
37.	प्रेस लाईन	--	--	--	01	--	--
38.	पृथ्वीराज रोड	02	--	--	--	--	--
39.	आर०के० पुरम	21	60	24	23	02	--
40.	राउज़ एवेन्यू	01	--	--	01	01	--
41.	सादिक नगर	02	07	07	03	--	--
42.	सरोजिनी नगर	--	--	57	01	--	--
43.	सेवा नगर	49	--	--	--	--	--
44.	शाहजहां रोड (एम०एस० फलैट्स)	--	--	--	--	--	02
45.	श्रीनिवास पुरी	06	04	--	--	--	--
46.	टैगोर रोड	--	--	02	--	--	--
47.	तालकटोरा रोड	--	--	--	--	--	01
48.	थामसन रोड	--	--	--	02	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	तिलक लेन	--	--	--	--	02	--
50.	तिलक मार्ग	--	--	--	--	--	03
51.	तिमारपुर	07	08	12	--	--	--
52.	तुगलक क्रीसेंट	--	--	--	--	--	01
53.	वसंत विहार	--	--	12	--	--	--
54.	विनय मार्ग	--	--	--	--	01	--
55.	विलिंगडन क्रीसेंट	--	--	--	--	01	--
56.	डा० ज़ाकिर हुसैन मार्ग	--	--	--	--	--	02
	कुल	191	248	253	67	25	19 = 803

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

4983. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कोई काम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना धन व्यय किया गया है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) : संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खण्ड स्तर के समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना के भाग के रूप में घरेलू और उत्पादन उद्देश्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विभिन्न ऊर्जा युक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के अनुमोदित 4 लाख रूपये की तुलना में किया गया व्यय 3.5 लाख रूपये था। वर्ष 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्यय भी 4 लाख रूपये था।

आन्ध्र प्रदेश में फील्ड फायरिंग रेन्ज

4984. श्री धर्मभिक्षम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के नालगोण्डा रंगा रेड्डी जिलों में फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इससे प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आन्ध्र प्रदेश में सेना के पास केवल शामीरपेट में ही एक सक्रिय फायरिंग रेंज है, किन्तु उसका उपयोग सभी प्रकार के उपस्करों की गोलाबारी के लिए नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने नालगोण्डा और रंगा-रेड्डी जिलों में वैकल्पिक फायरिंग रेंज के लिए एक क्षेत्र का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश के उक्त जिलों में फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी का निर्यात

4985. श्री माणिकराव हाडल्या गावीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के निर्यातक के रूप में भारत की प्रगति संतोषजनक रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट प्रौद्योगिकी निर्यात का ब्यौरा क्या है और उससे लाभान्वित होने वाले देशों के क्या नाम हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विकास के अधीन राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन०आर०डी०सी०) एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की प्रयोगशालाएं संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया, थाइलैंड, वियतनाम और मिस्र जैसे देशों को हमारी प्रौद्योगिकियों का निर्यात करने में सक्रिय रही हैं। इसके अतिरिक्त बंगलादेश, मिस्र, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नाइजीरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे अन्य अनेक विकासशील एवं विकसित देशों में भारतीय कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यमों की सफलतापूर्वक स्थापना की गयी। एन०आर०डी०सी० और सी०एस०आई०आर० द्वारा निर्यात की गई विशिष्ट भारतीय प्रौद्योगिकियों की सूची विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन०आर०डी०सी०) द्वारा निर्यात की गई प्रौद्योगिकियों की सूचना

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन लोक उद्यम)

1986-87 से 1993-94 तक का परियोजनावार और देश का विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	देश	परियोजना की कुल लागत (मिलियन अमरीकी डालर)
पूरी की गई			
1.	वाटर फिल्टर कैण्डल्स क्लोरीन टेबल्स डिहाइड्रेशन ग्रीन ग्रोथ प्रमोटर सेन्थॉल	इंडोनेशिया	पेपर प्लांट
2.	रिवर्स ओसमॉसिस मेम्बरान	थाइलैंड	4.09
3.	फार्मास्यूटिकल्स	ब्राज़ील	
4.	सिन्थैटिक एंड नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स	वियतनाम	
क्रियाधीन			
1.	क्लोरीन टैबलेट्स	बंगलादेश	
2.	मेन्थाल	बंगलादेश	
3.	ब्लड बैग्स	मिस्र	3.14
4.	राइस हस्क पार्टिकल बोर्ड	मलेशिया	

विवरण-II

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकियों का निर्यात

प्रौद्योगिकियां/एस एंड टी सेवाएं (प्रयोगशाला)	ग्राहक एवं देश
औषधियां	
1. सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक (सी०डी०आर०आई०)	1. जाइमोजेनेटिक्स इंका०, यू०एस०ए०
	2. बेक्सिम्को फार्मास्यूटिकल्स कं० बंगलादेश

उत्प्रेरक	
2. ज़ियोलाइट उत्प्रेरक (एन०सी०एल०)	नेस्ट आय फिनलैंड
रसायन	
3. पॉलीकार्बोनेट्स के लिए कैमिकल इंटरमीडिएट्स (एन०सी०एल०)	जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, यू०एस०ए०
4. कीटनाशकों का माइक्रो सम्पुटीकरण (एन०सी०एल०)	सीबा, स्विट्ज़रलैंड
5. अंडी के तेल से 10-अंडेकानीएट (आई०आई०सी०टी०)	चाइना थ्रू यूनीडो, वियना
6. क्लॉरपिरीफॉस ग्लिफॉसेट (आई०आई०सी०टी०)	साइनोकैम प्रा०लि०, साउथ अफ्रीका

अनुबंधित कुल लाइसेंसिंग राजस्व 22,73,000 अमरीकी डालर

सी०डी०आर०आई०	-	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
आई०आई०सी०टी०	-	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
एन०सी०एल०	-	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम

4986. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और "सुड्मो स्लीचर ए०जी०; जर्मनी खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, पेय पदार्थों, दुग्ध और रसायन के क्षेत्रों में "टर्नकी" परियोजनाएं शुरु करने हेतु अभियांत्रिकी और विपणन संवाओं के लिए संयुक्त उद्यम लगा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : एच०एम०टी० और सुड्मो स्लीचर ए०जी०, जर्मनी स्वचालित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए जिनमें जैव प्रौद्योगिकी, पेय पदार्थ, रसायन, औषध निर्माण, डेयरी, फल प्रसंस्करण, मद्यनिर्माण, शीतल पेय इत्यादि शामिल हैं - परियोजना इंजीनियरिंग व विपणन सेवाओं के लिए सुड्मो - एच०एम०टी० प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस कम्पनी की आरम्भिक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 30 लाख रूपये होगी जो दोनों द्वारा बराबर-बराबर जुटाई जाएगी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोज़गार

4987. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रोज़गार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली समेत प्रत्येक राज्य में महिला विकास निगमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित महिलाओं के रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) रोज़गार आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसी के अनुसार, इस योजना में त्वरित रोज़गार सृजन के लिए एक विकास कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। महिलाओं के रोज़गार के लिए कार्यनीति को समग्र रोज़गार कार्यनीति के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की रोज़गार के प्रति पहुंच को बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण अवसरों के विस्तार हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कार्यान्वित विशेष रोज़गार कार्यक्रमों में शामिल हैं :

(1) प्रशिक्षण तथा रोज़गार कार्यक्रम को सहयोग, (2) महिलाओं के रोज़गार के लिए आय सर्जक तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना, (3) महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम (4) महिलाओं के विकास निगम तथा (5) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डी०डब्लयू०सी०आर०ए०) नामक उप-स्कीम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाएं एक विशेष लक्ष्य वर्ग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 40 प्रतिशत लाभग्राही तथा जवाहर रोज़गार योजना के 30 प्रतिशत लाभग्राही महिलाएं होंगी। डी०डब्लयू०सी०आर०ए० के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबद्ध महिलाओं को आय सर्जक कार्यकलाप शुरु करने के लिए दल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार देश के 355 जिलों में यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 75 और जिलों को शामिल किया जा सकता है।

शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय अक्तूबर, 1989 से नेहरू रोज़गार योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में तीन स्कीमें हैं, अर्थात् (1) शहरी माइक्रो उद्यम (एस०यू०एम०आई०), (2) शहरी मजदूरी रोज़गार की स्कीम (एस०यू०डब्लयू०ई०) तथा (3) आवास तथा आश्रय उन्नयन की स्कीम (एस०एच०ए०एस०यू०)। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों के लिए स्व-रोज़गार तथा मजदूरी के अवसरों के सृजन के लिए अभिकल्पित की गई है। इस योजना का लक्ष्यवर्ग शहरी गरीब है, किन्तु महिला लाभभोगी तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बद्ध लाभभोगी, इसके विशेष लक्ष्य वर्ग हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि एस०यू०एम०ई० तथा एस०एच०ए०एस०यू० के अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत लाभभोगी महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त, एस०यू०एम०यू० के अंतर्गत महिलाएं 5000 रूपए की सब्सिडी सीमा के लिए पात्र होती हैं, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभभोगियों के लिए यह रकम 4000 रूपये है।

(ग) महिला विकास निगम के लिए स्कीम 1986-87 में बनाई गई थी। इन निगमों से अपेक्षा है कि ये

महिला उद्यमियों का पता लगाने, तकनीकी परामर्शदात्री सेवा मुहैया करने, ऋणों की उपलब्धता सुगम बनाने, उत्पादों के विपणन के प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं की सहकारिताओं को सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण सुविधाएं व्यवस्थित करने इत्यादि में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में 16 महिला विकास निगमों की स्थापना हुई है। दिल्ली में ऐसा कोई निगम स्थापित नहीं हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार यह स्कीम 1992-93 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है।

(घ) तथा (ङ) : नीति के तौर पर सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध महिलाओं सहित महिलाओं के लिए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिक रोज़गार को प्रोत्साहित कर रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पेयजल योजनाओं की समीक्षा

4988. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पेयजल की कमी का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) : जी, नहीं। जल आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुविधाएं मुहैया करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का है। जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत निधियां दी जाती हैं। तथापित, शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 सहभागिता आधार पर 20 हजार से कम आबादी वाले कस्बों के लिए केन्द्र प्रवर्तित ''त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम'' शुरु किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 467 कस्बों के सम्बन्ध में प्रोफार्मा स्कीमें भेजी थी जिसमें से 42 कस्बे अनुमोदित किए गए हैं तथा इन 42 कस्बों के लिए केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार को 327.88 लाख रूपये की धनराशि दी गई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति

4989. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठानों में भर्ती एवं पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं को स्थाई करने के मामले में भी इसका पालन किया जाता है;

(ग) सेवाओं की किस श्रेणी तक उक्त नीति का पालन होता है;

(घ) इस विभाग में यह नीति कब से लागू है; और

(ङ) गत पांच वर्षों में चतुर्थ वर्ग से शीर्ष स्तर तक पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों के सेवा में प्रवेश करने के समय ही उन्हें स्थायी किए जाने की बात लागू कर दिए जाने और स्थायी किए जाने के मुद्दे को स्थायी पदों की उपलब्धता से अलग कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, पद पर स्थायी करने के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी श्रेणियों में आरक्षण नीति का पालन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

क्रम सं०	श्रेणियां	भर्ती	पदोन्नति
1.	प्रशासनिक	वर्ग "क" के निम्नतम दर्जे तक	वर्ग "क" के निम्नतम दर्जे तक
2.	सहायक		
3.	तकनीकी	वर्ग "क" के निम्नतम दर्जे तक	पदोन्नति योग्यता-पदोन्नति योजना के अंतर्गत की जाती है जहां प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को पदोन्नत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के पदोन्नति के लिए शिथिल मानदण्ड अपनाए जाते हैं।
4..	वैज्ञानिक	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रशिक्षण स्कूल जिसे आरक्षण से छूट मिली हुई है, में प्रवेश पाए प्रशिक्षणार्थियों को छोड़कर, वर्ग "क" के निम्नतम दर्जे तक	- वही -

टिप्पणी : भर्ती और पदोन्नति की उपर्युक्त सभी श्रेणियों में अनुसूति जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल मानदण्ड अपनाए जाते हैं।

(घ) इस विभाग में आरक्षण नीति वर्ष 1956 से प्रभावी है।

(ङ) पिछले पांच वर्षो के दौरान, सभी वर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 5337 अभ्यर्थी भर्ती और पदोन्नति के मामले में लाभान्वित हुए हैं।

|हिन्दी|

लम्बित पड़े औद्योगिक प्रस्ताव क्षेत्र

4990. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नंये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े आवेदन पत्रों/प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इसमें कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) इन एककों की स्थापना से रोज़गार के कितने अवसरों का सृजन होगा; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) लम्बित पड़े आवेदनपत्रों के बारे में निर्धारित परिसम्पत्तियों में प्रस्तावित धनराशि 117671.27 करोड़ रूपये है।

(ग) 506245 व्यक्ति।

(घ) आवेदनपत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए सभी उपाय किये जाते हैं। आवेदनपत्रों का वास्तव में निपटान प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों के लिए उनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा सूचना देने पर भी निर्भर करता है।

विवरण

1.4.1994 की स्थिति के अनुसार लम्बित पड़े औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरे का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लम्बित पड़े मामलों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
आन्ध्र प्रदेश	116
अरूणाचल प्रदेश	-
असम	1
बिहार	19

चंडीगढ़	-
दादर और नगर हवेली	5
दमन और दीव	4
दिल्ली	2
गोवा	6
गुजरात	33
हरियाणा	36
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	90
केरल	4
लक्ष्यद्वीप	-
मध्य प्रदेश	19
महाराष्ट्र	270
मणिपुर	2
मेघालय	2
मिज़ोरम	-
नागालैंड	-
उड़ीसा	1
पांडिचेरी	1
पंजाब	13
राजस्थान	8
सिक्किम	1
तमिलनाडु	45
त्रिपुरा	-
उत्तर प्रदेश	331
पश्चिम बंगाल	12
एक से अधिक राज्य	2
योग :	1030

[अनुवाद]

द्वारका में भूमि का मूल्य

4991. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री 2 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न लाभ न हानि के आधार पर 1100.43 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर का आधार क्या है, जैसा कि उक्त उत्तर के भाग (ख) और भाग (ग) में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से और बिना किसी आधार के भूमि की लागत में वृद्धि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) फेज़ दो के किस किस्म की संस्थाओं/ट्रंक सेवाओं का भार फेज़ एक पर डाला गया है;

(ङ) क्या फेज़ एक के न बिकने योग्य की इसी तरह की लागत का भार भी फेज़ दो के लाभार्थियों पर डाला गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जलसंसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) 1100.43 रूपये की प्रति वर्ग मीटर मद-वार परियोजना दर निम्नलिखित आधार पर आंकी गई है ।-

(1) परियोजना के कुछ विक्रय क्षेत्र पर होने वाली सभी वास्तविक और सम्भावित लागतों और लाभों को वर्ष 1992-93 हेतु डिसकाउंटिंग करके ; और

(2) ई०डब्ल्यू०, एल्०आई०जी०, सहकारी आवास समिति भूखण्डों वाणिज्यिक स्थलों जैसे भिन्न-भिन्न भू-उपयोगों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रीमियमों को जोड़कर।

उपर्युक्त के बाद वर्ष 1992-93 के लिए परियोजना की मदवार प्रति वर्ग मीटर दर 1100.43 रूपये थी।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

(घ) फेज़-II की किसी भी सुविधा को फेज़-I के साथ नहीं जोड़ा गया है।

(ङ) और (च) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवासों का आबंटन

4992. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पात्रता से एक श्रेणी ऊपर सरकारी आवास के आबंटन के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पात्रता से एक श्रेणी ऊपर का कोई आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्षवार और श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) : एस०आर० 317-बी-25 के तहत नियमों में छूट देकर पात्रता से एक टाइप ऊंचा सरकार आवासों का आबंटन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्षवार तथा टाइप-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

टाइप	आबंटित क्वार्टरों की संख्या		
	1991	1992	1993
3	09	04	11
4	17	10	25
5	02	02	02
6 (सी-II)	01	-	-

अवकाशकालीन गृह सुविधाएं

4993. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को कुछ शहरों और पर्वतीय स्थानों में अवकाशकालीन गृहों में सपरिवार ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुविधा रियायती दरों पर अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर पर्वतीय स्थलों पर अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) : जी, हां। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्य शिमला और मसूरी स्थित होली डे-होम सुविधाओं का इस समय रियायती दरों पर उपयोग कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) : जी, हां। शिमला और मसूरी स्थित होली डे-होम सुविधाओं का उपयोग सेवानिवृत्त

सरकारी कर्मचारी भी रियायती दरों पर कर सकते हैं। शिमला के मामले में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि को छोड़कर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से वही दरें वसूल की जाती हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों से वसूल की जाती हैं।

चुनाव के दौरान मारे गए लोग

4994. डा०के०वी०आर० चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में हुए आम/उपचुनावों के दौरान हुई चुनावी हिंसा में पृथक-पृथक कुल कितने लोग मारे गए और घायल हुए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

|हिन्दी|

ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा

4995. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वारीय तरंगों से बिजली बनाने की योजना क्या है;

(ख) क्या इसके लिए कोई संयंत्र सफलतापूर्वक लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वह किन-किन स्थानों पर लगाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इससे संबंधित भावी योजना क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) महासागर, विकास विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के समुद्र इंजीनियरिंग केन्द्र के सहयोग से तरंगों से ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को कर रहा है।

(ख) और (ग) : जी हां,। विझिंजम केरल में निर्मित एक प्रायोगिक तरंग ऊर्जा संयंत्र में एवं समुद्री तरंगों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में भेदन (ब्रेक थ्रू) किया गया है। विकसित की गई प्रौद्योगिकी को परिष्कृत किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता,।

|अनुवाद|

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के कुओं की खुदाई

4996. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से देश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल-कुओं की खुदाई हेतु प्रयुक्त सभी रेडियोधर्मी स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए अपने

उप-ठेकेदारों के साथ सयुंक्त रूप से उत्तरदायित्व लेने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने तेल-कूपों के संलेखन कार्य में प्रयुक्त होने वाले विकिरणसक्रिय पदार्थों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरु की है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा "तेल-कूपों के संलेखन हेतु विकिरणसक्रिय स्रोतों सम्बन्धी कार्यक्रम योजना, उनके परिवहन, उपयोग और निपटान में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और उनके बारे में अध्ययन" नामक एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा उसके उप-संविदाकारों ने एक वचनबंध पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि वे सभी प्रकार के विकिरणसक्रिय स्रोतों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और वे इस दस्तावेज में अनुबद्ध सभी प्रावधानों का अनुपालन भी करेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में तेल-कूपों के संलेखन-कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों के जरिए विकिरणसक्रिय स्रोतों का सुरक्षित रूप से हस्तन किए जाने पर उनकी भौतिक सुरक्षा पर निगरानी रखता है।

भारत ईरान आर्थिक सहयोग

4997. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 के दूसरे सप्ताह में ईरान के उद्योग मंत्री के साथ उनकी भारत यात्रा के दौरान भारत तथा ईरान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने संबंधी मामलों पर चर्चा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या कतिपय क्षेत्रों में संयुक्त निवेश/उद्यमों की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) : जी, नहीं। ईरान के उद्योग मंत्री ने अप्रैल, 1994 के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया था। किन्तु, ईरान के भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण पर श्री नेजहाद होसेनियन, उद्योग राज्यमंत्री ने 10-12 अप्रैल, 1994 के दौरान ईरान का दौरा किया था। श्री होसेनियन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान बी०एच०ई०एल० और एच०एम०टी० द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया गया था और ईरान का पक्ष इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत है। इसके अलावा राज्यमंत्री (औद्योगिक विकास) ने औद्योगिक विकास और नवीकरण संगठन के प्रबन्ध निदेशक और पदेन उपमंत्री श्री खामोशी तथा मंत्री, हल्के उद्योग श्री नीमत जदेह, ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात की और पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां

4998. डा० विश्वनाथम कैनिथी :

श्री बी० देवराजन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत साधनहीन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना में कतिपय त्रुटियां देखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) 1.4.1993 को 725 बिना स्रोत वाले समस्या ग्रस्त गांव थे जिनमें 1993-94 के दौरान सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फरवरी 1994 तक की सूचित उपलब्धि 214 गांवों की रही।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नीम के पेड़ पर अनुसंधान

4999. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में नीम के पेड़ से बहुउद्देश्यीय उपयोग की विभिन्न औषधियों के निर्माण हेतु किए जा रहे अनुसंधान के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत में किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० के लिए राज्य सेवाओं का प्रोन्नति कोटा

5000. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० के लिए प्रोन्नति कोटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सेवा के अधिकारियों के आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० कैडर में प्रोन्नति के लिए वर्षवार प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार इन कैडरों हेतु प्रोन्नति के लिए कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए/रद्द किए गए और इस प्रकार रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार सभी राज्यों की प्रत्येक सेवा में पदोन्नति/चयन द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या उस राज्य में वरिष्ठ पदों तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व के औसत का 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सिवाय जम्मू तथा कश्मीर राज्य के जहां ऐसे पदों की सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है।

(ख) सूचना विवरण ''क'' पर दी गई है।

(ग) सूचना विवरण ''ख'' पर दी गई है।

विवरण ''क''

उन राज्यों के नाम जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सेवा के अधिकारियों के आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० में पदोन्नति के प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

1991-92		1992-93		1993-94	
राज्य	सेवा	राज्य	सेवा	राज्य	सेवा
असम	आईएफएस	आंध्र प्रदेश	आईएफएस	आंध्र प्रदेश	आईएफएस
बिहार	आईएएस/ आईएफएस	बिहार	आईएएस/ आईपीएस	असम	आईएफएस
हिमाचल प्रदेश	आईएफएस	गुजरात	आईपीएस/ आईएफएस	बिहार	आईएफएस
हरियाणा	आईएफएस	जम्मू व कश्मीर	आईएएस/ आईपीएस/ आईएफएस	गुजरात	आईएफएस
जम्मू व कश्मीर	आईएएस/ आईएफएस	मध्य प्रदेश	आईपीएस	हरियाणा	आईएफएस
मध्य प्रदेश	आईएएस	मेघालय	आईएफएस	जम्मू व कश्मीर	आईएएस/ आईपीएस/ आईएफएस
मेघालय	आईएफएस	नागालैण्ड	आईपीएस/ आईएफएस	केरल	आईपीएस
नागालैण्ड	आईएफएस	राजस्थान	आईएएस/ आईपीएस	महाराष्ट्र	आईपीएस

पंजाब	आईएफएस	उत्तर प्रदेश	आईएफएस	मेघालय	आईएफएस
राजस्थान	आईपीएस	पश्चिम बंगाल	आईएफएस	नागालैण्ड	आईएएस/ आईपीएस/ आईएफएस
उत्तर प्रदेश	आईएफएस	अरूणाचल प्रदेश	आईएएस (एससीएस)/ आईएफएस	पंजाब	आईएफएस
अरूणाचल प्रदेश	आईएएस/ आईएफएस	गोवा	आईएफएस	राजस्थान	आईपीएस
गोवा	आईपीएस/ आईएफएस	संघ शासित क्षेत्र	आईएफएस	उत्तर प्रदेश	आईपीएस/ आईएफएस
संघ शासित क्षेत्र	आईएएस/ आईएफएस			पश्चिम बंगाल	आईएफएस
				अरूणाचल प्रदेश	आईएफएस
				गोवा	आईएफएस
				मिज़ोरम	आईएफएस
				संघ शासित क्षेत्र	आईएफएस

* राज्य सरकार से प्रस्ताव 31.3.1993 के बाद प्राप्त हुआ। यह अगस्त, 1993 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर आई०एफ०एस० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के अधीन विचार नहीं किया जा सका।

विवरण "ख"

राज्य सरकारों से आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० में पदोन्नति के प्रस्तावों के ब्यौरे जिनके लिए आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई बैठक आयोजित न की जा सकी

क्रम सं०	वर्ष	राज्य	सेवा	कारण
1	2	3	4	5
1.	1991-92	हरियाणा	आई ए एस	आई ए एस में पदोन्नति के लिए बैठक 26.3.92 को होनी थी। राज्य सरकार ने अपने दिनांक 17.3.92 के पत्र द्वारा आयोग से इस बैठक को रद्द करने का अनुरोध किया।

1	2	3	4	5
2.	यथोपरि	मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु	आई एफ एस	इन राज्यों के संबंध में 1.1.1991 की स्थिति अनुसार पात्रता लेते हुए बैठक मार्च, 1991 में आयोजित की गई
3.	यथोपरि	मिज़ोरम	आई एफ एस	संवर्ग का पुनर्गठन लम्बित रहने के कारण बैठक आयोजित नही हो सकी।
4.	1992-93	आंध्र प्रदेश	आई ए एस आई पी एस	प्रस्ताव बहुत देरी से अर्थात् 31.3.93 को सायं 4 बजे प्राप्त हुए।
5.	यथोपरि	सिक्किम	आई ए एस आई पी एस आई एफ एस	कार्य की अत्यावश्यकता (दलाई लामा का दौरा) के कारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि बैठक के लिए नहीं आ सके।
6.	यथोपरि	मिज़ोरम	आई एफ एस	संवर्ग के पुनर्गठन के लम्बित रहने के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सकी।
7.	यथोपरि	संघ राज्य क्षेत्र	आई ए एस	माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण गृह मंत्रालय ने आयोग से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया।
8.	1993-94	शून्य		

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटान

+ 5001. श्री लाल बाबू राय :

प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन् :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों के शीघ्र निपटान के सम्बन्ध में कतिपय दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1987 में प्रकाशित कार्यालय पद्धित नियम-पुस्तिका के दसवें संस्करण के पैरा 57, 60 और 122 द्वारा सभी मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने के लिए

विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. इन दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उनका उत्तर पंद्रह दिन के अंदर दे दिया जाना चाहिए। तथापि, जिन मामलों में अंतिम उत्तर भेजने में विलम्ब होने की संभावना हो अथवा किसी अन्य मंत्रालय या अन्य कार्यालय से सूचना प्राप्त की जानी हो, उनके बारे में अंतरिम उत्तर पंद्रह दिन के अंदर भेजा जाएगा जिसमें अंतिम उत्तर भेजने की संभावित तारीख का उल्लेख भी किया जाएगा। यदि पत्र किसी मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथासंभव स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य मामलों में सामान्यतः संसद सदस्य के पत्र का उत्तर केवल सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाएगा।

3. संसद सदस्यों से प्रापत पत्रों के निपटान पर निगरानी रखने के लिये, प्रत्येक अनुभाग को ऐसे पत्रों के संबंध में एक अलग रजिस्टर रखना होता है। जहां आवश्यक हो उनके निपटान और अनिर्णीत रहने के कारणों की स्थिति प्रत्येक पखवाड़े वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखी जाती है ताकि उसकी समीक्षा की जा सके और समुचित कार्रवाई करने के लिये आदेश दिये जा सकें। सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान पर अपने आंतरिक कार्य अध्ययन/संगठन एवं पद्धति एककों के माध्यम से निगरानी रखें।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

5002. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री हरिन पाठक :

श्री हरि भाई पटेल :

श्री के० प्रधानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए इस समय चल रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य तय किया गया/प्राप्त किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नई योजना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस उद्देश्य के लिये वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना धन उपलब्ध कराया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना एक ऐसी योजना है जिससे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण महिलाओं के समूहों को आय सृजन की गतिविधियां शुरु करने में मदद मिलती है। इस समय मार्च, 1994 तक डवाकरा योजना (ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना) देश के 355 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित/प्राप्त राज्यवार लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	निर्मित समूह	लक्ष्य	निर्मित समूह	लक्ष्य	निर्मित समूह
1.	आंध्र प्रदेश	600	589	450	433	675	575
2.	अरूणाचल प्रदेश	140	78	270	200	325	162
3.	असम	350	104	390	446	625	252
4.	बिहार	900	468	780	628	975	535
5.	गोवा	50	50	30	30	40	28
6.	गुजरात	500	552	390	427	925	476
7.	हरियाणा	450	471	330	393	530	407
8.	हिमाचल प्रदेश	300	404	270	265	470	198
9.	जम्मू व कश्मीर	300	201	210	155	275	168
10.	कर्नाटक	550	486	420	581	650	510
11.	केरल	320	439	240	319	550	419
12.	मध्य प्रदेश	1150	1167	810	529	1075	378
13.	महाराष्ट्र	650	385	570	615	875	488
14.	मणिपुर	105	148	210	440	310	264
15.	मेघालय	50	44	90	86	240	49
16.	मिज़ोरम	30	48	90	114	120	120
17.	नागालैण्ड	140	140	150	170	350	170
18.	उड़ीसा	350	350	240	208	400	228

19.	पंजाब	250	370	210	336	475	414
20.	राजस्थान	550	536	510	251	625	100
21.	सिक्किम	50	112	60	30	160	56
22.	तमिलनाडु	550	304	390	522	625	449
23.	त्रिपुरा	50	49	60	41	90	199
24.	उत्तर प्रदेश	1350	1345	1140	1281	1525	841
25.	पश्चिम बंगाल	400	403	300	345	450	122
26.	अंडमान व निकोबार	20	67	30	40	30	19
27.	लक्षद्वीप	15	2	30	34	30	--
28.	दादर व नगर हवेली	--	50	30	80	--	80
29.	दमन व दीव						
30.	पांडिचेरी	15	15	30	30	30	30
	कुल	10000	9327	7500	9029	10000	7738

[अनुवाद]

नई औषधियां

5003. डा० के०डी० जेस्वाणी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जर्मन-तकनीक पर आधारित नई औषधियों का निर्माण करने के लिए जर्मनी की मस्को (एम०ई०एस०सी०ओ०) फार्मास्युटिकल्स के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) दोनों देशों के बीच समझौते की क्या शर्तें तय हुई हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) से (ग): जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलना

5004. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य ने इस प्रयोजनार्थ ऋण/अंनुदान हेतु भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए ऋण/अनुदान की कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) हडको को 120428 यूनिटों के परिवर्तन के लिए 30 स्कीमें मिली हैं जिनकी परियोजना लागत 11,27 करोड़ रूपए और 9.43 करोड़ रूपए (कुल 20.70 करोड़ रूपये होगी जिसमें 10.40 करोड़ रूपये का ऋण तथा 8.92 करोड़ रूपये की इमदाद होगी।

(घ) 4.65 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है और 3.07 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई है। इसी प्रकार, 4.07 करोड़ रूपये की इमदाद स्वीकृत की गई और 3.79 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई है।

कृषि क्षेत्र द्वारा पूंजी जुटाया जाना

5005. श्री राम कृपाल यादव :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुटाई जाने वाली कुल पूंजी में से कृषि क्षेत्र द्वारा जुटाई जाने वाली पूंजी का प्रतिशत कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र में जुटाई जाने वाली पूंजी में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) छठी योजना में कृषि, सिंचाई तथा सहबद्ध क्षेत्रकों का हिस्सा कुल निवेश का 15.24 प्रतिशत तथा सातवीं योजना में 11.23 प्रतिशत था।

(ख) इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण छठी तथा सातवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रक के निवेश की धीमी गति का होना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा सहबद्ध क्षेत्रकों का अनुबंधित शेयर बढ़ाकर कुल निवेश 18.65 प्रतिशत किया गया है।

इजरायल द्वारा निवेश

5006. श्री शिबू सोरेन :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल ने भारत में निवेश करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इजरायल द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विभिनन क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितना-कितना निवेश किया गया है; और

(घ) देश में इजरायल के विभिन्न संयुक्त उद्यमों में कितनी राशि लगी हुई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) मे राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) : जी, हां। देश में 1992 और 1993 के दौरान इजरायली फर्मों के साथ अनुमोदित संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों के ब्यौरे यानि भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोग कर्ता का नाम, विनिर्माण की मद और अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सभी अनुभागों द्वारा अगस्त, 91 से फरवरी, 94 तक की अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहयोग संबंधी मामलों की सूची

क्रम सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद	राशि (रूपये लाखमें) (इक्विटी प्रतिशत)
		भारत-इजरायल		
1.	प्लास्ट्रो इरिगेशन	ग्वाट, इजरायल	ड्रिन इरिगेशन सिस्टम	126.58 (50.00%)
2.	मनीश कुमार केहरीवाल, बम्बई	हैदर नर्सरीज़, इजरायल	प्लांटिंग मैटीरियल और फायलेज कारनेशन फ्लावर	139.50 (75.00%)
3.	पंजाब स्लासम्स, चंडीगढ़	कैमटेक ईस्ट लि०, इजरायल	गुलाब कटफ्लावर के रूप में	6.40 (40.00%)

[अनुवाद]

पॉली कयर के लिए प्रौद्योगिकी

5007. श्री अनन्तराय देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने दरवाजों के पैनलों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी के प्रतिस्थापन के रूप में ''पॉली-कयर'' के निर्माण हेतु नई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरु हो जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि ग्रामीण उद्योग) में राज्यमंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) पोली-कयर एक नया थर्मोसैट मोल्डेबल नैचुरल फाइबर पोलीमर मिश्रण है जो कयर से सिए हुए नमदे तथा फीनोल फोर्मल डिहाइड से बनाया जाता है। इसे दरवाजे के पैनलों और ध्वानिक प्रयोग के लिए उच्च घनत्व तथा कम घनत्व की वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। पोली-कयर दीमक रोधी, जल रोधी तथा अग्निरोधी होती है और इसे अपेक्षित आकार में ढाला जा सकता है। इसमें बहुत सौन्दर्य आकर्षण होता है और इसे छेदा, काढा अथवा कीलों से जड़ा जा सकता है।

(ग) कयर बोर्ड तथा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम ने मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज़ लि०, बम्बई को प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए 3.12.1993 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अधीन मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज़ लि० को कर्नाटक और गोवा में 5 वर्ष तक पोली कयर का वाणिज्यिक विनिर्माण करने के लिए एककों की स्थापना करने हेतु पूर्ण अधिकार दिए हैं। वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने में 3 वर्ष लग सकते हैं।

विदेशी इक्विटी होल्डिंग

5008. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई एक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी इक्विटी होल्डिंगों को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी कम्पनियों को मंजूरी दी गई है और इस संबंध में उनकी जिन गतिविधियों की पहचान की गई है उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। नयी नीति के बाद मार्च, 1994 तक की अवधि में वित्तीय सेवाएं मुहैया करने के लिए अनुमोदित कंपनियों के नाम और उनके कार्यकलाप संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक वित्तीय सेवा क्षेत्र में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सहयोग के मामलों की सूची

क्रम सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	कार्यकलाप
1.	सी आर बी कैपिटल मार्किट लिमिटेड, बम्बई	एन आर आई	उपकरण लीज़िंग सहित वित्तीय सेवाएं
2.	आई एफ बी सेक्युरेटीज़ लिमिटेड, कलकत्ता	श्री आर सीटेक, जर्मनी	सभी प्रकार के सेक्युरेटीज़ के लिए दलाल/मध्यवर्ती कार्य
3.	श्री आर एच पाटिल, बम्बई	मैसर्स ए सी पी होल्डिंग, हांगकांग	वित्तीय सेवाएं
4.	इंफ्रास्ट्रक्चरल लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़, बम्बई	मैसर्स ओरिक्स कार्पोरेशन जापान	वित्तीय सेवाएं
5.	इंड ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड, बम्बई	मार्लिन पार्टनर्स इंवेस्टमेंट, मॉरिशयस	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं
6.	न्यू ऐरा फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, मद्रास	मैसर्स पेसीपिफिक अमेरिकन बेनकार्प, यू०एस०ए०	मर्चेंट बैंकिंग कार्यकलापों में निवेश
7.	वी सी के कैपिटल मार्किट सर्विसेज़ लिमिटेड, कलकत्ता	रेनहोल्ड जुंगमान, जर्मनी	मर्चेंट बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं
8.	इन्दुसिंध होल्डिंग लिमिटेड	इनदुसिंड होल्डिंग लिमिटेड	कमर्शियल बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, गृह निर्माण
9.	गाइयाकोर्प यू०के०लि०, लंदन	गाइयाकोर्प आयरलैंड लिमिटेड, डुबिलियन	मुद्रा जोखिम प्रबंध आदि में सेवाएं मुहैया करना
10.	क्रैडिट कैपिटल फाइनैंस कोरप०, नई दिल्ली	लर्ज़ाड ब्रदर्स एंड कंपनी, यू०के०	वित्तीय सेवाएं
11.	आई ओ सी क्लासिक फाइनैंस लिमिटेड, कलकत्ता	पैरेग्राइन इंवेस्टमैंट होल्डिंग लि० हांगकांग	वित्तीय सेवाएं
12.	पवन पुत्र फाइनैंशियल, बंगलौर	एन आर आई	किराया खरीद उपकरण लीज़िंग आदि का कार्य
13.	इण्डियन केडिट एंड इंवेस्टमैंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बम्बई	मोरगेन गारंटी इंटरनैशनल फाइनेंस, यू०एस०ए०	निवेश और व्यापार बैंकिंग।

14.	जी० ई० कैपिटल कारपोरेशन, नई दिल्ली	जी० ई० सी०, यू०एस०ए०	वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना
15.	मोरगेन स्टैनली ग्रुप आई० एन० सी० न्यूयार्क	मोरेगेन स्टैनली ग्रुप आई० एन० सी०, न्यूयार्क	म्यूचुअल फंड्स् और प्रबंधन उद्योग
16.	दि इंवेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	पायनियरिंग मैनेजमेंट कारपोरेशन, केम्पर	म्यूचुअल फंड
17.	टवेन्टीएथ सेन्चुरी फाइनेंस कारपोरेशन	केम्पर कारपोरेशन	सम्पत्ति प्रबंधन
18.	—	बैंक ऑफ अमेरिका इंटरनैशनल फायनेंशियल कारपोरेशन, यू०एस०ए०	वित्तीय निवेश
19.	एन फाइनेंशियल सर्विस लि० बम्बई	ए एम ए एड ग्रुप	वित्तीय सेवाएं
20.	पेरेग्राइन कैपिटल लि० हांगकांग	आई०टी०सी० क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड बम्बई	वित्तीय सेवाएं
21.	क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कंपनी, बम्बई	इंटरनैशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यू०एस०ए०	म्यूचुअल फंड
22.	केडिट कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, बम्बई	इंटरनैशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यू०एस०ए०	सम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी
23.	20वीं सेन्चुरी वेन्चर कैपिटल कारपोरेशन, बम्बई	एशियन फाइनेंशियल एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन, फिलीपाइंस	जोखिम संयुक्त पूंजी निवेश
24.	फस्ट लीडिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	एक्यूफैक्स आई एन सी, यू०एस०ए०	उधार मुहैया कराने का संयुक्त उद्यम आदि
25.	क्रेडिट कैपिटल वेंचर फण्ड (1) नई दिल्ली	इंटरनैशनल फाइनेंशियल कारपोरेशन, यू०एस०ए०	पूंजी निवेश उपक्रम
26.	केडिट कैपिटल वेंचर फण्ड (1) नई दिल्ली	इंटरनैशलन फाइनेंशियल कारपोरेशन, यू०एस०ए०	पूंजी निवेश उपक्रम
27.	डन्कन लारी लि०, यू०के०	एलायन्स केडिट एंड इन्वेस्टमेंट लि०,	निवेश बैंकिंग सेवाएं, पट्टा/किराए पर खरीदना, मुद्रा कलकत्ता बाजार और अन्य

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियां

5009. प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियों के मौजूदा कीमतों पर प्रतिस्थापन मूल्य उसमें निविष्ट पूंजी के खाता मूल्य से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से उन्हें उन परिसम्पत्तियों से वंचित होना पड़ेगा जिनका उन्होंने सृजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) : किसी कंपनी की परिसंपत्ति का खाता मूल्य ह्रासित कीमत को दर्शाता है जबकि प्रतिस्थापना मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के इसी प्रकार के संयंत्र की स्थापना किसी तिथि विशेष पर की जा सकती है। इस प्रकार प्रतिस्थापना मूल्य सामान्यतः चालू मूल्यों पर खाता मूल्य से अधिक होता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवेश नीलामी पद्धति द्वारा उस मूल्य पर किया जाता है जोकि भावी बोलीदाताओं की राय में ऐसी कंपनी के शेयर के बाजार मूल्य को दर्शाता है जिसमें नियंत्रणकारी अधिकार सरकार के पास हो और यह खाता मूल्य अथवा प्रतिस्थापन मूल्य से संबंधित नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

5010. श्री आयनल अबेदिन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी तथा 1993-94 के लिए वृद्धि दर का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या 1993-94 के लिए वृद्धि दर का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1980-81 की कीमतों पर कारक लागत पर वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में 1.1 प्रतिशत तथा वर्ष 1992-93 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का वार्षिक लक्ष्य औसतन 5.6 प्रतिशत का है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.8 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

(ग) 1993-94 के दौरान कृषि, खनन, उत्खनन, तथा विनिर्माणन सेक्टरों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आठवीं योजना की पंचवर्षीय योजनावधि की समाप्ति पर इन सेक्टरों के लिए प्रायोजित औसत से भी कम रहने की सम्भावना है।

आवास निर्माण अग्रिम

5011. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मकानों की निर्माण लागत में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश द्वारा हानि

5012. श्री चित्त बसु : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में विनिवेश कार्यक्रम के कारण हुई हानि की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि से बचने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एवं (ख) : नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की वर्ष 1993 की रिपोर्ट संख्या 14 7 मई, 1993 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें सम्बन्धित ब्यौरा तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा घाटे के सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

निजी व्यापार के अधिकारियों की परिलब्धियां

5013. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाभ कमाने वाली कम्पनियों के निजी व्यापार के अधिकारियों की अधिकतम परिलब्धियों में वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) व (ख) प्रबन्धकीय नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कम्पनियों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-13 में संशोधन किया है जो 1 फरवरी, 1994 से प्रभावी है।

संशोधित अनुसूची के अनुसार, पर्याप्त शुद्ध लाभा कमाने वाली कम्पनियों को अपने प्रबंधकीय कार्मिकों (अर्थात् प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक तथा "प्रबन्धक" जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है) के लिए एक उपयुक्त पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता है, जोकि एक ऐसे प्रबन्धकीय व्यक्ति के लिए उनके शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि ऐसे एक से अधिक प्रबन्धकीय व्यक्ति हैं तो उन सबके लिए शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

केन्द्रीय भंडार की शाखाओं का नवीकरण

5014. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने हाल ही में निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही अपनी शाखाओं के नवीकरण पर लाखों रूपये खर्च किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत डेढ़ वर्ष के दौरान इस नवीकरण पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गेट आल्वा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं की साज-सज्जा एक नियमित प्रक्रिया है तथा केन्द्रीय भण्डार द्वारा सफेदी कराना रैक और शटर का रंग-रोगन; बिजली आदि के कार्य इसी कार्यक्रम के तहत किए जाते हैं। निविदाएं आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि उपरोक्त कार्य केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों द्वारा ही किए गए थे। सरकारी भवनों की मरम्मत आदि का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए सरकारी भवनों में स्थित केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों की मरम्मत आदि का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए कारणों का प्रश्न नहीं उठता। अक्तूबर, 1992 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली की शाखाओं के साज-सज्जा कार्यक्रम के तहत 10,482.65 रूपये खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में समय-समय पर आवश्यकतानुसार नाम-पट्ट तथा अन्य उपकरण/गेजेट/फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

5015. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री भीम सिंह पटेल :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत पिछड़े आदिवासी और डकैतीप्रवण क्षेत्रों को इसके साथ जोड़ा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) इस अवधि के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार डाकू-ग्रस्त राज्यों, विशेषतः मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ विशेष धनराशि नियत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु ''विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कें'' नाम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यानिवत की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 1985-1994 के दौरान इन राज्यों को रिलीज़ की गयी राशि नीचे दर्शायी गयी है :-

राज्य	रिलीज़ (करोड़ रूपये)
उत्तर प्रदेश	36.74
मध्य प्रदेश	9.04
राजस्थान	12.83

राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा ग्रामीण युवकों का विकास

5016. श्री साइमन सरान्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) की सहायता से ग्रामीण युवाओं के विकास हेतु एक बृहत् कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(घ) इससे ग्रामीण युवकों को क्या-क्या लाभ होंगे;

(ङ) एन०सी०सी० की विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में एन०सी०सी० की कितनी इकाइयां तैनात की गयी और उन पर कितना खर्चा आया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक सरकार ने कैडेटों की संख्या में 10,000 कैडेट प्रति वर्ष की दर से 50,000 तक की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। कैडेटों की यह अतिरिक्त संख्या किसी नए ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों की स्थापना किए बगैर की जानी है।

(च) बिहार में राष्ट्रीय कैडेट कोर की 43 यूनिटें स्थित हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकलापों पर किये जाने वाला व्यय आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार की निधियों और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यूनिटवार व्यय का विवरण नहीं रखा जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा डी०पी०एस० समिति को ऋण

5017. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने डी०पी०एस० समिति की नाममात्र की ब्याज दर पर दीर्घावधि ऋण प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं, ऐसे प्रत्येक उपक्रम ने कितनी-कितनी धनराशि दी है, ऋण की अवधि तथा शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके एवज़ में इन उपक्रमों को क्या रियायतें दी जा रही हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यमों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी को साधारण ब्याज की दर पर दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराए हैं। उनके नाम, उन उद्यमों द्वारा प्रदान की गई राशि, ब्याज की दर शर्तें तथा ऋण की अवधि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य 9 उद्यमों ने अनुमति नहीं मांगी थी। सरकारी क्षेत्र के इन 9 अन्य उद्यमों ने अपने निदेशक मण्डलों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है जाकि सक्षम प्राधिकारी हैं।

(ङ) दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के कर्मचारियों के बच्चों को इस स्कूल में प्रवेश के संबंध में कुछ सीटों के आरक्षण में बुनियादी रियायतें उपलब्ध कराता है।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	ऋण की राशि	ब्याज की दर, नियम और संख्या शर्तें और ऋण की अवधि
1	2	3	4
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	30 लाख रूपये	पहली किश्त के संवितरण से पांच वर्ष तक अदायगी पर,ऋण-स्थगन सहित घटते शेषों पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान किया गया है।
2.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	10 लाख रूपये	ब्याज रहित ऋण, जिसकी अदायगी 20 बराबर किश्तों में की जानी है, की पहली किश्त की अदायगी 10 लाख का चैक मिलने की तिथि से एक वर्ष पश्चात् शुरु होनी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नोएडा में रहने वाले भारतीय तेल निगम के सभी वर्गों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेगी और किसी निर्धारित समय में दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा में अधिक से अधिक 40 विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	30 लाख रूपये	घटते शेष पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज ऋण के संवितरण की तिथि से लिया जाएगा और प्रतिवर्ष देय होगा। ब्याज की पहली किश्त ऋण के संवितरण की तिथि के 12 महीने समाप्त हो जाने के पश्चात देय होगी। ऋण के संवितरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक मूलधन की अदायगी का स्थगन किया जाएगा। छठे वर्ष से 10 बराबर वार्षिक किश्तों में मूलधन की अदायगी की जाएगी। कार्यचालन समिति में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के नामित व्यक्तियों के साथ सरकारी

1	2	3	4
			क्षेत्र के अन्य उद्यमों के नामित व्यक्ति भी होंगे। दिल्ली में सोसाइटी के विभिन्न स्कूलों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 300 सीटें आरक्षित की जाएंगी।
4.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	30 लाख रूपये	दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में 300 सीटों के आरक्षण के एवज में 5 वर्ष तक ऋण स्थगन सहित 10 वर्ष की अवधि तक दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज।
5.	पावर ग्रिड कारपोरेशन	20 लाख रूपये	अपने कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन 10 लाख रूपए तत्काल और आगामी 5 वर्षों में घटते शेष पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 10 लाख रूपए, दो दो लाख रूपये की 5 किश्तों में प्रदान करने के लिए सहमत हुई है।
6.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन	20 लाख रूपये (1986)	मुक्त ऋण जिसे 20 समान किश्तों में देय ब्याज वापस करना है। 8 समान किश्तों में
		2 लाख रूपये (1987)	ब्याज मुक्त ऋण की राशि का उपयोग नोएडा में अतिरिक्त कक्षाओं, लाईब्रेरी, कार्यशालाओं तथा आर०के० पुरम् में स्वीमिंग पूल खेल परिसर के निर्माण के लिए किया जाएगा।
7.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	5 लाख रूपये	दिल्ली पब्लिक स्कूल, विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र का आरंभ करने के लिए 5 लाख रूपये का प्रारंभिक भुगतान किया गया है। इस अग्रिम को बाद में समायोजित किया जाएगा।
8.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	10 लाख रूपये	100 सीटों तक वरीयता के आधार पर प्रवेश हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए वसंत कुंज में दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्माण के

1	2	3	4
			लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था।
9.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	20 लाख रूपये	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 80 सीटें सुरक्षित रखने के करार पर ब्यांज मुक्त ऋण जिसकी वापसी 1लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से की जानी है। यह करार हस्ताक्षर होने की तारीख से 21 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
10.	आई०बी०पी० कंपनी	5 लाख रूपये	20 समान वार्षिक किश्तों में देय ब्याज मुक्त ऋण इस शर्त के साथ कि आई०बी०पी० कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 20 सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

5018. श्री जी० माडेगौडा :

डा० आर० श्रीधरण :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ये संस्थान छात्रों को उचित सुविधाएं और शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडवर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) सरकार का अनौपचारिक क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर कोई नियंत्रण नहीं है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकतर संस्थान निजी क्षेत्र में हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता योजना (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०) नामक एक स्वैच्छिक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत भली प्रकार से निर्धारित किए गए गुणवत्ता तथा सेवा संबंधी मानदण्डों को पूरा करने पर अनौपचारिक क्षेत्र में स्थित संस्थानों को उनके अनुरोध पर विशिष्ट स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों – 'ओ'

(आधारभूत), 'ए' (उच्च डिप्लोमा), 'बी' (स्नातक), 'सी' (स्नातकोत्तर) चलाने के लिए अस्थायी मान्यता दी जाती है।

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० योजना इस बात को सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पाठ्य-विवरण, शिक्षक वर्ग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा अन्य मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से गुणवत्ता विद्यमान हो।

हुडको योजना के अंतर्गत पंजीकरण

5019. डा० छत्रपाल सिंह : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फ्लैटों के आबंटन के लिए हुडको योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया था तथा उनमें से श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए; और

(ख) शेष व्यक्तियों को फ्लैटों का कब तक आबंटन कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के अंतर्गत 1,71,272 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं :-

एम०आई०जी०	- 29,508
एल०आई०जी०	- 46,290
जनता	- 57,420
कुल	1,35,026

(ख) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को, भूमि, अधसंरचना, अन्य बुनियादी सुविधाएं तथा निधियां मिलने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आबंटन मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एकीकृत बस सेवाएं

5020. प्रो० एम० कामसन : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इण्डिया टैक्नीकल एंड इकॉनोमिक सर्विसेज़ लि० को दिल्ली के लिए एकीकृत बस प्रणाली पर कोई रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''राइट्स'' को इस संबंध में पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ''राइट्स'' ने अपनी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) पूर्व दिल्ली प्रशासन ने समूची दिल्ली बस प्रणाली हेतु बस रूट नेटवर्क कायम करने और कार्यसूची योजना बनाने के लिए "राइट्स" की सेवाएं ली थीं। राइट्स ने अन्तिम रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को जून 1993 में दी। इसमें दो विकल्प हैं। विकल्प I में कुल 6687 बसों वाले बेड़े को मौजूदा रूटों पर डी०टी०सी० तथा निजी बस मालिकों द्वारा मिलकर और 107 नए प्रस्तावित रूप पूर्णतः निजी बस मालिकों द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव है। विकल्प II में कुल 7513 बसों के बेड़े को सभी रास्तों पर डी०टी०सी० और निजी बस मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने का प्रस्ताव है अन्य उपायों में "राइट्स" ने किराया वृद्धि, निजी मालिकों के संचालन समूह के गठन, निजी बस चालकों/कन्डंक्टरों का प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की।

(ग) से (च) : "राइट्स" की रिपोर्ट पर निजी बस मालिकों के किये गए विरोध को देखते हुए रूट संबंधी ब्यौरों पर विचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई है। समिति ने रिपोर्ट में कुछ तब्दीली का सुझाव दिया है, जो राइट्स ने शुरु कर दिया है।

कार्मिक विभाग द्वारा संवर्गीय पुनरीक्षा

5021. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के व्यय विभाग द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के कारण कार्मिक विभाग के संवर्गीय पुनरीक्षा प्रभाग को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तीन वर्षों के दौरान ग्रुप "ए" सेवाओं की कितनी संवर्गीय पुनरीक्षाएं की गयी और ऐसी कितनी पुनरीक्षाओं को वित्त मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया तथा इसके क्या कारण हैं?•

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संवर्ग पुनरीक्षा समिति ने तीन समूह "क" केन्द्रीय सिविल सेवाओं के बारे में वर्ष 1991 में तथा एक अन्य समूह "क" केन्द्रीय सिविल सेवा के बारे में फरवरी, 1994 में त्रैवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्तावों की सिफारिश की थी। पांच समूह "क" केन्द्रीय सिविल सेवाओं के बारे में त्रैवार्षिक पुनरीक्षा प्रस्ताव, जो 12 फरवरी, 1992 को कार्रवाई के विभिन्न चरणों में थे, को संवर्ग पुनरीक्षा समिति के सम्मुख इन शर्तों के कारण अभी तक नहीं रखा गया है कि जब तक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा 1 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार किसी संवर्ग की स्वीकृत पद संख्या को कम से कम 10 प्रतिशत तक नहीं घटा दिया जाता तब तक संबंधित संवर्ग की पुनरीक्षा आरम्भ नहीं की जाएगी, उस पर आगे कार्रवाई अथवा कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

सितम्बर, 1993 में यह भी निर्णय लिया गया है कि संवर्ग पुनरीक्षा को 10 प्रतिशत की कटौती से अलग किया जाए बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

(1) समाप्त किए जाने वाले पद ऐसे हों, जो भरे हुए हैं;

(2) समाप्त किए गए पदों के बदले में परामर्शदाताओं की कोई अंशकालिक नियुक्ति नहीं की जाएगी; तथा

(3) संवर्ग पुनरीक्षा के कारण कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को उपर्युक्त शर्तों से अवगत करा दिया गया है और तदनुसार संवर्ग पुनरीक्षा के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

शीरे के आयात पर प्रतिबंध

5022. प्रो० राम कापसे : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीरा उद्योग हाल ही में घोषित शीरा नीति के कारण गंभीर संकट से गुज़र रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शीरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) : बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने शीरे को राज्य से बाहर जाने-आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अपने ही नियम का सहारा लिया है।

शीरे को नियंत्रण मुक्त करने से संबंधित अनेक मामलों पर 4.11.1993 को आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। राज्यों के नियमों और विनियमों की जांच करने के लिए राज्यों के आबकारी मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है ताकि उन्हें नियंत्रण मुक्ति की नीति के अनुरूप बनाया जा सके।

|हिन्दी|

विधान सभा चुनावों में कम्प्यूटर मशीनों का प्रयोग

5023. श्री बलराम पासी :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी विधान सभा चुनावों में परीक्षण के तौर पर कम्प्यूटर मशीनों का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कितना खर्च आएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख):

निर्वाचन आयोग, आगामी कुछ निर्वाचनों में साध्य सीमा तक इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को उपयोग करने की आशा करता है।

(ग) यह बता पाना संभव नहीं है कि इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों पर कितना व्यय उपगत होने की संभावना है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी निर्वाचनों में किस सीमा तक इनका उपयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

5024. श्री जी०एम०सी० बालयोगी :

श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद गत दो वर्षों से खाली पड़े हैं; और

(ख) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) : पिछले दो वर्षों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की खाली पड़ी रिक्तियों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि, जुलाई, 1993 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान प्रारम्भ किया गया था। दिनांक 1.4.1993 की स्थिति के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए पहचानी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग	8565	11127
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4289	4253

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड

5025. डा०आर० श्रीधरण : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड ने काफी लाभ कमाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख): इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कॉरपोरेशन लि० के पास उपलब्ध अस्थाई आंकड़ों के आधार पर उन्होंने 1993-94 के लिए

कर-पश्चात् 80 करोड़ रूपये से अधिक का निवल लाभ होने का संकेत दिया है।

महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर गश्त

5026. श्री सुधीर सावंत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पश्चिम तट से हथियारों, नशीले पदार्थों और तस्करी के सामान को आने से रोकने के लिए संयुक्त गश्ती दलों में कौन-कौन से सशस्त्र बलों के लोग शामिल हैं;

(ख) संयुक्त गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय मछुआरों को तंग किए जाने की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हथियारों, नशीले पदार्थों और निषिद्ध वस्तुओं को आने से रोकने के लिए, राज्य सरकार के साथ तालमेल रखते हुए, भारतीय नौसेना और तटरक्षक संयुक्त रूप से पश्चिम तट पर गश्त लगाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई रायल्टी

5027. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार को कुछ कितनी रायल्टी दी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उदारीकरण नीति

5028. श्री बारे लाल यादव :

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण नीति के दुष्प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस दुष्प्रभाव के परिणामस्वरूप अपनी उदारीकरण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और उत्पादक रोज़गार का तीव्र एवं निरन्तर विकास करना है।

(ग) और (घ) नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सैनिक हवाई अड्डा

5029. श्री के०जी० शिवप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोलार सैनिक हवाई अड्डे का पिछले अनेक वर्षों से प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस हवाई अड्डे का नवीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल वायुयान प्रणाली परीक्षण स्थापना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वायुयान विकास स्थापना तथा उन्नत प्रणाली एकीकरण एवं मूल्यांकन संगठन को आबंटित विशिष्ट कार्यों के लिए किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, हवाई अड्डे का नवीकरण करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुनः रोज़गार और प्रशिक्षण के लिए निधि

5030. श्री राम सिंह कास्वां :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छंटनीग्रस्त मज़दूरों को पुनः रोज़गार और प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धन प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस निधि से कितनी धन-राशि दी गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। प्रथम चरण में युक्तिकृत श्रमिकों का पुनः प्रशिक्षण 1993-94 से प्रारंभिक आधार पर शुरु किया गया है। 1993-94 के बजट में 50 करोड़ रूपए की राशि की व्यवस्था की गयी थी जिसमें युक्तिकृत श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण, पुनः नियुक्ति और परामर्श की योजना शामिल की गयी थी।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग/संयुक्त उद्यमों हेतु दिशा-निर्देश

5031. श्री तारा सिंह :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के उद्योग और व्यापार मंडल ने सरकार से विदेशी सहयोगों और संयुक्त उद्यमों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). नयी औद्योगिक नीति, 1991 में विदेशी तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त उद्यमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। नीति में और परिवर्तन करने के लिए पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री जैसे औद्योगिक संगठनों सहित अनेक क्षेत्रों से सरकार को सुझाव व सिफारिशें प्राप्त होती रही हैं। सरकार अपनी विदेशी पूंजी निवेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर नीति की रूप-रेखा की निरंतर समीक्षा करती है।

विदेश निवेश

5032. डा० असीम बाला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों द्वारा भारत में देशवार कुल कितना विदेशी निवेश किया गया;

(ख) अनिवासी भारतीयों ने अब तक देशवार कितना विदेशी निवेश किया;

(ग) विदेशी कम्पनियों ने जिन क्षेत्रों में प्रवेश किया उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस अवधि के दौरान भारत ने भी किसी अन्य देश में कोई निवेश किया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). वर्ष 1991 से 1994 (मार्च तक) के दौरान स्वीकृत अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सहित विदेशी निवेश के देश-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

स्वीकृत परियोजनाएं धातुकर्मी उद्योगों, विद्युत उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स इत्यादि, दूरसंचार, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, कृषि मशीनरी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि, रसायन, भेषज और औषध, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पॉवर, ईंधन, तेल-रिफाइनरी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में हैं।

(घ) जी, हां।

विवरण

1991 से 1994 (मार्च तक) के दौरान स्वीकृत विदेशी निवेश के देश-वार ब्यौरे

(रूपये मिलियन में)

क्रम संख्या	देश का नाम	1991 योग	1992 योग	1993 एस आई ए	1993 आर बी आई
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	यू०एस०ए०	1858.5	12315.0	32481.8	2137.0
2.	हांगकांग	211.5	570.8	858.6	20.9
3.	रूस	86.1	115.9	17.1	2.4
4.	यू०के०	321.0	1176.7	5071.7	1155.6
5.	जर्मनी	418.0	862.7	1471.8	287.5
6.	यू०ए०ई०	22.0	64.5	4044.9	--
7.	सिंगापुर	13.7	602.1	564.4	103.0
8.	कनाडा	48.6	7.8	271.6	1.2
9.	फ्रांस	193.3	296.4	1247.8	43.1
10.	जापान	527.1	6102.3	2402.0	172.3
11.	कोरिया (दक्षिण)	61.5	394.0	271.3	22.0
12.	डेनमार्क	111.7	252.3	262.5	57.4
13.	ऑस्ट्रेलिया	26.1	776.2	280.9	14.7
14.	ऑस्ट्रिया	15.9	61.4	132.2	23.5
15.	नीदरलैण्ड	569.2	967.9	3080.8	135.7
16.	एन आर आई*	197.0	4391.3	10318.8	114.3
17.	उपर्युक्त सहित सभी देश	5341.1	38875.4	82057.2	6536.1

	1994		
योग	एस आई ए	आर बी आई	योग
7.	8.	9.	10.
34618.8	5107.9	208.4	5316.3
879.5	1054.0	28.2	1082.2
19.5	1010.0	--	1010.0
6227.3	560.3	33.2	593.5
1759.3	517.2	59.5	576.7
4044.9	478.9	--	478.9
667.4	430.1	48.4	478.5
272.8	359.5	--	359.5
1290.9	156.7	34.9	191.6
2574.3	23.2	119.2	142.4
293.3	125.6	--	125.6
319.9	--	125.0	125.0
295.6	92.7	24.0	116.7
155.7	85.8	3.1	88.9
3216.5	49.1	6.1	55.2
10433.1	751.9	--	751.9
88593.3	11047.3	703.7	11751.0

अखबारी कागज़ मिलें

5033. श्री शान्ताराम पोतदुखे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज़ की अनुसूचित मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) क्या इन मिलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता देश में समाचार पत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने अखबारी कागज़ की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) अखबारी कागज़ नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-। में शामिल अखबारी मिलों की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	मिल का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन में)
1.	हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लि०	80,000
2.	मैसूर पेपर मिल्स	75,000
3.	नेपा लिमिटेड	88,000
4.	तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड	50,000
5.	रायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड	20,000
6.	नौगांव पेपर मिल्स	20,000
7.	कछार पेपर मिल्स	20,000
8.	औरंगाबाद पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	20,000
9.	सन पेपर मिल्स लि०	22,000
10.	जयंत पेपर मिल्स लि०	18,000
11.	सर्वलक्ष्मी पेपर एंड बोर्डस	15,000
12.	धनलक्ष्मी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	7,250
13.	अजंता पेपर एंड जनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	8,200
14.	अमृत पेपर	24,000
15.	श्री वेंकटेश पेपर एंड बोर्डस लिमिटेड	15,000

1	2	3
16.	इंडो अफ्रीकी पेपर मिल्स लिमिटेड	10,000
17.	जी०वी०जी० पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	9,500
18.	राम पेपर मिल्स लि०	7,500
19.	श्री के पेपर मिल्स लि०	6,000
20.	दि यूनाइटेड पल्प एंड पेपर लिमिटेड	20,000
	योग	5,35,450

(ग) और (घ) इन मिलों का वार्षिक उत्पादन देश में अखबारी कागज़ की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो 1993-94 में 5.8 लाख मी० टन थी। इसलिए अखबारी कागज़ के आयात की अनुमति दी जा रही है। इसके आयात को 1.4.92 से वि-मार्गीकृत कर दिया गया है। (भारत के अखबारी कागज़ रजिस्ट्रार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार) 200 मी० टन से ज्यादा की वार्षिक पात्रता वाले अखबारी कागज़ एकक प्रत्येक 2 मी० टन स्वदेशी रूप मे निर्मित अखबारी कागज़ की खरीद पर 1 मी० टन मानक अखबारी कागज़ का आयात कर सकते हैं। 200 मी० टन से कम वार्षिक पात्रता वाले अखबारी कागज़ एकक भारत के अखबारी कागज़ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए वार्षिक पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर मानक अखबारी कागज़ का आयात कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अखबारी कागज़ के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(1) औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के माध्यम से 7.20 लाख मी० टन क्षमता की मंजूरी दी गई है।

(2) नयी औद्योगिक नीति के अधीन खोई, कृषि अपशेष और अन्य अपरम्परागत कच्चे माल से मिलने वाली न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी पर आधारित अखबारी कागज़ एककों की स्थापना स्थल संबंधी नीति अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण से छूट दी गई है।

(3) अखबारी कागज़ के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(4) अखबारी कागज़ को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

5034. श्री माणिकराव होड्ल्या गावीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि मंजूर करती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त अवधि के दौरान यह धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र की सरकार को रिलीज़ की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	रिलीज़ की गई धनराशि (रूपये लाख में)
1991-92	-
1992-93	139.49
1993-94	200.90

(ग) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सूचित किया था कि केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में 840 स्वच्छ शौचालयों का तथा 1992-93 में 2472 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया था। 1993-94 में उपलब्धि की सूचना नहीं भेजी गयी है।

महानगर

5035. श्री आर० अन्बारासु : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों के विकास के लिए आर्थिक सहायता हो का आंबटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महानगर को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) महानगरों यानि 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन तथा उससे अधिक आबादी वाले नगरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रवर्तित नई योजना के तहत् 1993-94 के दौरान निम्नलिखित प्रकार से केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है:-

नगर का नाम	महानगर योजना के तहत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु	प्रारंभिक अध्ययन करने/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने आदि के लिए
1. बम्बई	20 करोड़ रूपये	10 लाख रूपये
2. कलकत्ता	20 करोड़ रूपये	10 लाख रूपये
3. मद्रास	15 करोड़ रूपये	10 लाख रूपये
4. हैदराबाद	15 करोड़ रूपये	10 लाख रूपये
5. बंगलौर	*	10 लाख रूपये

\+ कर्नाटक सरकार द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन 1.4.94 से आरंभ किया जाएगा।

योजना के तहत् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के मध्य 25:25:50 के अनुपात से वित्तपोषण पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

फालतू भूमि का आबंटन

5036. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को गत दो वर्षों के दौरान फालतू भूमि/कृषि जोत भूमि के आबंटितियों के सहायातार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान फालतू भूमि के आवंटन में कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और अगले वर्ष कितना लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि खर्च की गई है/की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार सरकार को अतिरिक्त भूमि के आंबटितियों को सहायतार्थ कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसके पास वर्ष के दौरान बिना खर्च की गई राशि शेष थी। चूंकि सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों की वित्तीय सहायता की योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है, अतः वर्ष 1993-94 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को वित्तीय सहायतार्थ राशि प्रदान नहीं की गई है।

(ख) व (ग) अतिरिक्त भूमि वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 और 1993-94 (फरवरी, 1994 तक) के दौरान क्रमशः निर्धारित लक्ष्य 7000 एकड़ व 94000 एकड़ क्षेत्र की तुलना में 8369 एकड़ व 4348 एकड़ भूमि वितरित की गई। चूंकि वित्तीय वर्ष 1994-95 की शुरुआत अभी-अभी हुई है और फालतू भूमि का वितरण कई पहलुओं पर निर्भर करता है अतः यह कहना अभी मुश्किल होगा कि इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी और क्या उपलब्धि रहेगी।

रैन बसेरे

5037. श्री भीम सिंह पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेघर व्यक्तियों को रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गयी योजना को तेजी से लागू करने के लिए "हुडको" द्वारा दी जा रही धनराशि की प्रतिशत में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) : सितम्बर, 1992 में जारी की गई इस स्कीम में संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार रैन बसेरों के निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 5,000/- रूपए है, जिसमें 1,000/- रूपए केन्द्र सरकार को

अनुदान और 4,000/- रूपए हुडको ऋण है। इस पैटर्न में परिवर्तन करने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में विकास केन्द्र

5038. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) किस- किस जिले में ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केरल में 2 विकास केन्द्र, एक एलेप्पी- पथनमईतिट्टा में और दूसरा कन्नूर- कांजिकोड-मल्लापुरम् में स्वीकृत किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड

5039. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड पर प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहारों का आरोप लगाया था;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड को किन-किन आधारों पर नोटिस जारी किये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) व (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 की धारा 2 (ण) के साथ पठित धारा 33 (1) के अंतर्गत निहित उपबन्धों के अनुसार अवरोधक व्यापार प्रथाओं को संस्थापित करने वाले खंडों में निहित करार में खिलाड़ियों को प्रवेश करने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी०सी०सी०- आई०) के विरूद्ध 10.1.90 को अवरोधक व्यापार प्रथा जांच संस्थापित की थी। करार में खिलाड़ियों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाए गए थे :-

(1) खिलाड़ी किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दैनिकी या किसी भी प्रकार के प्रकाशन में संवाददाता के तौर पर लिखने के पात्र नहीं थे।

(2) खिलाड़ियों को दौरा/श्रृंखला के पूरा होने के 12 महीने बाद तक क्रिकेट पर दूरदर्शन या रेडियो के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने या कोई लेख या पुस्तक लिखने की पात्रता नहीं थी।

(3) खिलाड़ी केवल मैचों के दौरान ही नहीं बल्कि कहीं भी अपने वस्त्रों पर लोगों या किसी भी प्रकार के विज्ञापन तथा/या उपस्कर नहीं लगा सकते थे।

(4) खिलाड़ी बोर्ड के अनुमोदन के बिना कोई मैच खेलने के पात्र नहीं थे। खिलाड़ी क्रिकेट के

अतिरिक्त किसी भी खेल या खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी करार की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक ऐसे किसी भी क्लब के लिए नहीं खेल सकते थे जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त न हों।

(5) हितकारी निधि में खिलाड़ी के नाम जमा कुल राशि जब्त कर ली जाएगी, दौरे के आर्थिक लाभ जब्त किए जा सकते थे तथा खिलाड़ी को बोर्ड द्वारा या इसके सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित किए जाने वाले या प्राधिकृत किसी भी क्रिकेट मैच में खेलने से रोका जा सकता था।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अपने दिनांक 25.1.94 के आदेश में कहा कि करार के आक्षेपित खंडों के उपरोक्त प्रतिबन्धों से अवरोधक व्यापार प्रथाएं बनी जो जनहित में नहीं थीं। आयोग ने बी०सी०सी०आई० को निदेश दिया कि भविष्य में वह इस प्रकार का करार नहीं करेगा। बी०सी०सी०आई० को आगे निदेश दिया कि वह इस बाबत अनुपालना का एक हलफनामा दायर करे कि अब इस प्रकार का करार विद्यमान नहीं है और वह ऐसी अवरोधक व्यापार प्रथाओं में लिप्त नहीं होगा। आयोग ने बी०सी०सी०आई० पर 2000/- रूपए का मामूली खर्च अधिरोपित किया।

सशस्त्र बलों के लिए मेडिकल कालेज

5040. श्री पी० कुमारासामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी भारत में सशस्त्र बलों के लिए कोई मेडिकल कालेज खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये किस स्थान का चयन किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, त्रिची

5041. श्री के०टी० वान्डायार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, त्रिची इस समय संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस एकक को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड

5042. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा कुल कितनी-कितनी राशि के परिनिर्धारित नुकसान की जानकारी दी गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नुकसानों की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गत तीन वर्षों में कंपनी द्वारा बताए गए परिनिर्धारित नुकसान की कुल राशि (यथा प्रत्येक वर्ष के अंत में संचयी) इस प्रकार है :-

(लाख रूपए में)

वर्ष	परिनिर्धारित नुकसान
1990-91	496.41
1991-92	506.50
1992-93	634.29

(ख) और (ग) कंपनी परियोजनाओं के टर्नकी निष्पादन का कार्य करती है जिसमें डिजाईन, इंजीनियरी, आपूर्ति, स्थापना और आरम्भन क्रियाकलाप शामिल हैं। इसमें बड़ी संख्या में एजेंसियों की भागीदारी होती है। किसी भी एजेंसी द्वारा विलम्ब किए जाने से परियोजना के आरम्भन में समग्र रूप से विलम्ब होता है, जिससे परिनिर्धारित नुकसान होता है। कंपनी, परियोजना के कार्यान्वयन में संलग्न विभिन्न एजेंसियों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है ताकि ऐसी देरियों को दूर किया जा सके। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 64.11 लाख रूपए की राशि बचाई जा सकी।

सी०ए०पी०ए०आर०टी० द्वारा सहायता

5043. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

श्री छीतू भाई गामीत :

श्री मोहन रावले :

श्री के० मुरलीधरन :

श्री महेश कनोडिया :

श्री एन०जे० राठवा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इन संगठनों को कितनी सहायता/ऋण राशि प्रदान की गई;

(ग) किन-किन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(घ) क्या सरकार को किसी अन्य संगठन द्वारा निधि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दोषी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) व (ख) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए कापार्ट के पास भेजा जाता है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की समीक्षा कापार्ट द्वारा की जाती है। कापार्ट की परियोजनाओं की निगरानी की एक व्यवस्था है। इसने विभिन्न प्रकार के अनुभवी लोगों का मानीटर के रूप में एक पैनल बना रखा है। परियोजना को मंजूर किए जाने के पश्चात् निधियां उचित किस्तों में जारी की जाती हैं। पहली किस्त रिलीज़ किए जाने के पश्चात् स्वैच्छिक संगठन को एक निर्धारित प्रोफार्मा में उचित समयावधि में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सामान्य तथा सभी परियोजनाओं की इस चरण पर निगरानी रखनी होती है। निगरानी कर्त्ता की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में यदि विचलन पाया जाता है तो उसको इसे ठीक करने की सलाह दी जाती है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के मार्गदर्शिकाओं के सही अनुरूप क्रियान्वयन का आश्वासन मिलने पर ही दूसरी किस्त जारी की जाती है। इस तरह सारी निधियां स्वैच्छिक संगठन को जारी की जाती हैं। परिवोजना के पूर्ण होने पर स्वैच्छिक संगठन द्वारा अंतिम प्रगति रिपोर्ट, खातों का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। निगरानी कर्त्ता द्वारा जहां कहीं निधियों के दुरूपयोग का मामला पाया जाता है, स्वैच्छिक संगठन को निधियों के वापस करने को कहा जाता है। साथ ही साथ संगठन का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है ताकि उसे और मंजूरी/निधियां जारी न की जा सकें। इसी प्रकार यदि स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में विसंगति मिलती है तो निगरानीकर्त्ता द्वारा इसकी उचित जांच की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है मामले की जांच हेतु कापार्ट अपना अधिकारी प्रतिनियुक्त करता है अथवा संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध करता है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर मामले पर उचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(करोड़ रूपये में)

1991–92 (31.1.1994 तक)

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	संगठनों की संख्या	मंजूर की गई राशि	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	300	78	4.72	3.55
अरूणाचल प्रदेश	1	1	0.01	0.01
अंडमान एवं निकोबार	--	--	--	--
असम	27	6	0.62	0.16

1	2	3	4	5
बिहार	237	46	4.35	2.45
दिल्ली	38	19	0.41	0.39
गुजरात	68	3	2.57	1.89
हरियाणा	48	9	0.97	0.86
हिमाचल प्रदेश	15	3	0.14	0.07
जम्मू व कश्मीर	2	2	0.06	0.11
कर्नाटक	109	13	2.73	0.87
केरल	98	30	2.30	0.85
मध्य प्रदेश	61	24	0.82	0.68
महाराष्ट्र	74	27	6.09	1.53
मणिपुर	62	7	1.10	1.00
नागालैण्ड	--	--	--	0.03
उड़ीसा	102	20	2.01	1.37
पंजाब	5	1	0.10	0.10
राजस्थान	100	24	1.74	1.30
तमिलनाडु	139	37	2.81	2.03
त्रिपुरा	3	3	0.11	--
उत्तर प्रदेश	580	102	6.11	4.62
पश्चिम बंगाल	467	61	7.34	4.91
मिज़ोरम	1	1	0.10	0.02
चंडीगढ़	1	1	0.04	0.04
मेघालय	1	1	0.07	0.19
पांडिचेरी	1	1	--	--
गोवा, दमन व दीव	--	--		--
योग	2540	520	47.79	28.48

	1992-93		(करोड़ रूपये में) (31.1.1994 तक)	
राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	संगठनों की संख्या	मंजूर की गई राशि	जारी की गई धनराशि
आंध्र प्रदेश	208	50	4.18	3.00
अरूणाचल प्रदेश	1	1	0.04	--
अंडमान एवं निकोबार	2	2	--	0.04
असम	11	6	0.15	0.74
बिहार	351	48	5.15	4.70
दिल्ली	64	11	1.25	0.60
गुजरात	56	10	2.21	2.70
हरियाणा	35	5	0.59	0.39
हिमाचल प्रदेश	29	6	0.71	0.30
जम्मू व कश्मीर	6	6	0.13	0.60
कर्नाटक	81	16	1.68	1.13
केरल	71	34	1.80	1.40
मध्य प्रदेश	41	15	0.53	0.90
महाराष्ट्र	46	10	1.39	1.90
मणिपुर	67	14	1.63	1.41
नागालैण्ड	3	3	0.11	0.01
उड़ीसा	91	18	2.05	1.58
पंजाब	7	7	0.11	0.17
राजस्थान	14	8	0.63	0.68
तमिलनाडु	154	32	3.82	2.00
त्रिपुरा	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	543	74	8.17	5.25
पश्चिम बंगाल	422	55	8.23	55.58
मिज़ोरम	13	7	0.93	0.66
चंडीगढ़	--	--	--	--
मेघालय	--	--	--	0.30
पांडिचेरी	--	--	--	--
गोवा, दमन व दीव	--	--	--	--
योग	2316	428	45.49	36.04

	1993-94		(करोड़ रूपये में) (31.1.1994 तक)	
राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	संगठनों की संख्या	मंजूर की गई राशि	जारी की गई धनराशि
आंध्र प्रदेश	131	111	3.38	3.48
अरूणाचल प्रदेश	1	1	0.03	0.02
अंडमान एवं निकोबार	3	1	0.18	0.23
असम	8	7	0.20	0.17
बिहार	246	171	6.16	4.29
दिल्ली	36	27	0.86	0.67
गुजरात	33	15	2.90	2.23
हरियाणा	26	18	0.98	0.98
हिमाचल प्रदेश	16	10	0.60	0.78
जम्मू व कश्मीर	5	3	0.25	0.20
कर्नाटक	34	33	1.34	1.33
केरल	28	24	0.97	0.91
मध्य प्रदेश	28	21	0.83	0.45
महाराष्ट्र	34	29	1.40	0.88
मणिपुर	60	47	2.42	2.08
नागालैण्ड	5	5	0.27	0.22
उड़ीसा	43	40	1.44	1.59
पंजाब	1	1	0.01	0.15
राजस्थान	33	26	1.04	0.98
तमिलनाडु	81	69	2.56	1.73
त्रिपुरा	1	1	0.10	0.05
उत्तर प्रदेश	272	214	6.94	6.44
पश्चिम बंगाल	170	133	5.41	6.37
मिज़ोरम	8	6	0.71	0.59
चंडीगढ़	--	--	--	--
मेघालय	--	--	--	0.01
पांडिचेरी	--	--	--	--
गोवा, दमन व दीव	1	1	0.05	0.02
योग	1306	1016	41.03	36.80

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ

5044. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सिल्चर में उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ स्थापित करने का है; और

(ग) इन मामलों को तत्काल निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) तारीख 28.2.1994 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, 23989 मामले लंबित थे।

(ख) सिल्चर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंभव शीघ्रता से निपटने के लिए उपायों और साधनों का पता लगाने के लिए 4 दिसम्बर, 1993 को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्प, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गुवाहाटी उच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों को, आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं।

ग्रामीण और सीमा क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम

5045. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषतः गुजरात राज्य में, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करने के लिए राज्य-वार कोई निकाय गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) बच्चों पर एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना से संबंधित एक मानीटरिंग समिति गठित की गई है जिसमें बाल और मातृ स्वास्थ्य, पोषाहार, जल और स्वच्छता, शिक्षा, विशिष्ट कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, बालिकाओं, किशोर बालिकाओं और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष सचिव (डब्ल्यू०सी०डी०) हैं और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव इसके सदस्य हैं। यह समिति बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है। एक ऐसी ही मानीटरिंग समिति बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना हेतु गठित की गई है।

इसके अतिरिक्त गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में महिला और बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों

के मूल्यांकन के लिए सरकार आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां और खातों के लेखा परीक्षित विवरणों सहित पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए कार्यक्रमों को मॉनीटर करती है। प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मदद से समय-समय पर प्रमुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करना

5046. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजधानी में पट्टा प्रणाली समाप्त करने हेतु दिल्ली सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में भूमि के लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में बदलने की स्कीम सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है, और इस स्कीम के तहत पात्र सभी आवेदक/पट्टाधारी, फ्रीहोल्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटनों का निरस्तीकरण

5047. डा० साक्षीजी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से डी०डी०ए० फ्लैटों के कितने आबंटियों ने अपने फ्लैटों की किश्तें जमा नहीं कराई हैं; और

(ख) डी०डी०ए० द्वारा आबंटन रद्द किए गए अथवा सील किए गए उन फ्लैटों की श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनकी गत पांच वर्षों से एक भी किश्त जमा नहीं कराई गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) डी०डी०ए० ने बताया है कि जिन दोषी आबंटियों ने 31.3.92 की स्थिति के अनुसार अपनी किश्तें जमा नहीं करायी हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

सामान्य योजनाएं	-	लगभग 11,000
न्यू पैटर्न रजि० स्कीम 1979	-	लगभग 75,000

(ख) डी०डी०ए० ने मासिक किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण अब तक 22 फ्लैट कुर्क किए हैं। इन फ्लैटों के श्रेणीवार और इलाकेवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

कालोनी	जनता	एल०आई०जी०	एम०आई०जी०	योग
नंद नगरी	--	5	2	7
पश्चिम विहार	--	8	--	8
पीतमपुरा	--	2	--	2
मानसरोवर पार्क	--	--	3	3
शालीमार बाग	--	--	1	1
शेख सराय	--	--	1	1
कुल	--	15	7	22

विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करके ऐसे सभी आबंटन निरस्त किये जाने होते हैं।

"भेल" में उत्पादन

5048. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या निजीकरण नीति से "भेल" की उत्पादन एवं निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान "भेल" द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) "भेल" ने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गैर लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार, भेल का 1993-94 का कुल कारोबार 3530 करोड़ रूपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भेल द्वारा गत 3 वर्षों में किए गए निर्यात नीचे दर्शाए गए हैं :-

1991-92	1992-93	1993-94
634	786	845+

+ अनन्तिम, लेखा परीक्षा के अधीन।

(ङ) भेल द्वारा अपने निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :-

(1) आई०एस०ओ० 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति हेतु कंपनी में एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भेल के अधिकांश एककों को यह प्रमाण-पत्र मिल चुका है।

(2) संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु भेल प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

5049. श्री एन० डेनिस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में इन उपक्रमों के प्रबन्धकों को कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) अनुबंधित श्रमिकों को रोज़गार देने का कार्य सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा सरकार को बिना कोई सूचना दिए किया जाता है तथा उन्हें अनुबंधित श्रम (विनिमयन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत शासित किया जाता है। सरकार ने 20 फरवरी, 1984 को इस बारे में सरकारी उपक्रमों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य तौर पर बहुवर्षी कार्यों के लिए अनुबन्धित श्रमिकों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार, स्थायी किस्म के कार्यों के लिए दिहाड़ी कामगारों की नियुक्ति भी नहीं की जानी चाहिए। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में प्रारूपी स्थायी आदेश भी जारी किए हैं।

ग्रेनाइट उत्पादक एकक

5050. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने एकक ग्रेनाइट उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) कितने एकक अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितना निर्यात किया;

(ग) ग्रेनाइट निर्यात एककों की स्थापना के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान अनुमानतः कितना निर्यात किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख ग्रेनाइट एकक स्थापित करने के लिए 491 अनुमति

जारी किए गए हैं जिनमें से 58 एकक उत्पादन कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनका निर्यात र्य-निष्पादन इस प्रकार है :-

वर्ष	राशि (रूपये करोड़ में)
1990-91	58.99
1991-92	105.36
1992-93	148.93

फिर भी बहुत सी ग्रेनाइट बनाने की इकाइयां हैं जिनके आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं बनाए गए हैं जैसाकि ग्रेनाइट औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग नहीं है।

(ग) ग्रेनाइट के निर्यात के लिए ही काफी संभावनाएं हैं। निर्यात अभिमुख इकाइयों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए है। जैसे सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्ति, उत्पादन कर से मुक्ति, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०सी० के अन्तर्गत कर लाभ आदि।

(घ) आठवीं योजनावधि के प्रथम दो वर्षों के लिए निर्यात लक्ष्य इस प्रकार हैं।

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (करोड़ रूपए में)
1992-93	425.00
1993-94	600.00

योजना के लिए धनराशि का नियतन

5051. कुमारी ममता बनर्जी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान योजना हेतु नियत की गई धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने योजना आबंटन का उपयोग नहीं किया है।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) से (ग) : सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 की वार्षिक योजनाओं के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्ययों तथा वास्तविक व्यय/संशोधित परिव्ययों, जैसे स्थिति हो, को दर्शाते हुए दो विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

विवरण-I

वार्षिक योजना -1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 अनुमोदित /संशोधित परिव्यय-राज्य

(करोड़ रूपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना-1992-93 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1992-93 संशोधित परिव्यय	वार्षिक योजना-1993-94 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1993-94 संशोधित परिव्यय	वार्षिक योजना-1994-95 अनुमोदित परिव्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00	1675.00	1851.00	1851.00	2130.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	245.00	235.35	290.00	263.91	335.00
3.	असम	960.00	700.00	1027.00	872.00	1051.00
4.	बिहार	2202.73	1100.00	2300.00	750.00	2400.00
5.	गोआ	152.50	153.42	170.00	144.50	182.00
6.	गुजरात	1875.00	1875.00	2137.00	1900.00	2240.00
7.	हरियाणा	830.00	804.57	920.00	839.08	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.50	560.00	562.82	650.00
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	623.00	880.00	684.00	950.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	3025.00	3025.00	3275.00

1.		3.	4.	5.	6.	7.
11.	केरल	913.00	750.00	1000.00	1019.77	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1792.00	2400.00	2018.21	2750.00
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3208.80	3804.00	3832.80	4400.00
14.	मणिपुर	210.00	171.30	230.00	174.84	240.00
15.	मेघालय	241.00	241.00	281.00	281.00	281.00
16.	मिज़ोरम	160.00	165.18	185.00	181.90	207.00
17.	नागालैण्ड	185.00	110.19	203.50	168.41	220.00
18.	उड़ीसा	1405.00	1055.00	1450.00	1095.19	1951.00
19.	पंजाब	1150.00	856.50	1250.00	1140.00	1450.00
20.	राजस्थान	1400.00	1410.00	1700.00	1704.76	2450.00
21.	सिक्किम	110.00	110.00	120.00	100.12	136.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	2101.00	2102.21	2750.00
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	310.00	220.03	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	4050.00	2800.00	4561.73
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	703.50	1550.00	1020.94	1706.00

विवरण-II

वार्षिक योजना 1985-86 से 1989-90 मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय/व्यय - राज्य

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं०	राज्य	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		जोड़ 1985-90	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	810.00	942.92	1000.00	1204.70	1200.00	1123.21	1250.00	1340.69	1300.00	1350.69	5560.00	5962.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	73.00	72.43	90.00	87.64	110.00	111.78	126.00	126.75	150.00	154.08	549.00	552.68
3.	असम	410.00	400.92	500.00	499.02	575.00	572.40	610.00	420.15	635.00	626.00	2730.00	2518.49
4.	बिहार	851.00	932.21	1150.00	1281.21	1500.00	1194.84	1600.00	1269.21	1800.00	1364.79	6901.00	6042.26
5.	गोआ	64.00	64.73	73.00	73.62	79.75	88.72	92.00	98.60	110.00	112.96	418.75	438.63
6.	गुजरात	804.00	825.02	950.00	965.61	160.00	1101.60	1275.00	1076.49	1400.00	1350.33	5589.00	5319.05
7.	हरियाणा	480.00	422.81	525.00	480.92	585.00	463.84	600.00	561.33	676.00	580.68	2866.00	2509.58
8.	हिमाचल प्रदेश	177.00	192.32	205.00	238.80	235.00	276.96	260.00	287.90	300.00	320.72	1177.00	1316.70
9.	जम्मू व कश्मीर	260.00	274.42	315.00	337.66	375.00	405.18	450.00	445.65	520.00	543.32	1920.00	2006.23
10.	कर्नाटक	651.00	637.67	765.00	696.17	870.00	702.10	900.00	844.05	040.00	957.43	4226.00	3837.42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14
11.	केरल	355.00	366.39	390.00	427.55	440.00	390.43	500.00	469.95	526.00	526.17	2211.00	2180.49
12.	मध्य प्रदेश	1170.00	1009.76	1381.00	1169.00	1570.00	1412.90	1702.00	1504.85	1840.00	1680.07	7663.00	6776.58
13.	महाराष्ट्र	1700.00	1747.20	2100.00	1963.77	2320.00	2190.47	2430.00	2432.64	2640.00	2448.96	11190.00	10783.04
14.	मणिपुर	70.00	69.68	87.00	84.13	105.00	105.33	122.50	115.80	142.00	134.86	526.50	509.80
15.	मेघालय	75.00	73.67	91.00	89.04	110.00	110.35	130.00	126.39	150.00	140.32	556.00	539.77
16.	मिज़ोरम	48.00	47.73	58.00	61.63	70.00	72.66	85.00	84.47	102.00	102.84	363.00	369.33
17.	नागालैण्ड	65.00	63.45	78.00	73.86	94.00	95.25	110.00	112.65	132.00	120.23	479.00	465.44
18.	उड़ीसा	450.00	445.64	600.00	574.26	750.00	701.40	835.00	752.19	925.00	793.30	3560.00	3266.79
19.	पंजाब	500.00	467.83	575.00	678.93	650.00	790.32	700.00	713.19	789.00	869.23	3214.00	3519.50
20.	राजस्थान	430.00	427.64	525.00	527.84	645.00	644.84	710.00	702.92	795.00	795.81	3105.00	3099.05
21.	सिक्किम	41.00	42.13	50.00	52.71	57.00	37.93	63.00	66.17	71.00	71.00	282.00	289.94
22.	तमिलनाडु	960.00	999.29	1153.00	1150.68	1250.00	1276.58	1457.00	1278.74	1360.00	1385.65	6180.00	6090.94
23.	त्रिपुरा	86.00	93.76	105.00	115.06	122.00	138.24	144.00	167.27	167.00	172.89	624.00	687.22
24.	उत्तर प्रदेश	1642.00	1710.45	2030.00	2005.42	2500.00	2214.93	2540.00	2522.67	2800.00	2757.71	11512.00	11211.18
25.	पश्चिम बंगाल	675.00	700.34	776.00	714.95	862.00	782.00	951.00	985.44	1115.00	1155.60	4379.00	8718.26

आवास नीति की समीक्षा

5052. श्री जनार्दन मिश्र : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवास नीति की नए सिरे से समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) : सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति को अन्तिम रूप दे दिया है और 9.9.92 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस स्तर पर नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वैकल्पिक भूखण्ड

5053. श्री सज्जन कुमार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ऐसे लोगों को जिनकी भूमि अधिगृहीत कर ली गई है, को वैकल्पिक आवासीय भूखण्ड देने के लिए कोई नीतिगत प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकार के पास वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) कब तक इन्हें स्वीकृति दे दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास आबंटन हेतु 1121 अनुशंसित व्यक्तियों के मामले लम्बित हैं।

(ग) कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, आबंटन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूखण्डों की उपलब्धता पर निर्भर है। इन भूखण्डों का आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है और वैकल्पिक आबंटन के लिए भूखण्ड उपलब्ध होते ही आबंटन किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में लघु/मध्यम/बड़े उद्योग

5054. श्री हरिलाल नानजी पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में 1994-95 और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु/मध्यम/बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस राज्य में इन उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी निधि के आबंटन का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख)

(करोड़ रूपए में)

	आठवीं योजना		1991-95 वार्षिक योजना	
	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
बड़े तथा मझौले उद्योग, खनन तथा भार तौल एवं मापन	183.50	233.50	40.54	40.54
ग्राम तथा लघु उद्योग	434.28	435.00	85.77	85.77

(स्रोत : योजना आयोग)

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता

5055. **श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सामान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी गुणवत्ता और मूल्य के मामले में प्रतिस्पर्द्धा के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता में सुधार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उन्हें और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। कुछ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मूल्य तथा गुणवत्ता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा में सक्षम हैं। इस समय मूल्य के संदर्भ में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का 12.5 प्रतिशत निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी०सी०ए०) के देशों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के नर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (मापगुनि) कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप परीक्षण, अंशशोधन, गुणवत्ता परामर्श सेवाएं तथा गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन सेवाएं उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

मापगुनि निदेशालय सम्पूर्ण भारत में स्थापित अपनी 21 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के जरिए गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त उपर्युक्त सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। मापगुनि निदेशालय के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

1. इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली (आई ई सी क्यू)

2. आई एस ओ-9000 प्रमाणन योजना

3. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणन योजना (आई ई सी ई ई-सी बी योजना)

4. विद्युत-चुम्बकीय व्यतिकरण/विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ई एम आई/ई एम सी) प्रमाणन।

[अनुवाद]

कानूनी सहायता कार्यक्रम

5056. श्री हरिभाई पटेल :

श्री साईमन मरांडी :

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री ललित उरांव :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान और अब तक कानूनी सहायता कार्यक्रम से देश में राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के लिए निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों, महिलाओं, विधवाओं तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पुरानी दरों में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया था; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख), (ङ) और (च) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में जिसे अभी प्रवृत किया जाना है, उच्च न्यायालयों के मामलों में विधिक सहायता के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 9,000 रूपए करने और उच्चतम न्यायालय के मामलों में 9,000 रूपए से बढ़ाकर 12,000 रूपए करने का उपबंध है।

(ग) और (घ) : जी, हां। विद्यमान विधिक सहायता स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जाति और यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों, महिलाओं, जिनमें विधवाएं भी हैं और बालकों को उनकी आय का विचार किए बिना, विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

(छ) और (ज) : वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान पूरे देश में विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 35,19,841 रूपए, 32,57,636 रूपए और 29,00,000 रूपए का सहायता अनुदान मंजूर किया गया था। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 26,26,341 रूपए और 22,89,500 रूपए के उपयोग किए जाने की बाबत हिसाब प्राप्त हो गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए अनुदान का हिसाब अभी प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाएं

5057. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री पीटर जी० मरबनिआंग :

श्री मोहन रावले :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी उन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, जो आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित होंगे;

(ख) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष बची परियोजनाओं को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास जो परियोजना लम्बित पड़ी हैं, वह हैं :

(1) वेलवंलवागु मध्यम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश (अनुमानित लागत 22.29 करोड़ रूपए)

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजनाओं की निकासी संसाधनों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक निकासियों पर निर्भर रहेगी।

विवरण -I

आठवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की सूची

नाम	अनुमानित लागत	राज्य
1	2	3
कपड़ा		
जूट क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	45.5 मि०	-
	अमरीकी डालर	--
एन टी सी की कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स का आधुनिकीकरण	32.17 करोड़ रूपए	तमिलनाडु
कागज़		
हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड कोट्टायम का विस्तार	400.00 करोड़ रूपए	केरल
खानें		
भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (आधुनिकीकरण और विकास स्कीमें)	315.5 करोड़ रूपए	मध्य प्रदेश
नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि०	2902 करोड़ रूपए	उड़ीसा
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	543 करोड़ रूपए	--
हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड	111 करोड़ रूपए	--
भारत गोल्ड माइन्स	16.5 करोड़ रूपए	कर्नाटक
इलैक्ट्रॉनिक्स		
वी एल एस आई फैब्रीकेशन सुविधा का सेमिकंडक्टर काम्पलैक्स लि० (एस सी एल) का पुनर्निर्माण मोहाली - पंजाब	183.29 करोड़ रूपए	पंजाब

1	2	3
भारी उद्योग		
भारत हैवी इलैक्ट्रोनिक्स	87.55 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
बूरो स्टैंडर्ड कंपनी	60.21 करोड़ रूपए	पश्चिम बंगाल
हिन्दुस्तान केबल्स	51.47 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
जैली फील्ड केबल क्षमता	120.47 करोड़ रूपए	--
फाइबर ऑपटिक केबल्स का निर्माण	36.00 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
को-एक्सीअल केबल क्षमता में परिवर्तन	27.74 करोड़ रूपए	पश्चिम बंगाल
गैर इंजीनियरिंग एकक		
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (नया गांव दिल्ली येरागुंतला)	366.39 करोड़ रूपए	--
टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आधुनिकीकरण परियोजना कांकीनारा	99.20 करोड़ रूपए	आंध्र प्रदेश
उर्वरक		
न्यू अमोनिया प्लांट, उडगमंडल (एफ ए सी टी)	525 करोड़ रूपए	केरल
कोचीन विस्तार (एफ ए सी टी)	275 करोड़ रूपए	केरल
मेजर रीवैम्प ऑफ मनाली प्लांट (एम एफ एल)	434 करोड़ रूपए	तमिलनाडु
रीवैम्प ऑफ रामागुंडम कोयला आधारित प्लांट (एफ सी आई)	172 करोड़ रूपए	आंध्र प्रदेश
पारादीप में अतिरिक्त फॉस-एसिड प्लांट (पी पी एल)	342 करोड़ रूपए	उड़ीसा
गोरखपुर में न्यू अमोनिया यूरिया प्लांट (एफ सी आई)	670 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश

1	2	3
ओनला विस्तार (ईफको)	940 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
चंदेरिया में डी ए पी प्लांट	180 करोड़ रूपए	राजस्थान
विजयपुर विस्तार (एन एफ एल)	890 करोड़ रूपए	मध्य प्रदेश
थाल में एन पी के प्लांट (आर सी एफ)	768 करोड़ रूपए	महाराष्ट्र
हजीरा में एन के पी प्लांट (कृभको)	370 करोड़ रूपए	गुजरात
स्टील		
भिलाई स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण	1591.10 करोड़ रूपए	मध्य प्रदेश
बोकारो स्टील प्लांट	2754.95 करोड़ रूपए	बिहार
सैंट्रल मार्केटिंग संगठन	182.85 करोड़ रूपए	--
रॉ मैटिरियल डिव० ऑफ सेल	1320.00 करोड़ रूपए	--
इस्को का आधुनिकीकरण	6520.00 करोड़ रूपए	पश्चिम बंगाल
वी आई एस एल	162.00 करोड़ रूपए	कर्नाटक
एन एम डी सी	864.02 करोड़ रूपए	--
के आई ओ सी एल	391.00 करोड़ रूपए	कर्नाटक
कैमिकल और पैट्रोकैमिकल		
महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलैक्स	1635.00 करोड़ रूपए	महाराष्ट्र
आई पी सी एल		
एम जी सी सी विस्तार (आई पी सी एल)	173.00 करोड़ रूपए	महाराष्ट्र
एच डी पी ई विस्तार (आई पी सी एल)	1570.00 करोड़ रूपए	--
बूटाडीन एक्सट्रैक्शन प्लांट (आई पी सी एल)	41.00 करोड़ रूपए	गुजरात
एच पी सी एल पी बी आर प्लांट (आई पी सी एल)	145.00 करोड़ रूपए	गुजरात

1	2	3
पी पी रीवैम्पिंग (आई पी सी एल)	194.00 करोड़ रूपए	गुजरात
गैस क्रेकर (आई पी सी एल)	3485.00 करोड़ रूपए	गुजरात
एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्लास्टिक (आई पी सी एल)	155.00 करोड़ रूपए	गुजरात
पॉय फेज 2 (पी सी एल/ आई पी सी एल)	132.00 करोड़ रूपए	गुजरात
टी सी एल का विस्तार (बी पी सी एल)	99.00 करोड़ रूपए	--
बम्बई में एम आई आर ई	25.80 करोड़ रूपए	महाराष्ट्र
एच पी सी एल		
विजाग (आंध्रप्रदेश) में प्रोपलीन रिकवरी रिकवरी	26.00 करोड़ रूपए	आंध्र प्रदेश
आई ओ सी		
मथुरा (उत्तर प्रदेश) में प्रापलीन रिकवरी	47.53 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
एम आर एल		
एरोमैटिक परियोजना	1728.00 करोड़ रूपए	तमिलनाडु
अतिरिक्त प्रोपलीन	28.30 करोड़ रूपए	तमिलनाडु
गेल		
औरैया में गैस क्रेकर	2941.00 करोड़ रूपए	उत्तर प्रदेश
जल आपूर्ति		
श्रीकाकुलम जिले के उद्दानम क्षेत्र के 234 गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति – द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित	17.114 करोड़ रूपए	आंध्र प्रदेश

1	2	3
(1) जमीन के पानी में आयरन की अधिकता से प्रभावित चुने हुए जिलों में सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति - द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित	109.50 करोड़ रूपए	बिहार
(2) धनबाद जिले के खनन क्षेत्रों में निरसा और उसके साथ के गांवों को सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति - द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित	7.279 करोड़ रूपए	बिहार
शिमला में जल आपूर्ति व्यवस्था का पुनर्सगंठन और संवर्द्धन और मल व्ययन प्रणाली में सुधार और विस्तार - द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित	76.34 करोड़ रूपए	हिमाचल प्रदेश
दूसरी राजस्थान जल आपूर्ति और मल व्ययन परियोजना - विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित	442.40 करोड़ रूपए	राजस्थान
मद्रास शहर में वाटर ट्रंक्स मेन की इनसाइट लाइनिंग संबंधी परियोजना का प्रस्ताव - जापान सरकार (डी ई सी एफ) से द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित	24.74 करोड़ रूपए	तमिलनाडु

विवरण-II

अनुमोदित आठवीं योजना ऊर्जा परियोजनाओं (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) - (राज्य क्षेत्रक के ब्यौरे)

क्रम सं०	परियोजना का नाम (क्षमता मेगावाट)	परियोजना का प्रकार	राज्य का नाम	8वीं योजना के दौरान लाभ (8वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार)
विद्युत क्षेत्रक				
1.	2.	3.	4.	5.
उत्तरी क्षेत्र				
1.	दादुपुर (4×1.5)	हाइडल	हरियाणा	6.0
2.	थिरोट (3×1.5)	हाइडल	हिमाचल प्रदेश	1.3
3.	बनेर (3×4)	हाइडल	हिमाचल प्रदेश	12.0
4.	गज (3×3.5)	हाइडल	हिमाचल प्रदेश	10.5
5.	अपर सिंध (2×35)	हाइडल	जम्मू व कश्मीर	70.0
6.	अपर सिंध 2 यू-3 (1×35)	हाइडल	जम्मू व कश्मीर	35.00
7.	थीन डैम (4×150).	हाइडल	पंजाब	300.0
8.	सोबला (2×3)	हाइडल	उत्तर प्रदेश	6.0
9.	मनेरी 2 (4×76)	हाइडल	उत्तर प्रदेश	304.0
10.	श्रीनगर (6×55) यू 1-3	हाइडल	उत्तर प्रदेश	165.0
11.	राजघाट (3×15)-50: हिस्सा	हाइडल	उत्तर प्रदेश	22.5
12.	पम्पोर जीटी 2 (4×25)	टीएच-गैस	जम्मू व कश्मीर	100.0
13.	रामगढ़ जीटी (1×3)	टीएच-गैस	राजस्थान	3.0
14.	कोटा यू-5 (1×210)	टीएच-कोल	राजस्थान	210.0
15.	अनपारा "बी" (2×500)	टीएच-कोल	उत्तर प्रदेश	1000.0
16.	टांडा यू-4 (4×110)	टीएच-कोल	उत्तर प्रदेश	110.0
17.	पानीपत यू-6 (1×210)	टीएच-कोल	हरियाणा	210.0
18.	रोपड़ 3 यू-2 (2×210)	टीएच-कोल	पंजाब	210.0
19.	डेसू डब्ल्यू एच (3×34)	टीएच-गैस	दिल्ली	102.0

1	2	3	4	5
20.	जीएनडीटीपीपी (भटिंडा) (2×210)	टीएच-कोल	पंजाब	420.0
पश्चिमी क्षेत्र				
1.	काडना यू-3 व 4 (2×60)	हाइडल	गुजरात	120.0
2.	मानिकडोह (1×6)	हाइडल	महाराष्ट्र	6.0
3.	उज्जैनी (1×12)	हाइडल	महाराष्ट्र	12.0
4.	वारना (2×8)	हाइडल	महाराष्ट्र	16.2
5.	सूर्या (1×6)	हाइडल	महाराष्ट्र	5.0
6.	भंडारवारा 2 (1×34)	हाइडल	महाराष्ट्र	34.0
7.	दूधगंगा (2×12)	हाइडल	महाराष्ट्र	24.0
8.	डिम्बस (1×5)	हाइडल	महाराष्ट्र	5.0
9.	कोयना चरण 4 (4×250) यू 1 व 2	हाइडल	महाराष्ट्र	500.0
10.	तावा एल बी सी (4×3)	हाइडल	मध्य प्रदेश	12.0
11.	हैसडियो बैंग (3×40)	हाइडल	मध्य प्रदेश	120.0
12.	बाणसागर टन्स (3×105 + 2×15 + 3×20)	हाइडल	मध्य प्रदेश	90.0
13.	राजघाट (3×15) - 50: हिस्सा	हाइडल	मध्य प्रदेश	22.5
14.	सरदार सरोवर (6×200+5×50 गुजरात 16:, महाराष्ट्र 27:, मध्य प्रदेश 57:)	हाइडल	गुजरात/महाराष्ट्र/ मध्य प्रदेश	1450.0
15.	कच्छ लिग्नाइट यू 3 (1×70)	टीएच-लिग	गुजरात	70.0
16.	सिक्का यू-2 (1×120)	टीएच-कोल	गुजरात	120.0
17.	उतरान गैस बेसब टीपीएस (3×33 + 1×45)	टीएच-गैस	गुजरात	78.0
18.	चंदरपुर यू-7 (1×500)	टीएच-कोल	महाराष्ट्र	500.0
19.	यूरान डब्ल्यू एच पी (3×120)	टीएच-गैस	महाराष्ट्र	360.0
20.	खापरखेड़ा (2×210)	टीएच-कोल	महाराष्ट्र	420.0

1	2	3	4	5
21.	संजय गांधी यू 1 व 2 (2×210)	टीएच-कोल	मध्य प्रदेश	420.0
22.	संजय गांधी यू 3 व 4(2×210)	टीएच-कोल	मध्य प्रदेश	420.0
23.	पेंच (2×210)	टीएच-कोल	मध्य प्रदेश	420.0
दक्षिण क्षेत्र				
1.	पन्ना अहोबीलम (2×10)	हाइडल	आंध्र प्रदेश	20.0
2.	अपर सिलेरू (2×60)	हाइडल	आंध्र प्रदेश	120.0
3.	श्रीसैलम एलबीपीएच (6×150)	हाइडल	आंध्र प्रदेश	300.0
4.	वाराही (मनी डैम) (2×115 + 2×4.5)	हाइडल	कर्नाटक	9.0
5.	घाटप्रभा (2×16)	हाइडल	कर्नाटक	16.00
6.	मल्लारपुर (2×4.5)	हाइडल	कर्नाटक	9.00
7.	शाईवती टेलरेस (4×60)	हाइडल	कर्नाटक	240.00
8.	कालिंदी 2 (3×40 + 3×50)	हाइडल	कर्नाटक	270.00
9.	वृन्दावन(2×6)	हाइडल	कर्नाटक	12.00
10.	भादरा (1×6)	हाइडल	कर्नाटक	6.00
11.	काल्लडा (2×7.5)	हाइडल	केरल	15.00
12.	मुवट्टयापूझा (1×7)	हाइडल	केरल	7.00
13.	लोअर पैरियार (3×60)	हाइडल	केरल	180.00
14.	कोक्कड़ (2×25)	हाइडल	केरल	50.00
15.	पोरिंगेलकुयू यू-4 (1×16)	हाइडल	केरल	16.00
16.	लोअर भवानी आरबीसी (2×4)	हाइडल	तमिलनाडु	8.00
17.	सायनूर डैम (1×7.5)	हाइडल	तमिलनाडु	7.50
18.	मुद्दनूर (2×210)	टीएच-कोल	आंध्र प्रदेश	420.00
19.	विजयवाड़ा 3 (1×210)	टीएच-कोल	आंध्र प्रदेश	420.00
20.	रायचूर यू-4 (1×210)	टीएच-कोल	कर्नाटक	210.00
21.	डीज़ल सैट्स (78)	टीएच-ऑयल	कर्नाटक	78.00
22.	डी जी सैट्स बंगलौर (6×21.3)	टीएच-ऑयल	कर्नाटक	128.00

1	2	3	4	5
23.	नार्थ मद्रास (3×210)	टीएच-कोल	तमिलनाडु	630.00
24.	बेसीन ब्रिज जीटी (4×30)	टीएच-गैस	तमिलनाडु	120.00
25.	कराईकल जीटी (3×5 1×7.5)	टीएच-गैस	पाँडिचेरी	22.50
पूर्वी क्षेत्र				
1.	पूर्वी गंडक कैनाल (3×5)	हाइडल	बिहार	15.00
2.	सोन डब्ल्यू एल सी (4×1.65)	हाइडल	बिहार	6.00
3.	सोन ईएलसी (2×1.65)	हाइडल	बिहार	3.30
4.	नार्थ कोल (2×12)	हाइडल	बिहार	24.00
5.	चांदील (2×4)	हाइडल	बिहार	8.00
6.	रिंगाली वि०यू-5 (3×50)	हाइडल	उड़ीसा	50.00
7.	अपर इंदिरावती (4×150)	हाइडल	उड़ीसा	600.00
8.	अपर कोलाब यू-4 (1×80)	हाइडल	उड़ीसा	80.00
9.	पोट्टीरू (2×3)	हाइडल	उड़ीसा	6.00
10.	मायांगचू (4×1)	हाइडल	सिक्किम	4.00
11.	अपर रोंगीनचू (4×2)	हाइडल	सिक्किम	8.00
12.	राम्मन चरण 2 (4×12.5)	हाइडल	पश्चिम बंगाल	50.00
13.	तीस्ता कैनाल (3×3×7.5)	हाइडल	पश्चिम बंगाल	67.50
14.	तीनूघाट यू-1 व 2 (2×210)	टीएच-कोल	बिहार	420.00
15.	आई०बी० टीपीएस (4×210)	टीएच-कोल	उड़ीसा	840.00
16.	कोलाघाट ई-4 व 5 (2×210)	टीएच-कोल	पश्चिम बंगाल	420.00
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
1.	धानसिरी (15×1.33)	हाइडल	असम	20.00
2.	कारबी लेंगपी (2×50)	हाइडल	असम	100.00
3.	यलमना (6)	हाइडल	अमस	6.00
4.	नूरांनग(3×2)	हाइडल	अरूणाचल प्रदेश	6.00
5.	उमईम-उमतरू (2×30)	हाइडल	मेघालय	60.00
6.	लिकिमरो (3×8)	हाइडल	नागालैंड	24.00
7.	लाकवा जीटी फेज 2 (3×20)	टीएच-गैस	असम	60.00
8.	अमगुरी सीसीजीटी (12×30)	टीएच-गैस	असम	360.00

वर्ष 1994 के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के ब्यौरे (1.1.1994 से 22.4.1994)

सिंचाई क्षेत्रक

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	स्वीकृति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रू० में)
1.	पंजाब सिंचाई परियोजना फेज-2 लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सिज (पंजाब)	18.1.94	117.47
2.	पंजाब की नहर प्रणाली में नहर संचालन ढांचे का पुनरूद्धार और सुधार	19.1.94	34.49
3.	जिला डिबरूगढ़, असम उरिमागुड़ी के निकट सासोरी टिंगखोंग बंड फेज 1 के विस्तार में 9वें और 10वें कि०मी० पर भूक्षरण विरोधी उपाय किए जाना	24.2.94	3.318
4.	माही राइट बैंक नहर परियोजना गुजरात के वानकाबोरी वेर पर हाइड्रो प्लस फयूज़ गेट उपलब्ध कराना	7.2.94	8.58
5.	इकाई काकरापाड़ परियोजना गुजरात का आधुनिकीकरण	9.3.94	60.12
6.	बड़े व मध्यम सिंचाई कार्यक्रम बिरूपा गेंगुटी द्वीप सिंचाई परियोजना (संशोधित अनुमानित लागत)	29.3.94	11.46

[अनुवाद]

असम में 20 सूत्री कार्यक्रम

5058. श्री प्रबीन डेका : क्या **योजना और कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण जिनकी मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है, संलग्न है।

(ख) और (ग) : असम सरकार से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

1993-94 के दौरान टीपीपी कार्यान्वयन

राज्य का नाम : असम

क्रम संख्या	मद कोड	मद का विवरण	यूनिट	1993-94 वार्षिक लक्ष्य
1.	2.	3.	4.	5.
1.	01ए	आई आर डी पी परिवार	संख्या	67158
2.	01बी	जवाहर रोज़गार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	22889000
3.	01सी	एस एस आई एक (पंजीकृत)	संख्या	2536
4.	05ए	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड़	30430
5.	07ए	पीने के पानी की समस्या सुलभ की गई (वी एल जी)	संख्या	714
6.	08ए	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	11
7.	08बी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	संख्या	48
8.	08डी	बच्चों का टीकाकरण(डीपीटी, पोलियो और बीसीजी)	संख्या	605177
9.	09ए	परिवार नियोजन (बंध्यीकरण)	संख्या	130000
10.	09बी	ईक्यू बंध्यीकरण आईयूडी, सीसी और ओपी	संख्या	25333
11.	09सी	आई पी डी एस ब्लाक कार्य कर रहे हैं (संचयी)	संख्या	62
12.	09डी	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	7303
13.	11ए	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	31000
14.	11बी	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	40000
15.	14ए	आवास स्थल आबंटित (परिवार)	संख्या	11920
16.	14बी	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	11920
17.	14सी	इंदिरा आवास योजना (आवास)	संख्या	6209
18.	14डी	ई डब्ल्यू एस आवास उपलब्ध कराए गए	संख्या	1665
19.	14ई	एल आई जी मकान	संख्या	24
20.	15	गंदी बस्ती सुधार (जनसंख्या)	संख्या	7000
21.	16ए	निजी भूमियों पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000
22.	16बी	आवृत किया गया क्षेत्र -सार्वजनिक और वन भूमि	हैक्टेयर	27500
23.	19ए	विद्युतीकृत गांव	संख्या	110
24.	19सी	उन्नत चूल्हे	संख्या	60000
25.	19डी	बायो-गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	1000

अप्रैल 93 - फर. 94 लक्ष्य	उपलब्धि	%
6.	7.	8.
61562	45255	74
20218617	12729000	63
2198	1713	78
26880	5883	22
643	724	113
8	4	50
40	16	40
534573	450699	84
114833	7318	6
22378	9770	44
62	62	100
7303	6829	94
27487	15790	57
35867	12178	34
10807	1200	11
10807	1200	11
5629	2298	41
1510	75	5
22	0	0
6347	5260	83
2930000	2788000	95
26858	23486	87
83	0	0
50000	16883	34
833	370	44

लद्दाख में हवाई अनुरक्षण उड़ान

5059. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के एक वरिष्ठ पायलट तथा नेवीगेटर को हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में रूस में निर्मित ए०एन०-32 विमान की हवाई अनुरक्षण उड़ान के दौरान हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। 7 मार्च, 1994 को एक ए०एन० 32 विमान को लद्दाख क्षेत्र में हवाई अनुरक्षण उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वायुयान जब 27000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो विस्फोटक विसंपीडन (एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन) के कारण एक जोर का धमाका हुआ और कॉकपिट में धुंध छा गई धुंध के हट जाने पर वायुयान के कर्मीदल ने यह देखा कि नेवीगेटर का ऑब्जर्वेशन बबल फट गया है। नेवीगेटर विंग कमांडर आर०डी० अवस्थी गायब थे संभवतः वायुयान में अकस्मात विसंपीडन होने से वे झटके से बाहर गिर गए थे। तुरन्त ही वायुयान ने अपने मिशन पर आगे जाना बंद कर दिया और बिना और कोई नुकसान उठाए वह लेह में सुरक्षित नीचे उतर आया। हेलीकॉप्टरों की मदद से लापता नेवीगेटर विंग कमांडर अवस्थी की काफी खोज की गई लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं लगा।

(ग) और (घ) जी, हां। एक जांच अदालत इस घटना की छानबीन कर रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

5060. श्री पीटर जी० मरबनिआंग : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेघालय के औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना केन्द्रीय निवेश किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित उद्योगों के नाम क्या हैं तथा इनमें कितना निवेश किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ मेघालय को कितना आबंटन किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क)

वर्ष	वार्षिक योजना (रूपए लाख में)
1991-92	326
1992-93	891
1993-94	1092

(स्रोत : योजना आयोग)

(ख)

वर्ष	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (लाइसेंस मुक्त क्षेत्र)	पूंजी निवेश (करोड़ रूपए)
1991-92	1	5.00
1992-93	1	4.16
1993-94	1	28.54

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मेघालय में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। इस बारे में काई अन्य सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) बड़े और मझौले उद्योगों, खनन तथा भार व माप के लिए योजना आयोग ने 8वीं योजना के दौरान मेघालय के लिए 3206 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं।

लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलना

5061. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने संबंधी प्रणाली को आसान और सुगम बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान दर प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 18.2.94 को अपनाया गया संकल्प प्रेषित किया, जिसमें पारित किया गया था कि फ्री होल्ड में परिवर्तन की अनुमति भूमि किराये का 10 गुणा भुगतान किए जाने पर दी जानी चाहिए। संकल्प में यह भी मांग की गई है कि जब तक प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जाता, मौजूदा दरें 31.3.95 तक जारी रहनी चाहिए।

(ग) और (घ) : लम्बित मुकद्दमेबाजी सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर मौजूदा दरों को 30.6.94 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की अनुमति दिनांक 14.2.94 के आदेशों में विहित फार्मूले के अनुसार देय परिवर्तन प्रभार और उसकी 25 प्रतिशत धनराशि के आधार पर 1.7.94 से उपलब्ध होगी। 1.7.94 से लागू ये दरें 31.3.95 तक उपलब्ध रहेंगी।

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह

5062. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के मामलों के निपटान पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई पुनरीक्षा की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह से मामलों के निपटान में विलम्ब होता है तथा इसका जनता पर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी पुनरीक्षा करके केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में फिर से छः दिवसीय कार्य सप्ताह शुरु करने का कोई प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह पद्धति के मूल्यांकन के लिए फरवरी, 1987 तथा नवम्बर, 1988 में सरसरी तौर पर किए गए दो अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि कार्यकुशलता के स्तर में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए छः दिवसीय कार्य सप्ताह शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"ट्राम्बे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर"

5063. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्राम्बे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रिएक्टर को स्थाई रूप से बन्द किया जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) ट्राम्बे स्थित किसी भी नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, "अप्सरा" और "साइरस" अनुसंधान रिएक्टरों को, उनके क्रमशः लगभग 38 वर्ष और 34 वर्ष के लम्बे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए पुनःसज्जित करने की योजना है।

(ग) तथा (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

संसद सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन

5064. श्री बीर सिंह महतो : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संसद सदस्यों को डी०डी०ए० फ्लैटों के आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार

के पास लंबित हैं;

(ख) इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक फ्लैट आबंटित कर दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लैटों के बिना बारी आधार पर आबंटन के लिए सांसदों के 38 आवेदन विचाराधीन हैं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, सांसदों को फ्लैटों के आबंटन के लिए डी०डी०ए० की कोई विशेष स्कीम नहीं है। प्रचलित दिशा-निर्देशों में सांसदों को बिना बारी आधार पर फ्लैटों के आबंटन की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भूखंडों का आबंटन

5065. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ वर्षों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ग्राम पंचायत के भूखंडों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

(ग) भूखंडों के आबंटन के लिए अपनाये गये मानदंड निम्न प्रकार हैं :-

(1) अभ्यर्थी(यों) के पास अपने नाम में अथवा उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई भूखंड अथवा आवास स्थल नहीं होना चाहिए अथवा उप निदेशक (पंचायत) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उनके कब्जे में अपर्याप्त आवास व्यवस्था होनी चाहिए। आवास स्थलों के आबंटन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जानी है जिनके कब्जे में कोई भूखंड अथवा आवास स्थल नहीं है।

2. अभ्यर्थी(यों) की मासिक आय 1500 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. आवास स्थलों के मामले में आबंटित भूखंड का क्षेत्र 80 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. अभ्यर्थी संबंधित गांव का 4/5 वर्ष की अवधि से निवासी होना चाहिए।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित पात्र लोगों को 1986-87 से आवास स्थलों के वितरण का ब्यौरा

वर्ष	खंड का नाम	गांव का नाम	वितरित भूखंडों की संख्या
1	2	3	4
1986-87	अलीपुर	बकोली	160
		तिकड़ी खुर्द	21
		ताजपुर कलां	88
		लिबासपुर	173
	कंझावाला	पूठकलां	43
		कटवाड़ा	110
		मुंगेशपुर	248
		हरावली	216
		दरयापुर कलां	395
		निजामपुर	315
		औचंदी	101
		चांदपुर	155
	महरौली	जोनापुर	336
		डेरा	197
		घिटोरनी	344
	नजफगढ़	धूल सिरस	185
		नवाडा	151
		हस्तसाल	211
		दरयापुर खुर्द	24
		दीदारपुर	137
		डावरी	180

1	2	3	4
1987-88	**कंझावाला**	सलाहपुर माजरा	66
		सुल्तानपुर डबास	134
		दरयापुर कलां	85
		बवाना	240
	महरौली	भट्टी	424
	नजफगढ़	पोंचानपुर	147
		खरकारी नाहर	236
		ककरौला	**673**
1990-91	**नजफगढ़**	नासिरपुर	19

नोट : वर्ष 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवास स्थलों का वितरण नहीं किया गया था।

रसायनों का आयात

5066. श्री पी०सी० थामस : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात किए गए रसायनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन रसायनों का आयात किन-किन देशों से किया गया और इस पर कितनी विदेश मुद्रा खर्च हुई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) ऐसी जानकारी वाणिज्यिक आसूचना और साख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

नारियल जटा उद्योग

5067. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल-जटा उद्योग के विकास के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका से नारियल-जटा धागे का आयात करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्यमंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित नारियल जटा उद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों तथा केरल सरकार द्वारा स्थापित नारियल जटा उद्योग संबंधी विशेष कृतिक बल की रिपोर्ट के आधार पर केरल सरकार ने एक एकीकृत नारियल जटा विकास परियोजना तैयार की है। उक्त एकीकृत नारियल जटा विकास परियोजना के तहत नारियल जटा प्रसंस्करण केन्द्रों को कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिना गलाये नारियल जटा से रेशा निकालने के लिए केरल के उत्तरी जिलों में 100 यंत्रीकृत कॅयर डिफाइबरिंग इकाइयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, सहकारी क्षेत्र में कॅयर स्पिनिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए मोटर चलित 20,000 स्पिनिंग रैट्स लगाने का भी प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार ने उक्त एकीकृत कॅयर विकास परियोजना का अनुमोदन कर दिया है जिसकी कुल लागत 44.24 करोड़ रूपये है।

(ग) श्रीलंका से नारियल जटा धागे का आयात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विधवाओं के लिए डी०डी०ए० फ्लैट्स

5068. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विधवाओं के लिए बनने वाले फ्लैटों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विधवाओं के लिए बनने वाले फ्लैटों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विधवाओं के लिए फ्लैट बनाने की कोई अलग योजना नहीं है। तथापि, एक प्रतिशत फ्लैट युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सबसे निचले स्तर पर सूचना विकास क्रियान्वयन हेतु समिति

5069. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सबसे निचले स्तर पर सूचना विकास" के क्रियान्वयन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नही। तथापि इस विस्तार कार्यक्रम की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) के विशेषज्ञों की एक आन्तरिक समिति गठित की गई थी जिसने विभिन्न राज्यों में विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनकी सिफारिशों के आधार पर एन आई सी ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ग्रिड कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक पायलट आधार पर आरंभ किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हरियाणा का फरीदाबाद जिला इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

परमाणु ईंधन परिसर

5070. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के निकट स्थित परमाणु ईंधन परिसर का विस्तार करने और इसमें विविधता लाने संबंधी कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या परमाणु ईंधन परिसर द्वारा अपनी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी उद्योग से सम्पर्क करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फिलहाल निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है :-

1.	नई यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन परियोजना	प्रतिवर्ष 335 मीटरी टन यूरेनियम ऑक्साइड की गुटिकाओं का उत्पादन करने के लिए।
2.	नई जरकालॉय संविरचन परियोजना -	46 मीटरी टन जरकालॉय ईंधन ट्यूबों और संघटकों का उत्पादन करने के लिए।
3.	नई यूरेनियम ईंधन समुच्चयन परियोजना	300 मीटरी टन परिष्कृत ईंधन बंडलों का उत्पादन करने के लिए।

आशा है कि उपर्युक्त परियोजनाएं 1995-96 तक चालू हो जाएंगी। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के पास इस समय विविधता लाने संबंधी किसी कार्यक्रम की कोई योजना नहीं है।

(ग) वर्तमान विस्तार कार्यक्रम की अनुमानित लागत 355 करोड़ रूपए है। 1994-95 के दौरान उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 68 करोड़ रूपए के बजट आंबटन की मांग की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) तथा (छ) जी, हां। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र अपने ट्यूब संयंत्रों का उपयोग करने के लिए फिलहाल निजी कम्पनियों से बातचीत कर रहा है। इससे संबंधित ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

5071. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अधिकांश राज्यों ने संयुक्त उद्यम में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या डी ई पी ए की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी;

(घ) विशेषज्ञ रिपोर्ट में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था; और

(ङ) किन-किन राज्यों में परियोजनाएं स्थापित किए जाने का विचार है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय द्वारा 600 मेगावाट की

स्थापना का लक्ष्य लगभग 1000 लघु पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों अथवा निजी क्षेत्र को शामिल करके स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) लघु पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और संसाधनों में संवृद्धि करने के उद्देश्य से संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां बनाने की धारणा की विभिन्न राज्यों द्वारा जांच की जा रही है। तथापि, यह निवेश संबंधी परिवेश और राज्य सरकारों की समग्र नीतियों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा न तो ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है और न ही इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(ङ) इन परियोजनाओं को संभाव्यता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल और महाराष्ट्र में लघु उद्योग

5072. श्री टी०जे० अंजलोज :

प्रो० राम कापसे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय केरल और महाराष्ट्र में कार्यरत लघु उद्योगों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इनमें से अनेक एकक बंद हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों में उत्पादन शुरु करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्यमंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं। किन्तु विकास आयुक्त लघु उद्योग कार्यालय ने लघु उद्योग विकास संगठन के कार्यक्षेत्र में आने वाले और केरल तथा महाराष्ट्र राज्यों सहित 31.3.1988 तक भिन्न-भिन्न राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत लघु औद्योगिक की अखिल भारतीय गणना की है।

(ख) केरल और महाराष्ट्र, राज्यों के लिए पंजीकृत लघु एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के निष्कर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान केरल और महाराष्ट्र में बंद एककों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों से पता चलता है कि विभिन्न कारणों से 15 वर्ष अर्थात् 1.1.1973 से 31.3.1988 की अवधि के

दौरान केरल और महाराष्ट्र राज्यों में बंद एककों और पता न लगाए जा सकने वाले एकक क्रमशः 11,830 और 13,894 थे।

(ङ) जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनरूज्जीवन के लिए राज्य स्तर की अन्तर संस्थागत समिति और राज्य स्तर की पुनर्स्थापना समिति के जरिये नियमित आधार पर उपाय किए जा रहे हैं। जीव्यक्षम रुग्ण एककों को पुनरूज्जीवित करने के लिए बैंक भी नियमित आधार पर इनकी मदद करते हैं।

विवरण

केरल और महाराष्ट्र राज्यों में पंजीकृत लघु उद्योगों के महत्वपूर्ण मानदण्ड

...	केरल	महाराष्ट्र
1.31.3.88 को पंजीकृत एकक और दोनों में शामिल	38030	50589
2.कार्यशील एकक	25717	29973
3.कार्य कर रहे एकक जिनके आंकड़ों की तालिका बनाई गई	25717	29856
4.रोजगार (संख्या)	169309	355900
5.अचल निवेश (लाख रूपए)	38751	126025
6.पी एंड एम में निवेश (लाख रूपए) (मूल मूल्य)	21120	89475
7.उत्पादन (1987-88) (लाख रूपए में)	113691	751179
8.क्षमता (लाख रूपए में)	266738	1007008
9.क्षमता उपयोग	43%	74.6%
10.ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एकक	70%	20.33%
11.शहरी क्षेत्रों में स्थित एकक	30%	41.22%
12.फैक्ट अधिनियम के अधीन पंजीकृत एकक	16%	17.89%
13.निर्मित आरक्षित मदों की संख्या	290	573

स्रोत : लघु उद्योगों की दूसरी अखिल भारतीय गणना।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनाएं

5073. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

डा० के०वी०आर० चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत अब तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनाएं शुरु करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब तक शुरु हो जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रलाय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राज्य सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत 35756.85 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है जिन पर 15832.41 लाख रूपए खर्च आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विलम्बित परियोजनाओं को बन्द करना

5074. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों की पांच वर्ष से अधिक समय से विलम्बित परियोजनाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(घ) इस समय यह रिपोर्ट किस अवस्था में है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पांच वर्ष से अधिक समय से विलम्बित परियोजनाओं को बंद करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योग

5075. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुटीर उद्योग का विकास बहुत धीमा और निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) रोज़गार के अधिक अवसर जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने देश के कुछ चुने हुए जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास हेतु भी एक योजना चालू की गयी है।

[अनुवाद]

कश्मीर में सैनिक चौकियों पर आतंकवादियों के हमले

5076. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 9 जनवरी, 1994 को राज्य के पुलवामा जिले में सैनिक चौकी पर पहला बड़ा आक्रमण किया जिसमें 9 सैनिक कर्मचारी मारे गए तथा कुछ अन्य घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी मौतें हुईं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 09 जनवरी, 1994 को उग्रवादियों ने श्रीनगर हवाई क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में 6.7 किलोमीटर की दूरी पर बसे जटूरा गांव (पुलवामा जिला) में स्थित वायुसेना स्टेशन, श्रीनगर में दूरसूचक (यंत्रावतरण तंत्र) में बनी रक्षा सुरक्षा कोर की चौकी पर कब्ज़ा कर लिया। जांच करने पर यह पता लगा है कि 3 सिविलियन कंटीले तारों से घिरे क्षेत्र में आ गए और वहां स्थित चौकी पर तैनात सैन्य इंजीनियरी सेवा के एक कर्मचारी को लगभग 10-15 मिनट के लिए बातों में लगाए रखा। उसके बाद वे सैन्य कुटीर (हट) की तरफ चले गए और उन्होंने वहां तैनात कार्मिकों पर अपने हथियारों से हमला कर दिया। उग्रवादियों द्वारा किए गए इस हमले में रक्षा सुरक्षा कोर के नौ कार्मिक मारे गए और सैन्य इंजीनियरी सेवा के एक कर्मचारी घायल हो गया।

(ग) इस घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में दूर-दूर बनी चौकियों पर अतिरिक्त सशस्त्र गार्ड तैनात कर दिए गए हैं।

उर्वरकों का उत्पादन

5077. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ख) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) आठवीं योजना के अंत तक प्रतिवर्ष उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य तथा अब तक प्राप्त वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(लाख टन में)

न्यूट्रियेंट	आठवीं योजना के लिए लक्ष्य 1996-97	वास्तविक उत्पादन 1991-92	1992-93	1993-94
नाइट्रांजनी	98.0	73.01	74.30	72.74
		(74.5)	(75.8)	(74.2)
फास्फेटिक	30.0	25.6	23.06	18.10
		(85.4)	(76.9)	(60.3)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े आठवीं योजना के लिए लक्ष्यों के सन्दर्भ में प्रतिशतता को सूचित करते हैं।)

(ख) सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र में निवेश की गयी पूंजीगत राशि 15000 करोड़ रूपए है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में 3000 करोड़ रूपए और निवेश किये जाने की संभावना है।

प्रमुख वादी के रूप में सरकार

5078. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार न्यायालयों में प्रमुख वादी है;

(ख) यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों में ऐसे कुल कितने मुकद्दमें लंबित पड़े हैं जिनमें सरकार/राज्य सरकार या कोई सरकारी निकाय एक पार्टी है; और

(ग) सरकार ऐसी स्थिति से बचने तथा ऐसी मुकद्दमेबाजी को न्यायालय के बाहर ही निपटाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) बकाया मामलों की संख्या का ऐसा कोई अभिलेख केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंभव शीघ्र निपटन के लिए उपायों और साधनों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने विवादियों द्वारा वैकल्पिक विवाद

के निपटारे की वांछनीयता का लाभ उठाने पर बल दिया जो प्रक्रियात्मक रूप में सुगम्य है, मूल्यवान समय और धन की बचत करती है और जिससे पारम्परिक विचारण के भार से बचा जा सकता है। उन्होंने विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत आन्दोलन को देश भर में शीघ्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में यथाविद्यमान समझौता न्यायालयों की पद्धति की प्रशंसा की। उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों द्वारा प्रभावी शिकायत सेल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि समस्याओं का न्यायालयों और अभिकरणों में विवादों के रूप में पहुंचने से पूर्व ही समाधान किया जा सके। ये सिफारिशें सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विदेशी धन

5079. **श्रीमती डी०के० भण्डारी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उपक्रमों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशी बाजार से धन जुटाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के क्षेत्र-वार नाम क्या हैं तथा प्रत्येक उपक्रम ने कितनी-कितनी धनराशि जुटायी है; और

(ग) इसका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्य खादी बोर्डों को अनुदान

5080. **श्री रामनिहोर राय :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान, राज्यवार, कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने महिलाओं द्वारा उद्योग लगाने की कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के लिए भिन्न-भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित राशि मंजूर की गई है :-

(अनुदान लाख रूपए में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	--	26.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	7.87
3.	असम	9.46	6.67
4.	बिहार	1.56	20.95
5	गोआ	--	0.68
6.	गुजरात	14.35	36.59
7.	हरियाणा	--	5.99
8.	हिमाचल प्रदेश	--	9.57
9.	जम्मू व कश्मीर	--	3.08
10.	कर्नाटक	1.11	11.08
11.	केरल	1.10	20.40
12.	मध्य प्रदेश	1.59	14.02
13.	महाराष्ट्र	1.54	56.72
14.	मणिपुर	2.96	33.18
15.	मेघालय	--	8.34
16.	मिजोरम	0.95	52.44
17.	नागालैण्ड	0.46	27.21
18.	उड़ीसा	--	51.86
19.	पंजाब	--	4.73
20.	राजस्थान	5.47	7.58
21.	सिक्किम	4.06	22.00
22.	तमिलनाडु	4.74	35.95
23.	त्रिपुरा	3.74	11.66

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	--	63.12
25.	पश्चिम बंगाल	12.94	53.87
26.	अंडमान एवं निकोबार	2.90	18.32
27.	चंडीगढ़	--	--
28.	दादरा एवं नगर हवेली	--	--
29.	दिल्ली	--	0.06
30.	दमन एंव दीव	--	--
31.	लक्ष्यद्वीप	--	10.97
32.	पांडिचेरी	--	0.80

(ख) और (ग) जी, नहीं। किन्तु यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पन्न कुल रोज़गार में महिलाओं का भाग 46 प्रतिशत है। खादी और खाद्य और दाल प्रसंस्करण, मसाला पिसाई, पापड़ बनाना, अखाद्य तिलहन एकत्र करना, गोंद और रेसिन एकत्र करना, चिकित्सा उद्देश्यों के लिए पौधों को एकत्र करना, फाइबर, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण तथा परिरक्षण, बांस और बैंत कार्य, अगरबत्ती और माचिस इत्यादि जैसे ग्रामोद्योगों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। 1987 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन के पश्चात् महिलाओं के लिए उपयुक्त उद्योगों को शामिल किए जाने से महिलाओं के लिए हिस्सेदारी के और ज्यादा रास्ते खुल गए हैं।

पुर्नवास नीति

5081. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी योजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए परिवारों की कठिनाइयों का स्थायी समाधान करने के लिए पुनर्वास नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) नीति अभी तैयार की जा रही है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) व (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण आरंभ करना

5082. प्रो० प्रेम धूमल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कई विद्यालयों में जुलाई 1993 से राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण सुविधा इस बीच किन-किन विद्यालयों में आरंभ किया गया है; और

(ग) शेष विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण कब तक आरंभ किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई वित्तीय वचनबद्धताओं के आधार पर राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकलापों का विस्तार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में, लगभग 40 महाविद्यालय और 200 विद्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकलाप के अन्तर्गत आते हैं। 7 महाविद्यालयों और 31 विद्यालयों में, राष्ट्रीय कैडेट कोर शुरु करने के लिए, राज्य सरकार की वित्तीय सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

मलिन बस्तियों के मकानों के संबंध में स्वामित्व अधिकार

5083. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की मलिन बस्तियों के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को 1984 में स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए थे;

(ख) उक्त फ्लैटों की कीमत आंकने के लिए किन नियमों और प्रक्रिया का पालन किया गया;

(ग) क्या सरकार को इन फ्लैटों की कीमतों के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया के नियमों में अब संशोधन कर दिया है;

(ङ) क्या मकानों के सभी तलों की दरें समान हैं तथा भूतल स्थित फ्लैटों के मालिकों ने भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्ज़ा कर लिया है और उसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी तलों की अलग-अलग कीमतें निर्धारित करने का है; और

(छ) उक्त मकानों में से सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किये गये उन स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में सरकार की नीति क्या है जो खाली हो गए हैं/बिक गये हैं अथवा जिन्हें कर्मचारियों ने सेवा निवृत्ति के बाद भी अभी खाली नहीं किया है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1984 के आदेशों के अनुसार, स्लम टेनामेंटों की समापन लागत वार्षिक किफायती अपुन्नप्ति शुल्क को 20 गुणा की दर से तय की जानी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग के अनुसार, विद्यमान नीति के अनुसार सभी तलों की दरें एक समान हैं। जहां तक सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और भूतल के फ्लैटों के मालिकों द्वारा फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने का सम्बन्ध है, उनका पता लगते ही नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(च) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(छ) दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने बताया है कि इस समय, एम स्टाफ सदस्यों को मालिकाना अधिकार देने की कोई नीति नहीं है जिन्हें निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टरों के रूप में स्लम क्वार्टरों का आबंटन किया गया था।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र

5084. श्री अंकुश राव टोपे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान लघु क्षेत्र में उत्पादन और रोज़गार में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) रोज़गार और उत्पादन में असंतोषजनक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) 1994-95 के केन्द्रीय बजट से लघु उद्योगों के लिए किस प्रकार प्रभावित/लाभान्वित होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) लघु उद्योगों ने उत्पादन और रोज़गार के क्षेत्र में विकास बनाये रखा। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादन और रोज़गार के क्षेत्र में की गई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	उत्पादन		रोज़गार	
	उपलब्धि (करोड़ रूपए)*	विकास दर (%)	उपलब्धि (लाख संख्या)	विकास दर (%)
1991-92	160000	3.1	129.80	5.8
1992-93	168960	5.6	134.06	3.2
1993-94	179100	5.9	139.38	4.0
	(पूर्वानुमानित)		(अनन्तिम अनुमान)	

*1990-91 के मूल्यों पर

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उत्पादन और रोज़गार दोनों ही बढ़ते रहे हैं।

(ग) बजट 1994-95 में सामान्य लघु उद्योग छूट योजना (अधिसूचना) सं०1/93-सी ई) के अधीन लघु उद्योगों को कई रियायतें/छूट दी गयी हैं

1. लघु उद्योग लाभ के दावे हेतु उद्योग निदेशक के पास पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी

2. लघु उद्योग एककों को यह विकल्प दिया गया है कि वे रियायती दर पर उत्पाद शुल्क देने की बजाय पूरा उत्पाद शुल्क देकर अपने उपयोग में आने वाली निविष्टियों पर मॉडवेट का लाभ प्राप्त करें और पूरे उत्पाद शुल्क का फायदा उपभोक्ता को दिला दें; और

3. लघु उद्योग योजना नयी वस्तुओं पर लागू कर दी गयी है जैसे कि बिना ब्रांड के पान मसाले, बिना ब्रांड का खाने का तंबाकू, जिल्दसाजी का कपड़ा, विनिर्दिष्ट लौह और इस्पात उत्पाद, विनिर्दिष्ट ताम्र उत्पाद आदि।

बजट में बिजली की सहायता के बगैर बने साबुन, छातों, रेजिन और थिनर आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गयी है। लघु उद्योग एककों ने इसका विरोध किया है किन्तु यह संभावना भी है कि इससे लघु उद्योगों को तुलनात्मक लाभ होगा क्योंकि अब इस प्रकार की वस्तुएं बनाने वाले बड़े एककों को उत्पाद शुल्क देना पड़ेगा जबकि लघु एककों को या तो उत्पादन शुल्क से पूरी छूट मिलेगी या एक वर्ष में 75 लाख रूपये तक की निकासी पर आंशिक रियायत मिलेगी। अतः उत्पादन शुल्क परिवर्तनों का लघु उद्योग क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि एक वस्तु पर पूर्ण उत्पाद शुल्क छूट से अति लघु और लघु उद्योग एककों को प्रतियोगिता में फायदा नहीं मिलता। यह इसलिए होता है, क्योंकि उत्पाद शुल्क छूट का लाभ बड़े एककों को भी उनके अधिक उत्पादन पर मिलता ही है। दूसरी ओर छोटे एककों की अपेक्षा बड़े एककों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने से छोटे एककों को फायदा होता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में केन्द्रीकृत लेखा प्रणाली

5085. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयकृत लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन पर ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर समिति और यावेजा समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) परामर्शक समिति, अर्थात् मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर एंड कंपनी को मुख्यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण में डबल एंट्री एकाउंटिंग सिस्टम शुरु करने के लिए नियुक्त किया गया था। जोनल स्तर पर मुख्य इंजीनियरों की अध्यक्षता में सेंट्रल एकाउंटिंग सिस्टम शुरु करना समिति की एक सिफारिश थी। तदनुसार, दिल्ली

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से फरवरी, 1988 में रोहिणी जोन में सेंट्रल एकाउंटिंग सिस्टम शुरु की गई। यह पद्धति शुरु करने का उद्देश्य कार्यपालक इंजीनियर को बही खातों, रोकड़ बही तथा अन्य वित्तीय रिटर्नों के रख-रखाव के कार्यभार से मुक्त रखने का था ताकि बेहतर कार्य गुणवत्ता का उद्देश्य पाने हेतु वे अपने कार्यक्षेत्र पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर सकें। प्रणाली के किफायती और कारगर पाये जाने से उसे जुलाई, 1988 में दक्षिण पूर्व जोन और दक्षिण पश्चिम जोनों में सर्किल स्तर पर लागू किया गया। जून, 1990 में यह पद्धति द्वारका परियोजना में भी लागू की गई। जिन जोनों/सर्किलों में ये पद्धति लागू है, वहां उसका संतोषप्रद कार्य है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

इफको और कृभको द्वारा समझौता ज्ञापन

5087. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इफको" और "कृभको" ने अपने उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस की आपूर्ति हेतु ईरान के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तय की गयी गैस की कीमत उर्वरकों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों में किये गये अन्य समझौतों की तुलना में उचित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : केशम द्वीप (ईरान) में संयुक्त उद्यम के आधार पर पारस्परिक सहयोग से गैस पर आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये ईरान की केशम मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के साथ इफको और कृभको ने 6 मार्च 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। परियोजना मानदण्डों के बारे में केवल प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुआ है।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योग

5088. डा० परशुराम गंगवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास नए उद्योगों के पंजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्र सरकार के स्तर पर नये उद्योगों के पंजीकरण की योजना नयी औद्योगिक नीति, 1991 के बाद समाप्त कर दी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

छोटे/लघु पनविद्युत परियोजनाएं

5089. डा० ए०के० पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गुजरात में छोटे/लघु पनविद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक से कितनी राशि प्राप्त की गई तथा इस राज्य को कितनी राशि दी जा रही है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात राज्य में 3 मेगावाट क्षमता तक की लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन

5090. श्री के० प्रधानी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के अन्त तक सीमेंट उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमेंट उद्योग विकास परिषद् ने सरकार को अनुमानित मांग और इस उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). योजना आयोग ने 1996-97 के अंत तक 76 मिलियन टन सीमेंट की मांग का अनुमान किया है। सीमेंट उद्योग की विकास परिषद् इस लक्ष्य से प्रायः सहमत है और सुझाव दिया है कि सीमेंट उद्योग का 1996-97 तक करीब 77 मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य होना चाहिए।

उक्त विकास परिषद् ने उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाये हैं जैसे

कि कोयला/लिग्नाइट का पर्याप्त आवंटन, कोयला की गुणवत्ता में सुधार, कोयले का आयात, सीमेंट/कोयला ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों की आपूर्ति में सुधार, बिजली की आपूर्ति में सुधार, दानेदार स्लैग, फ्लाई एश, जिपसम तथा अन्य निविष्टियों की आपूर्ति में वृद्धि, सीमेंट/क्लिंकर के निर्यात के लिए अतिरिक्त सुविधाएं एवं प्रोत्साहन, बाजार विकास के लिए सड़कों, कनालों और भवनों में कंक्रीट का अधिक इस्तेमाल तथा ऊर्जा तथा प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षण के लिए संयंत्र व उपकरण लगाने के लिए सहायता व प्रोत्साहन देना शामिल हैं।

डीज़ल इंजन के लिए नारियल के तेल का उपयोग

5091. श्री रमेश चेन्निसला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पावर डीज़ल इंजन के लिए शुद्ध नारियल के तेल के उपयोग की प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारत में भी इस तरह का अनुसंधान कार्य कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) इस बात की जानकारी नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पावर डीज़ल इंजन के लिए नारियल के तेल को आज़माया है। तथापि, फिलिपींस में डीज़ल इंजनों में ईंधन के तौर पर नारियल के तेल से प्रयोग किये गये हैं। प्रत्येक स्थिति में नारियल के तेल का लगभग वैसा ही प्रदर्शन रहेगा जैसा कि बहुत सारे वनस्पति तेलों जैसे - रेपसीड तेल, सोयाबीन तेल तथा ताड़ के तेल, जिन पर कई देशों में डीज़ल इंजनों के लिए विकल्प ईंधन के रूप में खोज किये जा रहे हैं, का रहता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि नारियल का तेल हमारे देश में एक खाद्य तेल है, अतः इसे इंजन के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना सस्ता न होगा। हमारे देश के लिए बेहतर विकल्प अखाद्य तेल जैसे - करंजी तेल, सालबीज तेल, जबरीफा तेल इत्यादि होंगे। खास तौर पर जबरीफा तेल की उपज अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है, अतः यह इस उद्देश्य के लिए अधिक आकर्षक है। भारत में इस विषय पर कतिपय अनुसंधान गतिविधियां आई०आई०टी०, मद्रास तथा आइ०आई०एस०सी०, बंगलौर में चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

अनुसंधान एवं विकास एकक

5092. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों/एककों की संख्या कितनी है;

(ख) इन एककों को ऋण तथा अनुदान किन शर्तों पर दिये जाते हैं; तथा उनके अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित एकक वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ये अनुसंधान तथा विकास केन्द्र/एकक आधुनिक यंत्रों का आयात करते हैं और इस आयात का गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक कम्पनियों के घरेलू अनुसंधान एवं विकास यूनिटों की संख्या 31 मार्च, 1994 को 1237 थी। इसके अतिरिक्त, डी एस आई आर द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त 480 गैर व्यवसायिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एस आई आर ओ एस) हैं।

(ख) उद्योग अथवा एस आई आर ओ एस के किसी घरेलू अनुसंधान एवं विकास यूनिटों को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया जाता। आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके उन्नयन तथा घरेलू प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए उद्योग के साथ अब तक किए गए करारों/समझौता ज्ञापनों में सामान्यतः सम्मिलित निबंधन एवं शर्त निम्नांकित हैं:

1. संबंधित औद्योगिक कंपनी और डी एस आई आर दोनों के द्वारा परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार परियोजनाओं का आनुपातिक संयुक्त वित्त प्रबंध

2. परियोजना के दौरान उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर एन आर डी सी (डी एस आई आर की ओर से) और उस परियोजना में सहयोगी पार्टियों का संयुक्त स्वामित्व होगा।

3. डी एस आई आर के पक्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आर डी सी) को औद्योगिक कंपनी द्वारा व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ होने से निर्धारित अवधि के लिए समस्त रॉयल्टी का भुगतान।

4. एन आर डी सी द्वारा परियोजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी को अन्य कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने पर एन आर डी सी द्वारा ऐसे लाइसेंसीकरण से अर्जित आय को एन आर डी सी विकास परियोजना में सलग्न कपनी तथा परियोजना में संलग्न अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसे सी एस आई आर या अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला के बीच बांटा जाएगा।

II. उद्योग और एस आई आर ओ एस के मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा किए गए अनुसधान के क्षेत्र, अनुसंधान और विकास के कार्य और उपलब्धियों को "घरेलू अनुसंधान और विकास केन्द्रों का सार" और "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों का स्वरूप" के रूप में प्रकाशित किया जाता है। डी एस आई आर के इन प्रकाशनों के वाल्यूम संसद के पुस्तकालय में रखे जाते हैं।

(ग) मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास केन्द्रों/एककों और एस आई आर ओ एस द्वारा जिन देशों से आधुनिक मशीनों और उपस्करों का आयात किया जाता है वे हैं : जर्मनी, जापान, यू एस ए, यू के, स्विटजरलैंड। पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान और विकास के लिए आयात किए गए कुछ उपस्कर हैं : एटॉमिक एब्जार्पशन

स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज़्मा एमीशन स्पेक्ट्रोमीटर; जीएल-एलसी-एमएस मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर; लीक्विड क्रोमेटोग्राफस, ईएनए इलेक्ट्रोफॉरेसिस सिस्टम इत्यादि।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

5093. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोक को कब तक हटाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). समूह ''घ'' पदों की भर्ती पर रोक के कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए गए हैं तथापि वित्त मंत्रालय ने एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि से आस्थगित अथवा भरे न गए पदों को न भरने के बारे में मितव्ययता संबंधी अनुदेश जारी किए हैं।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

5094. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की मेगावाट में क्षमता कितनी है और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(ङ) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ). योजना आयोग ने रामगढ़, राजस्थान में क्रमशः अगस्त, 1984 तथा मई, 1993 में 3.94 करोड़ रूपए तथा 120. 83 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 3 मेगावाट तथा 35.5 मेगावाट क्षमता वाली दो गैस टर्बाइन परियोजनाओं हेतु निवेश मंजूरी प्रदान की है। दोनों यूनिटों को वर्ष 1994-95 में आरम्भ किया जाना नियत है।

विद्युत मंत्रालय ने योजना आयोग से निवेश अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश में राज्य परियोजना के रूप में किसी गैस टर्बाइन परियोजना की सिफारिश नहीं की हैं।

[अनुवाद]

बिहार में विदेशी निवेश

5095. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में उद्योग लगाने के लिए विदेशी निवेश के कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें क्षेत्र-वार और उप-क्षेत्रवार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वीकृत प्रस्तावों में कुल कितना निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 1991 और 1992 के दौरान बिहार में विदेशी पूंजी निवेश वाले उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे नहीं रखे गए हैं। फिर भी, 1993 के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों के ब्यौरे जैसे कि भारतीय कंपनी का नाम, विदेश सहयोगकर्ता का नाम, विनिर्माण की मद तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) 1991, 1992 और 1993 के दौरान, क्रमशः 534.11 करोड़ रूपए, 3887554 करोड़ रूपये और 8859.33 करोड़ रूपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन किया गया है।

[हिन्दी]

योजनागत व्यय

5096. श्री एन०जे० राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 हेतु कुल कितने योजनागत व्यय की मंजूरी दी गई थी;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 की वार्षिक योजना में राज्य सरकार का कितना योगदान था; और

(ग) 1992-93 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात के लिए 1992-93 में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 1875 करोड़ रूपए तथा 1993-94 में 2137 करोड़ रूपए था।

(ख) 1992-93 में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय में राज्य सरकार का योगदान 1124.79 करोड़ रूपए तथा 1993-94 में 1358.13 करोड़ रूपए था।

(ग) वार्षिक योजना 1992-93 के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों पर राज्य सरकार का वास्तविक व्यय 1939.75 करोड़ रूपए था।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5097. श्री उद्धव बर्मन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रुग्ण हो रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में शामिल कृतिक बल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों में से केवल एक औद्योगिक उद्यम अर्थात् नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि० रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार रुग्ण हो गया है। इसका पंजीकृत कार्यालय नागालैण्ड राज्य में स्थित है और 31.3.1992 तक की स्थिति के अनुसार जिस अवधि तक सूचना उपलब्ध है, पूंजी तथा ऋण के रूप में कुल निवेश 119.85 करोड़ रूपए था। 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार इसके कर्मचारियों की संख्या 1182 थी।

(ग) पुनर्जीवन/पुनर्स्थापन पैकेज के निर्माण के लिए रुग्ण उद्यम का औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के साथ पंजीकृत किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में गबन

5098. श्री राम विलास पासवान : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्वी जोन में 45 करोड़ रूपए के गबन से जुड़े कार्य के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और उस पर कार्य किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में डी०डी०ए० के चेयरमैन की सिफारिशों पर भी कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो प्रमुख दोषी और इसमें शामिल अन्य लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : पूर्वी अंचल की 14 सीटीआई रिपोर्टों को अब तक की गई छानबीन के परिणामस्वरूप दो कार्यकारी इंजीनियरों के विरूद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से भारी शास्ति के आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। 104 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सी०टी०ई० (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) की गहन छानबीन रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व उनकी विस्तृत जांच करना आवश्यक है। तत्कालीन मुख्य इंजीनियर के मामले में डी०डी०ए० से कहा गया है कि उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण

की पड़ताल करें तथा बरती गई अनियमितताओं की सही संख्या बताने के लिए कहा गया है ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जा सकें।

रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों का उत्पादन

5099. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मात्रा और किस्मवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उर्वरकों/कीटनाशकों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) देश में अनेक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता है। 1990-91 से 1992-93 की अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अनुमानित उत्पादन जैसा कि मंत्रालय में उपलब्ध है, निम्नानुसार है :-

		उत्पादन	('000 मी० टन)
	1990-91	1991-92	1992-93
1. उर्वरक	22,221.2	23,308.0	22,712.8
2. कीटनाशक	70.9	72.8	76.9

(ग) निर्यातों के ब्यौरे महानिदेशालय वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक सांख्यिकी में दिये गये हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही, जहां अपेक्षित हो, स्वीकृत उत्पादन योजना के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में नाईट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, विजयपुर के विस्तार तथा मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, मद्रास के पुनर्वास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

औषधियों को पेटेन्ट करना

5100. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ फार्मास्युटिकल्स फर्में पेटेन्टों के पंजीकरण में तेजी से जुटी हुई हैं जैसा कि 30 मार्च, 1994 के ''इकॉनोमिक टाइम्स'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार पेटेन्ट करने का, भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र बलों हेतु वाहनों की खरीद

5101. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के तीनों अंगों के लिए कतिपय सामान्य मदों की व्यवस्था करने का दायित्व स्थल सेना का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय वाहनों की खरीद इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है;

(ग) यदि हां, तो क्या गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वायु सेना और जल सेना ने कुछ खरीद स्वयं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई है तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नौसेना ने अपने लिए स्वतंत्र रूप से कोई वाहन नहीं खरीदा है। तथापित वायुसेना ने अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन की कम खपत वाले विभिन्न किस्म के कुछ वाहनों की खरीद की है।

(घ) वायुसेना मुख्यालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न किस्म के वाहनों की नीचे दिए अनुसार खरीद की है :-

वर्ष	खरीदे गए वाहनों की संख्या
1991-92	345
1992-93	228
1993-94	250

प्रत्येक खरीद रक्षा मांगकर्त्ताओं के मामले में यथा लागू पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदा के अंतर्गत की गई थी।

(ङ) सामान्य उपयोग के वाहनों की खरीद के लिए वायुसेना मुख्यालय को अधिकार सौंपने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

5102. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए कितने वार्षिक योजना (1994-95) परिव्यय की मांग की गई है और राज्यवार कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है;

(ख) इसके अंतर्गत कितनी औद्योगिक और कृषि विकास दर निर्धारित की गई है; और

(ग) इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). वार्षिक योजना 1994-95 के राज्यवार अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। औद्योगिक क्षेत्रकों खनन और उत्खनन और उत्पादन की वृद्धि दर 8.0 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93) के दौरान कृषि क्षेत्रकों के लिए समग्र रूप से समूचे देश में यह दर 3.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित्त की गई है।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95 - मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय-राज्य

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	राज्य	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2130.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	335.00
3.	असम	1051.00
4.	बिहार	2400.00
5.	गोआ	182.00
6.	गुजरात	*2240.00
7.	हरियाणा	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	950.00
10.	कर्नाटक	3275.00
11.	केरल	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2750.00
13.	महाराष्ट्र	4400.00
14.	मणिपुर	240.00
15.	मेघालय	281.00
16.	मिज़ोरम	207.66
17.	नागालैंड	220.00
18.	उड़ीसा	1951.00
19.	पंजाब	1450.00
20.	राजस्थान	2450.00
21.	सिक्किम	135.00
22.	तमिलनाडु	2750.00
23.	त्रिपुरा	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	4561.73
25.	पश्चिम बंगाल	1706.00

पवन ऊर्जा का उपयोग

5103. डा० के०वी०आर० चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा को उपयोग में लाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक लागू की गई योजनाओं और इन पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) तिरूमला (0.55 मेगावाट) पवन फार्म परियोजना आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की गई है और सरकार द्वारा इस परियोजना पर 65.89 लाख रूपये खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

समुद्री प्रदूषण

5104. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक किये गये अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) यूरोप और अमेरिका के साथ लगने वाले समुद्र क्षेत्र की तुलना में भारत के साथ लगने वाले समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है;

(घ) क्या किसी पश्चिमी देश ने अपने अपशिष्ट पदार्थ विशेषकर परमाणु अपशिष्ट का भंडारण भारत के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में करने का प्रयास किया है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि पश्चिमी देश अपना परमाणु अपशिष्ट भारत के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में न डालें?

उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम तथा पुरी जैसे प्रमुख कस्बों तथा शहरों के तटीय क्षेत्रों में सामान्य से गंभीर स्थानीय प्रदूषण समस्याएं पायी जाती हैं। इन क्षेत्रों में प्रदूषण समस्याएं तट क्षेत्रों तक ही सीमित हैं तथा अपतट जल स्वच्छ है। देश के अन्य भागों के तटीय जल या तो प्रदूषण से मुक्त हैं या प्रदूषण स्तर निर्धारित मानक सीमाओं के अन्तर्गत है।

(ग) बम्बई, मद्रास, कोचीन तथा विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख शहरों के तटीय जल के अलावा हमारी तट रेखा में प्रदूषण का स्तर यूरोप तथा अमेरिका के स्वच्छ समुद्र क्षेत्रों से तुलनीय है।

(घ) भारतीय तट रक्षक ने रिपोर्ट दी है कि नाभिकीय अपशेष को गिराने/छोड़ने के लिए हमारे समुद्र में किसी भी विदेशी जलयान ने घुसपैठ नहीं की है।

(ङ) भारतीय तट रक्षक किसी भी अपशेष को गिराने से रोकने के लिए हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर चौकसी एवं निगरानी रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

नेहरू रोज़गार योजना

5105. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में नेहरू रोज़गार योजना की कोई पुनरीक्षा की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) उड़ीसा में नेहरू रोज़गार योजना के कार्यान्वयन की आवधिक पुनरीक्षा दिल्ली में बैठकों

के माध्यम से तथा राज्य मुख्यालय में विचार-विमर्श द्वारा की जाती है, ताकि लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सके और उन पुनरीक्षाओं के दौरान ध्यान में आई कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके। गत 2 वर्षों के दौरान, ये पुनरीक्षा अगस्त 1992 और जनवरी 1994 में की गईं।

इलैक्ट्रॉनिक उद्योग

5106. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलैक्ट्रॉनिक उद्योग और इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनाए गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्पादन और निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के विकेन्द्रीकरण का बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वदेशी इलैक्ट्रॉनिक उद्योग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खतरे से बचाने के लिए इसे क्या सुरक्षा प्रदान की गई है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) जी, हां। आठवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार हैं :-

(i) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना : ये शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है। इसे निवेश आकृष्ट करने तथा इलैक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क : इस योजना का उद्देश्य कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि करना है।

(iii) उत्पादन लागत कम करने और इलैक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में कटौती।

(iv) मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (मापगुनि) : निर्यात बढ़ाने हेतु भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 21 प्रयोगशालाओं की श्रृंखला।

इसके अतिरिक्त नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए कई उपायों का भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग के उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है। इनमें स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट, उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी और सामरिक इलैक्ट्रॉनिकी के उप खण्डों को छोड़कर लाइसेंसिंग समाप्त करना, निर्यात-आयात नीति का उदारीकरण आदि शामिल हैं।

(ग) तथा (घ) जी, हां। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से, ''इलैक्ट्रॉनिकी से ग्रामीण रोज़गार'' नामक योजना बनाई है, इसके माध्यम से सरकार कम ब्याज पर कार्यशील पूंजी से ग्रामीण इलैक्ट्रॉनिकी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। यह पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामान्य लाभ के अतिरिक्त हैं।

(ङ) भारतीय इलैक्ट्रानिकी उद्योग को प्रर्याप्त आयात शुल्क के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो इस समय 20 प्रतिशत से 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त प्रतितुलिस शुल्क भी है। इसके अलावा कुछ संवेदनशील वस्तुएं आयात की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं।

औद्योगिक मंजूरी की स्वीकृति हेतु समिति

5107. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न औद्योगिक मंजूरियों की स्वीकृति और कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर आ रही समस्याओं की जांच करने और इनके शीघ्र निपटान के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निदेश पद क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जिस समिति का नेतृत्व गुजरात सरकार के मुख्य सचिव द्वारा किया जा रहा है उसमें हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु सरकारों तथा नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर के प्रतिनिधि हैं। समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :-

1. राज्य स्तर पर विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण।
2. राज्य स्तर पर अपेक्षित बहुत से अनुमोदनों हेतु एक फ़ॉर्मेट तय करना।
3. स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के निवेश को मानीटर करने हेतु फॉर्मेट।
4. औद्योगिक उद्यमों हेतु भूमि अधिग्रहण कानूनों और प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सुझाव देना।

कंपनियों की बिक्री संवर्धन योजनाएं

5108. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड जैसी कम्पनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने डीलरों को बिक्री संवर्धन योजनाओं का लाभ दे रही है परन्तु सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार और कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) आदि के मामले में ऐसा नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो अपने डीलरों को बिक्री संवर्धन योजनाओं का लाभ दे रही है परन्तु उक्त संस्थाओं को नहीं दे रही है;

(ग) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार यह जानते हुए भी कि उन्हें बिक्री संवर्धन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इन कंपनियों से वस्तुएं खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार, बाजार सर्वेक्षण और निगरानी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय दिखा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च हुई है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) व (ख) कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड सहित कुछ कम्पनियां अपने डीलरों को बिक्री संवर्धन योजनाओं का लाभ दे रही हैं। सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट भी इनमें से कुछ योजनाओं का फायदा पा रहे हैं। तथापि उन्हें ऐसी सभी कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं है जो इस प्रकार की योजनाएं चलाती हैं।

(ग) व (घ) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार सीधे ही कंपनियों से माल खरीदते हैं क्योंकि ऐसी कम्पनियों के उत्पादों की बिक्री की सम्भाव्यता है तथा उपभोक्ताओं द्वारा उनकी मांग की जाती है। जब कभी कंपनियां बिक्री संवर्धन योजना आरम्भ करती हैं, तो सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार कम्पनियों की स्वीकृति से ऐसी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तथा ऐसी योजनाओं से प्राप्त फायदों को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं।

(ङ) व (च) : केन्द्रीय भंडार बाजार की आसूचना तथा निगरानी पर कुछ भी व्यय नहीं कर रहा है। तथापि, सुपर बाजार इस उद्देश्य हेतु नियमित स्टाफ नियुक्त करता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	खर्च की गई राशि
1991-92	1.11 लाख रूपए
1992-93	1.24 लाख रूपए
1993-94	1.37 लाख रूपए

स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

5109. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विट्ज़रलैंड की कुछ कंपनियां लेमिनेटिड ट्यूबों जो मुख्यतः भारतीय टूथपेस्ट उद्योग में ही काम आएंगी, का उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने में इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मार्च, 1994 तक ऐसे संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). टॉयलेटरो अथवा सौन्दर्य प्रसाधन के सामान की पैकिंग और फल प्रसंस्करण तथा

भेषज उद्योगों के लिए लेमिनेटेड ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा नीति की घोषणा के बाद से लेकर मार्च, 1994 तक स्विस कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम संख्या	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद	विदेशी इक्विटी का % और राशि
1.	रास लेमिनेट्स लि०, बम्बई	प्रोपोक होल्डिंग ए जी, स्विट्ज़रलैंड	लेमिनेटिड ट्यूब्स	40% (18 करोड़ रूपए)

सरकारी क्षेत्र में सुधार

5110. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 में सरकारी क्षेत्र में सुधारों के लिये एक नयी कार्य योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य कुशलता में सुधार करने तथा कार्य-निष्पादन के संदर्भ में गुणवत्ता नियंत्रण पर अधिक बल दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में सुधार नई औद्योगिक नीति का एक भाग है जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विकासोन्मुखी और तकनीकी रूप से गतिशील बनाना है और जिनको लागू करना एक सतत प्रक्रिया है।

वेल्थ फ्राम वेस्ट

5111. श्री वी० देवराजन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वेल्थ फ्राम वेस्ट" विषय पर टाटा ऊर्जा अनुसंधान द्वारा आयोजित तथा ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा श्रीराम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सहयोग से प्रायोजित एक तीन दिवसीय शिविर का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनमें किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और क्या सुझाव दिए गए?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 21 मार्च से 23 मार्च, 1994 तक टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीटयूट, (टी०ई०आर०आई०) द्वारा "वेल्थ फ्राम वेस्ट" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) उक्त कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण के उपायों और अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में लिए निष्कर्षों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ''वेल्थ फ्राम वेस्ट'' विषय पर 21 से 23 मार्च, 1994 तक आयोजित की गई 3 दिवसीय कार्यशाला के निष्कर्ष।

1. देश में ऐसे पदार्थों से वैल्थ के उत्पादन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता मौजूद है जिन्हें वर्तमान समय में अपशिष्ट के रूप में माना जाता है।

2. यह माना गया कि अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन पर मुद्रण और इलैक्ट्रानिक जन प्रचार माध्यम तथा सार्वजनिक विचार विमर्शों से जन-जागृति लाई जाये। उपरोक्त उपायों के न होने पर पर्यावरणीय पतन के संभावित परिणामों के बारे में जन-सामान्य को सचेत किया जाना होगा।

3. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहले कदम के रूप में एक डाटा बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न अपशिष्टों के भौतिक-रासायनिक गुणधर्मी और प्रमुख प्रदूषकों पर विशेष बल देने के साथ ही स्वदेशी रूप से उपलब्ध या आयातित किए जाने वाले उनके शोधन विकल्पों पर सूचना संग्रहित की गई हों। इसे उद्योग, शैक्षिक, वित्तीय संस्थाओं और निधियन संगठनों तक फैलाए जाने की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक को एक विशेष कार्य दिया गया हो, इसे पहले-पहल देश में, फिर क्षेत्र में तथा तत्पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ऐसे सामान्य मंच उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

4. जबकि बड़े उद्योगों के पास स्वयं ही अपशिष्ट शोधन के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लघु उद्योगों को इस कार्य हेतु एक संघ (कनसोरिटियम) अथवा संग्रह निधि की स्थापना करनी चाहिए।

5. उन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य शुरु किया जाना चाहिए जहां पर कि देश में बहुत कम कार्य हुआ है जैसे तम्बाकू अपशिष्ट, औषध और पैट्रोलियम उद्योग।

6. क्या हो सकता है और वास्तव में क्या हो रहा है इस अन्तर को मिटाने के लिए पर्यावरण संबंधी कानून व्यावहारिक होने चाहिए। सरकार को राजकोषीय उपायों, नीतिगत पहल और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए।

''हंस'' विमान

5112. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में ''हंस'' विमान का स्वदेशी डिज़ाइन तैयार किया गया है और इसका परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस विमान की निर्माण लागत कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नेशनल एयरास्पेस लेबोरेटरीज़, बंगलौर, जोकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संघटक स्थापना है, ने ''हंस'' वायुयान का

डिज़ाइन तैयार किया तथा उसका परीक्षण किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार हंस वायुयान के आदिरूप ने नवंबर, 1993 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के साथ हुए समझौते के तहत "हंस" वायुयान का निर्माण निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा किया जाएगा।

रद्दी कागज़ का आयात

5113. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री एस०बी० सिदनाल :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितना रद्दी कागज़ एकत्र किया जाता है;

(ख) उद्योगों द्वारा इस तरह का कितना कागज़ फिर से उपयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या फिर से उपयोग में लाने के लिए भारत 20,000 टन रद्दी कागज़ का आयात करता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने रद्दी कागज़ का आयात किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय हुई;

(ङ) इस आयात के क्या कारण हैं;

(च) किन देशों से इसका आयात हो रहा है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) देश में एकत्र की गई रद्दी कागज़ की मात्रा का अनुमान 8 से 8.5 लाख मी० टन प्रतिवर्ष लगाया गया है। इसमें से लगभग 7 लाख मी० टन रद्दी कागज़ का इस्तेमाल कागज और गत्ता उद्योग द्वारा रिसाइक्लिंग के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रद्दी कागज़ का आयात इस प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन)	मूल्य (करोड़ रूपए में)
1990-91	3.85	146.85
1991-92	2.27	106.64
1992-93	2.52	136.24

(ङ) उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए रद्दी कागज़ की स्वदेशी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। अतः रद्दी कागज के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बेहतर किस्म के कागज़ के उत्पादन के लिए रद्दी कागज़ के उच्च ग्रेड की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(च) रद्दी कागज़ का आयात मुख्यतः इन देशों से किया जा रहा है: यू०एस०ए०, स्वीडन, कनाडा, रुस, नीदरलैंड, सिंगापुर, सउदी अरब, यू०ए०ई०, कत्तार और ताइपेइ इत्यादि।

(छ) और (ज) : जी, नहीं। लकड़ी के कच्चे माल की कमी और वनों का संरक्षण करने के कारण सरकार कागज़ और गत्ते के निर्माण के लिए रद्दी कागज़ सहित अपरम्परागत कच्चे माल के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

5114. श्री छीतूभाई गामीत :

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1980 से वर्षवार कितना पूंजी निवेश हुआ; और

(घ) पूंजी निवेश में कमी होने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1980-81 की कीमतों पर कृषि में सकल निवेश, जोकि वर्ष 1980-81 में 4636 करोड़ रूपए था, 1986-87 में गिरकर 4015 करोड़ रूपये हो गया तथा बाद में, 1992-93 में बढ़कर 4567 करोड़ रूपये हो गया।

(ग) वर्ष 1980 से कृषि में निवेश के वर्षवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस प्रवृत्ति का प्रमुख कारण छठी तथा सातवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश की गति में कमी है।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	कृषि में सकल पूंजी निर्माण: चालू कीमतों पर	कृषि में सकल पूंजी निर्माण: सतत् कीमतों पर
1980-81	4636	4636
1981-82	5104	4499
1982-83	5715	4575
1983-84	5615	4097
1984-85	6475	4551

1985-86	7037	4322
1986-87	7079	4015
1987-88	8446	4418
1988-89	9120	4349
1989-90	10086	4355
1990-91	11674	4595
1991-92पी	13338	4581
1992-93+	15633	4567

पी - अनंतिम

+ तुरत अनुमान

[अनुवाद]

मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाया जाना

5115. शिव लाल नागजीभाई वेकारिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो कितना कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) मतदाता सूचियों से कितने व्यक्तियों के नाम हटाए जा चुके हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सभी राज्यों (सिवाय जम्मू-कश्मीर) और संघ राज्य क्षेत्रों में 1.1.1994 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण करते समय, विदेशी राष्ट्रिकों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष गणना प्रक्रिया वाली एक स्कीम का पालन किया गया था। तत्पश्चात् 1.1.1994 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया गया था। मार्च-अप्रैल, 1994 में यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (असम, त्रिपुरा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र) में पूरा कर लिया गया है। तथापि, जम्मू-कश्मीर राज्य में नामावलियों के पुनरीक्षण का आदेश नहीं दिया गया है।

(ग) गहन पुनरीक्षण की दशा में निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से तैयार किया जाता है। अतः किसी पूर्ववर्ती निर्वाचक नामावली के संदर्भ में नामों के हटाए जाने संबंधी जानकारी नहीं रखी जाती है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय नीति

5116. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करने हेतु योजना अयोग के सदस्य की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5117. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई गरीबी उन्मूलन योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने कोई गरीबी उन्मूलन स्कीम प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोज़गार आश्वासन स्कीम जैसी केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूल स्कीमें राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल विकास निगम द्वारा निवेश

5118. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार के स्वामित्व वाली संस्था "राष्ट्रमंडल विकास निगम" का उद्‌देश्य भारत में निवेश करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है और इनमें कितनी धनराशि का निवेश करने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जुलाई 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति ने यू०के० निवेशकों सहित अनेक देशों के विदेशी निवेशकों में काफी रुचि उत्पन्न की है। नीति की घोषणा के बाद सरकार ने एक मद्रास आधारित कंपनी में 18.77 प्रतिशत तक, जो 380.00 लाख रूपए बनता है, राष्ट्रमंडल विकास निगम द्वारा इक्विटी निवेश करने की अनुमति दी है। यह भारत में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल भराई योजना

5119. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री बलराज पासी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में भूमिगत जल भराई संबंधी योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना फिलहाल किस स्थिति में है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को कब तक स्वीकृति प्राप्त कर दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

5120. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कई सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के मामले दर्ज किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने मामलों का अब तक निपटान किया गया है; और

(घ) कितने मामलों में आरोप सिद्ध हो चुके हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक कार्यकलापों के आरोपों के 3045 मामले दर्ज किये। दर्ज मामलों तथा इनमें लिप्त लोकसेवकों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	मामलों की संख्या	लिप्त लोक सेवकों की संख्या
1991	1002	2544
1992	1035	2223
1993	1008	1920
कुल :	3045	6687

(ग) उपर्युक्त 3045 मामलों में से 2204 मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है।

(घ) 2204 मामलों में से, 2099 मामलों आरोप सिद्ध हो गए हैं।

परमाणु विद्युत परियोजना

5121. श्री आर० अन्बारासु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कुडानकुलम में प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजना किस स्थिति में है;

(ख) क्या पूर्व सोवियत संघ से सहायता नहीं मिलने के कारण इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) 2×1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली प्रस्तावित कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना पहले के सोवियत संघ और भारत के बीच नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतःसरकारी करार की शर्तों के आधार पर कार्यान्वित की जानी थी। पहले के सोवियत संघ में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, रूसी परिसंघ के साथ जनवरी, 1993, दिसम्बर 1993 और फरवरी, 1994 में इस संभाव्यता का पता लगाने के लिए बातचीत की गई कि क्या इस परियोजना को इसके आर्थिक तथा वाणिज्यिक पहलुओं जोकि 1988 के अंतःसरकारी करार पर हस्ताक्षर करने के बाद से बदल गए हैं, का नए सिरे से मूल्यांकन करने के बाद कार्यान्वित किया जा सकता है। इस संबंध में आगे बातचीत करने की भी योजना बनाई गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन रूसी परिसंघ के साथ की जा रही बातचीत से निकले परिणामों पर निर्भर करेगा।

डी०डी०ए० में प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा निवेश

5122. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 1994 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''डी०डी०ए० रोप्स इन प्राइवेट बिल्डर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गैर सरकारी भवन-निर्माताओं को गृह निर्माण क्षेत्र के बदले वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण का कार्य दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की गृह निर्माण परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वाणिज्यिक तथा आवास क्षेत्र समेकित आयोजना कार्य हैं। इसलिए, आवास क्षेत्र तथा भूमि विकास को छोड़कर केवल वाणिज्यिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रयोगिक आधार पर कुछ स्थानीय विपणन केन्द्रों तथा सुविधा बाजारों को नीलाम करने का निर्णय लिया था।

(घ) : जी, हां। कुछ आवास स्कीमों को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

(ङ) आवास की शीघ्र निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

(1) विभिन्न स्तरों पर एजेंसियों में बेहतर आपसी समन्वय;

(2) भवन-निर्माण सामग्रियों पर बेहतर वस्तु सूची नियंत्रण;

(3) बेहतर परियोजना प्रबन्ध।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व

5123. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री छेदी पासवान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर पर नियुक्तियां पद विशेष के लिए प्रत्येक अभ्यार्थी की उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। 1.1.1993 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 18.55 प्रतिशत और 7.71 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित

5124. **डा० छत्रपाल सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में अस्थाई रूप से रह रहे महालेखा परीक्षक मध्य प्रदेश के कुछ कर्मचारी भी भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग ने इन कर्मचारियों का पंजीकरण करने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश से इन कर्मचारियों को मुआवजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). 6 लाख से अधिक दावे दायर किये गये हैं, और दावेदारों की कार्यालय-वार सूची नहीं रखी जा रही है। भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण और कार्यवाही) योजना, 1985 के अनुसार दावों के मामलों पर अधिनिर्णय लिया जा रहा है और मुआवजा दिया जा रहा है। भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के सभी पीड़ित मुआवजा पाने के पात्र हैं।

नेहरू रोज़गार योजना

5125. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नेहरू रोज़गार योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन में कुछ कमियां पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस अवधि के दौरान योजना पर कितना व्यय किया गया; और

(च) योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश में नेहरू रोज़गार योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा दिल्ली में बैठकों तथा राज्य मुख्यालय में विचार विमर्श के माध्यम से की जाती है ताकि लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सके तथा इन पुनरीक्षाओं के दौरान ध्यान में आयी कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए औपचारात्मक उपाय किये जा सकें। पिछली पुनरीक्षा जुलाई 1993 में की गई थी।

(ग) तथा (घ) पुनरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि निपटान में विलम्ब अथवा बैंकों आदि द्वारा ऋण आवेदकों की अधिक नामंजूरी जैसे कुछ कारणों से शहरी अर्बन माइक्रो इण्टरप्राइज़ेज़ स्कीम के तहत कार्य निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं था, इसके अलावा, सम्भवतः इस तथ्य के कारण कि राज्य सरकार भूमि

विकास पर निधियां खर्च करना चाहती थी, आवास तथा आश्रय उन्नयन स्कीम के तहत कोई प्रगति नहीं हुई चूंकि योजना के तहत यह अनुमत्य नहीं था, राज्य सरकार को आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने न तो गारंटी दी है और न ही स्वीकृति योजनाओं के लिए स्वीकृति के पश्चात् की औपचारिकताएं पूरी की हैं।

(ङ) राज्य सरकार ने बताया है कि इस योजना पर शुरु से 3783.49 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय की है।

(च) कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने आई कठिनाईयों को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एस०एल०बी०सी०) की आवधिक बैठकों के माध्यम से दूर किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ भी मामला उठाया जाता है। हाल ही में राज्य सरकारों से लाभग्राहियों की शिनाख्त के लिए बैंक प्रतिनिधि का सदस्य के रूप में शामिल करते हुए कार्यदल गठित करने के लिए कहा गया है ताकि ऋण आवेदनों पर सहज कार्रवाई तथा शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा

5126. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु बजट में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) गुजरात राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण० कुमार) : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए 170 करोड़ रूपये के परिव्यय का आबंटन किया गया है। इसके अलावा, वार्षिक योजना 1993-94 और 1994-95 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पिंग कार्यक्रम के लिए 56 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। सौर ऊर्जा हेतु आठवीं योजना के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं - उपयोगकर्त्ताओं और विनिर्माताओं को उदार ऋणों के रूप में राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन, कुछ विशिष्ट प्रणालियों के लिए उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक राजसहायता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बिक्री-कर की अदायगी से छूट, सीमा शुल्क के लिए रियायती दरें, आयकर में शत-प्रतिशत मूल्य ह्रास तथा उत्पाद विशिष्टियां शुरु करना, कार्य-निष्पादन मानक और बहु-संप्रेषण सूचना अभियान आदि के जरिए जागरूकता पैदा करना।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी, भी इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार के लिए उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को भी तेज किया जा रहा है।

[हिन्दी]

तटरक्षकों द्वारा तस्करी करके लाया गया सोना जब्त किया जाना

5127. डा० साक्षीजी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तटरक्षकों द्वारा कितने मूल्य का तस्करी करके लाया गया सोना पकड़ा गया है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(ग) समुद्र के मार्ग से सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तटरक्षक द्वारा वर्ष 1991, 1992 और 1993 में न तो तस्करी करके लाया गया सोना पकड़ा गया और न ही इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

(ग) तटरक्षक के पोत एवं वायुयान भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय समुद्री सीमा तथा भारत के अन्नय आर्थिक क्षेत्र में बराबर चौकसी बनाए रखते हैं। सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना विभाग के प्राधिकारियों द्वारा विशेष सूचना देने पर तटरक्षक के पोतों और वायुयानों को भी तैनात कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

5128. श्री एन० डेनिस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तमिलनाडु में मनवालाकुरुचि कन्याकुमारी जिले में स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स मिनरल्स लिमिटेड में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में उत्पादन में गिरावट के क्या कारण थे; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के मानवलाकुरिचि संयंत्र में पिछले तीन वर्षों में हुआ खनिजों का उत्पादन निम्नानुसार है :-

उत्पाद वर्ष	1993-94	1992-93	1991-92
	(मीटरी टन)	(मीटरी टन)	(मीटरी टन)
इल्मेनाइट	66,783	76,665	82,002
मोनाजाइट	5,321	4,790	4,813
जर्कन	4,435	5,114	6,204
रूटाइल	1,408	1,750	2,250
गार्नेट	2,486	2,109	1,080
अन्य (जर्कन आक्साईड/ फ्रिट आदि)	230	350	175

(ख) कुछ मामलों में उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण कच्ची बालू की अपेक्षित मात्रा का उपलब्ध न होना था क्योंकि कंपनी स्थानीय लोगों द्वारा किए गए एतराजों की वजह से पर्याप्त खनन क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं कर सकी थी। खनिजों के पृथक्करण की क्षमता पर असर डालने वाली खारे पानी की स्थितियों, बिजली की उपलब्धता की समस्याओं ने भी उत्पादन को प्रभावित किया।

(ग) स्थानीय लोगों द्वारा किए गए एतराजों के कारण उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। बिजली की सप्लाई संबंधी समस्या को दूर करने के लिए स्थैतिक जनित्र लगाए जाते हैं।

[हिन्दी]

राज्यों का आर्थिक विकास

5129. श्रीमती दीपिका एस० टोपीवाला :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से इन राज्यों के आर्थिक विकास हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्य सरकारों ने कितनी सहायता की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन राज्य सरकारों को और अधिक वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) राज्यों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपनाए गए संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम आदि जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत भी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

बिहार में सेना चांदमारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

5130. श्री धर्मण्णा मोंड्डया सादुल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर, बिहार में सेना चांदमारी क्षेत्र के विकास हेतु अनेक गांवों की भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप इस क्षेत्र के आदिवासी आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और आन्दोलन कर रहे आदिवासियों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छोटा नागपुर, बिहार में चांदमारी क्षेत्र के विकास के लिए किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। तथापि, थलसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आंशिक अधिग्रहण करके/नेतरहाट चांदमारी क्षेत्र का विस्तार करके, जो 1956 से अधिसूचित क्षेत्र के रूप में विद्यमान है, चांदमारी क्षेत्र बनाने की व्यवहार्यता की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। वहां के कुछ वर्गों के लोगों ने इसके विरूद्ध अभ्यावेदन किया है। इस समय भूमि अधिग्रहण करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योग विहीन जिले

5131. श्री लाल बाबू राय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उद्योग विहीन जिलों के निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की है तथा उनके लिए क्या मानदण्ड तय किये हैं;

(ख) ऐसे जिलों को किस रूप में सहायता दी जाती है; और

(ग) सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश में राज्यःवार किन-किन उद्योग विहीन जिलों में उद्योग स्थापित किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना, 1979-80 के अनुसार जिन जिलों में कोई भी बड़ा या मझौला उद्योग स्थापित न हो उनको ''उद्योग रहित जिला'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने उद्योग रहित जिलों में मूलभूत विकास करने के लिए एक योजना चलाई थी जिसके तहत परियोजना लागत की एक-तिहाई राशि भारत सरकार देती थी।

1988 में नयी विकास केन्द्र योजना की शुरुआत किये जाने से ''उद्योग रहित जिला'' योजना को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

थार मरूस्थल का विकास

5132. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में थार मरूस्थल का विकास करने के लिए कोई योजनाएं शुरु की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा वित्त वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1977-78 में आरंभ किया गया मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) इस समय राजस्थान राज्य में 11 जिलों के 84 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनु, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों और पशुओं पर सूखे के विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करना, क्षेत्रों के मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करना और दीर्घकालीन अवधि में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना और उनका उपयोग करना है। इस कार्यक्रम के अधीन गतिविधियां हैं, वनरोपण, आश्रय स्थल बनाना, चरागाह विकास, मृदा और नमी संरक्षण और जल संसाधन विकास। मरूस्थल विकास कार्यक्रम के तहत क्षेत्र विकास को आयोजना और कार्यान्वयन की एक बुनियादी इकाई के रूप में माइक्रो-वाटरशेड अथवा इन्डैक्स कैचमेंट अथवा गांवों के एक समूह के आधार पर आरंभ किया जा रहा है। ऐसे ही उद्देश्यों वाले कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है और गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) मरूस्थल विकास कार्यक्रम हेतु राजस्थान राज्य के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों के कार्यक्रम में मरूस्थल विकास कार्यक्रम के लिए अनुमोदित कुल वार्षिक आबंटनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष 1994-95 के लिए डी०डी०पी० के तहत राजस्थान के अनंतिम आबंटन 64.50 करोड़ रूपए है।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम के अधीन सीमेंट कारखाने

5133. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम के अधीन सीमेंट के कारखानों और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कारखानों में उत्पादन संस्थापित क्षमता के अनुरूप होता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

इकाई का नाम	वार्षिक क्षमता (लाख मीट्रिक टन)
मांढर, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश	3.80
कुकुंटा, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक	1.98
बोकाजन, जिला कर्बी आंगलांग, असम	1.98
राजबन, जिला सुरमुर, हिमाचल प्रदेश	1.98
अकलतरा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश	4.00
चरखी-दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा	1.42
नयागांव, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश	4.00
येरागुंटला, जिला कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	4.00
आदिलाबाद, जिला आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश	4.00
तांदूर, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	10.00
दिल्ली ग्राईंडिंग यूनिट, दिल्ली	5.00
	42.16

(ख) और (ग) 42.16 मीट्रिक टन की कुल स्थपित क्षमता की तुलना में वर्ष 1991-92, 1992-93, (अनंतिम) तथा 1993-94 (अनंतिम) में सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 31.61 लाख मीट्रिक टन, 29.62 लाख मीट्रिक टन तथा 28.10 लाख मीट्रिक टन था। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः बिजली, कोयला व वैगनों संबंधी आधार-संरचनात्मक बाधाओं तथा सीमेंट बाज़ार में चल रही गिरावट की प्रवृति के कारण पड़ा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) घाटे के कारणों में, पुराने संयंत्र तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी, परियोजनाओं के समय व लागत में वृद्धि, स्थान व अवसंरचनात्मक बाध्यताएं, अंतर्वस्तु-लागतों में वृद्धि, क्षमता का ईष्टतम उपयोग न होना तथा सीमेंट उद्योग में चल रही मंदी शामिल हैं।

(च) निष्पादन में सुधार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

डी०डी०ए० फ्लैटों का "लाभ रहित तथा हानि रहित आधार" पर आबंटन

5134. श्री जनार्दन मिश्र : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को डी०डी०ए० फ्लैटों का "लाभ रहित तथा हानि रहित आधार" पर आबंटन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) डी०डी०ए० फ्लैट, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि आबंटी किसी विशेष श्रेणी से है, सभी पंजीकृत व्यक्तियों/आबंटियों को ''लाभ-हानि रहित'' आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

सहकारी समितियों को आबंटित भूमि का मूल्य

5135. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आवास समितियों, साधारण ग्राहकों तथा वैकल्पिक भूखंडों का दावा करने वालों से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए भूमि का अधिक मूल्य लिया जा रहा है;

(ख) प्राधिकरण द्वारा इसकी भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है तथा पिछली बार कब इसकी समीक्षा की गई थी;

(ग) किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा के दर और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के बीच कोई समानता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) डी०डी०ए० ने बताया है कि लागत का निर्धारण परियोजना अवधि में परियोजना को हुए लागत बट्टों और लाभ को ध्यान में रखकर ''लागत लाभ विश्लेषण'' के आधार पर किया जाता है। द्वारका फेज-1 में भूमि तथा फ्लैटों के बिक्री मूल्य निकालने में यह पद्धति 1992-93 से अपनायी जा रही है।

(ग) तथा (घ) भूमि की अधिग्रहण लागत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की वर्तमान अनुमोदित दरों पर तय की जाती है। अतिरिक्त मुआवजा एकदम पूर्व के 2-3 वर्षों में दी गयी प्रति वर्ग मीटर धनराशि के अनुपात के आधार पर निकाला जाता है। दिये गये मुआवजे के अलावा, प्राधिकरण द्वारा तय दरों में भूमि के विकास की लागत एक मुख्य घटक है। अतः मुआवजा भले ही भूमि क्रय लागत का मुख्य घटक हो, प्राधिकरण द्वारा तय दरें किसानों को दिये गये मुआवजे के बराबर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मुआवजा भूमि निपटान की लागत का मुख्य घटक है।

आयुध कारखानों का निजीकरण

5136. **श्री जी०एम०सी० बालयोगी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बतानी की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रक्षा आयुध कारखानों का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई विकास बैंक की सहायता से शहरी विकास परियोजना का कार्यान्वयन

5137. श्री जी० माडेगौड़ा :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से एशियाई विकास बैंक की सहायता से शहरी आधारभृत विकास परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम शुरु किए जाऐंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) तथा (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार शहरी अर्द्धसंरचना विकास के लिए एशियन डेवलपमेट बैंक (ए०डी०बी०) से सहायता लेने की इच्छुक है। इस बाबत ए०डी०बी० के तथा खोजी दल ने कर्नाटक का दौरा किया था और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। इस आधार पर, ए०डी०बी० द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान किये जाने की संभावना है ताकि कर्नाटक सरकार ए०डी०बी० को प्रस्तुत करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सके। ए.डी. बी. का तकनीकी सहायता कार्यक्रम कर्नाटक राज्य में ए०डी०बी० निवेशों को सहायता अध्ययन करने तक ही सीमित होगा। प्रस्तावित सम्भाव्य निवेश परियोजना के मुख्य घटक ये हैं - (क) बंगलौर-मैसूर एक्सप्रेस मार्ग (ख) बंगलौर के समान सुविधा-सम्पन्न नगरों के रूप में टुमकुर और रामानगरम्/चन्नापटना का समेकित विकास (ग) मैसूर का समेकित विकास, और (घ) संस्थागत विकास कार्यान्वयन सहायता/तकनीकी सहायता की अनुमानित लागत 646,000 अमरीकन डालर है जिसमें 404,000 डालर विदेशी मुद्रा लागत और 242,000 डालर स्थानीय मुद्रा लागत शामिल है। ए०डी०बी० विदेशी मुद्रा लागत और स्थानीय मुद्रा लागत के एक भाग की भी पूर्ति करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा स्थानीय पूरक स्टाफ, कार्यालय स्थल, स्थानीय परिवहन और सर्वेक्षण कार्य के वित्त पोषण के माध्यम से 46,000 डालर के बराबर (नकद अथवा वस्तु के रूप में) स्थानीय मुद्रा लागत की पूर्ति किये जाने की प्रत्याशा है। भारत सरकार, कर्नाटक सरकार तथा ए०डी०बी० ने एक तकनीकी सहायता करार पर फरवरी, 1994 में हस्ताक्षर किये हैं।

रेडियोधर्मी वेस्ट को समुद्र में गिराना

5138. प्रो० एम० कामसन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रेडियोधर्मी नाभिकीय वेस्ट को समुद्र में गिराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रेडियोधर्मी नाभिकीय वेस्ट को गिराने के लिए कोई विकल्प सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह प्रतिबंध विश्व के सभी देशों पर लागू होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) अपशिष्ट पदार्थों तथा अन्य सामग्रियों को फैंकने के कारण समुद्र में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इंटरनेशनल मेरिटाइम आर्गेनाइज़ेशन के 'अंतर्गतन "लंदन समझौते" के नाम से जाने जाने वाले समझौते के संविदाकारी पक्षों ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार सभी प्रकार के विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में फैंकना निषिद्ध किया गया है। यह निषेध फरवरी, 1994 से लागू हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने सदस्य-राज्यों को इस समझौते के बारे में बता दिया है।

(ग) से (ङ). अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण अपने "विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थ सुरक्षा मानदण्ड" कार्यक्रम के अन्तर्गत विकिरणसक्रीय अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के बारे में एक के बाद एक कई दस्तावेज जारी करेगा। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने सभी रूपों में विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित प्रबन्धन के लिए दिशानिर्देशों के रूप में काम में लाए जाने के लिए सुरक्षा श्रृंखला और तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला के रूप में कई दस्तावेज जारी किए हैं।

(च) तथा (छ) : लंदन समझौते के अन्तर्गत अब तक 71 संविदाकारी पक्ष हैं। जहां तक भारत का संबंध है, परमाणु ऊर्जा (विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित रूप से निपटान) नियम, 1987 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार लिए बिना भारत में विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का निपटान नहीं करेगा।

तैयार फार्मूलों का आयात

5139. श्री हरिन पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किन तैयार फार्मूलों का आयात कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक का कितनी मांत्रा में और कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक फार्मूले का कहां से आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक ने कितना विक्रय किया;

(घ) उनमें से प्रत्येक किस औषधि पर आधारित हैं;

(ङ) क्या इनमें से किसी औषधि का उत्पादन अपने देश में किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च). तैयार सूत्रयोगों का कंपनीवार और उत्पादवार आयात मानीटर नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

सैनिक वस्त्र फैक्ट्री, शाहजहांपुर

5140. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्ट्री शाहजहांपुर में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समय इस वस्त्र कारखाने द्वारा बनायी जा रही पतलूनों को निजी कंपनियों से बनवाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका कारखाने के श्रमिकों की उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर में पतलूनों, कम्बलों, दरियों, सामान गिराने वाले पैराशूट टैन्टों और गद्दों आदि का निर्माण किया जाता है।

(ख) और (ग) इस आयुध निर्माणी और अन्य आयुध निर्माणियों की निर्माण क्षमता से अधिक आर्डर प्राप्त होने की स्थिति में ही निजी अथवा अन्य निकायों को आर्डर दिए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

द्वारका में अर्जित भूमि का मूल्य

5141. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **शहरी विकास** मंत्री 9 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2333 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारिका में किस मूल्य पर और कब किसानों तथा अन्य लोगों से भूमि अर्जित की गई;

(ख) द्वारिका के फेज़ 1 और फेज़ 2 में अर्जित भूमि को सहकारी समूह आवास सोसाइटी द्वारिका को किस दर पर बेची गई;

(ग) भूमि की दरों पर लाभ कमाने का क्या कारण है;

(घ) प्रतिवर्ग मीटर विकास की लागत क्या है तथा किन-किन क्षेत्रों को उसमें शमिल किया जाएगा; और

(ङ) भूमि अर्जन और भूमि विकास की सोसाइटियों से ली जाने वाली लागत 1650.65 रूपये की गणना किस प्रकार की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०

थुंगन) : (क) द्वारिका परियोजना चरण-। के लिए भूमि समय-समय पर अधिग्रहीत की गयी थी। चरण-। में 1862 हेक्टेयर भूमि की कुल अधिग्रहण लागत 47.68 करोड़ रूपए थी अर्थात् 2. .51 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर औसत अधिग्रहण लागत थी। 1991-92 के दौरान 15.67 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की औसत मूल्य पर द्वारिका परियोजना चरण-।। के लिए 638 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी थी।

(ख) द्वारिका चरण-। में वर्ष 1992-93 के दौरान 1650.63 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आबंटित की गयी थी। द्वारिका चरण-।। में अभी तक कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) परियोजना समग्र रूप से स्थानवार अभिकल्पित की जाती है। अतः लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चरण-। के लिए कुल परियोजना क्षेत्र 1862 हेक्टेयर है इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i)	रिहायशी	498.070 हैक्टेयर
(ii)	रिहायशी, सहायक सुविधाएं	125.320 हैक्टेयर
(iii)	कुल जिला केन्द्र	33.690 हैक्टेयर
(iv)	कुल समुदाय केन्द्र	15.677 हैक्टेयर
(v)	कुल औद्योगिकीय	31.050 हैक्टेयर
(vi)	कुल सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक	185.710 हैक्टेयर
(vii)	अन्य	194.853 हैक्टेयर.
(viii)	और शेष बिक्री न करने योग्य क्षेत्र।	

विकास की लागत लगभग 700 करोड़ रूपए आंकी गयी है।

(ङ) 1992-93 के दौरान 1100.43 रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि की स्थानवार दर इस प्रकार तैयार की गयी है :-

(1) परियोजना के शुद्ध विक्रय क्षेत्र सभी वास्तविक और सम्भावित लागत और लाभ को वर्ष 1992-93 के लिए घटाते हुए।

(2) भूमि उपयोगों की विभिन्न श्रेणियों पर सब्सिडी और प्रीमियम को जोड़ना।

सहकारी समूह आवास समितियों के लिए भूमियों पर 1.5 का गुणक प्रीमियम है, जिससे ऐसी समितियों के लिए 1650.65 रूपए प्रति वर्गमीटर की आबंटन कीमत आयी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गणना में विस्तृत रूप से जांच की गयी है और सही पायी गयी है।

वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी द्वारा शुद्ध पेयजल की सप्लाई

5142. श्री पीटर जी० सरबनि आंग : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेघालय में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उपायों से शुद्ध पेयजल की सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मेघालय में उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है; और

(घ) वहां शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पेयजल सप्लाई के स्रोतों का पता वैज्ञानिक ढंग से स्रोत पता करने की तकनीकें अपनाकर, जिओफिज़िकल तथा जिओहाइड्रोलोजिकल सर्वेक्षण द्वारा तथा उपग्रह छायांकन आदि के द्वारा लगाया जाता है। पेयजल में अधिक लौह की समस्या को अधिक लौह को दूर करने के संयंत्रों की स्थापना करके अथवा वैकल्पिक स्वच्छ जल स्रोतों की मार्फत जल सप्लाई करके निपटाया जाता है। जल गुणवत्ता निगरानी के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं।

(ग) 1.3.1994 की स्थिति के अनुसार बिना पेयजल स्रोत वाले 185 समस्याग्रस्त गांवों में अभी स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(घ) उपरोक्त बिना पेयजल स्रोत वाले समस्याग्रस्त गांवों में 31.3.95 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है।

आपदा चेतावनी केन्द्र

5143. श्री बापू हरि चौरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में आपदा चेतावनी केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और आपदा चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनके लिए चयन किन-किन स्थानों का किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता, तकनीकी जानकारी और उपकरण अन्य देशों से लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) आपदा चेतावनी प्रणाली के 150 सैट जिन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं उनकी सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) जी, हां। 100 और स्थानों पर स्थपित करने का विचार है।

(ग) स्थानों का चयन का कार्य प्रगति पर है। ये भारत के तटीय राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण -I

आपदा चेतावनी केन्द्र के स्थानों की सूची

तमिलनाडु	मद्रास शहर	1. राज्य मुख्यालय
		2. नगरनिगम
		3. पुलिस वायरलैस
	जिला चेंगलपट्ट	4. थिरूपलाईवनम
		5. पुन्नेरी
		6. सायदापेट
		7. श्री पेरम्बरदुर
		8. कांजीपुरम
		9. चेंगलपट्ट
		10. मद्रास
		11. मदुरटकम
		12. कल्पाकम
	जिला साउथ अरकोट	13. इंडबनम
		14. माराकनम
		15. वेनूर
		16. कुडानोर
		17. नवेल्ली
		18. पोटोनोवो
		19. चिनदाबरग
	जिला तंजाबुर	20. तंजावूर
		21. पटटकोटाई
		22. अदिरामापटिटनम
		23. मल्लिपटिटनम
	जिला कुडेमिलेथ	24. सरकली
	(नागापटिटनम)	25. मयिलाद्धुराई

	26. पोरायपार
	27. नन्निम
	28. नागापटिटनम
	29. थिरूथुराईकूंडी
	30. वेदारनेअम
जिला कुड्डूकुडाई	31. कुड्डूकुडाई
	32. अरनथांगी
	33. मनामेंडकुडी
	34. अवुदायारकोली
जिला रामानाथपुरम्	35. थिरूस्नामे
	36. टोंडी
	37. परमाकुडी
	38. थिरूपला‸कद्डी
	39. रामानाथपुरम
	40. मुडुकूलाथर
	41. डपमकै
	42. रामेश्वरम
	43. सिक्कल
संघ राण्य पांडिचेरी	44 पांडिचेरी
	45. करडूकल
आकाशवाणी केन्द्र	46. आकाशवाणी तिरुचिल्लापल्ली
	47. आकाशवाणी तिरूनेलवेली
	48. आकाशवाणी नगरक्वा‸न
मानीटरिंग केन्द्र	49. आर सी मद्रास
	50. अर्थस्टेशन चिंगलपटटू
	51. मसीएफ हसन
	52. डीडीजीएम (डब्लयूएफ) पुणे
	53. उपग्रह मौसम विज्ञान केन्द्र, न दि

आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	1. राज्य मुख्यालय
	जिला पूर्वी गोदावरी	2. काकीनाडा
		3. मुमीदीवरम
		4. अमालापुरम
		5. साखीनेतीपल्ली
		6. रजोर
	जिला कृष्णा	7. कैकालूर
		8. मंडावली
		9. विजयवाड़ा
		10. पमारू
		11. बंटूमिली
		12. मोवा
		13. मछलीपत्तनम
		14. गोलापलम
		15. श्रीकाकुलम
		16. चल्लापल्ली
		17. कोडूरु
		18. अवानीगडडा
		19. नागायालका
	जिला गुंटूर	20. गुंटूर
		21. तेनाली
		22. रेपाली
		23. नागाराम
		24. निजामापत्तनम
		25. बापकला
	जिला प्रकाशम	26. चिराला
		27. वेटापलम

	28. चिन्नागजम
	29. अंगोल
	30. कोथापत्तनम
	31. सिंगारायाकोंडा
	32. कंड्कूरू
	33. पुलावापड्डु
जिला नैल्लोर	34. कावेली
	35. नैल्लोर
	36. डूंडीकरपेट
	37. मुट्टूकुरू
	38. गुड्डूर
	39. कोटा
	40. सुलेरपेट
	41. श्रीहरिकोटा
संघ राज्य पांडिचेरी	42. यनम
जिला श्रीकाकुलम	43. इच्छापुंरम
	44. श्रीकाकुलम
	45. तंकाली
	46. गारा
जिला विजयानगरम	47. भोगापुरम
	48. विजयानगरम
जिला विशाखापत्तनम	49. भिमूनीपत्तनम
जिला पश्चित गोदावरी	50. एल्लूरू
	51. नरसापुर
	52. भीमावरम
आकाशवाणी केन्द्र	53. आकाशवाणी हैदराबाद
	54. आकाशवाणी विशाखापत्तनम

		55. विजयवाड़ा
	मानीटरिंग केन्द्र	56. एम सी हैदराबाद
		57. सी डब्ल्यू सी विशाखापत्तनम
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता शहर	1. राज्य मुख्यालय
	जिला उत्तरी 24 परगना	2. हसनाबाद
		3. बसीरहाट
		4. हरोआ
	जिला दक्षिण 24 परगना	5. डायमंड हारबर
		6. काकद्वीप
		7. रदीघी
		8. केनिंग
		9. नामखाना
		10. जोयनगर
	जिला मिदनापुर	11. हल्दिया
		12. दीघा
		13. कांनटाई
	आकाशवाणी केन्द्र	14. आकाशवाणी कलकत्ता
	मानीटरिंग	15. आर सी कलकत्ता
ओड़िसा	जिला बालासोर	1. भोवराई
		2. वासुदेवपुर
		3. बलियापाल
		4. चांदबाली
		5. महाकालपारा
	जिला कटक	6. पराद्वीप
		7. धमरा
		8. राजनगर
		9. कटक (राजस्व बोर्ड)
		10. कृष्णा प्रसाद
		11. अस्तरंग
		12. पुरी
		13. भुवनेश्वर
	जिला गंजम	14. गोपालपुर

	आकाशवाणी केन्द्र	15. आकाशवाणी कटक
गुजरात	गांधी नगर	1. राज्य मुख्यालय
	जिला जामनगर	2. द्वारका
	जिला जूनागढ़	3. पोरबंदर
		4. वेरावल
	जिला अमरेली	5. महुआ
	जिला भावनगर	6. भावनगर
	जिला भेड्रूच	7. भेड्रूच
	जिला सूरत	8. सूरत
	मानीटरिंग केन्द्र	9. एस सी अहमदाबाद
		10. आर सी बम्बई

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत एम०आई०जी० आय फ्लैट

5144. डा० मुमताज अंसारी :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रमेश कुमार :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अभी तक कोई भी मध्य आय वर्गीय फ्लैट आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबीधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत मध्य आय वर्गीय फ्लैटों को आबंटन करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन फ्लैटों का आबंटन कब तक तथा किन-किन स्थानों पर किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). आबंटन का मामला न्यायाधीन है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत् एम०आई०जी० फ्लैटों का आबंटन उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। योजना के निबन्धनों तथा शर्तों में कालोनी की कोई पसन्द शामिल नहीं की गई है।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ृत्तिका प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

5145. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश में किसी मृत्तिका प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह संस्थान कब तक बन कर पूरा हो जायेगा?

ंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा ाहा) : (क)

(ख) इस संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- मृत्तिका सामग्रियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना।

- वाणिज्यिक उत्पादन से पहले प्रौद्योगिकी का प्रयोगशाला से मुख्य संयंत्र पैमाने तक उन्नयन करना।

- मृत्तिका उद्योगों को अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पादकता में सुधार करने के लिए, परामर्शी व इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कराना।

- भौतिक, रासायनिक, मैकेनिकल व इलैक्ट्रिकल विशेषताओं के लिए मृत्तिका सामग्रियों की जां तथा लक्षण बताने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को मृत्तिका सामग्रियों/उत्पादों के अलग-अलग पहलुओं पर प्रशिक्षण देना।

- भारतीय उद्योगों तथा अनुसंधान संगठनों को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी व अनुभव प्रेषित करना।

(ग) इस संस्थान की स्थापना संबंधी मुख्य कार्यकलाप मार्च, 1994 तक पूरे कर लिए गए हैं। बाकी के कार्यों को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। तथापि, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं तथा मुख्य संयंत्र सुविधाओं संबंधी कार्य अब चल रहे हैं।

जवाहर रोज़गार योजना की धनराशि

5146. श्री मोहन रावले :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा जवाहर रोज़गार योजना की निधि को गबन करने के बारे में उपयुक्त जांच पड़ताल कराने हेतु राज्य सरकारों की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी निगरानी व्यवस्था की राज्यवार उपलब्धि एवं परिणाम क्या रहा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान पंचायतों द्वारा जवाहर रोज़गार योजना की निधि के दुरुपयोग के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ड.) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) व (ख) जवाहर रोज़गार योजना की निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जवाहर रोज़गार योजना के मैनुअल में प्राप्त उपायों की वयवस्था है। तथापि जब ग्रामीण विकास मंत्रालय में जवाहर रोज़गार योजना की निधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इन्हें छानबीन तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने जवाहर रोज़गार योजना की निधियों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार पाये गए सरपंचों को निलम्बित किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने उन सरपंचों के विरूद्ध जिन्होंने जवाहर रोज़गार योजना की निधियों के उपयोग में अनियमितताएं बरती हैं, आपराधक मामले भी शुरू किए हैं।

जनवरी, 1994 से ग्रामीण विकास मंत्रालय में जवाहर रोज़गार योजना निधियां के दुरुपयोग/भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों की विशिष्ट निगरानी भी शुरू की है। अब राज्य सरकारों को तिमाही/वार्षिक आधार पर ऐसी शिकायतों का सार तथा इन पर की गई कार्रवाई की सूचना भेजनी जरूरी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को पंचायतों द्वारा जवाहर रोज़गार योजना की निधियों के दुरुपयोग के बारे में राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि वे स्वंय ही ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा बोर्ड

5147. श्री टी०जे० अंजलोज : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान नारियल जटा बोर्ड को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान इस आबंटन में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बोर्ड ने नारियल जटा उद्योग और इसमें कार्य करने वाले श्रमिकों की मदद के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 1993-94 के दौरान कॅयर बोर्ड को आबंटित की गयी राशि इस प्रकार है :-

कॅयर विकास के लिए योजनागत (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	50.00 लाख रुपए
योजनागत सामान्य (सहायता अनुदान)	520.00 लाख रुपए
योजनेत्तर (आवर्ती) सहायता अनुदान	125.00 लाख रुपए
कॅयर पर उपकर एकत्र करने के लिए भुगतान	1.00 लाख रुपए
योजनेत्तर ऋण	5.00 लाख रुपए
कुल :	701.00 लाख रुपए

(ख) और (ग) : जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार ने कॅयर बोर्ड को 705.00 लाख रुपए की कुल राशि का आबंटन किया है जबकि 1993-94 के दौरान 701.00 लाख रुपए की कुल राशि का आबंटन किया गया था। 1994-95 के दौरान कॅयर बोर्ड को आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि के ब्यौरे नीचे दिये गये है :

कॅयर विकास के लिए योजनागत (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	50.00 लाख रुपए
योजनागत सामान्य (सहायता अनुदान)	520.00 लाख रुपए
योजनेत्तर (आवर्ती) सहायता अनुदान	129.00 लाख रुपए
कॅयर पर उपकर एकत्र करने के लिए भुगतान	1.00 लाख रुपए
योजनेत्तर ऋण	5.00 लाख रुपए
कुल :	705.00 लाख रुपए

(घ) बोर्ड कॅयर कर्मचारियों और उद्योग की सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

बोर्ड मॉडल कॅयर ग्राम कार्यक्रम, चिकित्सा कार्यक्रम इत्यादि के जरिये कॅयर कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कॅयर कर्मचारियों को मकान, सैनेटरी शौचालय, धुम्ररहित चूल्हों, विश्राम कक्षों, पीने के पानी संबंधी योजनाओं इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1993-94 तक 80 कॅयर गांवों में 206.90 लाख रुपए की राशि जारी की गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा घोषित कॅयर कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के अधीन केरल को 100.00 लाख रुपए की राशि दी गई है। कॅयर बोर्ड निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है :-

(1) कॅयर कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना।

(2) आधुनिकीकरण योजना।

(3) करघा सैड योजना।

(4) केरल राज्य में एकीकृत कॅयर विकास कार्यक्रम।

(5) भूरा कॅयर विकास योजना।

(6) गुणवत्ता सुधार योजना।

(7) प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास योजना।

(8) सहकारीकरण योजना।

(9) विपणन विकास और निर्यात योजना।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का वार्षिक लक्ष्य

5148. श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से 200 मेगावाट विद्युत के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है; और

(ग) 1994-95 के वित्त वर्ष के लिए निर्धारित परिव्यय क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 140 मेगावाट है।

(ख) अपेक्षित कुल निवेश लगभग 500 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय को 54 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। अतिरिक्त संसाधन संस्थागत वित्त-पोषण, विदेशी सहायता और निजी निवेश के जरिए जुटाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, मनीपाल

5149. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपाल में हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड का एक एकक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) इस एकक में अब तक मदवार कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसकी कीमत क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस एकक में भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :(क) से

(ङ). जी, नहीं। हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) ने मनीपाल में कोई एकक स्थापित नहीं किया है। सम्भवतः इस प्रश्न का संबंध इम्फाल में एच०ए०एल० और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जा रही संयुक्त क्षेत्र की सूत्रयोग निर्माण कंपनी, मणिपुर राज्य औषध और भेषज लिमिटेड (एम०एस०डी०पी०एल०), इम्फाल से है। एम०एस०डी०पी०एल० परियोजना अवस्था में है जिसकी अनुमानित लागत 250 लाख रुपए है। वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। इस विभाग को इस एकक में भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

चंडीगढ़ में पट्टा भूमि को पूर्णस्वामित्व भूमि के रुप में परिवर्तित करना

5150. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास** मंत्री 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2421 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में पट्टा भूमि सम्पत्ति प्रणाली को पूर्णस्वामित्व वाली भूमि में परिवर्तित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा पट्टा भूमि प्रणाली को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन); (क) और (ख). चंडीगढ़ में लीज़ होल्ड परिसम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने के तरीके निकाले गए हैं लेकिन उससे उत्पन्न कुछ कानूनी प्रावधानों की विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से जांच करनी होगी।

वैज्ञानिकों की मांगें

5151. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं ने 10 जनवरी, 1994 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 10.1.1994 के ज्ञापन की एक प्रति इस विभाग को अलग से प्राप्त हुई है।

(ख) मुख्य मांगों का संबंध, अनुसंधान वैज्ञानिकों तथा रिसर्च फेलोज़ को उनके अपने-अपने संस्थानों का वैसा नियमित कर्मचारी स्वीकारा जाना व उचित बेरोज़गारी भत्ता मिलता हो, अनुसंधान का अनुभव रखने वाले पी०एच०डी० डिग्री धारियों के लिए उचित नौकरी की व्यवस्था तथा यू०जी०सी०/सी०एस०आई०आर० के राष्ट्रीय टेस्टों को क्वालिफाई करने वालों के लिए नौकरी की गारंटी, से है।

(ग) सरकार वैज्ञानिकों की मांगों पर उचित तरीके से विचार कर रही है।

छावनी प्रशासन

5152. श्री एस०एम० लाल जान बाशा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न छावनियों में प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छावनियों में सैनिक एवं असैनिक क्षेत्रों के स्पष्ट सीमांकन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छावनी अधिनियम, 1924, के खंड 43 क के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके छावनी के सिविल क्षेत्रों की घोषणा करती है। तथापि, छावनी अधिनियम, 1924 में सैनिक तथा असैनिक क्षेत्रों के सीमांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निरीक्षण

5153. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निरीक्षण कितनी-कितनी अवधि में किया जाता है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों और रेडियोधर्मी सामग्री का प्रयोग करने वाले औद्योगिक तथा चिकित्सा केन्द्रों के निरीक्षण की बारम्बारता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) आजकल प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के कार्मिकों की विकिरणात्मक संरक्षा का और संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाली विकिरणसक्रियता का लगातार मानीटरन स्वास्थ्य भौतिक प्रभाग के यूनिटों द्वारा किया जा रहा है। ये यूनिट नाभिकीय विद्युत संयंत्र के प्रबंधक-वर्ग से स्वतंत्र होते हैं। विद्युत संयंत्रों से बाहर स्थित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं पर्यावरण से लिए गए नमूनों में विकिरणसक्रियता की सांद्रता का लगातार मापन कर रही हैं। स्वास्थ्य भौतिक यूनिटों और पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्टों की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निरन्तर की जा रही है।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने "नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय" की स्थापना 1 जनवरी, 1994 को परमाणु विद्युत संयंत्रों और विकिरणसक्रिय सामग्रियों को काम में लाने वाले औद्योगिक तथा चिकित्सा केन्द्रों के निरीक्षण और सम्बद्ध कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए की है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से विद्युत संयंत्रों और अन्य विकिरण संस्थापनाओं के घोषित और आकस्मिक दोनों प्रकार के निरीक्षण करेगा। नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए आजकल प्रत्येक प्रकार की संस्थापना की पूर्ण

रूप से संरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा कर रहा है। अपने गठन के समय से अब तक नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय ने स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विशेषज्ञों की सहायता से 20 औद्योगिक विकिरणी-चित्रण स्थलों में आकस्मिक निरीक्षण किए हैं।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

5154. श्री राम निहोर राय :

श्री धर्मभिक्षम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी-कितनी है और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचति जनजातियों के और अधिक न्यायाधीश मनोनीत करने का है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने से संबंधित मामले की भारत संघ द्वारा आल इंडिया जजिज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में फाइल की गई पुनरीक्षण अर्जी में उच्चतम न्यायालय द्वारा 24.8.93 को दिए गए निर्णय के आधार पर, भारत सरकार द्वारा संवीक्षा की जा रही है।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य राज्य संवैधानिक प्राधिकारियों से निरंतर यह अनुरोध किया जा रहा है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए नामों की सिफारिश करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। 6.4.1994 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 518 स्वीकृत पदों में से 83 स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद रिक्त थे, और उच्चतम न्यायालय में 6.4.1994 को न्यायाधीशों के 26 स्वीकृत पदों में से पांच पद रिक्त थे।

[हिन्दी]

भूखण्डों पर कब्जा करना

5155. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1994 के जनसत्ता में भू-खंडों का कब्जा करने से संबंधित प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करायी है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां

(ख) तथा (ग) डा० मुकर्जी नगर में प्लाट संख्या 1161 के आबंटन के संबंध में प्रारंभिक जांच करवाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वयं प्रथमतः पाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों द्वारा एक प्रापर्टी डीलर की सांठ-गांठ से उक्त प्लाट का कब्जा छद्म नाम से दिया गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। पुलिस में एक फौजदारी मामला भी दर्ज कर दिया गया है।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन

5156. श्री अंकुश राव रावसाहिब टोपे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1991-92 की तुलना में 1993-94 (तिमाही कर) के दौरान आवश्यक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं, माध्यमिक वस्तुओं, उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी और उपभोक्ताओं के लिए गैर-उपयोगी वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन के विकास दर सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रुप से पूंजीगत उद्योगों में विकास की कम दर के क्या कारण हैं; और

(ग) कम विकास दर वाले क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सामान्यतया औद्योगिक क्षेत्र का तथा विशेषतया पूंजीगत माल उद्योगों का कार्यनिष्पादन आम तौर पर मांग संबंधी बाधाओं, कठोर ऋण नीति तथा 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन के संकट को ध्यान में रखकर अपनाये गए स्थिरिकरण उपायों के अल्पकालिक प्रभावों से प्रभावित हुआ था। पूंजीगत माल क्षेत्र भी अब तक साधारण पू. निवेश के कारण प्रभावित हुआ था।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्यो.. नीति में किए गए नीतिगत उपायों, व्यापार नीति और बाद के बजटों में घोषित सहायक राजकोषीय तथा वित्तीय उपायों सब का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन की विकास की गति को तेज करना है। पूंजीगत माल पर मोडवेट लागू होने तथा पूंजीगत माल के आयात पर काउन्टरविलिंग ड्यूटी लागू होने से भी स्वदेशी पूंजीगत माल निर्माणकारी उद्योग को सहायता मिलेगी।

विवरण

३. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तिमाहीवार विकास दरें-उपयोग आधारित वर्गीकरण

प्रतिशत

क्र. सं.	क्षेत्र		1991-92 तिमाही				1992-93 तिमाही				1993-94 तिमाही		
			अप्रैल जून	जुलाई -सितंबर	अक्तूबर -दिसंबर	जनवरी -मार्च	अप्रैल -जून	जुलाई -सितंबर	अक्तूबर -दिसंबर	जनवरी -मार्च	अप्रैल जून	जुलाई -सितंबर	अक्तूबर -दिसंबर
1.	2.	३.	.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	मूल वस्तुएं	39.42	4.2	6.1	9.2	6.2	5.5	2.8	1.8	4.1	2.7	3.9	3.1
2.	पूंजीगत वस्तुएं	16.43	-17.4	-5.8	-12.2	-3.4	10.8	6.8	7.4	-17.8	-9.3	-10.0	1.1
3.	मध्यवर्ती वस्तुएं	20.51	-1.2	-0.8	-2.1	-1.7	5.3	1.6	6.8	-1.3	8.1	14.6	8.4
4.	उपभोक्ता सामान	23.65	-0.6	-4.8	-2.5	-0.3	0.1	-0.7	1.9	-0.1	-3.2	6.2	4.1
	(1) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	2 55	-7.5	-14.4	-15.0	-6.2	-0.7	-7.1	6.1	-2.3	6.2	20.6	14.2
	(2) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	21.10	1.1	-1.0	0.7	1.2	0.3	1.0	1.0	0.4	-5.3	2.8	1.7
	संपूर्ण उद्योग	100.00	-2.3	0.2	0.0	1.6	5.2	2.7	4.1	-3.3	0.2	3.4	3.6

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

5157. श्री श्रीकांत जैना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षापायों के अंतर्गत रखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कम की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें क्या अड़चनें हैं?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सरकार ने तारापुर परमाणु बिजलीघर में नाभिकीय सामग्री पर सुरक्षोपाय लागू करने के लिए स्वैच्छिक पेशकश की है। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ, सुरक्षोपायों संबंधी एक द्विपक्षीय करार 1.3.1994 से लागू हो गया है।

(ख) तथा (ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर में नाभिकीय सामग्री पर सुरक्षोपायों को लागू करने के लिए भारत सरकार की स्वैच्छिक पेशकश विश्वास बनाने के एक उपाय के रुप में की गई थी।

सुरक्षोपायों संबंधी करार के अनुसार, जो 1.3.1994 से लागू हुआ है, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण तारापुर परमाणु बिजलीघर में सुरक्षोपायों के संबंध में अपने निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखेगा कि सुरक्षोपायों संबंधी करार के अन्तर्गत दी गई सामग्रियों को केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही काम में लाया जाता है।

भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग करने के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों से बकाया राशि की वसूली

5158. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी यात्रा के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग करने वाले तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों से पिछली बकाया राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बकाया राशि अभी वसूल नहीं की गई है। भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के गैर-सरकारी दौरों से संबंधित बिल प्रधान मंत्री कार्यालय को सम्बद्ध एजेंसियों के साथ कार्रवाई करने हेतु भेज दिए गए थे। प्रधान मंत्री कार्यालय को बकाया राशि की वसूली करने के लिए नियमित रुप से स्मरण कराया जाता है।

[हिन्दी]

सीमेंट अनुसंधान संस्थान

5159. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किये गये सीमेंट अनुसंधान संस्थानों का स्थान वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संस्थानों को कितना कितना ऋण और अनुदान दिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बड़े क्षेत्र के सीमेंट एककों में आन्तरिक परीक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं हैं। सीमेंट अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, नई दिल्ली के नाम से बल्लभगढ़ (हरियाणा), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु) और पटना (बिहार) में एकक हैं।

(ख) एन०सी०वी०एम० को कोई ऋण नहीं दिया गया है। तथापि, एन०सी०बी०एम० को निम्नलिखित राशि अनुदान सहायता के रुप में दी गयी है।

		योजनागत (लाख रुपए में)	योजनेत्तर (लाख रुपए में)
1991-92		-	
1992-93		30.00	-
1993-94		27.00	195.00
	योग :	57.00	195.00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन०सी०बी०एम० द्वारा प्राप्त की गयी मुख्य उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

मुख्य उपलब्धियां

1991-92

1. सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर भंडारों की राष्ट्रीय सूची का अद्यतन किया और चूना पत्थर के भंडारों को देखते हुए ग्रीन फील्ड सीमेंट परियोजनाओं के लिए संभावित स्थानों का पता लगाया।

2. एन०सी०बी० द्वारा विकसित रिपोर्ट सैंसिंग कीज का अनुसरण करते हुए देश के पश्चिमी भाग में वन रहित क्षेत्रों में चूना पत्थर के लगभग 250 मिलियन मी० टन के निर्णायक भंडारों का पता लगाया।

3. एन०सी०बी० द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए 3-डी मॉडलिंग के लिए एक मिलियन मी० टन की सीमेंट परियोजना के चूना पत्थर भंडारों की भूगर्भीय खोज के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 20 वर्ष के कार्य के लिए तथा विस्तृत खनन योजनाएं तथा गुणात्मक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई गई थीं।

4. एक ओपन कास्ट चूना पत्थर खनन उद्यम तथा एक सीमेंट परियोजना आरंभ करने के लिए किसी क्षेत्र के "भूमि उपयोग प्रतिमान" तैयार करने हेतु बन (फ्लोश) वाटर बाडीज़ डिग्रेडिड भूमि आदि जैसे शिथिल पर्यावरणीय मानदण्डों का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट सैंसिंग कीज का विकास किया।

5. विभिन्न विस्फोटक मानदण्ड बनाने और इसके फलस्वरुप पर्यावरण पर प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास किया।

6. एन०सी०बी० की वर्टिकल शॉफ्ट भट्टी प्रौद्योगिकी (सी०आर०आई०एम०वी०एस०के०) पर 200 टी०पी०डी० का पहला अति लघु सीमेंट संयंत्र आरंभ किया गया और 4 और सी०आर०आई० एम०वी०एस० के सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने में सहायता उपलब्ध करायी।

7. सी०आर०आई० एम०वी०एस० के किल्न सैक्शन के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया।

8. सीमेंट संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के प्रचालन के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी मानदण्ड तैयार किए।

9. सीमेंट संयंत्रों में कच्चा माल मिश्रण के ऑफ-लाइन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास किया।

10. यूनिडो विपना द्वारा प्रायोजित एक अनुबंध में मैसर्स लिंबयान सीमेंट कंपनी, बेरघाजी, लिबिया की सात भाट्ठियों की एलाइनमैंट और शैल ओवेलिटी का मूल्यांकन किया और उनके अनुरक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

11. चल ऊर्जा नैदानिक एकक (ऊर्जा बस) के प्रयोग से 7 बड़े सीमेंट संयंत्रों में ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन किए और प्रत्येक संयंत्र में ऊर्जा खपत कम करने की संभावनाओं का पता लगाया।

12. भट्ठी एलाइनमैंट तथा ओविटी मूल्यांकन के क्षेत्र में 2 सीमेंट संयंत्रों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी।

13. भट्ठी के कुशल प्रचालन और रॉ मिल व सीमेंट मिल के प्रचालन के लिए विशेषज्ञ प्रणाली विकसित की।

14. वाणिज्यिक तथा औद्योगिक किस्म के भवनों सहित अनेक भवनों में आपदा संबंधी जांच की और इन भवनों को ठीक स्थिति में रखने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया।

15. 680 टी०पी०डी० के एक नम प्रक्रिया सीमेंट संयंत्र पर उत्पादकता वृद्धि संबंधी अध्ययन किए जिसके कारण क्षमता उपयोग में वृद्धि सहित उत्पादकता के सभी कारकों में सुधार हुआ।

16. फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माणकारी एककों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी।

17. ग्लास्ट लोडिंग के अधीन स्टील फाइबर्स रिइनफोर्स्ड कंक्रीट के मूल्यांकन पर रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त कार्यक्रम का अध्ययन किया।

18. एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए सी०आर०आई० नान-श्रिंक कंक्रीट तैयार किया व आपूर्ति की जिससे टरबाइन एककों की कारगर की पुनःस्थापना में सहायता मिली।

19. यूनिडो द्वारा प्रायोजित 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विकासशील देशों के 25 प्रतिभागियों सहित 322 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

1992-93

1. सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर भंडारों की राष्ट्रीय माल सूची को अद्यतन बनाया जो इस समय 95.2 बिलियन मी० टन है।

2. श्रेष्ठ खान उत्पादन तालिकाकरण के लिए खनन उपकरणों के चयन व उपकरणों की योजना हेतु सॉफ्टवेयर का विकास किया।

3. चूना पत्थर भंडार की भूगर्भीय खोज की देखरेख की और राजस्थान में एक मिलियन टन के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र के लिए गुणवत्ता तथा रिज़र्व का अनुमान लगाया।

4. विज्ञान भवन परिसर और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड भवन ढांचे में आग से हुई क्षति की जांच की और उपयुक्त मरम्मत व उपचार के उपायों का सुझाव दिया।

5. एक टरबाइन एक की पुनःस्थापना के लिए एक हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए सी०आर० आई० नान-श्रिंक ग्राउट तैयार किया और इसकी आपूर्ति की।

6. कंक्रीट सड़कों (बल्लभगढ़ से मथुरा) पर कंक्रीट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एशिया विकास बैंक को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी।

7. गुजरात, बिहार, नागालैंड, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में 100/200 टी०पी०डी० के सी०आई०आई० - एम०वी०एस० के सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए संभाव्यता अध्ययन किए गए थे।

8. आई०एल०सी० किस्म के प्रिकैलसिनर भट्ठे की नकल तैयार की।

9. उत्पादकता में सुधार करने के लिए दो सी०आर०आई०- एम०वी०एस०के० सीमेंट संयंत्र (एक भूटान में) लगाये गये और परिचालन सेवाओं (तकनीकी) के अन्तर्गत दो सी०आर०आई०-एस०वी०एस०के० सीमेन्ट प्लान्ट है।

10. वर्टिकल सॉफ्ट भट्ठे में क्लिंकर बेल्ट का यांत्रिकृत रेगूलेटर बनाया व विकसित किया गया।

11. परिचालन के मार्गदर्शी सिद्धांतों से ग्रेट कूलर के इष्टतम परिचालन हेतु एक पी०सी० पर आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया गया।

12. सीमेंट, पोजोलाना, चूना, जिप्सम, सीमेंट के कच्चे माल आदि के 2400 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

13. 127 संगठनों के 322 उपकरणों की जांच, समंजन और अंशाकन किया।

14. मानक संदर्भ सामग्रियों के 1488 वायल और मानक चूने के 142 सेट 163 संगठनों को भेजे गये थे।

15. यूनिडो द्वारा प्रायोजित 30 प्रतिरक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिनमें विकासशील देशों के 23 भागीदारों सहित 227 भागीदारों ने हिस्सा लिया था।

1993-94

1. प्रतिदिन 1600 मी० टन क्षमता के सीमेंट संयंत्र (शुल्क) में पारोक्लोन और भट्ठों की कोटिंग/गठन की समस्या का नैदानिक अध्ययन किया जिसमें समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी शामिल हैं।

2. ऊर्जा की बचत के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दो सीमेंट संयंत्रों में ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन किए गए और श्रीलंका में एक सीमेंट संयंत्र में दो भट्ठों की हीट बैलेंस तैयार की।

3. तीन भट्ठों की किल्न सेल ओवैलिटी का मूल्यांकन और दो भट्ठों का एकीकरण किया और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए सलाह दी।

4. भारतीय सीमेंट उद्योग में इंधन के रुप में कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्टों का संभावित प्रयोग का पता लगाया।

5. मैसर्स लार्सन एंड टुबरो लिमिटेड के लिए लिग्नाइट की विशेषता संबंधी अध्ययन किये।

6. भारतीय सीमेंट उद्योग के ऊर्जा कार्य निष्पादन की मानीटरी की और सीमेंट संयंत्रों में ऊर्जा प्रयोग प्रतिमान के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन किए।

7. प्रतिवर्ष 4 लाख मी० टन क्षमता के संयंत्रों (नम प्रक्रिया) में उत्पादकता में वृद्धि संबंधी अध्ययन किये।

8. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए सीमेंट उद्योग में एन्वायरमेंट स्टेटमेंट (आडिट रिपोर्ट) तैयार की।

9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के लिए "सीमेंट उद्योगों के लिए उपचार प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक मूल्यांकन पर विशद उद्योग विलेख"।

10. गुजरात में 10 लाख मी० टन के सीमेंट संयंत्र के एक चूने की खान के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबन्ध योजना (ई०आई०ए०/ई०एम०पी०) पर एक अध्ययन करना।

11. नाइजीरिया में यूनीडो द्वारा प्रायोजित 10 लाख मी० टन सीमेंट संयंत्र के लिए भूगर्भ अन्वेषण की जांच।

12. "सीमेंट विनिर्माता संघ के लिए सीमेंट विनिर्माण क्षमता का सृजन/विस्तार के लिए संभावित भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाने" से संबंधित एक परियोजना रिपोर्ट का निरीक्षण।

13. चूना पत्थर उपभाग फैक्टर, भूगर्भ अन्वेषण का रॉ-मिक्स डिजाइन मानीटरिंग, चूने के पत्थरों के

भंडारों का मूल्यांकन, चूने के पत्थर के भंडारों व भूगर्भ के लिए कम्प्यूटर खनन आयोजना, तथा कचचा माल का अन्वेषण और रॉ मिक्स डिजाइन की स्थापना के लिए शुरू किये गये 9 प्रायोजित परियोजनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही की गयी।

14. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक सी०आर०आई०-एम०वी०एस०के० सीमेंट प्लांट आलोच्य वर्ष के दौरान चालू किया गया जिससे सी०आई०आई०-एम०वी०एस० के सीमेंट संयंत्रों की संख्या 88 हो गयी है। इसके अतिरिक्त, 45 सी०आर०आई०-एम०पी०एस०के० सीमेंट संयंत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 2 संयंत्रों की मार्च 1994 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

15. आपरेशन सेवा (तकनीकी) योजना के तहत दो सी०आर०आई०-एम०पी०एस० के सीमेंट संयंत्रों को उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक तकनीकी सहायता दी गई है।

16. भारतीय सीमेंट उद्योगों के लिए विश्व बैंक से तीसरा ऋण (थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट) के एक प्रस्ताव ''प्रौद्योगिकी विकास के जरिये पर्यावरण सुधार'' नामक एक प्रोजेक्ट विलेख उद्योग मंत्रालय के लिए तैयार किया गया।

17. उपकरण सुविधा सेवा के माध्यम से शटर के दरवाजों के लिए काष्ठ प्रतिस्थापित सामग्री के लिए जांच सुविधाएं विकसित और मुहैया की गयीं।

18. सीमेंट मोर्टर कंजोजिट्स के प्रभाव पर प्रयोगात्मक अनुसंधान कार्य किया।

19. मिश्रणों में सीमेंट हाइड्रेशन पर कुछ पोलीमरों के प्रभाव का अध्ययन किया।

20. दो विद्यालय भवनों पर आपात अन्वेषण कार्य किया और उपचारी उपाय सुझाए।

21. दो बहु-मंजिली कार्यालय भवनों में अग्नि दुर्घटना पर जांच कार्य किया और उपयुक्त मरम्मत तथा उपचारी उपाय सुझाये।

22. संकट के कारणों पर और दो आर०सी०सी० ओवरहैड वाटर टैंकों तथा एक अमोनियम नाइट्रेट प्लांट भवन के नुकसान की सीमा के बारे में जांच किये। उपयुक्त मरम्मत व उपचारी उपाय सुझाए।

23. कई हाइड्रोक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए जिनका कार्य प्रगति पर है, अलकली अग्रगेट रीअक्टिविटी के लिए कंक्रीट अग्रोगेट्स का मूल्यांकन किया।

24. एक फ्लाई ओवर के डेक स्लैग में और एक थर्मल पावर प्लांट के टर्बो जनरेटर फाउंडेशन में कंक्रीट की गुणवत्ता और मजबूती का मूल्यांकन किया।

25. दो बहुमंजिली कार्यालय भवनों के लिए इंटीरियर आर्किटेक्चर और स्पेस प्लानिंग कार्य किया।

26. सामंट, पोजोलाना, चूना, जिप्सम, सीमेंट, कंक्रीट तथा कच्चे माल आदि के 2015 नमूनों का विश्लेषण किया।

27. 168 संगठनों के 441 उपकरण/उपस्करों की जांच, समंजन तथा अंशाकन किया।

28. स्टैन्डर्ड रेफरेंस मैटीरियल के 1892 वायल और 315 मानक चूना सेट 215 संगठनों को दिये गये।

29. 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें (यूनिडो द्वारा प्रायोजित 3 कार्यक्रम विदेशी भागीदारों के लिए हैं और केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों के लिए "सीमेंट संयंत्रों में पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण" पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिनमें 152 व्यक्तियों ने भाग लिया।

राजस्थान में पेयजल का संकट

5160. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पेयजल का संकट व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि देने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि दी गई और वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान के इन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध कार्य बनाने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) 1.3.1994 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में आंशिक रुप से कवर किए गए 2056 गांव तथा बिना पेयजल स्रोत वाले 32 समस्याग्रस्त गांव पेयजल की समस्या का सामना कर रहे थे।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध करायी गई कुल निधियां तथा 1994-95 के दौरान उपलब्ध करायी जाने वाली कुल निधियां नीचे दी गयी हैं :-

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1991-92	7714.00
1992-93	4907.00
1993-94	7831.09
1994-95	8995.37

(घ) व (ड.) : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत मिनी मिशनों तथा उप-मिशनों के तहत कार्यान्वित की जाती है। गांवों की कवरेज के लक्ष्य वाली कार्य योजना, योजना संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर तैयार की जाती है।

[अनुवाद]

पंजीकृत लघु एकक

5161. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1993 तक देश में पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी थी;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने एककों को 31 मार्च 1993 तक बंद कर दिया गया था;

(ग) इनमें से 1993-94 के दौरान राज्यवार कितने एककों को पुनः शुरू किया गया;

(घ) 1993-94 के दौरान राज्य वार कितने अतिरिक्त एकक पंजीकृत किए गए; और

(ड.) 31 मार्च, 1993 तक वास्तव में कार्यरत पंजीकृत एककों की राज्य वार संख्या कितनी कितनी थी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 31 दिसंबर तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों में स्थायी रुपसे पंजीकृत एम०आइ०डी०ओ० (सीडो) एककों की संचित संख्या की सूचना लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय प्राप्त करता है। दिनांक 31.12.1992 तक पंजीकृत सीडो एककों की संचित संख्या की राज्यवार जानकारी विवरण-। में दी गयी है।

(ख) 31 मार्च, 1993 को बंद पड़े एककों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार पता लगाने का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु 1989-91 के दौरान लघु उद्योग विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा की गयी लघु उद्योग एककों की अखिल भारतीय गणना के परिणामों के आधार पर 31 मार्च, 1988 के अंत में बंद और लापता एककों की संख्या की राज्यवार स्थिति विवरण-।। में दी गयी है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान रुग्ण उद्योग एककों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1992 के अंत तक रुग्ण पाये गये 2,45,575 लघु उद्योग एककों में से कुल 13,289 एककों को पुनः चलाने हेतु परियर्चा कार्यक्रम के अधीन रखा गया था। इन एककों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-।।। में दिये गये हैं।

(घ) 1993-94 के दौरान पंजीकृत अतिरिक्त एककों की राज्यवार सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ड.) दिनांक 31 मार्च, 1993 को पंजीकृत उन एककों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में कार्यरत थे। तथापि, लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा की गयी लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणाम दर्शाते हैं कि 31.3.88 को 6,09,749 लघु उद्योग पंजीकृत एकक कार्यशील और प्रतिक्रियाहीन पाए गए थे। इन एककों के ब्यौरे विवरण-।। में दिये गये हैं।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	दिनांक 31.12.1992 तक पंजीकृत सीडो एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	107372
2.	असम	14354
3.	बिहार	83782
4.	गुजरात	94879
5.	हरियाणा	79953
6.	हिमाचल प्रदेश	12165
7.	जम्मू और कश्मीर	22653
8.	कर्नाटक	88513
9.	केरल	86595
10.	मध्य प्रदेश	184245 (अ)
11.	महाराष्ट्र	68003
12.	मणिपुर	4310 (अ)
13.	मेघालय	1617 (अ)
14.	नागालैण्ड	642
15.	उड़ीसा	16505 (अ)
16.	पंजाब	144337
17.	राजस्थान	64437
18.	तमिलनाडु	133807
19.	त्रिपुरा	5665
20.	उत्तर प्रदेश	247907
21.	सिक्किम	224
22.	अरूणाचल प्रदेश	571
23.	पश्चिम बंगाल	142508 (अ)
24.	मिजोरम	2638
25.	गोवा	5381

विवरण-II

क्रम संख्या	राज्य	एककों की संख्या	
		कार्यशील और सुप्त	बंद और लापता
1.	आंध्र प्रदेश	39255	15177
2.	असम	4530	3320
3.	बिहार	35760	17018
4.	गुजरात	36440	21623
5.	हरियाणा	24373	22319
6.	हिमाचल प्रदेश	7020	3378
7.	जम्मू और कश्मीर	9620	4700
8.	कर्नाटक	41520	17132
9.	केरल	25742	11830
10.	मध्य प्रदेश	77317	44436
11.	महाराष्ट्र	33638	13894
12.	मणिपुर	2246	361
13.	मेघालय	594	153
14.	नागालैण्ड	184	83
15.	उड़ीसा	8506	5315
16.	पंजाब	54263	39954
17.	राजस्थान	30004	19433
18.	तमिलनाडु	57592	25143
19.	त्रिपुरा	809	603
20.	उत्तर प्रदेश	54127	41150
21.	पश्चिम बंगाल	47948	44411
22.	सिक्किम	70	36
23.	अंडमान और निकोबार	326	106
24.	अरूणाचल प्रदेश	326	42
25.	दादर और नगर हवेली	152	33
26.	चंडीगढ़	1368	640
27.	दिल्ली	10832	7425
28.	गोवा	2794	1000
29.	मिज़ोरम	917	306
30.	पांडिचेरी	1320	830
31.	दमन और दीव	156	46
	योग	609749	361897

विवरण-III

मार्च 1992 के अंत तक रोगी लघु उद्योग एककों का राज्यवार वर्गीकरण

क्रम संख्या	राज्य	कुल रोगी एकक	अजीव्य एकक	जीव्यक्षम एकक	परिचर्याधीन एकक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	5317	4533	690	689
2.	मेघालय	68	44	24	21
3.	मिज़ोरम	1	1	--	--
4.	बिहार	7823	7374	368	255
5.	अरूणाचल प्रदेश	50	50	--	--
6.	पश्चिम बंगाल	32022	25381	6186	5939
7.	नागालैण्ड	2039	1381	658	--
8.	मणिपुर	2277	2199	78	78
9.	उड़ीसा	8415	7907	406	309
10.	सिक्किम	75	75	--	--
11.	त्रिपुरा	670	661	8	--
12.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	22	--	--
13.	उत्तर प्रदेश	34150	33559	479	239
14.	दिल्ली	4705	4440	183	111
15.	पंजाब	5485	5306	162	122
16.	हरियाणा	3467	3402	54	35
17.	चंडीगढ़	342	319	21	14
18.	जम्मू और कश्मीर	769	762	6	6
19.	हिमाचल प्रदेश	1481	1396	76	20
20.	राजस्थान	14420	14223	186	64

1	2	3	4	5	6
21.	गुजरात	6581	5881	447	228
22.	महाराष्ट्र	20153	17631	2147	1585
23.	दमन और दीव	41	40	1	--
24.	दादर और नगर हवेली	5	5	--	--
25.	गोवा	1066	1008	48	31
26.	मध्य प्रदेश	22333	21944	340	213
27.	आंध्र प्रदेश	29586	27791	1435	535
28.	कर्नाटक	17316	14461	2511	720
29.	लक्ष्यद्वीप	--	--	--	--
30.	तमिलनाडु	9797	7959	1404	1004
31.	केरल	14883	13381	1276	1060
32.	पांडिचेरी	216	200	16	11
	योग :	245575	223336	19210	13289

स्रोत :- भारतीय रिज़र्व बैंक

खादी तथा ग्रामोद्योगोंके लिये परिव्यय

5162. डा० के०वी०आर० चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिये परिव्यय में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष (1993-94) के दौरान योजना के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) को 202.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई तथा इस वर्ष (1994-95) बजट अनुमान में 205.00 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, देश के चुने हुए जिलों में विशेष रोज़गार सृजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पिछले वर्ष 6.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस वर्ष उक्त कार्यक्रम हेतु बजट अनुमान में 9.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

शहरी परियोजना

5163. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विश्व बैंक की सहायता के लिए 700 करोड़ रुपए की एक शहरी विकास परियोजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय परियोजना की क्या स्थिति है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने भेजे गए प्रस्ताव में, 18.3.94 को हुई बैठक में विश्व बैंक मिशन तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए कतिपय सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन करें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के विकास हेतु योजना

5164. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए समेकित आधारभूत विकास संबंधी किसी नयी योजना को हाल ही में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने समेकित आधारभूत विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, इसमें कुल कितनी धनराशि खर्च होगी, केन्द्रों का चयन करने के क्या मानदंड हैं तथा इस योजना का समन्वय एवं क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं पर विचार करने के लिए कोई समिति बनाने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी विकास योजना मंजूर की है।

(ख) और (ग) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत बुनियादी विकास योजना (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित) में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास केन्द्र योजना के अधीन न आने वाले पिछड़े जिलों में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लगभग 50 एकीकृत बुनियादी विकास केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है ताकि विकसित स्थापना स्थलों, भूखंडों, बिजली वितरण नेटवर्क,

पानी संचार नालियों, सड़कों, कच्चा माल भंडारण, प्रदूषण नियंत्रण, सामान्य सुविधा केन्द्रों और प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन किया जा सके। इन विकास केन्द्रों को 250 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जायेगा जिसे भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 2:3 के अनुपात में वहन किया जाएगा। भारत सरकार का अंशदान अनुदान के रुप में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का ऋण के रुप में होगा। प्रत्येक केन्द्र की स्थापना 5 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए का अंशदान किया जाएगा और 3 करोड़ रुपए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण मिलेगा तथा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत को संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा वहन किया जायेगा।

इस योजना के अधीन इन परियोजनाओं का समन्वय करने और इनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) एक शीर्ष निकाय होगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को सौंपा जायेगा जो इसे उपयुक्त अभिकरणों के जरिए करेंगी जिनका अच्छा रिकार्ड है। ऐसा अभिकरण एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम अथवा एक निर्गमित निकाय अथवा एक अच्छा एन०जी०ओ० हो सकता है।

एकीकृत बुनियादी विकास केन्द्रों के चयन के लिए मोटे तौर पर निर्धारित मानदंड यह हैं:-

(क) क्षेत्र/जिला पिछड़ा होना चाहिए और यह विकास केन्द्र योजना के अधीन शामिल नहीं होना चाहिए।

(ख) क्षेत्र रेलवे स्टेशन/राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप होना चाहिए ताकि कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को लाया ले जाया जा सके।

(ग) जल आपूर्ति की उपलब्धता।

(घ) पावर के पर्याप्त स्रोत के समीप होना चाहिए।

(ङ) स्थापना स्थल से कोई परिस्थितिक असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए।

(च) चुनी गई भूमि पर्याप्त और उपयुक्त होनी चाहिए।

(छ) स्थापना स्थल जिले/ब्लाक/ताल्लुक मुख्यालय और ''मंडी'' के निकट होना चाहिए।

(ज) कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से 8-10 किलोमीटर से ज्यादा चलना नहीं पड़ना चाहिए।

(घ) और (ड.) योजना के अधीन प्रस्तावित परियोजनाओं का आर्थिक और वित्तीय जीव्यता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मूल्यांकित और सिफारिश की गई परियोजनाओं को अलग-अलग परियोजनाओं की मंजूरी के लिए इस योजना के अधीन गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस समिति का गठन सचिव, (लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामोद्योग) की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय आयोग, लघु उद्योग विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक 25.3.94 को हुई थी और चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी अर्थात् सिरसा (हरियाणा), जोधपुर (राजस्थान), मियानी (गुजरात) और कंबर्गी (कर्नाटक)।

केन्द्रीय भंडार की नई शाखाएं

5165. श्री गोविंद चन्द्र मुन्डा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्यों में केन्द्रीय भंडार की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शाखाओं को कब तक खोला जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्र सरकार का चालू वर्ष के दौरान राज्यों में केन्द्रीय भंडार की नयी शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय भंडार एक पंजीकृत संस्था है और इस संबंध में यह स्वयं उपयुक्त स्थान की उपलब्धता सहित विभिन्न तथ्यों आदि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का प्रदीपन

5166. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोनाइजिंग रेडियेशन प्रक्रिया से उपचारित खाद्य पदार्थ विषैले नहीं होते हैं;

(ख) क्या अन्य विधियों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तुलना में इस विधि से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में संपोषक तत्वों का कोई ह्रास नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण हेतु मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस विधि से संपोषक तत्वों की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं होती।

(ग) सरकार ने खाद्य पदार्थों को किरणित करने की तकनीक को खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने की विधि के रुप में अपनाने के लिए सिद्धांत रुप में मंजूरी दे दी है। किरणित खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मानीटरन अभिकरण का गठन किया गया है। घरेलू उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों को वाणिज्यिक स्तर पर किरणित करने का कार्य खाद्य पदार्थों के किरणन संबंधी मुद्दे को शामिल करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में संशोधन करने संबंधी अधिसूचना जारी करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत निर्माणों का गिराया जाना

5168. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के खंड विकास अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माणों को गिराने तथा अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस की सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई बार पुलिस सहायता नहीं मिली; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा खंड विकास अधिकारियों ने वर्ष 1991 से 1993 के दौरान क्रमशः 1779, 4556 तथा 56 बार पुलिस की सहायता मांगी।

(ग) दिल्ली पुलिस के अनुसार वर्ष 1991 से 1993 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा खंड विकास अधिकारियों को क्रमशः 766, 1425 तथा 31 बार पुलिस सहायता नहीं दी गई।

(घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि भारी कानून तथा व्यवस्था प्रबन्धों की जिम्मेवारी, बाहर से फोर्स न मिलने तथा सम्बन्धित नागरिक प्राधिकरणों से देर से अनुरोध प्राप्त होने के कारण पुलिस सहायता नहीं दी जा सकी। दिल्ली पुलिस ने अपने सभी ए०सी०पी०/एस०एच०ओ० को अनाधिकृत ढांचों को गिराने के लिए सभी सम्भव सहायता देने के निदेश दिए हैं। नागरिक प्राधिकरणों से भी अपनी आवश्यकता/ब्यौरे समय पर भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि स्थानीय पुलिस आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें।

विदेशी निवेश प्रस्ताव

5169. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी पार्क) की स्थापना हेतु भारत में 100 प्रतिशत धारक कंपनी स्थापित करने के लिए पेप्सी को आई०एन०सी०यू०एस० का प्रस्ताव सरकार द्वारा फरवरी 1994 तक स्वीकृत 50 विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु कुल कितना निवेश किया गया; और

(ग) कौन-कौन से देश किन-किन परियोजनाओं को भारत में स्थापित करेंगे?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मैसर्स कैनन पॉवर कारपोरेशन, यू०एस०ए० के साथ सहयोग से मैसर्स सन सौरस कैनन एनर्जी लि०, अहमदाबाद से गुजरात में 100 मेगावाट पवन फार्म परियोजना की स्थापना के लिए प्राप्त एक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

5170. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी निजी एजेंसी के साथ विचार विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालयय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा कुमारी) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की नौगांव पेपर मिल्स और कछार पेपर मिल्स अपने आरंभ से ही घाटे में चल रही हैं। सरकार उन्हें सक्षम बनाने के लिए पिछले कुछ समय से अनेक विकल्पों जैसे कि उनका पुनर्गठन करने, उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने इत्यादि की जांच कर रही है। इस प्रयोजन के लिए एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की सहायता मांगी गई है तथा उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18.4.94 को एक विज्ञापन दिया है।

हथियारों का निर्यात

5171. श्री गोपीनाथ गजपति :

डा० के०वी०आर० चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों के निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान हथियारों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए सामान का मूल्य इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

	प्रत्यक्ष निर्यात	मान लिया गया निर्यात
1992-93	72.73	188.58
1993-94 (अनन्तिम)	124.00	414.00

निर्यात किए गए सामान के मूल्य में काफी बड़ी मात्रा में प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1994-95 में प्रत्यक्ष निर्यात के लिए 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) रक्षा निर्यात में तेजी लाने संबंधी प्रयासों में नीति और क्रियाविधि को उदार बनाना, विदेशों में स्थित हमारे मिशनों की आधारभूत संरचना का उपयोग करना, विदेशी शिष्टमंडलों के साथ संपर्क बनाना और प्रचार माध्यमों का उपयोग करना शामिल है। उत्पादन एजेंसियों ने निर्यात के लिए लक्ष्यगत क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी विपणन नीतियों का भी विकास किया है।

उपग्रहों का प्रक्षेपण

5172. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। संचार, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी और सुदूर संवेदन के क्षेत्रों में अंतरिक्ष उपयोगों तथा उपग्रह निर्माण में भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रुप में उभरा है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस०) जैसी दो प्रचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों से देश ने इन क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताएं सिद्ध कर दी हैं।

(ग) और (घ) भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) के डिज़ाइन, विकास और जांच के माध्यम से 1000 कि०ग्रा० भार के आई०आर०एस० श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का पहले ही विकास कर लिया है। अगले 2-3 वर्षों में पी०एस०एल०वी० के प्रचालनीकरण तथा इस सदी के अंत से पहले भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) के विकास और प्रचालनीकरण होने पर भारत उपग्रह प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि

5173. श्री एस०एन० वेकारिया : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चिल्ला, दालुपाड़ा कोण्डली और कोटला गांवों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामवार कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई और कितना मुआवजा दिया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) ग्राम-वार अधिग्रहीत कुल क्षेत्र और दिया गया मुआवजा इस प्रकार है :-

ग्राम का नाम	अधिग्रहीत क्षेत्र बीघा-बिस्वा	मुआवजे की राशि (रुपए में)
कोटला	1430-10	10,67,773.97
कोंडली	1671-13	87,10,147.87
दलुपारा	2417-06	1,94,80,927.30
चिल्ला	3263-05	1,48,91,894.87

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

5174. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्यवार बढ़ई, राजगीर, फिटरों इत्यादि कितने अर्धकुशल/कुशल दस्तकारों को प्रशिक्षित किया गया;

(ख) क्या इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे दस्तकारों को मिलने वाली वृत्तिका को बढ़ाने का है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दस्तकारों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) से (ग). अर्धकुशल/कुशल कारीगरों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की मार्फत प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की मार्फत दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत कारीगरों सहित गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण प्रशिक्षण के पात्र हैं। ट्राइसेम के अंतर्गत

अर्धकुशल/कुशल कारीगरों को दिये गये प्रशिक्षण के अलग से कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किटें सप्लाई करने की योजना के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 (फरवरी तक) में 1.10 लाख ऐसी किटें वितरित की गयीं तथा इनके इस्तेमाल के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। योजना के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए ऋण संपर्क स्थापित करने में कठिनाइयां, उपयुक्त प्रशिक्षण ढांचे का अभाव कुछ राज्यों में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में आने वाली कुछ बाधाएं हैं।

(घ) ट्राइसेम के अंतर्गत वजीफे की दरों का पुनरीक्षण विचाराधीन है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18106	17340	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	221	487	
3.	असम	9152	8026	4773
4.	बिहार	32598	32649	19586
5.	गोवा	2578	2552	275
6.	गुजरात	24192	11209	8856
7.	हरियाणा	4402	7067	4341
8.	हिमाचल प्रदेश	1973	1581	572
9.	जम्मू व कश्मीर	2053	855	129
10.	कर्नाटक	12956	13407	6218
11.	केरल	7362	7919	4789
12.	मध्य प्रदेश	28921	22156	29624
13.	महाराष्ट्र	17587	21418	13047
14.	मणिपुर	1438	218	336

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	155	316	151
16.	मिज़ोरम	1713	1186	1183
17.	नागालैण्ड	738	247	567
18.	उड़ीसा	25194	15595	9446
19.	पंजाब	5003	4237	1235
20.	राजस्थान	9908	12549	6255
21.	सिक्किम	359	161	42
22.	तमिलनाडु	9233	18985	9880
23.	त्रिपुरा	1185	2502	1230
24.	उत्तर प्रदेश	70430	57645	39549
25.	पश्चिम बंगाल	17828	15223	8729
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	338	361	152
27.	दमन व दीव	123	00	30
28.	दादर व नगर हवेली	43	74	25
29.	लक्ष्यद्वीप	38	28	4
30.	पांडिचेरी	383	0	173
31.	दिल्ली	834	--	--
	कुल :	307044	275993	182532

*अनंतिम

आयात निषेध सूची में रखी गई औषधियां

5175. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 और आगामी दो वर्षों के दौरान आयात निषेध सूची में कुछ और औषधियां एवं मध्यवर्ती औषधियों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधों और मध्यवर्ती औषधियों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन औषधियों का आयात किन-किन देशों से किया जाएगा; और

(घ) उन औषधियों का देश में ही निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). निर्यात और आयात नीति, 1992-97 में आयातों की नकारात्मक सूची में प्रपुंज औषधों, मध्यवर्तियों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस समय, सूची में और अधिक प्रपुंज औषधों या मध्यवर्तियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नकारात्मक सूची में शामिल नहीं की गई मदों को किसी अन्य स्रोत से कोई लाइसेंस लिये बिना आयात किया जा सकता है। औषध नीति का उद्देश्य औषधों के उत्पादन के लिए देशी क्षमता को मजबूत बनाना है। प्रपुंज औषधों का लगभग 70 प्रतिशत और सूत्रयोगों की लगभग समग्र आवश्यकता का देश में ही निर्माण किया जाता है।

उर्वरकों का उत्पादन/खपत

5176. डा॰ के॰डी॰ जस्वाणी :

श्री शांता राम पोतदुखे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान और 1993-94 में अब तक उर्वरकों का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी कुल कितनी खपत हुई;

(ख) 1993-94 में अब तक कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने और विदशी मुद्रा बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान देश में उर्वरकों के राज्यवार कुल उत्पादन और खपत क्रमशः विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं कथित रुप से आयात की गई हैं :-

उर्वरक का नाम	लाख टन में (लगभग)
यूरिया	27.83
डाई अमोनियम फास्फेट	15.69
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	14.28

(ग) सरकारी खाते में तथा द्विपक्षीय सहायता के अध्यधीन उर्वरकों के आयात के लिए कुल विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन लगभग 1138.00 करोड़ रुपए हुआ। निजी खाते में उर्वरकों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये है :-

(i) नये उर्वरक संयंत्रों तथा पुराने संयंत्रों के पुनर्वास के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क 23.9.1992 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) फास्फेटिक उर्वरकों/कच्चे मालों तथा पोटाश के लिए रेलवे भाड़े में 4.9.1992 से कमी कर दी गई है।

(iii) फास्फोरिक एसिड जो फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चा माल है, के आयात पर सीमा शुल्क 27.8.1992 से समाप्त कर दिया गया है

(iv) 1.1.1991 अथवा उसके बाद आरम्भण किये गये उर्वरक संयंत्रों/पुनर्वास परियोजनाओं के लिए आयातित संयंत्र और उपस्करों पर सीमा शुल्क की वापसी और ऐसी परियोजनाओं के लिए लिये गए आवधिक ऋणों पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की रियायत बशर्ते कि अधिकतम ब्याज दर 12 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर न हो, के लिए एक योजना घोषित की गई है।

(V) स्वदेशी रॉक फास्फेट और पाइराइट्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन देने के लिए फरवरी 1993 में एक योजना की घोषणा की गई है।

उपरोक्त के अलावा, दो नये अमोनिया यूरिया संयंत्र एक बबराला (उत्तर प्रदेश) और दूसरा शाहजहां पुर (उत्तर प्रदेश) में इस समय निजी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त नेशलन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन०एफ०एल०) और इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने क्रमशः विजयपुर (मध्य प्रदेश) और आंवला (उत्तर प्रदेश) स्थित अपने गैस पर आधारित संयंत्रों की क्षमता को दुगुनी करने के लिए परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

विवरण-।

(000 मी० टन)

राज्य का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	257.3	278.1	368.6	277.0	489.2	196.9
केरल	256.2	150.0	237.9	143.6	262.2	112.8
कर्नाटक	147.0	67.5	112.2	41.9	101.4	38.6
तमिलनाडु	627.7	410.1	599.2	372.0	515.4	212.1
योग (दक्षिण क्षेत्र)	1288.2	905.0	1317.9	834.4	1368.2	560.5
पश्चिमी क्षेत्र						
गोवा	254.7	120.5	235.8	94.4	220.8	54.2

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	419.8	68.0	396.4	41.3	412.9	33.4
महाराष्ट्र	894.5	183.1	946.6	174.7	911.0	134.3
गुजरात	1839.7	651.8	1794.4	617.5	1702.8	636.8
राजस्थान	167.4	41.3	164.9	39.8	243.9	32.8
योग (पश्चिमी क्षेत्र)	3526.1	1064.8	3538.1	967.7	3491.4	891.6
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	146.8	28.8	192.9	30.0	131.0	23.3
उड़ीसा	219.1	296.9	192.4	243.7	188.3	177.1
पश्चिमी बंगाल	81.5	113.8	68.9	96.8	35.5	49.9
असम	126.0	0.4	136.8	0.2	87.3	0.2
योग (पूर्वी क्षेत्र)	573.4	439.9	590.9	370.7	442.1	250.4
उत्तर क्षेत्र						
हरियाणा	213.7	18.2	200.00	17.4	237.5	13.4
पंजाब	454.1	46.1	460.2	33.5	478.4	26.8
उत्तर प्रदेश	1245.9	83.5	1323.1	82.5	1255.9	66.8
योग (उत्तर क्षेत्र)	1913.6	151.7	1983.3	133.4	1971.8	107.0
योग (अखिल भारत)	7301.3	2562.2	7430.3	2306.2	7273.6	1809.5

विवरण-II

(एन-पी-के न्यूट्रियेन्ट्स)

000 / टन खपत

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991-92	1992-93 अनुमानित	1993-94 अनुमानित
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1582.312	1514.104	1601.946
2.	कर्नाटक	905.703	780.152	800.787
3.	केरल	224.473	202.968	192.465
4.	तमिलनाडु	839.199	799.489	873.493
5.	अंडमान एन्ड निकोबार द्वीप समूह	.248	.690	.894

1	2	3	4	5
6.	पाँडिचेरी	22.271	16.464	18.471
7.	गुजरात	733.258	716.606	691.824
8.	मध्य प्रदेश	809.684	793.024	757.630
9.	महाराष्ट्र	1264.000	1132.000	1242.000
10.	राजस्थान	440.929	490.522	526.055
11.	दादर नगर हवेली	1.078	1.157	1.209
12.	गोवा दमन और दीव	7.582	7.108	5.965
13.	हरियाणा	637.155	609.001	715.386
14.	हिमाचल प्रदेश	33.720	30.605	28.259
15.	जम्मू एन्ड कश्मीर	48.036	42.520	60.227
16.	पंजाब	1244.679	1199.350	1251.218
17.	उत्तर प्रदेश	2248.570	2179.718	2376.356
18.	चंडीगढ़	.604	.544	.333
19.	दिल्ली	11.299	12.413	15.952
20.	असम	35.521	25.909	29.510
21.	मणिपुर	8.828	9.159	9.609
22.	मेघालय	3.335	2.987	3.354
23.	नागालैण्ड	.107	.741	1.088
24.	सिक्किम	1.580	1.104	1.111
25.	त्रिपुरा	10.493	8.924	9.960
26.	अरूणाचल प्रदेश	.469	.499	.575
27.	मिजोरम	.808	1.200	1.163
28.	टी बोर्ड (एन०ई०)	56.302	43.446	54.458
29.	बिहार	603.692	595.751	594.396
30.	उड़ीसा	196.012	202.954	223.946
31.	पश्चिम बंगाल	755.486	731.285	743.021

भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड को अर्थक्षम बनाना

5177. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड के सभी एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे अर्थक्षम बनाने संबंधी कार्यक्रम अथवा पैकेज को प्रमुख श्रमिक संघों की सहमति से तैयार किया गया है अथवा तैयार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो अर्थक्षम योजना का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एन्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बी०आई०एफ०आर०) ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) के लिए एक पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया है। अन्य बातों के साथ-साथ पुनरूद्धार योजना में संबंधित राज्य सरकारों, बैंकों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिन्होंने पहले आई०डी०पी०एल० को वित्तीय सहायता दी थी, से राहतों और रियायतों, केन्द्रीय सरकार से पूंजी पुनर्संरचना और वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कर्मचारियों से समर्थन और सहयोग शामिल है। आई०डी०पी०एल० के अधिकांश कर्मचारियों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी के पुनरूद्धार के लिए आवश्यक समर्थन और सहयोग देने के लिए अपनी सहमति पहले ही दे दी है। पुनरूद्धार योजना 1994-95 से 10 वर्ष के लिए है।

ऊर्जा संयंत्र लगाना

5178. श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा संयंत्र लगाने की एक राष्ट्रीय योजना लागू करने का था ताकि ईंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी पर दबाव को कम किया जा सके;

(ख) क्या योजना तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आपरम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों के लिए तेजी से बढ़ने वाली जलावन लकड़ी की वृक्ष प्रजातियों के विकास के लिए और इन वृक्ष प्रजातियों के लिए प्रैक्टिस पैकेजों का तैयार करने हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है। विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन ऊर्जा पौधारोपणों को प्रोत्साहन देने के लिए यह मंत्रालय अन्य सम्बद्ध प्रचालनात्मक मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है।

पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा

5179. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेंशन भोगियों के लिए भृतिभोगी चिकित्सा सुविधा तथा अन्य लाभों में सुधार करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों को पांचवे वेतन आयोग को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन भोगियों की ऐसोसिएशनों/फैडरेशनों/संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव विवरण के रुप में संलग्न हैं।

(ग) तथा (घ) पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ढांचे की जांच को वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के संकल्प संख्या 5 (12)-ई ।।।/93 के अनुसार पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल कर लिया गया है।

विवरण

पेंशनभोगियों की एसोसिएशनों/संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव/सुझाव

1. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं।
2. पेंशन में समानता।
3. आयु बढ़ने के साथ-साथ पेंशन में अनुपातिक वृद्धि।
4. कुटुम्ब पेंशन में समानता।
5. कुटुम्ब पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन पर कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत की अदायगी।
6. पेंशन के सरांशीकृत भाग की बहाली।
7. न्यूनतम पेंशन को 750 रुपये अथवा 800 रुपये तक बढ़ा दिया जाए।

8. अन्तिम आहरित वेतन आवर्ती पेंशन की परिलब्धियों के रूप में माना जाए।

9. प्रथम श्रेणी के पासों में "परिचारक" शब्द को "सहचर" के रुप में बदला जाए।

10. चिकित्सा सुविधाओं/छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पेंशनभोगी को सरकारी कर्मचारी के रुप में कार्यरत अपने पुत्र पर आश्रित मानने हेतु पेंशन की सीमा।

11. पेंशनभोगियों को मकान किराए भत्ते की मंजूरी।

12. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।

13. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को वृद्धावस्था भत्ता।

14. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को वाचनालय, पुस्तकालय, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं।

15. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को मई दिवस सहायता।

16. जिन पेंशनभोगियों के अपने मकान नहीं हैं उन्हें मकान का आबंटन।

17. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को बोनस की अदायगी।

18. सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य बीमा-सह-बचत योजना को लागू करना।

19. पेंशनभोगियों को यात्रा किराए में छूट देना तथा उनकी ऊपरी आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करना।

20. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्रदान करना।

21. पेंशनभोगियों को पहचान पत्र जारी करना।

22. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सप्ताह दिवस की घोषणा।

23. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को त्यौहार अग्रिम/त्यौहार सहायता की मंजूरी।

24. पेंशनभोगी के नामिती को दाह-संस्कार खर्च प्रदान करना।

[हिन्दी]

अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा

5180. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में दिल्ली में अधिग्रहीत कृषि भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे की दर क्या थी;

(ख) क्या 1990 में अधिग्रहीत भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे की दर दिल्ली भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देय मुआवजे के अनुरुप है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गत चार वर्षों के दौरान अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की दरों को संशोधित करने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि 1990 में भूमि के अधिग्रहण हेतु निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई थीं :-

(i) अग्रबंध के बीच नदी का तलहटी में स्थित भूमि के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़।

(ii) अन्य सभी कृषि भूमि के लिए 4.65 लाख रुपये प्रति एकड़।

(ख) मुआवजा का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार तथा प्रशासक/उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मुआवजा राशि को भुगतान किया जाता है। प्रशासक/उपराज्यपाल द्वारा निर्धारित अलग से कोई दिल्ली भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम नहीं है, अतः समानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नीदरलैंडस की सहायता से शहरी गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करना

5181. श्री जी० माडेगौड़ा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर से नीदरलैंड्स सरकार की सहायता से शहरी गरीबी उन्मूलन प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई तथा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि जारी किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर शहरी निर्धनता परियोजना (बीयूपीपी) शहर के चुनिंदा स्लमों में स्थायी तौर पर निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। परियोजना गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से निष्पादित की जायेगी। इस परियोजना के लिए डच सहायता की कुल राशि डीएफएल 945.000 (लगभग 1.5 करोड़ रुपये) होगी।

(ग) 475.000 डीएफएल (लगभग 76 लाख रुपये) की पहली किस्त 1994 को पहली तिमाही में रिलीज़ की गई है। शेष राशि परियोजना की प्रगति की शर्त पर 1994-95 में रिलीज़ की जायेगी।

सीमेंट का उत्पादन

5182. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश सीमेंट कारखानों में उनके कुल अधिष्ठापित क्षमता का मात्र 30 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में मझौले तथा बड़े क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग है, उत्तर प्रदेश राज्य में 4 संयंत्रों में से 2 संयंत्रों के पास 30 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोगिता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वायु सेना में समझौता करने में विलम्ब

5183. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भारतीय वायु सेना में एक समझौता करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त वित्तीय लागत वहन करने के बारे में नियंत्रक और महालेख-परीक्षक द्वारा जताई गई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कथित निष्फल व्यय किये जाने के लिए मामले की जांच करायी है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रक्रिया संबंधी विलम्ब और स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों के अनुत्तरदायी के कारण सेवाओं में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि एक नित्यचर्चा बन गई है; और

(च) यदि हां, तो स्थिति का उपचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सं (घ). नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की मार्च, 1992 को समाप्त हुई अवधि की रिपोर्ट के पैरा-3 में यह उल्लेख किया गया है कि फरवरी 1991 में रक्षा मंत्रालय ने एक पूरक करार निष्पादित करने के लिए 60 दिन से अधिक का समय लिया था जिसके परिणामस्वरुप क्रियाविधि संबंधी विलम्ब हो जाने के कारण 3.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जांच की है। इस प्रकार के मामले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार के सभी पूरक करार 45 दिन के भीतर निष्पादित कर दिए जाएं।

(ड.) तथा (च) : सरकार ने ऐसे मामलों में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से नियमित अन्तराल में परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए संचालन समितियों का गठन किया है।

[हिन्दी]

हजीरा उर्वरक कारखाना

5184. श्री छीतू भाई गामीत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक परिवार को एक रोज़गार के संबंध में आश्वासन उन किसानों को दिया गया था जिनकी भूमि का सूरत में ''कृभको'' के अंतर्गत हजीरा स्थित उर्वरक कारखाने के लिए अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया है; और

(घ) सभी प्रभावित व्यक्तियों को रोज़गार न देने के क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) से (घ) : जिन व्यक्तियों की जमीन हजीरा उर्वरक कारखाने के लिए अधिग्रहीत की गयी थी उनको रोज़गार देने के बारे में कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) के प्रबन्ध द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। तथापि, सूरत के जिलाधीश द्वारा दी गई 191 भूमिहरों की सूची में से 155 को रोजगार दिया गया। बाकियों को उपयुक्त पदों की अनुपलब्धता के कारण समायोजित नहीं किया जा सका।

नई इलैक्ट्रानिक नीति

5185. श्री राजेश कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई इलैक्ट्रानिकी नीति के फलस्वरुप इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र में रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जा सकेगा।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलैक्ट्रानिकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) जी, हां। इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र में रोज़गार की काफी संभावनाएं हैं, हालांकि कोई नई इलेक्ट्रानिकी नीति नहीं है। रुपये 30,000 करोड़ के लक्ष्यपरक इलैक्ट्रानिक उत्पादन के लिए इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति और इलैक्ट्रानिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों और गैर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति के 1993 के 11.8 लाख से बढ़कर आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में 16.40 लाख हो जाने की संभावना है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। इलैक्ट्रानिकी विभाग ने श्रम मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव

संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से पिछले दस वर्षों के दौरान प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर विशिष्ट जनशक्ति विास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की है।

अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षा/प्रशिक्षण की गुणवत्ता में मानकीकरण लाने तथा जनशक्ति की कमी को औपचारिक क्षेत्र से पूरा करने के उद्देश्य से इलैक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 16 अगस्त, 1986 के संकल्प के जरिए ''इलैक्ट्रनिकी विभाग की कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को मान्याा प्रदान करने की योजना (डीओईएसीसी)'' नामक एक स्वैच्छिक योजना घोषित की है। जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट गुणवत्ता तथा सेवा मानकों को पूरा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों को ''ओ'' (आरम्भिक) ''क'' (उच्च डिप्लोमा) ''ख'' (स्नातक) तथा ''ग'' (स्नातकोत्तर) स्तर के विशिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि

5186. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य को और अधिक धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यह राशि पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित राशि से कितनी कम है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक निधि आबंटित कराने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रकों के लिए आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय सातवीं योजना के 171.50 करोड़ रुपये की तुलना में 261.20 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

एफ०सी०आई०, एच०एफ०सी० और पी०डी०आई०एल० का पुनरूद्धार

5187. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने आई सी आई सी आई को भारतीय उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड एवं परियोजना और विकास भारत लिमिटेड के पुनरूद्धार की संभावना की जांच करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों के लिए नए पैकेज तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने एफ डब्लू आई एन सी ओ ए द्वारा तैयार प्रौद्योगिक-आर्थिक पुनरूद्धार पैकेज और विभिन्न विशेष समितियों की सिफारिशों को नहीं अपनाया है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन एककों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए क्या कार्यविधियां तैयार की जा रही हैं?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 16.2.1994 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) को प्रोजेक्ट्स एंड डेवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी०डी०आई०एल०) के लिए प्रचालन अभिकरण के रुप में नियुक्त किया। इसी तरह के अलग आदेश 16.3.1994 को फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ०सी०आई०) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच०एफ०सी०) के लिए वाई०आई०एफ०आर० द्वारा जारी किये गये बी.आई.एफ.आर. ने सरकार को इन कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रचालन अभिकरण को पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया है तत्पश्चात् प्रचालन अभिकरण से बी.आई.एफ.आर. को पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) से (च) : एच०एफ०सी०/एफ०सी०आई० के समबन्ध में 30/31 दिसम्बर 1993 को हुई सुनवाई में बी०आइ०एफ०आर० के पूर्व निर्देशों के परिणामस्वरुप सरकार ने श्रमिक संघों, अधिकारी संघों, बैंकों और राज्य सरकारों से इन दो कम्पनियों के लिए सम्मत पुनर्वास पैकेज की संभावना का पता लगाने के लिए फरवरी 1994 के प्रथम सप्ताह में परामर्श किया। पी.डी.आई.एल. के सम्बन्ध में भी 22.4.1994 को सरकार द्वारा इसी तरह के परामर्श किए गए हैं।

एफ०डब्लयू०आई० और एन०सी०ओ०ए० द्वारा सरकार को प्रस्तुत प्रौद्योगिक आर्थिक पुनर्वास पैकजों तथा एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० के विभिन्न एककों के भिन्न-भिन्न यूनियनों/संघों द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच पड़ताल की गई और निधि आवश्यकताओं को प्रथमतः न्यूनप्राक्कलित तथा प्रस्तावों को प्रौद्योगिक आर्थिक रुप से अव्यवहार्य पाया गया। तथापि, इन कंपनियों के लिए पुनरूद्धार पैकेजों को अंतिम रुप देते समय इन प्रस्तावों तथा उपरोक्त परामर्श के दौरान प्रस्तुत किए गये आवेदनों में दर्शाये गये उन सभी विकल्पों/सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, इन कंपनियों के पुनरूद्धार पर कोई अंतिम निष्कर्ष बी०आई०एफ०आर० जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर है। इस बीच सरकार सम्भव सीमा तक, इन कंपनियों की निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अंपना प्रचालन जारी रख सकें।

अनुसंधान संस्थाएं

5188. डा० मुमताज अंसारी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कौन-कौन सी प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हैं;

(ख) उनमें किस प्रकार अनुसंधान किया जा रहा है;

(ग) किस ढंग से यह अनुसंधान प्रदर्शित किया जाता है और बाहरी दुनिया को दर्शाया जाता है;

(घ) उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है; और

(ड.) नए अनुसंधान संस्थान खोलने के लिये क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन प्रमुख संस्थाएं ये हैं :

(1) भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन, पुणे

(2) भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान एसोसिएशन, थाणे

(3) केन्द्रीय लुगदी और कागज संस्थान, सहारनपुर

(4) केन्द्रीय निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर

(5) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, नई दिल्ली।

(ख) अनुसंधान संस्थाएं अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न हैं जिनका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में उत्पाद और प्राक्रया डिजाइन में सुधार करना है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाता है। ये संस्थाएं तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती हैं।

(ग) इन संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य को प्रदर्शनियों में भाग लेकर, संगोष्ठियों और कार्यशालाएं आयोजित करके और पत्रिकाओं में तकनीकी लेख प्रकाशित करके विज्ञापित किया जाता है।

(घ) लाभ-ग्राहियों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है।

(ड.) नयी अनुसंधान संस्थाएं खोलना उद्योग की जरूरतों और आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्रामीण विकास

5189. श्री एन०जे० राठवा :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितनी ग्रामीण विकास परियोजनाएं/योजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि का नियतन किया जाएगा; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) व (ख) (क) जवाहर रोज़गार योजना तथा (ख) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के संबंध में अनुमोदन हेतु लंबित राज्यवार ग्रामीण विकास परियोजनाएं/योजनाएं नीचे दी गई हैं :-

(1) **जवाहर रोज़गार योजना :** विशेष तथा अभिनव परियोजनाओं से संबंधित जवाहर रोज़गार योजना के तीसरे दौर के अन्तर्गत दो परियोजनाएं अर्थात (1) मध्य प्रदेश के खरगांव जिले के बरवानी खंड में बावनगजा हिल्स का परिस्थिति की संतुलन बहाल करना तथा (2) तमिलनाडु से मजदूरों के पलायन को रोकना अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी हैं। इन परियोजनाओं पर स्थायी समिति द्वारा चालू वर्ष के दौरान, जब कभी इसकी बैठक होगी, विचार किया जाएगा।

(2) **समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना :** विभिन्न राज्यों में स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं की संख्या विवरण (क) में दी गयी है। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुरुप परियोजना रिपोर्ट तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी जायेगी।

(ग) व (घ) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात् (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोज़गार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा (4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया आबंटन तथा उपयोग की गयी निधियां विवरण I से IV में दर्शायी गयी हैं।

विवरण (क)

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के संबंध में गुजरात में ग्रामीण विकास के बारे में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5189 जिसका उत्तर 27.4.94 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	लंबित परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	गुजरात	5
3.	हरियाणा	2
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	केरल	2
6.	मध्य प्रदेश	5
7.	महाराष्ट्र	2
8.	नागालैण्ड	1
9.	उड़ीसा	13
10.	पंजाब	2
11.	राजस्थान	6
12.	सिक्किम	5
13.	तमिलनाडु	1
14.	उत्तर प्रदेश	1

विवरण - I

गुजरात में ग्रामीण विकास - समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991-92 आबंटन	1991-92 उपयोग	1992-93 आबंटन	1992-93 उपयोग	1993-94 आबंटन	1993-94 उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	5177.52	6548.98	4330.00	5411.42	8416.00	6824.08
2. अरुणाचल प्रदेश	469.44	294.47	416.00	426.52	686.00	248.49
3. असम	1414.06	1587.04	1332.00	1584.46	2770.00	1557.88
4. बिहार	10361.80	8384.64	9778.00	7726.73	15974.00	8535.73
5. गोवा	97.80	67.30	86.00	53.54	142.00	182.52
6. गुजरात	2132.11	2307.69	2010.00	2210.50	3090.00	2856.68
7. हरियाणा	510.19	756.84	480.00	796.25	742.00	832.71
8. हिमाचल प्रदेश	182.66	352.47	172.00	291.88	242.00	345.09
9. जम्मू व कश्मीर	255.10	421.07	240.00	385.47	462.00	292.52
10. कर्नाटक	3240.68	2782.63	3054.00	2671.68	5650.00	2863.48
11. केरल	1760.48	1784.84	1660.00	1647.95	2056.00	1743.99
12. मध्य प्रदेश	6865.57	9353.08	6472.00	7336.37	10664.00	7021.28
13. महाराष्ट्र	5546.00	5633.70	5228.00	5332.16	9174.00	5314.42
14. मणीपुर	40.94	153.20	38.00	86.42	200.00	137.09
15. मेघालय	122.82	162.62	116.00	173.80	192.00	123.95
16. मिजोरम	195.60	169.72	174.00	212.29	288.00	170.42
17. नागालैंड	205.38	299.15	182.00	236.84	300.00	199.89
18. उड़ीसा	3391.85	3671.71	3198.00	3373.97	6826.00	3377.81
19. पंजाब	431.46	858.45	406.00	935.95	528.00	877.42
20. राजस्थान	3306.82	4079.89	3118.00	3258.25	4430.00	3643.11
21. सिक्किम	39.12	47.39	34.00	39.71	56.00	40.93

1	2	3	4	5	6	7
22. तमिलनाडु	4648.44	4527.72	4382.00	4436.01	7608.00	5951.58
23. त्रिपुरा	144.87	397.81	136.00	414.47	618.00	230.08
24. उत्तर प्रदेश	13857.12	16226.71	13062.00	14395.38	20508.00	16970.87
25. पश्चिम बंगाल	5791.65	6317.73	5460.00	5758.50	7542.00	1540.24
26. अण्ड.निको.द्वीपसमूह	48.90	38.06	43.00	39.34	71.00	17.51 (जनवरी 94 तक)
27. चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
28. दादर व नगर हवेली	9.78	8.67	9.00	10.41	15.00	12.10
29. दिल्ली	48.90	22.57	-	-	-	-
30. दमन व द्वीव	19.56	11.28	17.00	16.30	28.00	17.96
31. लक्षद्वीप	5.00	7.80	4.00	8.60	7.00	6.76
32. पांडिचेरी	39.12	33.55	35.00	42.47	58.00	29.50
अखिल भारत	70360.74	77308.78	66222.00	69307.64	109343.00	71926.54

विवरण - II

गुजरात में ग्रामीण विकास - जवाहर रोजगार योजना

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	19166.20	19065.78	23132.28	19866.06	24620.09	17980.72
2. अरुणाचल प्रदेश	330.68	221.17	322.51	234.80	322.51	145.96
3. असम	5114.59	5000.44	6420.76	4034.49	8104.85	4222.87
4. बिहार	38466.78	37580.16	47934.30	41257.59	48291.40	49895.33
5. गोवा	357.28	364.56	421.93	340.36	348.46	327.22
6. गुजरात	8090.71	10039.31	9611.93	8327.77	9037.55	10533.31

	1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	1926.83	2353.04	2291.06	2012.13	2170.94	2164.35
8.	हिमाचल प्रदेश	1135.28	1186.15	1254.69	1049.73	1107.26	1289.31
9.	जम्मू व कश्मीर	1611.51	2046.35	1818.63	1635.94	1571.74	344.94
10.	कर्नाटक	12059.70	11082.63	14377.71	12533.91	16531.33	11524.49
11.	केरल	6396.19	7252.79	7659.26	6843.94	6238.24	6012.31
12.	मध्य प्रदेश	26402.50	31681.83	31473.50	29328.16	31197.24	36260.33
13.	महाराष्ट्र	20424.85	18124.11	25815.64	18648.24	26839.28	15680.73
14.	मणीपुर	423.83	206.77	623.25	292.23	413.36	301.82
15.	मेघालय	495.91	481.47	703.58	413.10	483.68	288.39
16.	मिजोरम	208.90	260.51	244.43	213.27	203.75	210.48
17.	नागालैंड	531.58	733.84	627.76	637.21	518.46	353.25
18.	उड़ीसा	13094.93	14033.59	16036.90	13067.13	19972.66	13885.04
19.	पंजाब	1675.65	1053.97	1982.54	2590.84	1634.30	1922.31
20.	राजस्थान	12805.28	13206.41	15172.01	12246.06	12961.33	11743.34
21.	सिक्किम	193.54	328.62	231.98	303.56	188.76	273.07
22.	तमिलनाडु	17223.66	21134.07	20550.48	20094.35	22256.18	21355.81
23.	त्रिपुरा	550.49	602.99	653.83	485.40	536.90	568.40
24.	उत्तर प्रदेश	51093.28	48146.83	61016.78	52257.00	59998.40	41344.63
25.	पश्चिम बंगाल	21786.94	19342.16	25923.84	21412.74	22063.20	18175.07
26.	अण्ड.निको.द्वीपसमूह	156.56	86.73	152.70	67.50	152.70	69.08
27.	दादर व नगर हवेली	84.99	103.31	91.02	76.31	82.89	51.57
28.	दमन व द्वीव	50.07	27.23	48.83	5.33	48.83	25.94
29.	लक्ष द्वीप	78.49	49.15	78.58	61.66	76.55	65.62
30.	पांडिचेरी	153.25	193.27	232.38	139.39	149.47	109.70
	कुल	262090.38	265989.24	316905.05	270476.20	318122.39	267123.12

* अनन्तिम

विवरण - III

गुजरात में ग्रामीण विकास -त्वरित ग्रामीण सप्लाई कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र		1991-92 आबंटन	1991-92 उपयोग	1992-93 आबंटन	1992-93 उपयोग	1993-94 आबंटन	1993-94 उपयोग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2547.00	2845.00	2547.00	2547.00	4124.00	3505.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	462.00	299.00	462.00	582.00	746.00	410.30
3.	असम	1370.00	1762.00	1370.00	700.00	1370.00	917.00
4.	बिहार	2999.00	2645.00	2999.00	3378.00	4856.00	1631.03
5.	गोवा	55.00	79.00	55.00	52.00	84.00	83.72
6.	गुजरात	1633.00	1515.00	1633.00	1797.00	2656.00	1508.40
7.	हरियाणा	999.00	824.00	999.00	1166.00	1652.00	1018.55
8.	हिमाचल प्रदेश	642.00	538.00	642.00	642.00	833.00	725.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1916.00	1990.00	1916.00	997.00	2303.00	1156.00
10.	कर्नाटक	2342.00	2039.00	2342.00	2813.00	3512.00	2778.04
11.	केरल	1191.00	1368.00	1191.00	1071.00	1928.00	677.00
12.	मध्य प्रदेश	2819.00	3287.00	2819.00	2554.00	4564.00	3687.52
13.	महाराष्ट्र	3390.00	2376.30	3390.00	3215.80	5488.00	3159.11
14.	मणिपुर	308.00	236.00	308.00	218.00	308.00	310.00
15.	मेघालय	420.00	334.00	420.00	275.00	420.00	399.65
16.	मिजोरम	129.00	175.00	129.00	128.00	210.00	210.00
17.	नागालैंड	422.00	230.00	422.00	138.00	422.00	18.50
18.	उड़ीसा	1335.00	1165.00	1335.00	1494.00	2160.00	1569.17
19.	पंजाब	424.00	424.00	424.00	424.00	688.00	920.17
20.	राजस्थान	4183.00	4183.00	4183.00	4117.00	6886.00	4004.00

	1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	372.00	420.00	372.00	382.00	372.00	372.00
22.	तमिलनाडु	2019.00	2441.00	2019.00	2394.00	3268.00	2928.00
23.	त्रिपुरा	350.00	290.00	350.00	312.00	350.00	230.00
24.	उत्तर प्रदेश	4724.00	4219.00	4724.00	4802.00	7648.00	5241.60
25.	पश्चिम बंगाल	1824.00	1390.00	1824.00	1350.00	2952.00	1274.85
26.	अण्डमान व निकोबार	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
27.	दमन व दीव	22.00	282.00	22.00	183.00	95.00	26.00
28.	लक्षद्वीप	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
29.	पांडिचेरी	26.00	10.00	26.00	26.00	40.00	23.90
30.	दिल्ली	14.00	1.20	14.00	64.00	22.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	13.00	0.00	13.00	0.00	20.00	0.00
32.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल :	39000.00	37367.50	39000.00	37821.80	60027.00	38785.52

विवरण - IV

गुजरात में ग्रामीण विकास - सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरूभूमि विकास कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	1203.00	1324.51	1203.00	1479.47	1804.50	1196.25
2. बिहार	828.00	565.45	828.00	579.51	1242.00	629.38
3. गुजरात	746.00	736.37	746.00	787.68	1119.00	915.60
4. हरियाणा	135.00	141.36	135.00	142.14	202.50	157.86
5. जम्मू व कश्मीर	214.50	331.23	214.50	332.29	321.75	94.09
6. कर्नाटक	1249.00	1197.40	1249.00	1272.39	1873.50	859.89

	1	2	3	4	5	6	7
7.	मध्य प्रदेश	809.00	953.01	809.00	685.34	1213.50	858.57
8.	महाराष्ट्र	1343.00	1284.23	1343.00	1247.66	2014.50	999.16
9.	उड़ीसा	621.00	726.29	621.00	563.41	931.50	741.00
10.	राजस्थान	514.00	485.09	514.00	635.70	771.00	620.63
11.	तमिलनाडु	657.00	670.92	657.00	660.34	985.50	968.13
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	1363.54	1386.00	1271.36	2079.00	1087.10
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	307.19	517.50	296.73	776.25	229.55
	कुल :	10223.00	10086.59	10223.00	9954.02	15334.50	9357.21
मरूभूमि विकास कार्यक्रम							
1.	गुजरात	225.00	280.47	225.00	208.82	337.50	274.02
2.	हरियाणा	425.00	438.09	425.00	468.93	637.50	500.98
3.	हिमाचल प्रदेश	200.00	189.74	200.00	229.01	300.00	190.73
4.	जम्मू व कश्मीर	300.00	305.33	300.00	296.78	450.00	113.65
5.	राजस्थान	3800.00	3649.32	3800.00	3647.58	5700.00	3363.12
	कुल	4950.00	4862.95	4950.00	4851.12	7425.00	4442.50

* डी.पी.ए.पी. - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल, जनवरी 1994 तक की रिपोर्ट। शेष राज्यों की फरवरी 1994 तक की रिपोर्ट।

डी.डी.पी. - हिमाचल प्रदेश के लिए जनवरी 1994 तक का, जम्मू व कश्मीर के लिए दिसम्बर 1993 तक का विवरण। शेष राज्यों का फरवरी 1994 तक का विवरण।

[अनुवाद]

निवेशकर्ता संरक्षण कोष

5190. श्री अनंतराव देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेशकर्ता संरक्षण कोष की स्थापना के लिए नियम और मार्गनिदेश बनाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एकक

5191. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कितने एकक कार्यरत हैं और वे कहाँ-कहाँ पर हैं ;

(ख) इन एककों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के यूनिट देश के निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं : -

1.	बम्बई
2.	तारापुर
3.	कोटा
4.	श्रीनगर
5.	गुलमर्ग
6.	कलपाक्कम
7.	क्विलॉन
8.	मैसूर
9.	गौरीबिदनूर
10.	हैदराबाद
11.	बड़ौदा
12.	दिल्ली

(ख) इन यूनिटों में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों की संख्या 7364 है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और विक्लांग कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति	:	828
अनुसूचित जनजाति	:	137
विक्लांग	:	126

ग्रामीण क्षेत्रों के मामले

5192. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मलेन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के मामले के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी प्रस्ताव किया गया था कि बड़ी संख्या में विचाराधीन मामलों को हल किया जाये और इन मामलों की शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई शुरू की जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रस्तावों/सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया है ?

विधि, न्याय और कपंनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने, तारीख 4 दिसम्बर, 1993 को हुई अपनी बैठक में, ग्रामीण मुकदमेबाजी को कम खर्चीला बनाने और उनके शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से न्यायिक प्रणाली की पुनर्संरचना किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था।

(ख) और (ग) मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को सभी संबद्ध व्यक्तियों को समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

|अनुवाद|

भोपाल गैस त्रासदी पर अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निष्कर्ष

5194. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पर अन्तर्राष्ट्रीय गैस आयोग के निष्कर्षों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पीड़ितों के पुनर्वास हेतु एक सुविचारित योजना कार्यान्वयन के लिए कब तक तैयार हो जायेगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). सरकार को कमीशन से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विदेशी पूंजी निवेश नीति

5195. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्विटी अंतर्प्रवाह से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश नीति की अच्छी तरह से जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां तो इस कार्य के लिए विचाराधीन मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) सुधारों के इस पैकेज की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). 24 जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में यथा उल्लिखित विदेशी निवेश नीति एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इस पर निरंतर नजर रखी जाती है ताकि पहले प्राप्त की जा चुकी उपलब्धियों का फायदा उठाने उत्पादकता और लाभकारी रोजगार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते रहने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें।

"इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड"

5196. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में "इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड" के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो "इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड" की अइरामथंन्नु परियोजना इस समय किस चरण में है और यह कब तक पूरी हो जायेगी ;

(ग) "इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड" ने 1993-94 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ; और

(घ) कन्याकुमारी में "रेअर अर्थ्स" के और भंडारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए उनसे सम्बद्ध उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने तथा इल्मेनाइट, रूटाइल, आदि जैसे खनिजों की मांग में होने वाली संभावित वृद्धि को पूरा करने की दृष्टि से इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का केरल सरकार / गैर-सरकारी पार्टियों के साथ मिलकर अयैरामथेंगू में समुद्रतटीय क्षेत्र में संयुक्त रूप से परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना स्थापित करने से पूर्व किए जाने वाले कार्यकलाप जैसे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना, प्रक्रम चित्र तैयार करना और मूलभूत अभियांत्रिकी तैयार करना, भूमि का अधिग्रहण करना आदि किए जा रहे हैं। इस परियोजना को पूरा करना विभिन्न अभिकरणों से अनुमति प्राप्त होने और संयुक्त रूप से कार्य करने संबंधी गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा।

(ग) कम्पनी के वार्षिक लेखा संबंधी विवरण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है और उसकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। अनन्तिम आंकड़े वर्ष 1993-94 के दौरान हानि होना दर्शाते हैं। कोई नकदी नुकसान होने का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है। वार्षिक लेखा संबंधी विवरण को अंतिम रूप देने और उसकी लेखा-परीक्षा होने के बाद ही अंतिम स्थिति का पता लगेगा।

(घ) मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रुटाइल, जर्कन आदि जैसे पुलिन बालू निक्षेपों के मौजूदा तथा ज्ञात निक्षेपों में से खनिज प्राप्त करने के लिए कन्याकुमारी में अन्वेषण कार्य हाथ में लिया गया है ताकि कन्याकुमारी जिले के मानवलाकुरिचि नामक स्थान पर स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स के खनिज पृथक्करण संयंत्र में उन्हें संसाधित किया जा सके।

दुपहिया वाहनों के मूल्य

5197. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न दुपहिया वाहनों की कीमतों में किन किन तिथियों को और कितनी बार वृद्धि की गयी और माडलवार इनकी कीमतों में कितनी कितनी वृद्धि की गयी ;

(ख) इनकी कीमतों में बार बार वृद्धि करने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इनकी कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछली तीन वर्षों के दौरान दुपहिए वाहनों के निर्माताओं ने लगभग 7 बार दुपहिए वाहनों का मूल्य बढ़ाया है। मूल्यों में प्रति वर्ष औसत वृद्धि 7 से 10 प्रतिशत हुई है।

(ख) दुपहिए वाहनों के निर्माताओं ने कच्चे माल, कम्पोनेंटों, मजदूरी, परिवहन, ईंधन इत्यादि जैसी निविष्टियों की लागत में वृद्धि को वाहनों की कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी बताया है।

(ग) दुपहिए वाहनों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। इसलिए, दुपहिए वाहनों के निर्माताओं को अपने वाहनों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, यह आशा की जाती है कि वाहनों के अधिक मॉडल आसानी से उपलब्ध होने तथा बाजार की शक्तियों की मुक्त भूमिका से इन वाहनों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

औषध कम्पनियों के दायित्व संबंधी समिति

5198. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध मूल्य समकारी लेखों में प्रमुख औषध कम्पनियों के दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, और इसके निर्देश-पद क्या है; और

(ग) यह समिति अपनी सिफारिशें कब तक दे देगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। 1981 और 1987 के मध्य अधिक वसूल की गई राशियों के संबंध में (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मांगे गये अन्य ब्यौरे 21.3.94 को राजपत्र में प्रकाशित संकल्प में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सशस्त्र बलों में मिडिल रैंक के अधिकारियों की कमी

5199. **श्री जीवन शर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के तीनों अंगों में मिडिल रैंक के अधिकारियों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या 80 के दशक में की गई नीतिगत समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्च रैकों हेतु कई पदों का सृजन किया गया जबकि निचले रैंकों हेतु कोई विस्तार नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) मिडिल रैंकों के बहुत से अधिकारियों को नई दिल्ली में तैनात करने के क्या कारण हैं और उन्हें उन यूनिटों में जहां उन लोगों की भारी कमी है, स्थानातंरित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सेना और नौसेना में बीच के स्तर के रैंक के अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। तथापि वायुसेना में बीच के स्तर के कतिपय रैंकों में अधिकारियों की कमी है। यह कमी 1980 के दशक में हुई संवर्ग समीक्षा के कारण नहीं है बल्कि इसका मुख्य कारण पिछले कुछ वर्षों में अधिकारियों को कम संख्या में भर्ती किया जाना है। इस कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना मुख्यालय में स्टाफ नियुक्तियों संबंधी कई पदों पर कम नियुक्तियां की गई हैं और सेवा निवृत्त अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया जा रहा है। अधिकारियों की निर्धारित कार्यकाल के आधार पर वायुसेना मुख्यालय और फील्ड यूनिटों के बीच आवधिक रूप से अदला-बदली की जाती है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता

5200. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने ''आस्टियो-पोरेरू'' के उपचार में काम आने वाली औषध, ''सेंटक्रोमैन'' की प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए एक अमरीकी कम्पनी के साथ समझौता किया है;

(ख) सी.डी.आर.आई., लखनऊ द्वारा अमरीकी औषध निर्माताओं के साथ किए गए ऐसे अन्य समझौतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अमरीका तथा अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण समझौतों संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) सी.डी.आर.आई., लखनऊ द्वारा अमरीकी, औषध निर्माताओं के साथ समान प्रौद्योगिकी का अन्य कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ग) यू.एस.ए. और अन्य देशों को असैनिक व्यावसायिक प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

आर्थिक अपराधी

5201. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों के श्रेणी 'क' अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 1992 से जनवरी, 1994 तक आर्थिक अपराध से संबंधित मंत्रालयवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) मंत्रालय वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं ; और

(ग) अब तक जिन मामलों की जांच की जा चुकी है; उनका ब्यौरा क्या है तथा कितने मामलों में अपराध सिद्ध हो चुका है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) इस मामले में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि इस शिकायत की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी पनबिजली परियोजनाएं

5202. श्रीमती डी.के. भंडारी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी पनबिजली परियोजनाएं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने के लिए काफी लाभदायक होती है ;

(ख) यदि हां, तो देश में छोटी पनबिजली परियोजनाओं की क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान छोटी पनबिजली परियोजनाओं की उपयोग में लाई गई क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने में 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार देश के लिए लगभग 10,000 मेगावाट की लघु पन-बिजली संभाव्यता का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) अब तक कुल 100 मेगावाट की लघु पन-बिजली क्षमता स्थापित की गई है जिसमें 3 मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई लगभग 35 मेगावाट की संवृद्धि शामिल है। 202 मेगावाट क्षमता संस्थापित की जा रही है।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा 17.00 करोड़ रुपये की आर्थिक राज सहायता प्रदान की गई हैं।

सशस्त्र बलों के फील्ड क्षेत्र के कार्मिकों के लिए भत्ते

5203. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में कार्यरत कार्मिकों के फील्ड क्षेत्रों को पुनः निरुपित करने के संबंध में चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें मान ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचित फील्ड क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के क्षतिपूरक भत्ते के भुगतान में कितनी राशि के खर्च होने का अनुमान हैं ; और

(ग) इस भत्ते के भुगतान की प्रभावी तिथि क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में फील्ड क्षेत्रों को पुनः निरूपित किया गया है तथा इन क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को देय फील्ड सेवा भत्ता भी युक्तियुक्त बनाया गया है तथा उसे संशोधित किया गया है। इस संबंध में आदेश 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हैं। संशोधित भत्ते का कुल वित्तीय भार प्रति वर्ष लगभग 61.25 करोड़ रुपए होगा।

[हिन्दी]

कोच्चि में लाइनियर अल्काइल बेनजीन निर्माण परियोजना

5204. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कोच्चि में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड से मिलने वाले कच्चे माल पर आधारित लाइनियर अल्काइल बेनजीन के निर्माण की कोई परियोजना विकसित की है ;

(ख) क्या परियोजना शुरू करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (के एस आई डी सी) ने सूचित किया था कि वे केरल में कोचि नामक स्थान पर लीनियर अल्काइल बेंजीन (क्षमता 80,000 टन प्रतिवर्ष) के निर्माण के लिए भारतीय ग्रुप (थाम आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के हयोग से संयुक्त क्षेत्र में एक परियेाजना विकसित कर रहे हैं। परियोजना हेतु प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए के एस आई डी सी के यू ओ पी इन्टर-अमेरिकाना इंक., यू. एस. ए के साथ विदेशी सहयोग के लिए अप्रैल, 1992 में मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकसमान स्वास्थ्य सेवा

5205. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं के समान भारतीय चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवा लागू करने का विचार रखती है और इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से उनके विचार मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के गठन से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजे गए थे। राज्य सरकारों की सर्व-सम्मति न होने के कारण भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन करना संभव नहीं है। उन राज्यों जिन्होंने भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के नियमों को स्वीकार/अस्वीकार कर दिया तथा जिनकी कुछ शंकाएं हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :-

स्वीकृत

1. गुजरात
2. कर्नाटक
3. मिजोरम
4. राजस्थान
5. त्रिपुरा

सशर्त स्वीकृत

1. मध्य प्रदेश
2. महाराष्ट्र
3. पंजाब
4. मेघालय

अस्वीकृत

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू तथा कश्मीर
5. केरल

राज्य जिन्होंने काई टिप्पणी नहीं की

1. बिहार

2. हरियाणा

3. मणिपुर

4. नागालैण्ड

5. उड़ीसा

6. सिक्किम

8. उत्तर प्रदेश

9. पश्चिम बंगाल

इस मामले पर अन्तर्राज्यीय परिषद की उस समिति की 15.09.92 को आयोजित बैठक में भी विचार किया गया था, जिसने इस अखिल भारतीय सेवा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निर्णय किया।

जल की आपूर्ति

5206. श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोलियो टीका फैक्ट्री

5207. डा. छत्रपाल सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले में लगाई जा रही लग पोलियो टीका फैक्ट्री पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) इस फैक्ट्री का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, परमाणविक ऊर्जा, अन्तरिक्ष विभाग और राज्य मंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारत सरकार के जैव तकनीक विभाग द्वारा, बुलन्दशहर के चोला गांव में भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड बायलोजिकल्स कारपोरेशन लि. पर जो 14.326 करोड़ रुपये खर्च किए हैं वह पास राशि के रुप में हैं। सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

12.00

[अनुवाद]

जाति भेद रहित दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के आविर्भाण का उद्य होने के बारे में

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित दो मुद्दे उठाना चाहता हूं।

निसन्देह, यह हम सबके लिए अत्यंत संतोषजनक बात है कि दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद और नस्ल भेद की पताका उतार ली जाएगी। कल वह पताका उतार ली गई है और उसके स्थान पर जाति भेद रहित दक्षिण अफ्रीका का 6 रंग वाला ध्वज फहरा दिया गया है।

यह एक ऐसा अवसर है जब हम भारतीयों को भी खुशी मनानी चाहिए और हमें अपने स्वर को, दक्षिण अफ्रिका के जाति भेद को न मानने वाले नागरिकों, भले ही वह काले हों, गोरे हों अथवा भारतीय हों, के स्वर से मिलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और अब वे तेजी से नये सिरे से विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सम्भवतः भविष्य में वहां से सारे शुभ समाचार नहीं मिलेंगें फिर भी यदि वहां से भविष्य में शुभ समाचार न भी मिलें तो हमारे देश की तथा इस सभा की सद्भावना हमेंशा नये पथ की ओर अग्रसर हो रहे वहां के लोगों के साथ होनी चाहिए।

चूंकि मैं इस मुद्दे पर बोल रहा हूं, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार तथा अमेरिका के अधिकारी समूह की भेंट लंदन में हो रही है।

एक राष्ट्र के अधिकारी दूसरे राष्ट्र के अधिकारियों से भेंट करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति वार्तास्थल से है। वार्तास्थल लंदन क्यों है? हमारी आपत्ति इस समूह के सदस्यों से है। इस समूह में सदस्यों को केवल प्रधान मंत्री कार्यालय से ही क्यों चुना गया और रक्षा मंत्रालय अथवा विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं चुना गया। हमें कुछ भी पता नहीं है कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है और बैठक में किस विषय पर चर्चा की जाएगी। समाचार पत्रों में जो अटकलबाजी लगाई गई है और जो खबर छपी है हम उस को मानकर नहीं चल सकते कि इस तरह जल्दबाजी में किस बात पर चर्चा की जा रही है अथवा प्रसार से संबंधित मामला क्या है। हम जानते हैं कि प्रसार संबंधी मामला ऐसा मामला है जिस पर भारत सरकार विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत करती रही है। लेकिन यह बातचीत लंदन में क्यों हो रही है और वह भी इस प्रकार से? क्या चर्चा हो रही है इस बात से इस सभा को पूरी तरह से अंधेरे में क्यों रखा गया है? हमारी आपत्ति उन अधिकारियों को सदस्य बनाने से है जो कि भेंट करने वाले हैं। हम भारत सरकार के हर एक अधिकारी को सिविल सेवा अथवा विदेशी सेवा का सक्षम प्रतिनिधि मानते हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व के इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को जिस ढंग से लिया जा रहा है और जिस परिस्थिति में लिया जा रहा है, यह समस्या की बात है।

हम सब जानते हैं कि यह कोई गुप्त बात नहीं है कि प्रधान मंत्री जी वाशिंगटन जा रहे हैं। प्रधान मंत्री के

रूप में चुने जाने के बाद पहली बार वह अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन से तथा क्लिंटन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हमारे प्रधान मंत्री उनसे मिलने वाले हैं। निर्धारित समय को देखकर कुछ संदेह सा होने लगता है और लगता है कि यह जल्दबाजी में किया गया है और वार्ता के लिए भारत और अमेरिका को न लेकर तीसरे स्थान को वार्ता स्थल बनाया गया।

इसके लिए भारत सरकार को कम से कम इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों को एक के बाद एक, पहले मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह इस शताब्दी की महती घटनाओं में से एक है। इसकी तुलना 1917 से नहीं की जा सकती लेकिन अवश्य ही इस घटना की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हुई विश्व के अधिकांश उपनिवेशी भाग की विमुक्ति से की जा सकती है। ऐसी घटनाओं का क्रम हमें विशेषकर गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग की याद दिलाती है जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था। इसके बावजूद वह देश हिंसावादी बना रहा, वह भी ऐसी हिंसा का जो न केवल श्वेतों की प्रभुता के कारण विद्यमान थी बल्कि मूल अफ्रीकी वंश के लोगों में भी विद्यमान थी। अब वे दिन समाप्त हो रहे है। अब वहां वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। यह एक बहुजातीय मतदान प्रक्रिया है तथा यह राजनैतिक दृष्टि से अन्तिम गढ़ है, यद्यपि आर्थिक दृष्टि से नहीं, जो समाप्त होने की कगार पर है। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि अध्यक्ष महोदय सभा की सर्वसम्मति से इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सभी वर्ण, जाति के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं तो यह अच्छी बात है। यदि दूसरे सदस्य भी इसमें शामिल होंगे तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण सभा विशेषकर हमारे देश की जनता और सरकार, जोकि दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीती वाली सरकार के खिलाफ लगातार अपना मत व्यक्त करती रही है और इस शताब्दी के महान नेता डा. नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका की जनता का समर्थन करती रही है, इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करेगी। डा. मंडेला इस शताब्दी के महान नेता हैं जिन्होंने आत्म सम्मान, प्रतिबद्धता, समर्पितभाव, न्यायभाव और मानवीय मूल्यों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए संघर्ष किया। मुझे याद है कैरो में उनके जेल से रिहा होने के बाद मैं जब पहली बार उनसे मिला था तब मैने सर्वप्रथम उनसे यह प्रश्न किया था कि जेल में 27 वर्ष बिताने के बाद भी वह स्वस्थ और उल्लासपूर्ण कैसे है तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे देश के ही नहीं वरन् इस शताब्दी के महान नेता महात्मा गांधी ने ही उन्हें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की। इसलिए यह हमारे राष्ट्रपिता द्वारा उस देश में हासिल की गई विजय है। अतः हमें इस बात का गर्व है और हम दक्षिण अफ्रीका के अपने भाइयों और बहनों की खुशी में साझेदार होना चाहते हैं। यह लोकतंत्र, न्याय और मानव मूल्यों की विजय है। मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्पूर्ण सभा मेरे साथ है।

दूसरी बात है, मैने उस दिन अपनी चिन्ता व्यक्त की थी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मौके पर साधारण वादविवाद नहीं करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं अलग से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यही बात कह रहा हूं। सरकार अलग से किसी भी स्थान पर, कहीं भी मिलती है। लेकिन मेरा केवल यह कहना है कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और सरकार को परामर्श करना चाहिए तथा इसके लिए संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकता दक्षिण) : जैसा कि श्री जसवंत सिंह जी तथा अन्य सभी सदस्यों अनुसार ने जिक्र किया मुझे भी अपने महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। इस अवसर पर हम श्री राजीव गांधी को भुला नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अफ्रीका की जनता के लिए धन राशि एकत्र की थी। आज वह नहीं हैं। लेकिन आज हमें उन्हें याद करना चाहिए। आज विजय का दिन है। डा. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की जनता के लिए संघर्ष किया था। साथ ही श्री बेन्जामिन मोलायसे को फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होने दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया था। आज हमें दक्षिण अफ्रीका की जनता पर गर्व है जिन्होंने अपने प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। मैं समझता हूं कि इस सभा को दक्षिण अफ्रीका की जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं व श्रद्धा व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प। प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसके साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन आज वे नहीं हैं। हमें उनके प्रति श्रद्धांजली व्यक्त करनी चाहिए।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम जातिभेद और रंग-भेद के साम्राज्य के अवसान के साक्षी हैं। इस सभा को पुनः स्मरण करना होना कि भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को उठाया था और अपने वाणिज्यिक और आर्थिक हितों की बलि देते हुए भी हम सदा दक्षिण अफ्रीका की पीड़ित जनता के साथ रहे और जाति भेद विरोधी विचारधारा वाले और प्रजातांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया। इसीलिए हम इस समय उस देश में हो रहे चुनाव का स्वागत करते है और हमें आशा और विश्वास है कि इन चुनावों के परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका सच्चे रूप में प्रजातांत्रिक और जातिभेद विहीन देश के रूप में उभरकर सामने आएगा। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं इस सभा के अन्य विशिष्ट सदस्यों के साथ दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद विहीन, संयुक्त और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के उदय का स्वागत करता हूं। भारत ने स्वतंत्रता के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष किया और प्रगति और समृद्धि का अपना अलग रास्ता अपनाया था। उस दृष्टिकोण से, हम अपने महान नेता महात्मा गांधी की तरह लगातार दक्षिण अफ्रीका की जनता, जो रंगभेद की धृणित व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, का समर्थन करते रहे। इस अवसर पर जबकि पूरा विश्व रंगभेद से मुक्त प्रजातांत्रिक संयुक्त और प्रकीकृत दक्षिण अफ्रीका के उदय का साक्षी है, यह संसद और यह सभा दक्षिण अफ्रीका की जनता को अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करती है।

|हिन्दी|

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव खत्म हुआ है और वहां जो लोकतंत्र आया है, उससे हमें भी प्रसन्नता है। मान्यवर, इसमें सदन को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना

चाहिए। यह सब के लिए खुशी की बात है। इसके लिए मैं वहां की जनता को बधाई देता हूं।

|अनुवाद|

श्री पी.जी. नारायणन (गोबीचेट्टीपालयम) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण अफ्रीका में जो विकास हो रहा है वह स्वागत योग्य है। महात्मा गांधी जी ने राजनैतिक अधिकारों के लिए नींव रखी थी डा. नेल्सन मंडेला को कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। उन्होने जनता के राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका की जनता को अब राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस अवसर पर मैं सभी के साथ इसका स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रसन्नता है कि दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हो रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को मतदान का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह सभा एकमत से दक्षिण अफ्रीका के नेताओं और वहां की जनता के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करती है।

(व्यवधान)

|हिन्दी|

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे ही सदन की बैठक इस सत्र में खंड़ित हुई और उसके दो हिस्से हो गये। हमारे सदन में माननीय सदस्यों की जो मृत्यु या स्वर्गवास हो जाता है, उसमें पुरानी परम्परा थी, वह इस तरह से बदली है कि सदन के दिन वैसे ही कम हो गये। इस बात को सभी लोगों ने आपके सामने व्यक्त किया है कि इस बार सैशन में बहस के दिन कम हो गये और इस बार का बजट भी दो हिस्सों में हो रहा है इसलिए उसमें जो रस आना चाहिए और जनता के बीच में बहस का जो असर पड़ना चाहिए था, वह नहीं पड़ा है। इसके बावजूद भी सभी पार्टियों की तरफ से मेरा यह निवेदन है कि जो पुरानी परम्परा थी कि जो संसद सदस्य दिल्ली में देहान्त और उनका क्रिमेशन हो तो सदन को बन्द करना चाहिए। सदन भारत के लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन जगह है, उसमें तीन दिन पहले और चार दिन पहले मृत्यु हो और उसे बन्द करना पड़े तो उसमें कहीं न कहीं हम सब लोग दोषी रहे हैं।

वैसे ही हमारे देश में होलीडे ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान और अवतार हमारे यहां हुए हैं। जितने धर्म और मजहब हमारे देश में हैं, उतने दुनिया में कहीं नहीं हैं। एक के बाद एक उनके त्यौहार आते हैं और उनके लिए छुट्टी होती है। वह हमारे लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी है।

उसके ऊपर सदन में ऐसी परम्परायें डली हैं कि लगातार सदन की बैठकों के दिनों में कमी आई है। इसके लिए आपसे लगातार आग्रह रहा है कि सदन की बैठक के दिनों में बहुत कमी, खलती है। सदन के सत्र के खण्डित होने से बहस खण्डित हुई है, यह भी खलती है। फिर से कभी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तीन-चार दिन पहले हो जाती है, तब भी यह सदन पूरी तरह से बन्द किया जाता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हर समय मृत्यु नहीं होती है।

श्री शरद यादव : मैं मानता हूं, मृत्यु तीन-चार दिन पहले हो ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनको स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में पहले भी परम्परा थी। मैं इस सदन में पिछले 30 बरस से सदस्य हूं। मैं जानता हूं, पहले यह परम्परा थी कि जिस सदस्य की मृत्यु दिल्ली में हो और क्रिमेशन यहां हो, तभी सदन की उस दिन बैठक नहीं होती थी या हाऊस एडजॉर्न होता था। इन सारी चीजों के देखते हुए, मेरी आपसे विनती है कि इस परम्परा को फिर से वापस करना चाहिए, ताकि इस सदन में जो परम्परा रही है, वह फिर से रिवाइज हो सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शरद जी ने जो कहा है, उससे सब लोग सहमत होंगे। इसी कारण एक बार बात करके, चर्चा करके परम्परा तय हुई थी कि कभी किसी का देहान्त हो जाए, कोई दुखद घटना हो जाए, तो उस समय कोई भी विवाद खड़ा करना नहीं चाहेगा। कोई भी कह देता है कि सदन स्थगित हो, तो स्थगित हो जाता है। इसीलिए कुछ गाइडलाइन्स बनाई थी, पर उससे क्योंकि समय समय पर हटते रहे हैं। इसीलिए उस पर दृढ़ रहना संभव नहीं है। लेकिन अच्छा हो कि एक बार फिर हम रिवर्ट करें और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, निरपवाद रूप से एक बार चाहें तो उसको फिर से बना लें। इसको फार्मयुलेट करके, एप्रुव कर लें, फिर कोई स्पैसिफिक केस आता ही नहीं है। निरपवाद रूप से उसको मान लें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप अभी अपनी राय देने जा रहे हैं? इसका निर्णय बाद में लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शरद जी और आडवानी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होने एक बहुत ही उपयुक्त बात, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, उसके सिलसिले में हम लोग जो भी इस सदन में कर रहे थे, उसको दुरूस्त करने के लिए एक रास्ता निकाल दिया है। जब भी कोई सदस्य हम से बिछुड़ता है, तो हमें दुःख तो जरूर होता है और हृदय से हम उसको श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं और हमारी सही श्रद्धांजलि काम करके और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके भी करनी होती है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, मगर एक-दो दफा ऐसे प्रसंग आए कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें बड़ी तीव्रता से व्यक्त की, उस पर भी सदन में कुछ भावनाओं से उद्वेग हो, ठीक नहीं लगता। मगर शरद जी ने जो कहा है, वह बिल्कुल दुरूस्त है। जिस प्रकार हमारी पुरानी प्रथा थी, हम उसी प्रकार करेंगे। अगर अन्त्येष्टि में जाना है, तो ठीक है, हाऊस एडजॉर्न करेंगे। अगर पहले हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि देंगे और काम करके और अच्छी श्रद्धांजलि हम उनको देंगे। इसी प्रकार का विचार नेताओं की बैठक में भी हुआ था। सारे पक्ष के नेताओं ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया था। इसमें सारे नेताओं और सरकार की भी सहमति है। धन्यवाद

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बहुत ही सीरियस मामले के सिलसिले में आपका ध्यान खीचना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी आज सदन में नहीं हैं.....

अध्यक्ष महोदय : वे बीमार हैं, उन्होने मुझे बताया है,

श्री रवि राय : मैं वर्लड लेबर रिपोर्ट, 1994 का जिक्र करना चाहता हूं। इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनिजेशन की तरफ से यह रिपोर्ट छापी गई है और आर्थिक मामलों के ऊपर स्थिरता से यह रिपोर्ट राय देती रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में सदन और देशवासियों का ध्यान खीचना चाहता हूं कि दुनिया में जहां-जहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट के जरिए एक राय व्यक्त की है। इसके पहले हम लोग यहां प्रश्न-काल के समय इंडस्ट्री और एम्पलायमेंट के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैं उसमे कुछ उदरण देना चाहता हूं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट कहता है -

[अनुवाद]

वर्तमान सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का पूरे विश्व के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। इससे विश्व भर में पूंजी का सस्ता और उत्पादक श्रम तलाश करने में सहायता मिलेगी तथा एक देश से दूसरे देश में काम बढ़ने के अवसरों में भी सहायता मिलेगी।

आर्थिक सुधार से काम की इस प्रवृति को भी प्रोत्साहित करेगा, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर। इसलिए, लाखों कर्मचारियों के लिए आगे आने वाले अनेक वर्षों तक रोजगार अनिश्चित बना रहेगा। वर्ष 1992-93 की रिपोर्ट में बिगड़ती हुई रोजगार स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है, रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी को भी बताती है मजदूरी में स्थिरता एवं कमी को दर्शाती है। अनौपचारिक क्षेत्र की ओर बदलाव दिखलाती है। दक्षिण एशिया के देशों को अधिक और निरन्तर विकास की आवश्यकता होगी और उन्हें श्रम वृद्धि का सामना करना होगा तथा उनकी हानियों में भी काफी कमी आएगी और जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनकी संख्या में भी कमी आएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, असल में आई.एल.ओ. के जो डायरेक्टर जनरल हैं वे बता रहे हैं कि,

[अनुवाद]

''उन्होंने सार्वभौमिकीकरण की चुनौतियों का सामना किया है, जो कि उनके विचार से अब कुछ समय से राष्ट्रीय विधानों की स्वायत्तता से काफी नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही कुछ लोग सरकार के हस्तक्षेप को भी कम करने की आवश्यकता के बारे में अटल हैं तथा अन्य मुद्दे हैं जैसे शासन पूर्णतः प्रभावहीन हो जाएगा। हमें सामाजिक बंधनों के कठोर मानदंडों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए और उन्हें संरक्षण ....''

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं इस पर इसलिये जोर दे रहा हूं क्योकि आई.एल.ओ. के डायरेक्टर जनरल कह रहे हैं,

[अनुवाद]

"प्रथम और सर्वप्रथम वे लोग हैं जिनकी नौकरियां अथवा आमदनी खतरे में है, उन लोगों को छोड़कर जो बिल्कुल गरीब हैं, उन्हें और गरीब नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अंत में वे भोपाल की गैस ट्रेजडी के बारे में इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन की वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट के बारे में कहते हैं,

[अनुवाद]

रसायनों से होने वाला विनाश, भोपाल त्रासदी के रूप में लोगों के मन में बैठ गया है। लेकिन अधिकतर रसायनों से होने वाला नुकसान बहुत कम सामने आता है। पिछले कुछ महीनों में रसायनों का उत्पादन काफी बढ़ गया है, जो कि पूरे विश्व में वर्ष 1973 के 60 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1993 में 400 मिलियन टन हो गया है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज भारत सरकार के मंत्रीगण यहां बैठे हैं कि यह जो वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 1994 का प्रकाशित हुआ है इससे कुछ सबक लें और हिन्दुस्तान जैसे विश्व की तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं और आई.एल.ओ. रिपोर्ट में जिस तरीके से ग्लोबलाइज के नतीजे के बारे में कहा है मैं चाहूंगा कि सारा सदन इस बारे में सोचे और खास करके सरकार जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ मृग मारीचिका की तरह चल रही है उससे सबक लें, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रीकृयत कोयला खदान जो बदं है इसके बंद रहने के कारण वहां पिछले तीन वर्षों से लगातार अवैध कोयला खनन का काम जारी है। इन तीन वर्षों में एक हजार से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब सात सौ ट्रक कोयले से लदे हुए पकड़े गए हैं।

महोदय, 1975 में बिहार सरकार के मुख्य सचिव और कोयला कंपनियों के पदाधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यह तय हुआ है था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो अवैध खनन का काम हो रहा है इसे रोकने की जिम्मेदारी कोयला खदानों के ऊपर है।

लेकिन कोयला खदाने इस काम को रोक नहीं रही हैं, जिससे विधि व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस चोरी को तुरंत रोका जाए।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी.थामस (एरणाकुलम) : एअर ट्रेफिक कन्ट्रौलरस् गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार को सूचित किया है कि 1 मई से वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। इससे सारे देश की राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय वायु सेवा ठप्प हो जाएगी। यह बहुत गंभीर स्थिति है। अगले सोमवार से देश के सारे वायुयान उड़ान नहीं भरेंगें। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

|हिन्दी|

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, आज के "जनसत्ता" अखबार के मुख्य पृष्ठ पर समाचार छपा है कि बोकारो भोपाल बनते-बनते रह गया।

अध्यक्ष महोदय : अखबार के आधार पर नहीं, आपको कोई मालूमात हैं तो आप बता सकते हैं, आप बैठ जाइए।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ का जो विशाल समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसमें व्यापक रूप से सोना, चांदी, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी होती है। इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने कस्टम, आक्ट्राय और पुलिस विभाग की संयुक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है। आने वाले मानसून में इस तस्करी के और बढ़ने के संभावना है। लेकिन पेट्रोलिंग करने वालों के पास तस्करी को रोकने की निम्न स्तर की और अपर्याप्त व्यवस्था है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तस्करी को रोकने के लिए आधुनिक नौकाओं, आधुनिक हथियार और अच्छे संदेश वाहक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और तस्करी को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाई की जाए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जहानाबाद क्षेत्र की गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी कि यह क्षेत्र आज दूसरा पंजाब बनने जा रहा है। इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का उचित प्रबंध न होने से और सरकार की दोहरी नीति के चलते विकास न होने से अशिक्षित और बेरोजगार नौजवान उग्रवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं। इन उग्रवादियों का शिकार वहां के गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़े लोग होते हैं, इनकी हत्याएं की जाती हैं और उधर पुलिस भी इन्ही गरीब आदिवासियों और पिछड़े लोगों की हत्याएं कर रही है। इस क्षेत्र में सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। इस तरह से इन गरीब और पिछड़े लोगों को दोनों तरफ से मार पड़ रही है।

इस समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि जहानाबाद के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का कोई प्रबंध नही है। हालांकि शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, लेकिन मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि जहां पर भी 500 या 1000 आदिवासी, गरीब, पिछड़े हुए लोग रहते हों वहां पर शिक्षा का प्रबंध किया जाए। यदि राज्य सरकार फिर भी इस काम को करने में असमर्थ है तो केन्द्र सरकार स्वयं पैसा देकर इन इलाकों में शिक्षा का समुचित प्रबंध कराए, ताकि उन क्षेत्रों में शांति हो सके। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

|अनुवाद|

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह चिन्ता का विषय है कि परीक्षा केन्द्रों में गलत तरीकों सहारा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

वास्तव में, परीक्षा के समय शैक्षणिक संस्थाओं में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही है। शिक्षकों पर हमले किए जा रहे हैं। यह बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके बहुत अप्रत्यक्ष तथा दूरगामी प्रभाव भी हैं। इसलिए हमारी शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। विशेषकर कि परीक्षा के संबंध में सुधार का

प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत सरकार, विशेषकर कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक सम्मलेन बुलाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि वे इस गंभीर समस्या पर विचार-विमर्श कर सकें और उसका हल ढूँढ सकें।

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा समाप्त हो चुका हैं अब सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र

(व्यवधान)

|हिन्दी|

श्री राम नगीना मिश्र (पडसैना) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से नोटिस दे रहा हूँ, लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिला है। **(व्यवधान)** हमारे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नोटिस तो सभी देते हैं लेकिन सारे एडमिट नहीं होते हैं, सिक्सटी टाऊसेंड नोटिस आते हैं। आप बैठ जाइए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं नहीं बैठूंगा। .... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : यह सब बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जायेंगी।

12.32 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूँ।

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5727/94)

भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, मुम्बई, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

(1) (एक) भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा ल्या परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारास समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या. एल.टी. 5728/94)

(3) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5728/94)

इलैक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलेक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5730/94)

(3) (क) (एक) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. 5731/94)

(ख) (एक) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(ग्रंथालय में रखे गए। दखिए संख्या एल.टी. 5732/94)

लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 1994

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज)।

मैं, लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन विनियम, 1994 जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी. डब्ल्यू.आर./2/90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया है।

(ग्रंथालय में देखिए संख्या एल.टी. 5733/94)

केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधन संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5734/94)

इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1991-92 और 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, प्रसंस्करण और उत्पादन विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5735/94)

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन हैदराबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में बिवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5736/94)

(4) (एक) प्रसस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसंस्करण और उत्पादन विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5737/94)

(5) (एक) शीशा उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शीशा उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 5738/94)

(6) केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र, जमशेदपुर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों * को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5739/94)

(7) केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों * को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 5740/94)

(8) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण।)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 5741/94)

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(एक) अमोनिबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वालास विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5742/94)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) अखिल भारतीय सेवा संवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षार्थी अंतिम परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1993 जो 27 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस से (परिवीक्षाधीन) दूसरा संशोधन, नियम, 1993 जो 27 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन) संशोधन नियम, 1993 जो 18 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 620 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1993 जो 22 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5743/94)

(2) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5744/94)

(4) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथ खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपरोक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5745/94)

(6) (एक) केन्द्रीय भंडार (केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार (केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपरोक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5746/94)

इन्डियन रिन्यूवेबल एनर्जी डबलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि उद्योग और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणांचल) : श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) इण्डियन रिन्यूवेबल एनर्जी डबलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5747/94)

(3) इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 5748/94)

12.34 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति।

(तीसवां प्रतिवेदन)

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.34.5 म.प.

प्राक्कलन समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

डा. कृपासिन्धु भोई (साम्बलपुर) : मैं गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन प्रणाली के संबंध में समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्राक्कलन समिति का चालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूँ।

लोक लेखा समिति

इकहत्तरवां तथा सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोकसेवा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं)

1. एक बख्तर बंद वाहन "जैड" इसकी तोप और गोला बारूद उत्पादन संबंधी इकहत्तरवां प्रतिवेदन।

2. लघु पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों से संबंधित 32 वें प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी सत्तरवां प्रतिवेदन।

12.35 म.प.

|हिन्दी|

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) तैंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बीमा प्रभाग)-भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन और अधिवक्ताओं के पैनल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का तैंतीसवा प्रतिवेदन।

(दो) इस्पात मंत्रालय - विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पैंतीसवा प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति

(दो) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन।

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के जुलाई, 1993 के दौरान नागपुर, मुम्बई, जामनगर, अहमदाबाद और बड़ोदरा के अपने दौरे संबंधी अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के जुलाई, 1993 के

दौरान हैदराबाद, मद्रास, मदुरै, कोचीन और कोडईकनाल के अपने दौरे संबंधी अध्ययन ग्रुप ।। के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

12.35.5 म.प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति।

कार्यवाही – सारांश

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 19 अप्रैल, 1994 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.36 म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (1994–95)

छठा प्रतिवेदन

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994–95) के बारे में शहरी ग्रामीण विकास संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों की कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.36 1/4 म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

(चौथा प्रतिवेदन)

श्री एच.डी. देवगोड़ा (हसन): मैं पूर्ति विभाग की अनुदानों की मांगों (1994–95) के बारे में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

12.36 1/2 म.प.

(एक) उड़ीसा के बोलगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मध्यस्तरीय सूखा–रोधी कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता।

श्री शरत पटनायकः महोदय बालगीर संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र विगत अनेक वर्ष से सूखाग्रस्त है। किसी एकीकृत कार्यवाही योजना के अभाव में वहां दिन–प्रतिदिन स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रधान मंत्री ने गतवर्ष उम क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने उस क्षेत्र में मध्यम म्तरीय मृखा रोधी कार्यक्रम लागू करने के बारे में सुझाव दिया था। चूंकि उस क्षेत्र में काफी भारी संख्या में कामगार वर्ग के भूमिहीन और सीमान्त किसान रहते हैं। अतः इस मामले में तत्काल कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है।

स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए सरकार से अनुरोध है कि वहां मध्यस्तरीय सूखा रोधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में घोषणा करें।

(दो) केरल के कोडंगलूर पत्तन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मण (मुकुन्दपुरम्) : महोदय कोडूंगलूर जिसे हाल ही में लघु पत्तन घोषित किया गया है और जो मछली पकड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र है यहां अभी तक माल की आवा-जाही संबंधी कोई कार्य नहीं हो रहा है। 'बेक वाटर्स' का निर्माण, वर्ष 1994 तक पूरा होने की आशा है। कीचड़ निकलने के पश्चात् चैनल स्थिर हो जायेंगे और न्यूनतम गहराई चार मीटर हो जायेगी। इस समय एफ.ए.सी.टी. त्रावणकौर कोचीन कैमिकल्स तथा अन्य बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल कोचीन पत्तन के मध्यम से आयात किया जा रहा है और सल्फर फॉस्फेट आदि ढोने वाले जहाज कोचीन पत्तन पर ही खड़े होते हैं।

कलमिसरी, अलवयी तथा अंगमलय जैसे औद्योगिक क्षेत्र में माल की दुलाई अपने आप चलने वाली छोटी नौकाओं द्वारा की जाती है। पत्तन प्रभार की दर बहुत अधिक होने के कारण कोचीन पत्तन के माध्यम से माल की आवा-जाही मंहगी पड़ती है। यदि इन पोतों को शीघ्रातिशीघ्र कोडूंगलूर में लंगर डालने की सुविधा मिल जाये, तो कच्चे माल को संबंधित औद्योगिक क्षेत्र तक बिना कोई अतिरिक्त भाड़ा दिए ले जाना संभव होगा और इस प्रकार इस पत्तन से कच्चे माल को कोचीन पत्तन के मुकाबले कम लागत पर लाया जाना संभव होगा। यदि श्रमिकों से दीर्घकालीन समझौता हो जाता है, तो बार-बार होने वाले श्रमिक विवादों से भी छुटकारा मिल जायेगा।

इसलिए मेरा केन्द्र, सरकार से अनुरोध है कि कोंडुगलूर पत्तन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाये, यद्यपि यह छोटा पत्तन है।

(तीन) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक उपलब्धों को लागू किए जाने की आवश्यकता।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, संविधान (7391 संशोधन) अधिनियम, 1992 तथा संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 क्रमशः 24 अप्रैल, 1993 और जून 1993 को लागू हुए। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज और नगर पालिकाओं संबंधी उनके वर्तमान कानूनों में संशोधन किया गया। आधा नए सिरे से इसके बारे में कानून बनाये गये ताकि इन संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप सुसंगत उपबंध किए जा सकें।

भारत सरकार ने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक वर्ष के भीतर जो कार्यवाही की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन इसके साथ ही सरकार से यह भी अनुरोध भी करता हूं कि नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक उपबंधों को चंडीगढ़ में लागू करने के तत्काल उपाय किए जायें। प्राक्कलन समिति ने 30 अप्रैल, 1993 को संसद में प्रस्तुत अपनें इक्कीसवें प्रतिवेदन में ऐसी सिफारिश की हैं लीज़होल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए निर्देश जारी करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, जो मुद्दा कई वर्षों से लटक रहा है।

(चार) काठ गोदाम, उत्तर प्रदेश से मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और जम्मू के लिए रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : रामपुर से काठगोदाम तक नई रेल लाइन का निर्माण हुए काफी समय गुज़र चुका है, किन्तु सरकार द्वारा उन पर यात्री गाड़ियां अभी भी नहीं चलाई जा रही हैं। समय-समय पर मेरे द्वारा सरकार को अवगत कराया गया है कि काठगोदाम से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मु आदि के लिए गाड़ियों को चलाया जाये, ताकि नैनीताल के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, किन्तु सरकार ने काठगोदाम से दिल्ली तथा हावड़ा की गाड़ियाँ चलाने की घोषणा करने के बाद भी अभी तक उन्हें चलवाने की कार्यवाही नहीं की।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन यात्री गाड़ियों को अविलम्ब चलाया जाये, जिससे इस क्षेत्र को लाभ पहुंच सकें।

(पांच) मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले खारगोन के संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : अध्यक्ष महोदय, म.प्र. अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। प्रदेश के अधिकांश जिले आदिवासी बहुत हैं। आजादी के बाद भी इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। बड़े गांवों तक भी सड़कें नहीं बनी हैं। जहां वर्षों से सड़कें बन गयी हैं वहां सड़कों की बीच में पुल-पुलियायें नहीं बनी जिससे वर्षा के दिनों में पूरा क्षेत्र शेष भाग से कट जाता है। न दवाखाने, न स्कूल भवन, न पीने के पानी का प्रबंध, न कूप, न नलकूप हैं, जो थोडे बहुत हैं वे सूखें पड़े है। राज्य सरकार राजस्व की कमी के कारण उक्त विकास कार्य करने में असमर्थ रही है। वे लोग भयंकर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। म.प्र. के खरगोन जिले के आदिवासी विकास खंडों के उक्त विकास कार्य अब तक नाम मात्र के हो पाये हैं। सैकड़ों गावों में सड़कें, पुल-पुलियायें, स्कूल दवाखाने, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। म.प्र. राज्य के राजस्व की हालत को देखते हुये उन्हें कर पाना संभव नहीं इसलिए राज्य सरकार ने धनराशि की मांग की है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत म.प्र. राज्य सरकार के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में अनुसूचित जनजाति के कल्याण की अभिवृद्धि करने, जीवन स्तर सुधारने के लिए पर्याप्त धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाये ताकि उक्त क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

12.41 म.प.

[अनुवाद]

रेल अभिसमय समिति के पांचवे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन संबंधी संकल्प अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1994-95

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 19, 20 और 21 पर एक साथ चर्चा करेगी अर्थात रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प, अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1994-95 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1990-91। कल श्री पवन कुमार बंसल बोल रहे थे और वह अब भी अपनी बात जारी रखेगें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंड़ीगढ़) : महोदय, कल मैनें यह कहा था कि चंड़ीगढ़ और लुधियाना और चंड़ीगढ़ और राजपुरा के बीच सीधा रेल सम्पर्क बनाने संबंधी प्रश्न वर्षों से लम्बित पड़ा है। चंड़ीगढ़ शहर के महत्व को देखते हुए और राजधानी तथा राज्य के अन्य भागों के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन दो परियोजनाओं पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह पंजाब को यह आश्वासन दें कि जो मांगें पिछले कई दशकों से उठाई जा रही थीं उन पर अब कार्यवाही की जाएगी। चंड़ीगढ़ शहर का इतना महत्व होने के कारण ही चंड़ीगढ़ और दिल्ली के बीच पिछले कुछ सालों में यातायात काफी बढ़ गया है और वर्तमान यातायात प्रणाली उसके लिए पूर्णतः सक्षम नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दिल्ली और चंड़ीगढ़ के बीच एक और शताब्दी एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता है जो सुबह दिल्ली से जाए और शाम को चंड़ीगढ़ से वापिस आ जाए। मुझे विश्वास है कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि विभिन्न कारणों से चंड़ीगढ़ के लिए वायु सेवा कम कर दी गई है और .....

12.43 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अधिक यातायात होने से जी.टी.रोड़ मौत का कुंआ बन गया है।

महोदय, आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि वह संबंधित कर्मचारियों को यह निदेश दें कि वह ऐसे उपाय करें कि दिल्ली और चंड़ीगढ़ के बीच शताब्दी एक्सप्रेस का समय कम किया जा सके। जैसे कि सप्ताह में दो या तीन दिन गाड़ियां चलती हैं, इससे हमारा यह अनुभव है कि दोनों स्थानों के बीच लिए गए समय को आधा घंटा कम किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अम्बाला और चंड़ीगढ़ के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाए क्योंकि सरकार अमृतसर से दिल्ली के बीच रेल

लाइन का विद्युतीकरण कार्य पहले ही शुरू कर चुकी है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि 45 कि. मी. के इस छोटे से खण्ड का विद्युतीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है।

हाल ही में कालका-हावड़ा मेल जो चंडीगढ़ को हावड़ा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण गाड़ी है उसमें बम्बई के लिए भी एक डिब्बा होता है। इसे दिल्ली में फ्रंटियर मेल से जोड़ दिया जाता था। हम सभी श्रेणियों के लिए और डिब्बे लगाने की मांग करते रहे हैं लेकिन हमें यह देखकर हैरानी हुई कि उस डिब्बे को भी हटा लिया गया है। इसका कारण यह दिया गया कि फ्रंटियर मेल दिल्ली से प्रारम्भ नहीं होती है बल्कि निज़ामुद्दीन से प्रारम्भ होती है और वहां से वह नई दिल्ली जाती है। मेरा निवेदन है कि यह उचित तर्क नहीं है, बल्कि यह एक बहाना मात्र है क्योंकि यह सुविधा बहुत वर्ष पहले प्रदान की गई थी और पिछले कुछ सालों से चल रही है और इस संबंध में मेरा यह कहना है कि अम्बाला में फ्रंटियर मेल में और डिब्बे जोड़ दिए जाएं। मैं माननीय मंत्री से फिर अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस मुद्दे की और ध्यान दें क्योंकि जो सुविधा हमें इतने वर्षों से दी जा रही है उसे वापिस लेने का कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, मेरा यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश जाना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बम्बई और चंडीगढ़ के बीच सीधी गाड़ी चलानी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों के बहुत से व्यक्ति हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं लेकिन राज्य की भौगोलिक स्थिति और वहां संसाधनों की कमी होने से पर्यटन क्षमता का जितना उपयोग किया जाना चाहिए उतना उपयोग नहीं किया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि रेलवे देश के इस भाग में बेहतर सेवाएं पहुंचाए। मैं समझता हूं कि रेलवे स्लिपर डिब्बे या सीधे डिब्बों की प्रणाली नहीं चाहता है और क्योंकि इसमें अनेक कठिनाईयाँ हैं जैसे रास्ते में गाड़ी की पटरी बदलनी पड़ती है और इससे लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की समयबद्धता और सुरक्षा नहीं रहती है। मेरा यह सविनय निवेदन है कि यह तर्क भी उपयुक्त नहीं है। मैं रेलवे की कठिनाइयों को समझ सकता हूं और मैं यह मांग नहीं उठाऊंगा कि सरकार को देश के प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिएं। यह अनेक कारणों से कठिन कार्य है और संसाधनों का भी अभाव है। लेकिन मेरे विचार से आज की परिस्थितियों में कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है और हम कुछ महत्वपूर्ण शहरों के लिए कुछ स्लिप डिब्बे लगाएं और उन्हें रास्ते के महत्वपूर्ण स्टेशनों और जंक्शनों पर हटाकर अन्य गाड़ियों में लगा दिया जाए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें।

महोदय, मेरे विचार से यदि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि गाड़ियाँ स्टेशनों से सही समय पर चलें तो यह समस्या नहीं आएगी और स्लिप डिब्बे लगाने की प्रणाली ठीक से कार्य करेगी।

महोदय, इस संबंध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि चूंकि देश के विभिन्न राज्यों व स्थानों के व्यक्तिय चंडीगढ़ में आकर बस गए हैं क्योंकि वहां बहुत से अवसर और संभावनाएं उपलब्ध हैं और चंडीगढ़ आज एक लघु भारत बन गया है। जो व्यक्ति चंडीगढ़ में बस गए हैं वे अपने मूल राज्यों में जाना चाहते हैं इसलिए उनकी संख्या को देखते हुए रोज एक गाड़ी चलनी चाहिए। इसलिए मेरा यह कहना है कि चंडीगढ़ से हरिद्वार, लखनऊ, पटना, वाराणसी और रांची के लिए स्लिप डिब्बे लगाए जाने चाहिएं। इस समस्या का समाधान करने के लिए

चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ स्लिप डिब्बा लगाया जाना चाहिए जिसे अम्बाला में अलग करके लखनऊ और पटना के लिए पंजाब मेल में लगा दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, महोदय, नवयुग एक्सप्रेस जो जम्मू से मद्रास, मंगलौर, कन्याकुमारी आदि तक जाती है उसे भी दो अलग-अलग गाड़ियों के रूप में चलाया जाना चाहिए। एक गाड़ी चंडीगढ़ से चले और दूसरी जम्मू से तथा अम्बाला में आकर दोनों एक हो जाएं तथा उसके बाद आगे जाएं। इससे क्षमता बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि इससे रेलवे को राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऊंचाहार एक्सप्रेस जो अम्बाला को इलाहाबाद, कानपुर और कलकत्ता से जोड़ती है उसे चंडीगढ़ तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

जब भी हम मंत्री महोदय को इस बारे में लिखते हैं तो वह हमेशा संचालानात्मक कठिनाईयों और संसाधनों की कमी के बारे में बताते हैं और मैं उनकी कठिनाईयों को समझता हूं। मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी है लेकिन यदि हम ऐसी प्रणाली बनाएं जिसमें वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके तो नज़दीक के महत्वपूर्ण स्थानों विशेषरूप से चंडीगढ़ के लिए गाड़ियां बढ़ाई जा सकेंगी। मैं किसी अन्य शहर के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अम्बाला की पहले जैसी ही स्थिति बनी रहे लेकिन साथ ही चंडीगढ़ की आवश्यकताएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनकी ओर भी पूर्ण ध्यान दिया जाए।

महोदय, चंडीगढ़ में दूसरी लाइन बिछाने के बाद, जिसे परम्परागत लागत की एक तिहाई लागत से बिछाया गया था, एक वॉशिंग लाईन भी बिछाई जा सकती है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि यह कार्य अवश्य करें क्योंकि यह लाईन बिछाने से हम और गाड़ियों की मांग कर सकेगें। महोदय, चंडीगढ़-दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच कुछ सेक्शनल डिब्बे भी थे, उनका क्या हुआ। जब से चंडीगढ़ शहर बना है तब से यह डिब्बे कालका-हावड़ा एक्सप्रेस में लगते थे, यह डिब्बे चंडीगढ़ आकर हटा दिए जाते थे और वापसी यात्रा पर चंडीगढ़ से दोबारा लगा दिए जाते थे, इस सुविधा से चंडीगढ़ के लोग रेलवे स्टेशन पर जल्दी आकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इतने वर्षों के बाद उन्होने यह महसूस किया कि वहां कोई वॉशिंग लाइन नहीं है इसलिए अब इन खाली डिब्बों को कालका ले जाया जाता है। इससे अतिरिक्त खर्च होता है। महोदय, जैसा कि मैने कहा है कि एक वॉशिंग लाइन होनी चाहिए और इसकी लागत अब व्यय किए जा रहे धन की तुलना में एक तिहाई होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देगें।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि चंडीगढ़ में सुविधाओं के सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं लेकिन इससे भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है लेकिन रेलवे स्टेशन पर कोई टर्मिनल नहीं है जिसे तत्काल स्थापित किया जाना चाहिए और साथ ही वापसी के आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए जो अभी वहां उपलब्ध नहीं है। जब हम मॉडल रेलवे स्टेशन स्थापित करने की बात करते हैं तो मंत्री महोदय के मस्तिष्क में तत्काल चंडीगढ़ का नाम आना चाहिए। कतिपय कार्य किए गए हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि वह चंडीगढ़ में मॉडल रेलवे स्टेशन बनाएंगे जहां मत्रियों के लिए यात्री निवास सहित सभी सुविधाएं होगीं।

महोदय, मैं समय के बारे में आपकी दुविधा को समझता हूं। इसलिए मैं अन्य गाड़ियां जो वहां से शुरू की जानी चाहिएं के बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन मेरा कहना है कि पंजाब में आतंकवाद की लम्बी त्रासदी के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद राज्य की यह आवश्यकता है कि जो गाड़ियां पहले रद्द कर दी गई थीं उन्हे फिर से शुरू किया जाए। ऐसी एक गाड़ी कालका-चंडीगढ़-अमृतसर और दूसरी गाड़ी कालका और भटिंडा के बीच है। इन्हें तत्काल चलाया जाना चाहिए और ऐसा न करने का कोई भी कारण जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा।

[अनुवाद]

अब यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पंजाब आर्थिक प्रगति के रास्ते पर वर्ग से अग्रसर हो । सदियों से उपेक्षित किये जा रहे उन विभिन्न शहरों तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ा जाना भी आवश्यक है, जहां की जनता ने अभी तक रेल गाड़ी की शक्ल भी नहीं देखी है। मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान रेल सेवा से वंचित हैं तथा इस प्रयोजन से मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि बडनी, रायकोट, धीरवार तथा भिखी आदि जैसे स्थान को शामिल करते हुए मोगा से मनसा तक रेल-सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

अपनी बात को समाप्त करते हुए, मैं संक्षेप में उन लोगों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलवे विभाग देश की जनता को अत्यंत आवश्यक सेवा प्रदान करता है, अपना थोड़ा सा योगदान दिया है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं रेलवे कर्मचारियों के विशाल परिवार के बारे में कहना चाहता हूं, यद्यपि रेल कर्मियों के कल्याण के लिए काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय मैं अपनी बात सेवा निवृत रेल कर्मचारियों तक और वह भी प्राथमिक रूप से मेरे राज्य में बसे लोगों तक ही सीमित रखूंगा। अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में अर्पित करने के बाद, ये लोग मात्र इतना ही चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपने निवास स्थान के निकट ही समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर दी जायें। चण्डीगढ़ में रेलवे हस्पताल के न होने से, सेवारत कर्मचारी तथा रेलवे भर्ती बोर्ड, चण्डीगढ़ के सदस्यों को पी.जी.आई. जोकि देश में सबसे उत्तम अस्पतालों में से एक है-तथा वहां स्थित सामान्य अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। चण्डीगढ़ और उसके आसपास स्थित मोहाली एवं पंचकुला जैसे कस्बों में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं। किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता के लिए, उन्हें अपने निवास स्थान से लम्बी यात्रा करके दिल्ली आना पड़ता है। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि चिकित्सा सहायता तुरंत जरूरी होती है, तो ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी यात्रा करके दिल्ली आना संभव नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय की ओर चण्डीगढ़ में स्थिति संबंधित अधिकारियों ध्यान आकृष्ट करायें। लेकिन प्राथमिक रूप से यह मंत्री महोदय के ही निर्णय पर निर्भर करता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह इस दिशा में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को यह सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें तथा मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि वह उन कर्मियों की रूपांतरित पेंशन, परिवार पेंशन (फैमिली पेंशन) तथा अन्य लाभ प्रदान करने संबंधी विभिन्न मांगों की ओर भी ध्यान दें?

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में दस सदस्य भाग लेना चाहते हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य को आठ से दस मिनट का समय बोलने के लिए चाहिए। मेरे विचार से हमें अपना मध्यान्ह भोजन का समय भी इस चर्चा में लगाना पड़ेगा।

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ): सभा में पहले ही बीमें से संबंधित एक विधेयक पुरस्थापित किया गया है। यदि वे इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, तो वे ऐसा इस चर्चा के साथ साथ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह सभा मध्यान्ह भोजन का समय चर्चा में सम्मिलित करने के लिए सहमत हैं ताकि हम इस कार्य को पूरा कर सकें।

अनेक माननीय सदस्य : हां। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद, इस कार्य को कर लिया जायेगा। आपके अच्छे सुझाव के लिए धन्यवाद।

1.00 म.प.

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अनुदान की अतिरिक्त मांगें सामने रखी हैं, उसके संदर्भ में मेरा यह कहना है कि जो राशि रेल मंत्रालय ने मांगी थी, यदि उसके अतिरिक्त व्यय हुआ है तो निश्चित रूप से या तो रेल मंत्रालय में फिजूलखर्ची बढ़ी है या व्यय की जो संभावनाएं तय करनी चाहिएं, उनके प्रति ठीक ढंग से कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार से यदि प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त मांगें मानी जाती रही तो वित्तीय अनुशासन कब और कैसे स्थापित होगा। जो योजनाएं चल रही हैं, वे कैसे लाभकारी हों, उसके प्रति जो व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए, वह भी नहीं दिखता। इसलिए अतिरिक्त मांगों पर अंकुश लगें और वित्तीय अनुशासन कायम हो, इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो रेलवे बोर्ड द्वारा फिजुलखर्ची को रोकने के कारगर कदम उठाए जाए। साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने और रेल लाइन के किनारे जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जिससे रेल मंत्रालय को कोई लाभ नहीं हो रहा है और जिस पर अवैध कब्जे जारी हैं, रेल मंत्रालय उन जमीनों को अपने हाथ में लेकर उसे किसी प्रकार से लाभकारी बनाए ताकि वह रेलवे के लिए धन उपार्जन का माध्यम बन जाए।

योजनाएं बनाते समय आप क्या ध्यान में रखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बहुत दिनों से गोरखपुर से लखनऊ की रेल लाइन को डबल करने की मांग हो रही है। उसके साथ साथ गोंडा से गोरखपुर की रेल लाइन का आमान परिवर्तन कर दिया जाए, यह भी मांग है। रेल मंत्री ने गौंडा से गोरखपुर की रेल लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में मुझे पत्र से बताया कि इसे तो हम प्रथम चरण में स्वीकृत प्रदान करते लेकिन आने वाले वर्षों में इसे करेंगें। आने वाले वर्षों का क्या मतलब हैं यदि आपने कहा कि इसे हम प्रथम चरण में स्वीकृति प्रदान करते, यह आपने उस क्षेत्र के लोगों पर कोई एहसान किया है, ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि रेल मंत्रालय की यह नीति है कि आमान परिवर्तन का काम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। यदि आपने बताया होता कि 1994-95 तक हम गौंडा से गोरखपुर के बीच आमान परिवर्तन का काम करवाएंगे तो मैं मानता कि आप उस पर गंभीरता

से विचार कर रहे हैं यदि आपने गौंड़ा से गोरखपुर की रेल लाइन का आमान परिवर्तन कर दिया तो उसके साथ ही दो मांगे पूरी जाएंगी। एक तो लखनऊ से गोरखपुर की डबल लाइन की मांग की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इसलिए रेल मंत्रालय को इस लाभकारी योजना के प्रिति दृढ़संकल्प करना पड़ेगा।

ऋषिकेश हरिद्वार के पास हैं यह ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन केन्द्र का प्रमुख स्थल है। उसके रेलवे स्टेशन के बारे में वहां के लोग दो महीने से आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी बहुत छोटी-छोटी मांगें हैं। कांसरी स्टेशन से देहरादून तक 11 किलोमीटर रेल लाइन हैं

11 किलोमीटर की लाइन बन जाये तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री ऐसे स्थान हैं जिन के बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि पर्यटन के द्वारा सर्वाधिक रेल मंत्रालय को लाभ पहुंचाने वाले स्थान हैं। इन स्थानों पर रेल लाइन की सुविधा हो जायेगी तो यात्री कर के माध्यम से जितना लाभ रेल मंत्रालय को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कहीं और से इतना मिल पायेगा।

देहरादून से हावड़ा जाने वाली दून एक्सप्रैस में द्वितीय शयनयान के साथ दो साधारण डिब्बे जोड़ दिये जाये जो कि ऋषिकेश से जाते हों। इसलिए कि वहां के लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही हैं दिल्ली-हरिद्वार साधारण गाड़ी को ऋषिकेश से चलाया जाये। रेल मंत्रालय के द्वारा ऋषिकेश में एक पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किया जाये। इस प्रकार की छोटी छोटी मोंगें ऋषिकेश जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए विभिन्न लोगों द्वारा उठायी जा रही हैं इन पर्यटन स्थानों को आप ध्यान में रखें क्योंकि आपकी यात्री कर इससे मिलने वाला है। लेकिन मंत्री जी को ए.सी. चेयर-कार में चलने वालों के बारे में चिन्ता है। इन्होंने बड़े गौरव के साथ कहा मैं कि राजधानी में स्लीपर देना चाहता हूं। मैंने रेल बजट के समय कहा था कि एक दिन मंत्री जी चल कर दिल्ली और लखनऊ रेलवे स्टेशनों को जाकर देखें। उनको पता लग जायेगा। मुजफ्फरपुर बरौनी और गोहाटी से दिल्ली को आने वाली ट्रेन्स में लोग कैसे छतों पर बैठ कर आते हैं और लखनऊ में पुलिस के लोग कैसे उन्हें मार मार कर उतारते हैं।

01.00 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि दिन में जनरल डिब्बे की ट्रेन देने का प्रयत्न किया जाये। जितना आप ए.सी. चेयर कार को ए.सी. स्लीपर में बदलने पर खर्च कर रहे हैं और ए.सी. में चलते कितने लोग हैं, पांस होल्डर ही चलते हैं, आपके जो ए.सी. कोच चल रहे हैं, उनसे आपको कितना लाभ मिल रहा है, इसको आप देंखे।

गरीब मजदूर, किसान जो रोजी के लिये अपना घर छोड़ कर पंजाब, अहमदाबाद और हैदराबाद जाने के लिये बाध्य हैं, उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के बारे में आप चिन्ता करिये। वे लोग आपके रेल किराये को भरपूर अदा करने की स्थिति में होते हैं। इसलिये दिन की ट्रेन, साधराण डिब्बे की ट्रेन, रेलवे के एक हैड क्वार्टर से दूसरे हैड क्वार्टर भेजने के लिये जितनी अधिक उपलब्ध करा देंगे, उतना आप समझेंगे कि वास्तव में कुछ लोगों के लिए आपने काम किया है।

बहुत दिनों से मांग है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से लखनऊ तक, बरौनी से लखनऊ तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया जाये। आप लखनऊ से मुरादाबाद तक विद्युतीकरण करा रहे हैं और मुजफ्फरपुर से बरौनी के बीच में कराने के लिये भी शायद तय कर लिया हैं आप उधर करा रहे हैं, इधर करा रहे है। लेकिन बीच में मुजफ्फरपुर से लखनऊ के बीच में विद्युतीकरण नहीं कराया तो सुपरफास्ट और अच्छी अच्छी ट्रेनें बीच में ही खड़ी रह जायेंगी। जब आप करा ही रहे हैं तो लखनऊ से मुजफ्फरपुर तक भी विद्युतीकरण की योजना को कर्यान्वित कराने के लिये धन उपलब्ध करा कर स्वीकृति प्रदान करायें आपके पत्रों के जवाब में बार बार आता हैं कि हमें 200-300 करोड़ रूपया मिल रहा हैं आपको कितने करोड़ि रूपया मिल रहा हैं?

हम उसके जवाबदेह नहीं हैं हम तो चाहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के विकास के संदर्भ में आपने क्या कदम उठाये, क्या परियोजनाऐं आपने दी? आपका पत्र मेरे पास हैं आपने कटरा से अयोध्या तक की रेलवे लाइन और पुल के बारे में कहा है कि अभी जांच चल रही है, सर्वे हो रहा हैं आपने उसपर धन स्वीकृत किया है, वह धन जब तक आप उसपर खर्च नहीं कर रहे हैं, तब तक आप उसको पूर्वोत्तर रेलवे की किसी दूसरी परियोजना पर खर्च कर सकते हैं

रेलवे का काम केवल लोगों को लाभ ही दे पाये, ऐसा नहीं है। रेलवे का काम प्रमुखता नागरिकों की सेवा करना और उनको सुविधा प्रदान करना है। खलीलाबाद से बलरामपुर और देहरी घाट से सहजनवा रेलवे लाइनों की मांग हर संसदीस परामर्शदात्री समिति की बैठक में, हर बजट भाषण में और हर अनुदान मांग में की जा रही हैं आपने जो परिव्यय बताया है, उसको तो मैं मानता हूं लेकिन जो रिटर्न आप बताते हैं, यह 1977 के सर्वे के आधार पर हैं करोड़ों रूपया उस सर्वे पर खर्च हो गया, उस पर दो मंत्रियों का प्रयास रहा। उस पर दो मंत्रियों का प्रयास था तो निश्चित रूप से उस लाइन का महत्व होगा। 1977 से 1994 के बीच में उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ है, उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी है। इसी आधार पर इन दोनों रेलवे लाइनों की मांग की आवश्यकता भी महसूस हो रही है।

आप खुद पढ़ते हैं, समाचार भी जानते हैं। आपने उन लोगों की कुछ मांगों को पूरा किया है, जिन लोगों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए रेलवे लाइन को ध्वस्त कर दिया है, जो हिंसात्मक आन्दोलन की तरफ बढ़े हैं। मंत्री जी मैं आपसे इस सदन में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं उस स्वभाव का नहीं हूं लेकिन आपने यदि ऐसी प्रेरणा देना शुरू कर दिया तो हमारे क्षेत्र के लोग भी सक्षम है लेकिन हमें उस हद तक जाने के लिए रेल मंत्रालय बाध्य न करे, क्योंकि आपने एक आन्दोलन की मांग को पूरा करके प्रेरणा दी है। हम यह चाहते हैं कि इसय क्षेत्र के लोगों की इस प्रबल यमांग को आप पूरा करें। अगर आपको लगता है कि उस बार का सर्वे ठीक नहीं था तो फिर से उसका सर्वे करायें और सर्वे कराने के बाद सहजनवा से देहरी घाट और खलीलाबाद से बलरामपुर रेलवे लाइनों को स्वीकृति देने की आप अविलम्ब घोषण करें हम चाहते हैं कि आपके हाथों से उसका श्रीगणेश हो जाए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

गोरखपुर से नौतनवा के लिए आमान परिवर्तन की मांग चल रही हैं नौतनवा नेपाल सीमा के पास पड़ता

है। जो भी यात्री, चाहे वह विदेश के हों, चाहे स्वदेश के हों, जिन्हें नेपाल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों का आपस में एक धार्मिक संबंध है, उसकी भी एक लाभकारी अपेक्षा हैं माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि इस लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में आप चिन्तित हों।

दुर्भाग्य है कि बार बार ध्यान दिलाने के बाद आपने कहा कि रेल बजट पर आइयेगा, हम बात करेंगे। गौहाटी एक्सप्रैस का दो बार एक्सीडेंट हुआ था। आप स्वयं गये थे और आपने कहा था कि रेल ट्रैक खराब है इसलिए यह दुर्घटना हुई है। मै जानना चाहता हूं कि रेल ट्रैक को ठीक करने के लिए आपने कितना रूपया दिया, कब दिया, रेल ट्रैक ठीक हो गया या नहीं? क्या अब उस रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में फिलहाल रेल ट्रैक खराब होने के नाते कोई दुर्घटना नहीं होगी, इस प्रकार की गारण्टी आप उस क्षेत्र के लोगों को दे सकते हैं?

खलीलाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, हैण्डलूम का तो बहुत बड़ा केन्द्र है। सोमवार को वहां बहुत भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन के पास प्रमुख बाजार है और वहां रेलवे क्रासिंग है। वहां प्रायः दुर्घटनाऐं होती रहती हैं।

बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि उस स्थान पर ओवर-ब्रिज दे दिया जाए। माननीय मंत्री जी मैं जो मांग कर रहा हूं, वे इस अपेक्षा के साथ कर रहा हूं कि रेल बजट में जो आपने पूर्वोत्तर रेलवे की ओर ध्यान नहीं दिया है, आप उस ओर ध्यान देंगे। आप सभी जोन्स के व्यय के बारे में तुलना करेंगे, तो पायेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के जोन के लिए आपने कोई योजना नहीं दी है। जहां तक रिट्रन की बात है, पूर्वोत्तर रेलवे पर्याप्त लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में गम्भीरता सये लाभकारी योजनाएं नहीं देंगे। इसलिए में आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस अतिरिक्त अनुदान की मांगों से हमारी इन मांगों को जोड़िए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे की खाली पड़ी हुई जमीनों से आप कैसे लाभ कमा सकते हैं, इस बारे में जो योजनायें बनाइए। वित्तीय संसाधन कायम करने के लिए आवश्यक है कि आप बजट में डिमाण्ड करें और उसका अनुपात आपका ठीक होना चाहिए। रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय में फिजूलखर्ची को भी रोका जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक अन्य बात की ओर दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर में आर.पी.एफ. की भर्ती हुई थी और भर्ती करने के लिए दो लोगों को भेजा, जो कि रिटायर्ड थें खुले आम उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वित्तीय लाभ कमा कर के भर्तियां की हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, जिन लोगों की भर्ती हुई, उनमें गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, गौंडा, बहराइच आदि जिलों के कितने लोग भर्ती हुए हैं?

सभापति महोदय : इस पर चर्चा करने के लिए तीन घन्टे का निर्धारित समय पूरा हो चुका है, अगर सदन की राय हो तो दो घन्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : सदन की सहमति है।

सभापित महोदय : दो घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाता है और इस दो घन्टे में मंत्री महोदय का रिप्लाई भी होना है।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्लः माननीय मंत्री जी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं।

गोरखपुर में अभी आर.पी.एफ. की भर्ती कराई गई हैं। जिनको आपने चेयरमैन बनाकर भेजा था, वे दोनों रिटायर्ड अधिकारी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, गोरखपुर, आजमगढ़, बहराइच आदि जिलों में से कितने लोगों को आपने आर.पी.एफ. में लिया है? दूसरे, इन लोगों पर जो आरोप लग रहा है, इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं? तीसरा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, जिनमें आपने रिटायर्ड लोगों को नियुक्त किया? मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं, क्यों मंत्री महोदय आप पर छिटें आ रहे हैं और मुझे इसकी चिन्ता हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : सभापति माहदेय, भारतीयरेल शक्ति का प्रतीक है। भारतीय रेल विकास का प्रतीक है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी की नजर में यह शक्ति, यह विकास का स्रोत सिर्फ कुछ राज्यों तक ही सीमित होकर रह गया है।

जब जब माननीय रेल मंत्री जी ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया तो तमाम पिछड़े राज्यों के सांसदों ने, जिसमें बिहायर के सांसद भी थे उन्होंने पुरजोर मांग की कि रेल मंत्री जी की निगाह बिहार के विकास पर भी जानी चाहिए, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

आपसे एक मुद्दत से बिहार के लोग मांग कर रहे हैं कि राजगीर से गया, जिसको 21 कि.मी. में आप राजगीर और गया को जोड़ सकते थे यह मिसिंग लिंग है इसके जुड़ जाने से तो बुद्धिस्ट सर्कट है वह पूरा हो जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटक बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने आते हैं और इस मिसिंग लिंक के रहने से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है यह बिहारवासियों की एक लम्बे समय से मांग है। मैं मांग करता हूं कि रेल मंत्रालय इस मांग को पूरा करेगा और दूसरी एक मुद्दत से गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण कराने की मांग रही है। हम तमाम लोग जानते हैं कि जो बिहार की भोगोलिक स्थिति है उसमें गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है - उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार के लोगों को या दक्षिणी बिहार के लोगों को उत्तरी बिहार को जाना पड़ता है या उत्तरी बिहार वालों को दक्षिणी बिहार आना पड़ता है। तो काफी लम्बी दूरी तय करके पटना में उत्तरी-बिहार में लोगों को आना पड़ता है। जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी होते हुए तब उनको पटना आना पड़ता है। अगर आप इस रेल पुल को गंगा नदी पर पटना के पास बना दीजिये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के लोग मुद्दत तक आपको याद करते रहेंगे और इससे बिहार का काफी विकास हो सकेगा।...**(व्यवधान)**... कल हमारे सीपीआई के मित्र मधुकर जी बोल रहे थे कि हाजीपुर से रकसौल आपको नयी रेल लाइन बिछानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे का जो ग्रामीण इलाका है वह इससे कवर हो जाएगा और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। लेकिन हमारे मधुकर जी सबसे महत्वपूर्ण बात को कहना भूल गए, इस रेल लाईन का सामरिक दृष्टिकोण से भी अपना महत्व होगा। यह रेल लाइन बिहार को नेपाल की सीमा से जोड़ती है। अगर आप इस नयी रेल लाइन की व्यवस्था करते हैं तो आप नेपाल की सीमा पर पहुंचने के लिए 80 कि.मी. कम यात्रा, कम समय में तय कर सकते हैं। अभी अगर आपको रक्सौल जाना है तो पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतीहारी, मोतीहारी से सगौली होते हुए तब आप रक्सौल जाइये। लेकिन यदि आप हाजीपुर से वैशाली रेवाघाट होते हुए इस नयी

रेल लाइन का निर्माण करते हैं,....**(व्यवधान)....** मैं आपसे निवेदन करता हूं चूंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी इसकी उपयोगिता है इसलिए आपको इस नयी रेल लाइन को बिछाना चाहिए। दूसरी तरफ एक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रेल लाइन है-दरभंगा से जयनगर,

यहा पर छोटी लाइन है, मेरा आप से अनुरोध है कि इसको बड़ी लाइन में बदलने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, एक बात की ओर मैं और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से बरौनी जाने के लिए 100 किलो मीटर की ज्यादा दूरी तय करनी होती है। यदि हाजीपुर से बरौनी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए तो 100 किलो मीटर की दूरी कम हो सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस काम को भी शीघ्र किया जाए, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, एक ट्रेन छपरा से मुंबई वीटी चलती है, जो छपरा से पटना पहुंचने में 11 घन्टे का समय लेती है, जबकि यही यात्री बाई रोड सिर्फ डेढ़ घंटे में तय की जा सकती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सोनपुर से छपरा, सीवान, वाराणसी होते हुए एक नई गाड़ी की व्यवस्था की जाए तो सोनपुर, बनारस, छपरा होते हुए, मुबई वीटी जाए, ताकि उत्तरी बिहार के लोगों को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, एक मुद्दत से मुगलसराय पटना मार्ग के विद्यतीकरण की मांग की जाती रही हैं अभी शुक्ला जी गोरखपुर-लखनऊ मार्ग के विद्यतीकरण की बात कर हे थे, मैं कहना चहूंगा कि न सिर्फ गोरखपुर-लखनऊ, बल्कि गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक विद्युतीकरण का काम शीघ्र कराया जाना चाहिए और मुगलसराय-पटना मार्ग का भी शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाए, ताकि यहां के लोगों की समस्या कम हो सके।

सभापति महोदय, जितनी भी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, वे सब गया होकर निकलती है और गया से पटना इकहरी लाइन होने की वजह से यात्रियों को बहुत कठिनाई होती हैं अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि गया पटना मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी शीघ्र करवाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय मेरवा दुर्घटना के समय मंत्री महोदय वहां पर पधारे थे और उस समय वहां के लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि वहां पर एक ओवरब्रिज बना दिया जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान के बारे में सब लोग जानते हैं कि वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद जी का जन्म स्थान है। उनकी याद लोगों के दिलों दिमाग पर बनी रहे, इसके लिए मेरा आग्रह है कि सीवान से दिल्ली एक ''देशरत्न'' सुपर फास्ट गाड़ी चलाई जाए, ताकि इस इलाके के लोगों के लिए यह यादगार बन सके।

सभापति महोदय, हमारे यहां से एक सबसे अच्छी सुपरफास्ट गाड़ी वैशाली एक्सप्रेस चलती है, लेकिन इसमें वैशाली के लिए सिर्फ 2 सीटों का आरक्षण कोटा रखा गया है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वैशाली नाम के अनुरूप और पटना, हाजीपुर के लोगो का सुविधा देने के लिए इस कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए।

पटना के लोगों को गाड़ी मिलने से दिक्कत होती है। वहां पर दो सीट का आरक्षण और बढ़ा दीजिए।

पूर्व में आपने रेल यात्री बीमा की घोषणा की थी और उसका काफी प्रचार भी किया कि हम रेल यात्री बीमा को लागू कर रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएं लेकिन आपका ध्यान हम आकर्षित नहीं करा पाए। आरक्षित डिब्बों में जो लोग बैठते हैं, उनका नाम आरक्षणसूची में लिखा रहता है तो उनका जीवन बीमा कर दीजिए लेकिन जो अनआरक्षित डिब्बों में सफर करते हैं और कोई दुर्घटना हो जाए तो आप कैसे उनका जीवन बीमा करा पाएंगे, ऐसा हमने आपसे पूछा था? उस दिन हाऊस खत्म हो रहा था तो आपने कह दिया कि उसके पास टिकट होना चाहिए। ऐसा हमने नहीं देखा है लेकिन सुनने में आया हे कि दुर्घटना हो जाती है। आप टिकट की बात तो जाने दीजिए उसके बदन पर कपड़ा तक नहीं मिलता हैं ऐसी हालत में टिकट कैसे मिलेगी? आप उनको ऐसे लाभ दे सकते हैं कि जब वे टिकट लेने जाएं तो आप अपने कर्मचारियों को आदेश दे दीजिए कि एक स्पीप पर वह यात्री का नाम और पता और कहां से कहां जाना उस पर लिख दें और आपका कर्मचारी उसको फाईल में रख ले जब यात्रा समाप्त हो जाए तो वह उस स्लीप को डेस्ट्राय कर दे। जब कोई दुर्घटना होगी तो इस तरह से अन-आरक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होगा। आप काबिल मंत्री है लेकिन अफसोस होता है कि आप यहां अतिरिक्त धन की मांग करते है कि हमको जहाज खरीदना है क्योंकि एक्सीडेंट के समय जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है। इससे ऐसा लगता है कि भविष्य में दुर्घटना की बाढ़ आने वाली है। लोग इससे चिंतित नजर आते हैं मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : अभी आठ दस सदस्य बोलना चाहते हैं और मंत्री जी सवा दो बजे रिप्लाई देंगे। दो-दो मिनट में आप बोले तो अच्छा रहेगा।

श्री उमराव सिंह : कांग्रेस के ढाई घन्टे होते हैं और मैं तीसरा सदस्य बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : समय का हिसाब है और अभी मंत्री जी को बोलना है।

श्री उमराव सिंह : सभापति महोदय, अभी थोड़े दिन पहले 14 अप्रैल को बैशाखी वाले दिन हिन्दुस्तान के नेतागण अमृतसर आये थे, जिनमें केन्द्र के मंत्री, नेता और राज्यों के मुख्य मंत्री भी थे। उन्होंने 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से जो लोग शहीद हुए थे, उनके प्रति अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन हमारी आजादी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली 13 अप्रैल को इस घटना की डायमंड जुबली मनाई गई। इसी दिन सैंकड़ों आदमी वहां जनरल डायर की गोलियों के शिकार हुए थे और उससे आजादी की जंग को बहुत हिम्मत मिली थी और आजादी नजदीक आई थी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस दिन डाक विभाग की ओर से जलियांवाला बाग के नाम पर एक टिकट जारी किया गया था। आपको भी एक रेल गाड़ी जलियांवाला बांग के नाम से शुरू करनी चाहिए। यह उन शहीदों के नाम अर्पित हो जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जिसके लिए सारे देश के नेताओं ने वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।

अमृतसर से दिल्ली चलने वाली कई एक्सप्रैस ट्रेन हैं जिनका कोई नाम नहीं हैं एक गाड़ी वहां से दिल्ली के चलती है और यहां से दिन में ढाई बजे वहां के लिए चलती है, उसका कोई नाम नहीं है। मेरी मांग है कि उस

गाड़ी का नाम जलियावाँला बाग के नाम से जोड़ा जाये। जिससे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को आगे लाया जाए।

चण्डीगढ़ के लिए हमारे मित्र बंसल जी ने भी कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दस-बारह साल मे पंजाब की स्थिति बहुत दुखदाई रही। इस दौरान वहां नई रेल लाइन बिछाने और नई गाड़ी चलाने की बात तो एक तरफ, रही, हमारे रेल मंत्री और अधिकारी भी वहां नहीं गये जिससे वहां कोई प्रगति नहीं हुई। अब पंजाब की हालत सामान्य हैं भारत सरकार की तरफ से और बहुत से इजारेदारों की तरफ से पंजाब की हालत सामान्य बनाने में बहुत मदद की गई। मेरा अनुरोध है कि इसमें रेल मंत्री जी भी अपना योगदान दें। पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ है जो कि अभी तक पंजाब से रेल लाइन से नहीं जुड़ी है। वहां के लोगों को बसों में ही आना-जाना पड़ता है। बसों में सफर करने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए लुधियाना से या राजपुरा से चण्डीगढ़ को जोड़ा जाये। जिससे चण्डीगढ़ पंजाब से मिल सके और पंजाब के लोग सुबह चण्डीगढ़ जाकर शाम को वापस आ सके। इसी तरीके से गोविंदवाल जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है, वहां का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है और थर्मल प्लॉट लगने वाला है। इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

पंजाब के सभी सांसदों ने एक पत्र रेल मंत्री जी को लिखा था, हमारे मुख्य मंत्राी जी ने भी लिखा था कि पंजाब से कोई शताब्दी रेल गाड़ी दिल्ली को नहीं जाती। इसलिए एक अमृतसर से सुपर फास्ट गाड़ी चलाई जाये जोकि दिल्ली सुबह 10 बजे पहुंचे, और शाम को यहां से अमृतसर के लिए रवाना हो हमारे सभी सांसदों की मांग है कि यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अमृतसर, लुधियाना और जालंधर में कोई हवाई सर्विस भी नहीं है और ये औद्योगिक शहर हैं यहां से करोड़ों रुपये का माल निर्यात होता हैं इसलिये व्यापारी वर्ग की भी मांग है और अन्य लोगों की जो काम के लिए यहां आते हैं उनकी भी मांग है जिसको पूरा किया जाना चाहिए। जिससे कामकाजी लोग सुबह यहां आकर शाम को वापस जा सकते हैं।

तो मैं यह कहूंगा कि यह न सिर्फ इन लोगों की मांग है बल्कि हमारे जालंधर से जो बहुत से लोग विदेशों में गये हुये हैं, उनकी भी है क्योंकि जब वे लोग यहां पर आते हैं तो एयरपोर्ट पर बहुत कठिनाई होती हैं वहां पर रेल रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और न उनको उस दिन आसानी से कोई सीट ही मिलती है और वे एक स्पेशल टैक्सी करके हजारों रूपया खर्च करके जाते हैं यदि यह ट्रेन चल जाये तो उन लोगों को बहुत आसानी हो जायेगी। मेरा तो यह कहना भी है कि यदि एक बुकिंग ऑफिस ही एयरपोर्ट पर खुल जाए तो जब एन.आर.आईज आये तो उन लोगों को वहां से ही बुकिंग मिल जाये इससे रेलवे को फारेन एक्सचेंज भी मिलेगी और बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल की सुविधा भी मिल जायेगी।

सभापति महोदय, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बाहर से आने वाले लोग अमृतसर का गुरूद्वारा और व्यासजी का राधास्वामी जी का मंदिर भी देखने और दर्शन करने आते हैं। आशा है कि आप इस डिमांड को देखते हुए जल्द ही शताब्दी एक्सप्रैस चलायेंगें। यह पंजाब में अमन चैन से रहने वाले लोगों के लिये एक गिफ्ट होगा। साथ ही बहुत से लोगों को नान्देड़ साहिब हुजूर साहिब के दर्शन करने जाना होता हैं अमृतसर से कोई सीधी रेल सेवा न होने से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। एक 35 कि.मी. का मीटर गेज लाइन है। यदि परवानू से नान्देड़ साहिब के लिए ब्राड गेज में बदल दिया जाये तो हजारों लोगों को तखत हुजूर साहिब के दर्शन

करने का मौका मिलेगा और यह सुविधा मिलने से सब लोगों को प्रसन्नता होगी। मैं ऐसा भी समझता हूं कि मंत्री जी पर भी गुरू जी की मेहरबानी हो जायेगी।

सभापति महोदय, पंजाब में रेल कोच फैक्टरी मेरी कास्टिट्वंसी में पड़ती है जिसे स्व. राजीव गांधी ने शुरू करवाया था। उसने काम बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है और जो 2 टीयर ए.सी. कोच बनाया और अब 3 टीयर ए.सी कोच बनाया है, वह अच्छा समझा जा रहा है। मुझे इस बात की शिकायत है कि वहां पर प्राडक्शन नहीं बढ़ रहा है वहां पर लघु उद्योग इकाईयाँ हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सकता है और रेलवे के लिये काफी फायदेमंद हो सकती है। अब भी कई काम बाहर के सूबों से करवाये जाते हैं और मैं चाहता हूं कि वहां के लघु उद्योगों से मदद ली जा सकती हैं इसी प्रकार कई सूबों की लेबर यहां काम करती है और साथ ही एम्प्लाइज भी काम कर रहे हैं और यह एक प्रकार से रेलवे का एक बड़ा शोपीस है। जब इस फैक्टरी के लिये लोगों से जमीन ली गयी थी तो यह वायदा किया गया था कि जिनकी जमीन ली गयी है उनके परिवार के एक न एक सदस्य को एम्प्लायमेंट दी जायेगी लेकिन ऐसी एक भी फैमिली को नहीं दी गयी हैं

इसी के साथ पंजाब में अमन-शांति आ गई हैं। कुछ रेलगाड़ियां ब्रांच लाइन की बंद हो गई थीं अब वह दोबारा शुरू होनी चाहिए। जालंधर और लुधियाना में इंडस्ट्रीज होने के कारण लेबर गांव से आते हैं वहां से शाम को जाने वाली गाड़ियों के बंद किये जाने से उनको शाम को वापस जाने में बड़ी दिक्कत होती हैं इसलिए लुधियाना से नकोदर तथा जालंधर से नकोदर जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी लेबर को लाभ पहुंचे।

इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है। मैं बहुत धन्यवादी हूं कि इन्होंने लुधियाना तक इलैक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया हैं । पंजाब ऐसा स्थान है जिसके पास न कोयला है न तेल है। वह बाहर से मंगाना पड़ता है। होना तो यह चाहिए था कि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले हो जाता मगर अब मैं विनती करता हूं कि उसे अमृतसर और जम्मू तक कर दिया जाए ताकि लुधियाना में इंजन बदलने में समय न लगे और रेल का समय जाया न हो। जालंधर में रेलवे रिजर्वेशन कंप्यूटराइज्ड नहीं हैं वहां के बहुमत से लोग विदेशों में हैं और अगर वहां कम्प्यूटराइज्ड हो जाए तो वे वहां से सीट बुक करा सकते हैं यह उन सब लोगों के लिए मुफीद होगा। इसी तरीके से जालंधर में दो रेल ओवर ब्रिज की मांग कई सालों से है। वहां ट्रैफिक बहुत रूका रहता है। एक चीफ मिनिस्टर साहब के निर्वाचन क्षेत्र में है और एक जी.टी. रोड़ पर हैं ये दोनों ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी शुरू होने चाहिए।

सभापति महोदय, अमृतसर से दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलती है उनका नाम तो सुपरफास्ट दिया है लेकिन वे 9-10 घन्टे लेती हैं और 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ती। लोग उसमें सुपरफास्ट का किराया देते हैं अगर वह सुपरफास्ट गाड़ियां हैं तो उनकी गति तेज होनी चाहिए। हमारे यहां से वे गाड़ियां ऐसे चलायी जाती हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चलती है और सिर्फ 5-6 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं होती। ट्रेन्स को फेज करके ऐसे चलाया जाए कि हर समय के पैसेन्जर्स को सुविधा हो सके। मैं यह भी कहूंगा कि जो मेरी पुरानी असेम्बली कांस्टीटुएंसी नकोदर शहर है वहां से गाड़ी में दिल्ली के लिए एक

स्पेशल बोगी लगायी जाए। वहां बहुत अनिवासी भारतीय रहते हैं और बड़े व्यापारी हैं तथा वहां दर्जियों का बहुत काम होता हैं वहां से एक स्पेशल बोगी की बहुत मांग है जो किसी भी ट्रेन में दिल्ली के लिए लगायी जा सकती है।

एक बात मैं रेलवे खिलाड़ियों के लिए कहना चाहता हूं। रेलवे ऐसा महकमा है जिसमें देश के बहुत उम्दा खिलाड़ियों को रोजगार मिला है और उनको खेलने की सुविधा भी हैं रेलवे वाले हमेशा बहुत से खेलों में मैडल भी जीतते हैं और इनकी टीम भी अच्छी है। मैं कहूंगा कि इनका जो खेल विभाग है उसको और मजबूत करें और संगठित करें। रेलवे खिलाड़ियों को और सुविधाएं दी जाएं और जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक और ऐशियन गेम्स में प्रगति की है, मेडल लिये हैं, उनके नाम पर कोचेज के नाम रखे जाएं या दूसरे प्रोग्राम शुरू किये जाएं ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े।

आखिर में मैं विनती करूंगा कि जब किसी को कैन्सेलेशन करना पड़ता है या कोई ऐसा मौका आ जाता है जबकि फैमिली का एक आदमी किसी वजह से नहीं जा सकता और दूसरे आदमी को जाना पड़ता है तो दोबारा जाकर उसटिकट को रीवेलिड नहीं कराया जा सकता। कंपेशनेट ग्राउंड पर ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि फैमिली के आदमी को जाने की सुविधा हो जिससे कैन्सेलेशन चार्जेज से बचा जा सके।

इसलिये मैं विनती करना चहूंगा कि आखिर में रेल मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे पंजाब ने पिछले 8-10 सालों में बहुत कठिन हालात का सामना किया है परन्तु अब वह अपने पांवों पर खड़ा हो रहा है, उसकी तरक्की के साधन बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, पंजाब की उन्नति में रेलवे को भी अपना सहयोग प्रदान करना चाहिये। मैं उन्हें पूरा भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जितनी भी ट्रेनें पंजाब से चलेंगी, वे सभी मुसाफिरों से भरी हुई आयेंगी, कोई भी खाली नहीं चलेगी, बेशक आप कोई सुपरफास्ट ट्रेन पंजाब से चलाएं या कोई एयर-कंडीशनड ट्रेन चलायें। वे सभी पंजाब के लोगों से भरी आयेगी।। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंजाब में यू. पी. और बिहार से बड़ी संख्या में लेबर काम करने आती है लेकिन ट्रेनों की कमी के कारण आने जाने में लोगों को भारी कठिनाई होती है और छतों पर खड़े होकर उन्हें यात्रा करनी पड़ती हैं जब भी हमारे वहां मेले आयोजित होते हैं तो उस समय लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रेलों की छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती हैं मेरी मांग है कि जब भी मेलों का वक्त आता है, हमारे यहां स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिये। आप जानते हैं कि आनन्दपुर साहब के मेले के वक्त कितना रश रहता है। मैं रेल मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि मेलों के अवसर पर लोगों के आवागमन का उचित प्रबंध रेल मंत्राय को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपसे इज़ाजत लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी(दमदम) : सभापति महोदय, मैं कई कारणों से इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : निर्मल दा, आपने लिखित रूप में सूचना दी है कि आप केवल दो मिनट के लिए बोलेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं दो मिनट के लिए अतिरिक्त अनुदानों तथा तीन मिनट के लिए मांगों पर बोलूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं रेलवे की प्रशंसा करता हूं मेरा स्पष्ट विश्वास है तथा मैं यह समझता हूं कि यह सभा भी इस बात से सहमत है कि रेलवे ऐसा क्षेत्र है, जिसकी उपलब्धियों के बारे में भारत को गर्व है। मैं ऐसा उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि यद्यपि इस शताब्दी को अमरीकी शताब्दी माना जाता है तथा यह शताब्दी मोटर-कार उद्योग के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास से जुड़ी है।, जिस क्षेत्र में अब अमरीका पिछड़ रहा है और जापान आगे बढ़ रहा है। उन्नसवीं शताब्दी रेलवे के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास के लिए ब्रिटिश के नाम से जानी जाती थी। मुझे याद है कि अपने यौवन-काल में जब हम मार्क्सवाद को अपना रहे थे- हमने एक चर्चा की थी, हम एक जीवन-मृत्यु के संघर्ष में अपना रक्त दान कर रहे थे, उस समय भी हम यह देख रहे थे कि ब्रिटिश ने भारत में रेलवे सेवा का प्रारंभ करके एक तरह से भारतीय उत्पादन ढांचे में क्रांति ला दी थी। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं तथा रेलवे विभाग के नौकरशाहों सहित, उन सभी लोगों को अपना सम्मान अर्पित कर रहा हूं, जो अपने पदों से तरक्की पाकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य बने हैं। इस बात को रेखांकित करने के लिए कि आर्थिक ढांचे के मामले में भारत अभी भी 19वीं सदी से 20वीं सदी में प्रवेश के लिए परिवर्तन संक्रमण काल से गुजर रहा है, अतः रेलवे को विलक्षण भूमिका अदा करनी है।

संक्षेप में, मैं इस बात का उल्लेख यह बताने के लिए कर रहा हूं कि रेलवे विभाग अपनी उपलब्ध सक्षमताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों से इससे भी अधिक प्रगति कर सकता था। आखिरकार हमने गाड़ियों में थ्री-टीयर ए.सी. कोच जोड़ने शुरू कर ही दिये हैं ऐसा कोई और नहीं कर सकता था। अनेक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें गर्व हो सकता है। हमारे देश में ऐसे नौकरशाह हैं, जोकि अपने आप में बेजोड़ है। हमारे देश में रेलवे नौकरशाह ऐसे है जोकि मात्र रेलवे विभाग के ही नौकरशाह हैं, उन्हें रेलवे की गुप्त था प्रत्यक्ष बातें पता है। वे रेलवे को बना अथवा बिगाड़ सकते हैं। उन्हें रेलवे के बारे में मुझ से और आपसे ज्यादा जानकारी है। उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन रेलवे से ही शुरू किया है तथा बाद में इस विभाग के उच्च पदों पर पहुंचे हैं। उनके साथ सही तारतम्य स्थापित करना चाहिए। कई बार इस ढांचे में परिवर्तन भी लाने पड़ेंगे। इस बारे में मंत्री महोदय द्वारा उनको अपने विवेक का प्रयोग करना अति अनिवार्य हैं मैं प्रार्थना करता हू कि परमात्मा उन्हें इस प्रकार का विवेक प्रदान करे। पर सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी सभी परिस्थितियों में यथासम्भव क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए और, अधिक प्रयास करने चाहिए।

मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों से शुरूआत करता हूं । किसी ने यहां इसका उल्लेख नहीं किया हैं यह वर्ष 1990-91 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें हैं। लेकिन, मेरे पास वर्ष 1991-92 के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुदानों की पूरक मांगों के बावजूद, आपने बजट-प्रावधानों से भी अधिक धनराशि व्यय कर दी है, जोकि अनुचित बात हैं इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही आपके बहुत बड़ी धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध है। वर्ष 1991 के दौरान आपकी बचत राशि कितनी थी? यह राशि 169 करोड़ रुपये थी। आपने अपने बजट में से 169 करोड़ रुपये बचाये हैं। क्या आपने यह धनराशि पश्चिम बंगाल

अथवा जैसा कि दावा कर रहे थे-बिहार को दी थी, जहां कि इस धनराशि से बहुत सी परियोजनाएं शुरू की जा सकती थी। अन्यथा, ऐसा करना असम्भव है। आपने बजट में ऐसा प्रावधान इसीलिए किया, ताकि आपके पास 169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की बचत हो सके और फिर भी अनेक परियोजनाओं का कार्य अधूरा रहा गया है तथा आपने इसके साथ ही इनके लिए धनराशि प्रदान नहीं की। आप इन परियोजनाओं को वित्त पोषित के लिए मना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एवं बिहार की परियोजनाओं के बारे में अनेक ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं। पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं के बारे में हम सभी को विदित ही है।

मैं केवल रेल मंत्रालय के बारे में ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि बजट प्रावधान में लम्पटता विद्यमान है। समूचे बजट में 40,000 करोड़ रुपये की धनराशि बचाई गई हैं रेलवे के पास अपार धनराशि उपलब्ध है। यह एक गैर जिम्मेदाराना बात है यद्यपि मैंने आपके और रेलवे विभाग के नौकरशाह के बारे में अपना सम्मान प्रकट किया है, यदि आप बेहतर योजनाएं बनाते तो आप देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक कार्य कर सकते थे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बंगाल तथा बिहार असम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं बचत तथा मितव्ययता करने के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहला मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से मेरे मतानुसार यहां तक कि मेरे साथियों ने भी इस भाग के बारे में दवाब डालना शुरू नहीं किया।

[अनुवाद]

गंभीर बात यह है कि यदि आप इस शताब्दी के समाप्त होने से पूर्व कलकत्ता नगर को बचाना चाहते हैं तो मेट्रो रेलवे की वैकल्पिक लाइनों की योजना तुरन्त बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये। आरम्भ में तीन लाइनों की योजना थी, उनमें से एक ही कार्यान्वित की जा रही है। और इसे 1995 तक पूरी तरह से कार्यान्वित होने की अपेक्षा है। सबसे पहली बात तो ये हैं कि विशेषज्ञता उपलब्ध है और दूसरी बात यह है कि शहर में सड़क पर खाली स्थान उपलब्ध है। इस नगर में केवल 6 प्रतिशत खाली स्थान हैं, इसकी तुलना में बम्बई में 16 प्रतिशत तथा दिल्ली में 24 प्रतिशत खाली स्थान है। इसके परिणामस्वरूप इस शताब्दी के अन्त तक ऐसी स्थिति आ जायेगी कि कलकत्ता की सड़के पूरी तरह जाम हो जायेंगी। इसलिए डा. बी.सी. राय ने भूमिगत रेल की योजना बनाई थी - आप का भी भूमि की सतह से ऊपर मोनो रेलवे शुरू करने का विचार है - लेकिन अन्ततः यह योजना वहां शुरू नहीं की गई थी। अतः पहले से ही प्राप्त विशेषज्ञता की सहायता से यदि आप दक्षिणेश्वर से गारियाघाट तथा उससे आगे उत्तर-दक्षिण संकीर्ण पथ (कॉरिडॉर) तथा पूर्व-पश्चिम संकीर्ण पथ तक साल्ट लेक सिटी से रामराज तुला को जोड़ते हुए वैकल्पिक लाइन बिछाने का काम आरम्भ नहीं करेंगे तो इससे पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता नगर को काफी क्षति पहुँचेगी। जब तक वैकल्पिक लाइनों की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक, शताब्दी के अन्त तक, कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि हम जानते ही है, इसका प्रतिफल मिलने में बहुत समय लगेगा। अतः भूमि अधिग्रहण करने, नोटिस देने आदि से संबंधित आरम्भिक कार्य तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कलकत्ता और मेट्रो की भलाई के लिए यही मार्ग है। यह

पहली बात है। दूसरे, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेट्रो रेलवे की दृष्टि से भी, जब यह पूरी तरह से कार्य करने लगेगी - वर्तमान चरण में यह पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है - दमदम रेलवे जंक्शन की योजना बनाते समय काफी गड़बड़ हुई है। यदि यह मार्ग खुल जाएगा तब मैट्रो कोचों में जितने यात्री चढ़ते और उतरते हैं, उन सबकी व्यवस्था दमदम जंक्शन में नहीं की जा सकती।

2.00 म.प.

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

यह असम्भव है। हमने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब दमदम जंक्शन के विस्तार की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः इसका क्या तात्पर्य है ? आपकी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। वहां भगदड़ मच जाएगी तथा दुर्घटनापयें होंगी। मेट्रो रेलवे के इस खण्ड का विस्तार करने का केवल एक ही रास्ता है कि इसे बेल्घोरिया और / अथवा बड़ानगर तक बढ़ाया जाये। इसका बड़ानगर तक विस्तार करने से लाभ है। यह, दूसरी लाईन जिसका मैं सुझाव दे रहा हूँ, जोकि दक्षिणेश्वर से होते हुए बी टी रोड से गारियाघाट तक है, संपर्क लाइन बन सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन बातों पर विचार किया जाये।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि हमारे साथी श्री बसुदेव आचार्य जी ने उसका उल्लेख किया है या नहीं। इस बार जब मैं कलकत्ते से आ रहा था मैंने आइ एन टी यू सी के नेता को हवाई अड्डे पर इन्तजार करते देखा। वह श्री प्रणव मुखर्जी से बात करना चाहते थे। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले है। वस्तुतः उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन दुर्भाग्यवश वे हार गए थे। वह आखिर श्री प्रणव मुखर्जी से क्यों बात करना चाहते थे। उन्होनें बताया कि केवल एक ही समस्या है। वह जेस्सोप्स के आइ.एन.टी.यू.सी. नेता थे। उनको केवल यह निवेदन करना था कि उस कम्पनी को वैगनों का कोई आर्डर नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को निकाला नहीं जा सकता इसलिए उनको बेकार रखा जाता है। कुछ समय के बाद पूरे संगठन की सामर्थता नष्ट हो जाती हैं सरकारी क्षेत्र की कम्पनी जेसोप्स पर पूरे बंगाल को गर्व था लेकिन अब इस कम्पनी को वैगन बनाने का आर्डर नहीं दिया जा रहा है जिससे कि संगठन अच्छी तरह से कार्य कर सके।

मैं दो बातें और बताऊंगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं रेलवे के इस रवैये का कड़ाई से विरोध करता हूँ। मुझे आमान परिवर्तन के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। आमान परिवर्तन भी हमारे देश की विशिष्ट स्वरूप है। आमान परिवर्तन अत्यंत उपयोगी है। मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह याद रखना होगा कि जब भारत ने औद्योगिकरण की ओर अपना कदम बढ़ाया था, वह नयी लाइन के निर्माण के आधार पर था। स्वतंत्रता के बाद के 40 या 50 वर्षों के दौरान अंग्रेजों के समय में बिछाई गयी रेल लाइनों में हमने बहुत कम वृद्धि की है। नई रेल लाइनें बिछाने के लिए स्थान की भी आवश्यकता है। यदि योजना आयोग इसके लिए मंजूरी देने को राजी नहीं होता और यदि आप चाहते हैं कि योजना आयोग के विरुद्ध लड़ाई में हम आपका साथ दें तो हम इसके लिए तैयार हैं।

दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी आपका रवैया हानिकारक है।

सभापति महोय : आपका समय खत्म हो चुका है। आपने बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय मांगा था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पांच मिनट ? क्या आपने मेरा नोट पढ़ा है ? मैंने दो मिनट का समय मांगा है।

मैं केवल आपके रवैये की बात कर रहा हूँ। छोटे सफर की यात्रा को सड़क परिवहन के हवाले कर देने का रवैया अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आज रेलवे में डीजल की खपत सड़कमार्ग (रोडवेज) की अपेक्षा बहुत कम होने की वजह से देश को आयात पर निर्भर होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कम से कम अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए छोटे सफर की यात्रा को सड़क परिवहन के हवाले कर देने की नीति अत्यंत खतरनाक है। इस नीति को बदला जाना चाहिए। छोटे सफर की यात्रा के लिए भी रेल परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके लिए हम आपके साथ है। आप योजना आयोग के समक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व कीजिए। हम मिलकर स्थिति का सामना करेंगे।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : माल भाड़े और किराये में वृद्धि न करें। लेकिन, साथ ही आपको जो चाहते हैं वह सारे काम पूरे भी करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी नहीं। सवाल किराये को बढ़ाने का नहीं है। मैंने यह कहते हुए भाषण की शुरूआत की थी कि आपके मंत्रालय को 169 करोड़ रुपये की बचत हुई है। अतः ऐसी बात मुझसे मत कहिए। यदि आप अपने बजट के लिए अधिक धनराशि चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना आयोग की मंजूरी चाहिए। इसके लिए आप प्रदर्श का नेतृत्व कीजिए। हम भी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे और हम योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे।

अन्ततः मैं शयनयान कोचों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। कृपया ऐसा काम शुरू करने की कोशिश मत कीजिए जो कि आप लागू नही कर सकते। शायद आपने कुछ उम्मीद के साथ कहा था कि आप द्वितीय श्रेणी में शयनयान कोचों को शुरू करेंगे ताकि कोई यात्री अनुचित रूप से प्रवेश न कर सके। एक प्रकार से ऐसा आपका विचार है। आपने शयनयान कोचों का किराया 25 प्रतिशत बढ़ाना भी चाहा। लेकिन जैसा कि आप जानते ही है इन कोचों के नाम के परिवर्तन तथा किराये में वृद्धि के सिवाय और कुछ भी नहीं बदला है। इन शयनयान कोचों का प्रयोग, भले ही ये कोच बिहार के लिए हो, उत्तर प्रदेश के लिए हो अथवा दक्षिण के लिए हो, आरक्षणधारी यात्री नहीं कर पाते हैं। हमेशा की तरह यह भी लागू नहीं किया जा सकता जैसा कि इससे पहले की आपने कई उपाय करने चाहे थे। अतः कृपया आप जो नीति लागू नहीं कर सकते उसे प्रस्तुत मत कीजिए। मैं आपको ये अन्तिम सुझाव देना चाहता हूँ। आपको मेरी शुभकामनाएं।

|हिन्दी|

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : धन्यवाद सभापति जी, आपकी अनुमति से 1994-95 की अनुदान

मांगों के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कई सालों से देख रहा हूं कि जब-जब फरवरी महीना आता है, देश की आम जनता की धड़कनें बढ़ जाती हैं और गरीब मध्यम वर्ग के लोग परेशान हो जाते हैं। उनका विश्वास सच में साबित हो जाता है। वे पहले ही जान जाते हैं कि सदन में रेल बजट पेश होगा तो किराये में वृद्धि होगी। रेल बजट पेश होने के सात दिन के बाद आम बजट पेश होता है। लोगों को पहले ही विश्वास हो जाता है कि इसके द्वारा आम आदमी को मार दिया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये जायेंगे और महंगाई बढ़ती चली जायेगी और सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों पर बोझा बढ़ता ही चला जायेगा। लघु और बहुत छोटे उद्योग खत्म हो जायेंगे। जो आशायें पिछले 15 सालों से लोग रख रहे हैं, वे सच साबित हो रही हैं। पिछले 2-4 सालों से एक और नया तरीका हमारी सरकार ने निकाला है। वह बजट की और फरवरी महीने की राह नहीं देखती है। वह जनवरी में ही पीछे के दरवाजे से . . . **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : रेल के किराये नहीं बढ़ते हैं।

श्री हरिन पाठक : 2-3 साल के बाद यह प्रेक्टिस आपके यहां भी पहुंच जायेगी। जनवरी महीने में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। इस साल जनवरी में चीनी, गेहूं, डीजल, पैट्रोल और एल.पी.जी. के दाम बढ़ कर पांच हजार करोड़ रुपये का बोझा सरकार ने डाला। हमारे परम मित्र जाफर शरीफ साहब जब रेल बजट पेश करने आये तो कहा कि 996 करोड़ यानी एक हजार करोड़ रुपया वह लोगों की जेब से निकालना चाहते हैं और निकालेंगे। मुझे उनकी शक्ति पर विश्वास था। इस बार जिस ढंग से माल भाड़े में बढ़ोत्तरी की उसको देखकर सब हैरान थे। जब मैं आपका बजट भाषण सुन रहा था तो कन्फ्यूज हो गया कि आप किस आइटम पर बोल रहे हैं। आप बी से डी कैटेगिरी में, ए से सी कैटेगिरी में चले गये, पूरा सदन समझ नहीं पाया कि किस आइटम पर आप बोल रहे हैं। मैं भी सोचने लगा कि ए.बी. और सी कैटेगिरी क्या होती हैं ? आपने बड़ी होशियारी के साथ आवश्यक वस्तुओं के मालभाड़े में बढ़ोतरी की। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब जब यह बजट पेश किया जाता है, आम आदमी मारा जाता है। मंत्री जी, आपने इस बार भी 914 करोड़ में से 800 करोड़ माल भाड़े वृद्धि से लेने का तय किया है। 196 करोड़ यात्री किराये से वह लेना चाहते हैं। 35 करोड़ रुपया द्वितीय श्रेणी के प्रवासियों की जेब से लेना चाहते हैं। 17 करोड़ रुपया आप मध्यम वर्ग के लोग, सरकारी कर्मचारी, छोटे-छोटे लोग, जो सीजन टिकट होल्डर्स हैं, उनकी जेब से आप लेना चाहते हैं। 34 करोड़ रुपया फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स से लेना चाहते हैं। 35 से 17, 52 करोड़ रुपया आप गरीब लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब से लेना चाहते हैं। पैसा वालों से आप कम यानि 35 करोड़ लेना चाहते हैं और 52 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से लेना चाहते हैं।

जैसा मैंने पूर्व में कहा कि पहले से ही आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े थे, उसमें रेल किराये बढ़ने से और मुसीबत हो गई है। यह सब कई सालों से होता रहता है मगर रेल की सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछली बार राजधानी में चोरी हुई और यह लगातार होता रहता है। लोग ऐसा मानते हैं कि राजधानी तो सेफेस्ट ट्रेन है, बगैर रिजर्वेशन उसमें कोई नहीं जा सकता। पैसे वालों से तो चोर चोरी करके ले गये। मगर मैं दूसरी बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसको आप सेफेस्ट ट्रेन

समझते हैं, अगर उसमें चोरी हो जाय तो जो सामान्य ट्रेन है, लोकल ट्रेन हैं, पैसेंजर ट्रैन, फास्ट ट्रैन हैं, उसमें यात्रियों की सम्पत्ति और उनके पास जो कुछ धनराशि है, उसकी क्या स्थिति होगी। इतना सारा बोझ डालने के बावजूद भी सुविधाओं में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ?

कंओस हो गया है, मैं कई बार ट्रेन से जाता हूं, हमें गुजरात जाना पड़ता है तो राजधानी का उपयोग करते हैं. आश्रम से जाते हैं, कभी डीलक्स से जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा ट्रेन में नहीं हैं, कोई सिक्योरिटी ट्रेन में नहीं हैं। पिछली बार तो राजधानी में बम फटा था। हमारे कुछ सांसद भी उसमें हाजिर थे, उनमें से कुछ लोगों को चोट भी आई थी। मैं सदन के सभी सदस्यों से यह चाहूंगा कि रेल मंत्री जी पर हम दबाव डाले कि जहां तक यात्रियों की सुविधा का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल हैं, रेल मंत्रालय को उचित रूप से इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

समय की कमी है और समय की इस छोटी सी अवधि में मुझे अपनी कहनी है। मैं दो, चार, पांच खास बातें, गुजरात की ओर से सदन में मंत्री जी की मंजूरी के लिए रखना चाहता हूँ। गुजरात के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम लोग मानते हैं कि गुजरात व्यापारी पर्याय है। यह सुखी, सम्पन्न हैं तो सरकार की नई योजना हमारे यहां नहीं आती। पिछले 30-35 साल से न कोई बड़े प्रोजैक्ट आते हैं और छोटे-छोटे उद्योग नष्ट होते जाते हैं। मैं जिस शहर से आता हूं, वह अहमदाबाद एक जमाने में मैनचैस्टर कहा जाता था, जिसको आज लोग करणावती कहते हैं। वहां 80-90 मिले थी। लेकिन आज सब मिलें बन्द हैं, छोटे-छोटे कारखाने बन्द हैं। गुजरात की स्थिति धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टि से खराब होती जा रही है, वह टूटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में गुजरात के साथ अन्याय है। हमारी जो मांगे हैं, उन को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वैस्टर्न रेल्वे की 99 परसैण्ट लाइनें गुजरात से निकलती है, मगर वैस्टर्न रेल्वे का हैडक्वार्टर करणावती में नहीं हैं, अहमदाबाद में नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र में बम्बई में है। यहां तक कि इसी सदम में, मुझे स्मरण है, मैं नहीं था मगर मैंने पढ़ा है कि गनी खां चौधरी जी के टाइम में अहमदाबाद में डिवीजन देने की बात स्वीकार की गई थी।

|अनुवाद|

सिद्धांत रूप से यह स्वीकार की गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया।

|हिन्दी|

आज गुजरात की वह कैपीटल हैं,

तीस लाख की आबादी है। मेरा शहर तीन डिवीजनों में बंटा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे तन्त्र चलता है। अहमदाबाद में तीन डिवीजन है - एक भावनगर डिवीजन, शहर के मध्य में गांधी ग्राम स्टेशन है, जो भाव नगर डिवीजन में पड़ता है और शहर के मध्य में पांच-सात किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, जो बड़ौदा डिवीजन में पड़ता है और आगे कोई राजकोट डिवीजन में पड़ता है। कुछ हिस्से आजमगढ़ डिवीजन में पड़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, यह कैसी व्यवस्था है।

[अनुवाद]

हम गुजरात के लोग दो प्रमुख मांगों के प्रति बहुत चिन्तित है।

हमारी पहली मांग हैं अहमदाबाद में मुख्यालय स्थापित करना और दूसरी मांग है अहमदाबाद नगर के लिए डिवीजन देना है।

[हिन्दी]

वहां के अखबार वाले लिखते हैं कि यहां के लोग मांग उठाते हैं, पता नहीं गुजरात के सांसद इस बात को क्यों नहीं रख पाते हैं। मैं रेल मंत्री जी से मिला हूं, मंत्री जी जानते होगे। यह हमारी लोंग पैडिंग डिमान्ड है और इससे लोगों की भावनायें जुड़ी हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अहमदाबाद से हैडक्वार्टर बना दिया जाएं।

इसके साथ ही में आपसे यह मांग करूंगा कि अहमदाबाद से दिल्ली की कोई सीधी ट्रेन नहीं है। दो-तीन ट्रेन्स, पहले सर्वोदय थी, जो बहुत अच्छी चलती थी। अहमदाबाद से 12 बजे चलती थी, और यहां सुबह आ जाती थी, लेकिन अब उसको तोड़-मरोड़ दिया गया है। कभी दो बजे राजकोट से आती है, कभी गांधीधाम से आती है और कभी अहमदाबाद से चलती हे, और सर्वोदय सुबह चार बजे पहुंचती हैं ओर दो बजे मथुरा आती हैं। गुजरात के लोग धार्मिक हैं। बहुत संख्या में लोग मथुरा जाते हैं। सर्दियों के दिनों में दो बजे मथुरा और चार बजे दिल्ली आकर पहुंचते हैं। सर्दियों में दो बजे मथुरा और चार बजे दिल्ली आकर कहां जायेंगे। अहमदाबाद से मीटरगेज आश्रम एक्सप्रैस चलती है। पिछले दस सालों में एक ट्रेन भी समय पर नहीं छोड़ी जाती है। आज एक बहाना है कि कन्वर्जन हो रहा है और कन्वर्जन के कारण गाड़ियां लेट चलती हैं, मगर आश्रम एक्सप्रैस कभी समय पर नहीं चलती है। मेरी आपसे मांग है कि एक सीधी ट्रेन अहमदाबाद से दिल्ली राजधानी के लिए दें। इसके साथ ही अहमदाबाद से बम्बई एक दूसरे से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जुड़े हुए शहर हैं। मैं आपके फायदे की बात करता हूं। जितनी भी ट्रेने आप अहमदाबाद और बम्बई के बीच दोड़ायेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। एक सीधी ट्रेन नॉन-स्टाप बम्बई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बम्बई के लिए निकालिए। आर्थिक दृष्टि से यह ट्रेन फायदे में रहेगी।

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़) : एक तारीख की रहेगी।

श्री हरिन पाठक : वह हमारी पुरानी मांग हैं, जो आपने स्वीकारी है। वह भी सीधी ट्रेन नहीं हैं, बीच-बीच में रूकेगी। मैं नॉन-स्टाप की बात कह रहा हूं।

इसके साथ ही मैं अहमदाबाद नगर और मणिनगर की बात कहना चाहता हूं। दोनों नगरों के बीच 3-4-5 किलोमीटर का अन्तर हैं। मेरा निवेदन है, जितनी भी ट्रेनें बम्बई और देश के अन्य भागों से आये, वे मणिनगर पर खड़ी रहे। वहां पर खड़ी रहने से मेन-स्टेशन पर लोड कम होगा। मणिनगर के आसपास की आबादी 6-7 लाख की है। उनको मेन स्टेशन अहमदाबाद जाना पड़ता है। फिर वहां से रिक्शा नहीं मिलती है, बस नहीं मिलती है, टैक्सी नहीं मिलती है। वैसे भी जब इतने सारे लोग वहां उतरते हैं, तो चेन-पुलिंग होती है और ट्रेन

रूकती हैं। मुझे रेल समिति में आश्वासन दिया गया था कि सारी ट्रेन्स मणिनगर में खड़ी रहेगी और वैसे भी अहमदाबाद लास्ट स्टेशन है। इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि मणिनगर स्टेशन से जो गाड़ी आती-जाती रहती हैं, उन ट्रेनों को इस स्टेशन पर दे दें।

इसके साथ ही अहमदाबाद से यात्री हरिद्वार भी जाते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैं इसकी भी आपसे मांग करता हूं। अहमदाबाद एक औद्योगिक शहर हैं और राजकोट, महसाना आदि स्थानों से बहुत सारे लोग रोज अहमदाबाद अपने काम-क्राज के लिए, रोजगार के लिए आते हैं। तो कर्नावती जो नया नाम है जिससे वहां के लोगों को गौरव है आपने उस पर से ट्रेन का नाम कर्नावती भी दिया है कि इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कर्नावती मध्य में होने के कारण बड़ी भारी संख्या में लोग अहमदाबाद मध्य होने के कारण बड़ौदा, मेहसाना और राजकोट रोजगार के लिए आते हैं तो उसके लिए तीन जगह से अहमदाबाद तक की ट्रेन करनी चाहिए।

महोदय, आपने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो सूरत से चलती है वह सप्ताह में दो बार चलती है लेकिन आपने चार बार का वायदा किया था तो उसे सप्ताह में चार बार दौड़ाया जाए। कपड़वंज मोडासा रेलवे प्रोजेक्ट का आपके मंत्रालय ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। सबरकाठा में अहमदाबाद से खेड़ब्रह्मा लाइन जो मीटरगेज में है उसे बोड़गेज में रूपानतरित करना चाहिए और जो शिक्षित बेरोजगार युवक नौकरी के लिए ट्रेन में इंटरव्यूस देने के लिए इधर-उधर जाते हैं उन्हे फ्री पास देना चाहिए। एक मेरी मांग और है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ट्रेन में अलग कोच दिया जाना चाहियें आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर (बीड) : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने पहले ही रेल बजट पर विस्तार से भाषण दिया हैं लेकिन आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। विश्व की रेल प्रणालियों में भारतीय रेल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उपलब्धि का यह कारण हैं कि रेलवे तंत्र देश के हर कोने में फैला हुआ हैं। लोग देश के किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रेल यात्रा अधिक महंगी भी नहीं होती हैं। इसलिए इस सन्दर्भ में मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं।

अभी एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि रेल के किराये और माल भाड़े में बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए जनता में आक्रोश हैं। महोदय, जब तक रेलवे को राजस्व नहीं मिलता तब तक आप रेलवे के विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते। किराये और माल भाड़े में वृद्धि करने से ही रेलवे को राजस्व प्राप्त होता है। जनता की मांग हैं। कि सभी जिलों में रेलवे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और रेलवे को तुरन्त ही आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ करना चाहिए। जनता को आशंका है कि किराये और माल भाड़े में बहुत वृद्धि होगी

---

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद ये सभी आशंकाएं दूर हो गई। इससे लोगों को राहत मिली है।

देश की प्रगति और विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है रेलवे भारत सरकार का सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रही है। रेलवे ने देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेलवे तंत्र देश के सभी भागों में फैला हुआ है। रेलवे ने बड़े पैमाने पर आमान परिवर्तन करने का का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इससे एक ऐसा मार्ग तैयार होगा जो सभी राज्यों को जोड़ेगा। इसके लिए रेलवे को प्रचुर मात्रा में पूंजी निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। तब भी माननीय मंत्री महोदय और अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देती हूं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय ने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आमान बदलने के लिए दृढ़ निर्णय किया है। संसद ने ली माननीय मंत्री के संकल्प का पूर्णतः समर्थन किया है। मेरा यह विचार है कि जिस प्रकार आपने मराठवाड़ा, औरंगाबाद, बीड़, पराली अन्नड़ तथा परभनी में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य लाइन पर आमान परिवर्तन किया है, उससे हजारों यात्रियों को फायदा हुआ है।

महाराष्ट्र में कुरडुवाड़ी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यदि वहां पर लम्बी दूरी की गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की जाये तो इससे उर्वरक और दक्षिण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को बहुत अधिक फायदा होगा।

के.के. एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एक्सप्रेस तथा जेहलम एक्सप्रेस में अहमद नगर स्टेशन पर कम से कम चार शायिकाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। चूंकि वहां पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। इससे जन-प्रतिनिधि तथा अन्य यात्रियों को असुविधा होती है।

घाटनन्दूर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जो आसपास के 50 या 60 गांवों की जरूरतों को पूरा करता रहा है। मैं माननीय मंत्री से इस स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को रोकने का अनुरोध करता हूं। इस स्टॉप से आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी।

लातूर-बार्शी-पण्डारपुर एक छोटी रेलवे लाइन है जिसे बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री से इस आमान परिवर्तन के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये आबंटित करने का अनुरोध करता हूं, ताकि कार्य भली प्रकार किया जा सके।

अब मैं बीड़ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जो मेरा जिला है। बीड़ महाराष्ट्र का एक सबसे पिछड़ा जिला है। इस जिले की जनसंख्या 24 लाख है। चूंकि इस जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है, इसलिए इसमें कोई उद्योग भी नहीं है। चूंकि वहां पर कोई उद्योग नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। चूंकि वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए इस जिले में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस जिले से 5 लाख लोग कार्य की तलाश में अन्य जिलों में जाते हैं चूंकि उन्हें प्रत्येक वर्ष अन्यत्र जाना पड़ता है, अतः उनके बच्चों की शिक्षा रुक जाती है। उनकी गरीबी वर्ष-दर-वर्ष और बढ़ रही है। वास्तव में इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है।

यह देखा गया है कि जो व्यक्ति चिल्लाता अथवा झगड़ता है वह जो चाहे उसे मिल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो भूखा है वह केवल रोटी चाहता है।

[हिन्दी]

जो भूखा है, उसको एक रोटी मिलनी चाहिए और जो भूखा नहीं है, जिसका पेट पहले से भरा हुआ है, उसको और खाना देने से उसको अपच हो जाएगा, वह बीमार हो जाएगा, उसको डाक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह हैं कि अहमदनगर, बीड़, परली रेलवे लाईन के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया जाए। इस लाईन के बनाने से वहां की 24 लाख जनता आपको आशीर्वाद देगी, मैं भी आपको आर्शीवाद दूंगी। मैं एक महिला वहां से 14 साल से चुनकर आ रही हूं और वहां के लोग मुझे कहते हैं कि एक रेलवे के प्रश्न को आप नहीं हल करवा सके। मैं भी 14 साल से इस सवाल को इस सदन में उठा रही हूं, लेकिन यह सवाल आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बजट में अहमद नगर, बीड़, परली रेलवे लाईन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इसको मान्यता देने का कष्ट करें। मैं कर्नाटक की हूं और मंत्री जी भी वहीं के है। लेकिन मैं बार-बार बोलती हूँ तो उसका कुछ परिणाम नहीं होता है। जब तक मंत्री जी नहीं करेगें तो उनका पीछा नहीं छोडूंगी इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अहमदनगर से वीरपल्ली की लाईन को मान्यता देने का कष्ट करें।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, फिरोजाबाद भारतवर्ष में कांच की दृष्टि से अलग स्थान रखता है। लेकिन मैंने 1991 में आने के बाद मंत्री जी को 12-14 प्रार्थना पत्र गोमती एक्सप्रैस के स्टापपेज के संबंध में दिए थे क्योंकि पूरे भारतवर्ष के व्यापारी फिरोजाबाद में व्यापार की दृष्टि से आते हैं परंतु आश्वासन देने के बाद भी मंत्री जी ने उस बात पर गौर नहीं किया।

12 दिसम्बर 1993 को मैं आगरा से लखनऊ के लिए अवध एक्सप्रैस में सफर कर रहा था। लेकिन लखनऊ आने से पहले मेरी अटैची गायब हो गई। मैंने चारबाग लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई और जीआरपी पुलिस के डी.जी. और रेल मंत्रालय से संपर्क किया। मालूम हुआ कि मिलीजुली भगत से कंडक्टर और अटैन्डेट के जरिए से अटैची की चोरी हो गई। मंत्री जी को बरबली बताया और लिखित भी दिया लेकिन आज तक रिप्लाई नहीं मिला और न उस पर कोई कार्यवाही हुई, इस बात की विडम्बना है और मंत्री जी अभी चले गए हैं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं कोई नयी मांग नहीं रखना चाहता हूं। बिहार में रेलवे बजट का घोर असंतोष हैं। मैं पुरानी मांग रखना चाहता हूं जिसको रेलवे पूरा कर सकती है। बिहार में रेलवे के जोनल मुख्यालय की पुरानी मांग है। रेलवे नौ जोन में विभाजित है जबकि चार बिहार में पड़ते हैं। 1986-87 के सर्वे के अनुसार 5362 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाईन बिहार में पड़ती हैं जो सारे देश की रेलवे लंबाई का 8.7 परसेंठ हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का दूसरा नंबर है और आय की दृष्टि से 17 परसेंट कोयले के परिवहन द्वारा ही रेलवे को आता है। सारे खनिज को जोड़ दिया जाए तो जो सारे देश की खनिज की ढुलाई होती है उसका 25 परसेंट प्राप्त होता है। जब गए साल मंत्री जी बिहार गए थे तो बिहार के मुख्य मंत्री

जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मकान और जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, केवल वहां मुख्यालय बनाया जाए। केवल पेपर ट्रांजक्शन से ही बिहार में रेलवे का जोनल मुख्यालय बन सकता है।

सभापति जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह समस्तीपुर है। वह क्षेत्र रेल्वे के इतिहास में अपना एक खास स्थान रखता है। 1981 में रेल्वे का वर्कशाप बना था और 1986 में लोकोशेड बना था। लेकिन सत्तर के दशक से वहां पर बहुत ह्रास हुआ है। राजनीतिक दबाव में सोनपुर मंडल का निर्माण किया गया, उसे बिहार का छपरा-सीवान का क्षेत्राधिकार देने के बजाय समस्तीपुर मंडल के बड़ी लाइन का क्षेत्र देकर समस्तीपुर मंडल को खत्म कर दिया गया और वहां बड़ी लाइन का काम सोनपुर को दे दिया। मेरी मांग है कि समस्तीपुर में जो बड़ी लाइन का काम है, उसकी देखरेख वही जोन बनाकर उसको दी जाये। समस्तीपुर में प्रस्तावित डीजलशेड का निर्माण शुरू कराया गया था और 1990-91, 1991-92 में रुपया भी आंबटित किया गया था, जमीन भी उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन उसको बन्द कर दिया गया। मेरा आग्रह है कि उसको अविलम्ब शुरू कराया जाये। इस वर्कशाप में बड़ी लाइन तथा बड़ी लाइन के डिब्बों को बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन पी. ओ.एच. मरम्मत और आर.ओ.एच. का कार्य भी शुरू नहीं कराया गया है। मेरी मांग है कि उसको तुरंत शुरू कराया जाये और वहां पुरानी मशीनें जो पुराने कारखाने की पड़ी है, करोड़ों रुपयों की हैं, उनको काम में लाया जाये। वहां बड़ी लाइन का कारखाना भी बना था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, उसका भी पुनर्निमाण कराया जाये।

समस्तीपुर से दरभंगा तक प्रस्तावित बड़ी लाइन का जो परिवर्तन करना है उसमें देरी हो रही है, उसको शीघ्र कराया जाये। उत्तर बिहार की घनी आबादी राजस्व तथा रेल के हित में हसनपुर-सकरी लाइनों का निर्माण कराया जाये। रेलवे बोर्ड के नियमनानुसार सोनपुर मंडल से बड़ी लाइन के 45 किलोमीटर का क्षेत्र इस मंडल को वापस दिलाया जाये तथा प्रशासनिक दृष्टि से इस राज्य के सीवान और छपरा वाराणसी मंडल से सोनपुर मंडल को दे दिये जाये।

समस्तीपुर उत्तर बिहार का प्रमुख केन्द्र स्थान है अतः इलाके के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मंडल मुख्यालय से दूरस्थ स्टेशंस के लिए बड़ी लाइन की गाड़ियां खुलवाई जाये। रेलवे अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाये। उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। वहां डाक्टरों की कमी है (खासकर सर्जन की) कमी को दूर कर अस्पताल को ठीक से चलाया जाये। समस्तीपुर में दि मैकेनिकल प्राइमरी कोओपरेटिव बैंक की शाखा को कार्यरत कराया जाये।

मुजफ्फरपुर रेल सेवा आयोग की दुर्दशा में सुधार लाकर फिर से पुनर्जीवित किया जाये। इसके साथ ही पटना के नजदीक गंगा पर पुल बनाने की बहुत पुरानी मांग है, उसको लेकर आंदोलन भी हो चुका है इसलिए वहां पर पुल का निर्माण कराया जाये। मैं चाहता हूं कि वैशाली जोकि ऐतिहासिक जगह है, कहीं पर हाजीपुर से वैशाली जाते हुए नई लाइन बनाने का प्रस्ताव बहुत दिनों से लम्बित है, उसको पूरा कराया जाये। समस्तीपुर से कटिहार होते हुए सीतामढ़ी तक रेल लाइन की पैमाइश हो चुकी है, उसको भी शीघ्र कराया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं पहले इस बात पर खुशी का इजहार करता हूं कि श्रीनगर तक रेल पथ ले जाने का निर्णय हुआ है और देश हित में यथाशक्ति इस कार्य को पूरा किया जायेगा। साथ ही गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम तक राजधानी जो सप्ताह में एक बार की जानी है, उसे शीघ्र किया जाये। राष्ट्रीय एकीकरण के मामले में इसकी अपनी एक भूमिका होगी।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातों की ओर माननीय रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनको इस बात का फिक्र है कि रेल की आमदनी बढ़ायी जाये। मेरा विचार है कि माल भाड़े में कुछ चुस्ती फूर्ती लायी जाये तो अच्छा होगा। डिब्बे तोड़ने, चोरी रोकने आदि की कुछ बातों का हवाला यहां दिया गया है। जहां तक चोरी का संबंध है, यह पंखा चोरी होना मोकामा समस्तीपुर खंड पर आम बात है और यहां तक कि कटिहार में सब घरों में पंखा मिलेगा। यह एक भंयकर मामला है। इसमें निश्चित रूप से रेल कर्मचारियों का हाथ है। मेरा तो यह कहना है कि टिकट की चोरी कैसे होती है यह बेलगनिया-समस्तीपुर, नरदियागंज-निर्मली, जयनगर-समस्तीपुर खंड पर देखा जा सकता है। वहां पर रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से पैसा तो ले लिया जाता है लेकिन टिकट नहीं दिया जाता है। वे तो खुद ही टिकट लेने से मना करते हैं और इधर रिपोर्ट दी जाती है कि ट्रेन घाटे में चल रही है। और इसी के फलस्वरूप 8 जोड़ी गयी समस्तीपुर मंडल में काट दी गयी। जयनगर दरभंगा में 14 घंटे में कोई गाड़ी नहीं है। एक तरफ रेलवे को पैसा नहीं लेने देंगे और दूसरी तरफ रेलों को काट दिया गया और कुछ गाड़ियों में लोग भरे जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसी बातों पर चुप रहना ठीक नहीं होगा। सरकार को कड़ाई के साथ पैसे की वसूली करनी चाहिये। समस्तीपुर-पटना खंड पर 8 जोड़ी गाड़ियाँ काट देने से लोगों को संदेह है कि रेल विभाग बस मालिकों से मिलकर कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे मित्रों को इस पर ध्यान देना चाहिये। हमारे रेल अधिकारियों को भी इस पर गौर करना चाहिये।

सभापति महोदय, यह कहने की बात नहीं कि देश में यात्रियों की संख्या बढ़ी है या नहीं ? पिछले 15-16 सालों से बेतिया-सीतामढ़ी-मधुबनी-दरभंगा से ट्रेन द्वारा पटना तक यात्री नहीं बढ़े हैं और न जाने की तकलीफ ही करते हैं क्योंकि वहां पर बड़ी लाइन नहीं है। पहले हम लोग मीटर गेज से मथुरा तक जयनगर, मधुबनी से आते थे लेकिन अब नहीं आ पा रहे हैं, मैं इस बात के इसलिये कह रहा हूं कि मध्य बिहार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। क्यों ? इसलिये ब्राड गेज न बनने से वह मुसीबत हो गयी है। निर्मली से लोग थरभिट्टा-सुपौल जाते हैं। वहां जाने के लिए सवा तीन सौ किलोमीटर दरभंगा, समस्तीपुर, खगरिया, मनसा, सहरसा होकर जाना पड़ता है चूंकि एक रेल पुल का निर्माण नहीं हुआ जो पहले रेल की लाइन कट गई कोसी के चलते। हमारे बचपन में वह रेल लाइन थी लेकिन वह सुविधा अब कम हो गई। वह एक ही इलाका है जहां रेल सुविधाएं थी ओर वह भी कम हो गई। एक करोड़ के लगभग लोग हैं जो पटना में भी रेल से आना भूल गए। इसमें निर्मली-थरपिटा को जोड़ने वाले पुल का कार्यक्रम आप लें। कठिनाई है लेकिन उसे भी पूरा करना है नहीं तो वह भाग कटा हुआ ही है। मैं आग्रह करूंगा कि भीमनगर से चतरा तक रेल पथ है और वह बिहार सरकार के मातहत है। लोग जान नहीं पाते हैं भीमनगर, कोसी बराज के लिए उसका निर्माण हुआ था। जब वह बड़ा क्षेत्र बनेगा तो उसका काम होगा। नेपाल की धरती पर वह है लेकिन वह बिहार सरकार का है। बिहार सरकार को

अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह खत्म करने पर है कि रेल की पटरी को भी हम बेच देंगे। रेल की पटरी बिक जाएगी, नेपाल की भूमि है, ऊंची जमीन है लाखों लोग उस पर बसेंगे और कल उसे फिर हाथ में नहीं लेंगे जब किसी बहुद्देश्यीय डेम का निर्माण होगा। मेरा आग्रह है कि रेलवे उस रेल पथ को अपने हाथ में ले ले और उसको अभी भी चालू किया जा सकता है। जमीन नेपाल में है, रेल पथ आपका है, निर्माण बंद है इसलिए उपयोग नहीं हो रहा है। कम से कम उसमें विलंब न करें जिससे सारे देश का नुकसान होगा और नुकसान सहकर भी उसको चलाना कठिन हो जाएगा।

कर्मचारियों के मामले में मेरा आग्रह यह है कि सफलता के साथ, क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने वालों का पारितोषिक और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एक तरफ गड़बड़ी के लिए दंडित करें लेकिन क्षमता के लिए, ईमानदारी के लिए, समय पर गाड़ी चलाने के लिए पारितोषिक को बढ़ाएं जिससे कर्मचारी समझें कि प्रशासन की ओर से हमें क्या मिलेगा और उसी मायने में लाभकर रेलगाड़ियां चलें और उनको अच्छा बोनस मिले। इसको बड़े पैमाने पर चलाएं।

सभापति जी, जिस बात की ओर मैं खास ध्यान दिलाना चाहता हूं यह बिहार का वह इलाका जहां सुविधाएं घट गई है, छितौनी-बगहा के लिए पुल का निर्माण कई वर्षों से हो रहा है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें कि वह निर्माण कब पूरा होगा, गाड़ी उस पर कब से चलेगी ? मुजफ्फरपुर, रक्सौल रेल पथ का निर्माण हो रहा है। हमें कहा जाता है कि 1995 के शुरू होने से पहले उसको चालू हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसको भी पूरा किया जाए। समस्तीपुर, दरभंगा के लिए बोलने में अब हिचक हो रही है कि 1973 से कई बार बजट में पैसा भी आया है। अभी एक करोड़ का काम पिछले साल चला और इस साल दस करोड़ रखा गया है। 1995 के मई-जून तक वह गाड़ी चालू हो जाएगी यह आश्वासन कई बार मिला है लेकिन मुझे शक है कि इस साल आपने दस करोड़ दिया है, अगले साल 17 करोड़ होगा। आप मई-जून 1995 तक तब पूरा कर सकेंगे जबकि इस साल मुस्तैदी से पुलों के निर्माण का काम पूरा कर लें। मुझे शक है कि ढील के चलते लोगों का मुंह जो फूला हुआ है, पिछली बार जैसा हाल न हो।

सभापति जी, स्वर्गीय कर्पूरी जी हमारे बीच नहीं हैं पर उनके नाम पर हमने एक स्टेशन का नाम दिया कर्पूरी ग्राम। वहां से सीहोर तक दोहरे रेल पथ का मामला है और इस साल के अंत तक आप उसे पूरा कर लेंगे। जो प्रावधान आपके बजट में हैं उसको आप पूरा करें। बिहार में दो कमिश्नरी रेल पथ से जोड़े नहीं गए हैं। उस कमिशनरी का मुख्यालय दुमका और हजारीबाग है। दुमका से मन्दरा पहाड़ी तक जोड़ने का प्रावधान है और योजना आयोग में पड़ा हुआ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरा करेंगे।

राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गया राजगृह को जोड़ने का मामला है। उसका अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और राजनैतिक महत्व है और वह टूट बहुत नुकसानदेह है। उससे घाटा नहीं होगा, आमदनी बढ़ेगी।

नेपाल का जो मैंने कहा, बिहार सरकार का निर्णय हो चुका है कि हम रेल की पटरी को नीलाम कर देंगे। मेरे आग्रह पर उन्होंने पत्र लिखा कि भारत सरकार के रेलवे को दे दिया जाए। आपका जवाब नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें और उस रेल पथ को ले लें। नेपाल सरकार को उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है,

डैम के निर्माण के बाद जरूरत पड़ेगी लेकिन तब नहीं होगा। ऊंची जमीन हैं, उस पर लोग बस जाएंगे। इसलिए आप उसे तुरन्त ले लें। कोई खर्चे का का मामला नहीं हैं, केवल प्रबन्धन करना है।

समस्तीपुर-पटना ट्रेन तुरन्त चालू कर दें। रक्सौल तक जो बड़ा रेल पथ ला रहे हैं उसे रक्सौल से समस्तीपुर तक जोड़ दें ताकि जो लोग पहले वृंदावन-मथुरा तक छोटी लाइन से आते थे, वे सीधे बड़ी लाइन से चले जाएंगे।

निर्मली से ठरविटा बीचों-बीच जो पुल कटा हुआ है, उससे पहले लोग गोहाटी तक जाते थे। उसे आप जल्दी पूरा कर दें।

एक ही ऊर्जन के आधार पर रेलवे को चलाएं। यूनियन पर ज्यादा जिम्मेदारी दें। उनकी जिम्मेदारी भी हो, जवाबदेही भी हो। वे भी समझें कि हमारी भागीदारी है। हर सफलता में उनको लाभ मिले, हर विफलता में थोड़े दंड का भी सामना करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री ज़ाफर शरीफ श्री अरूणाचलम जी को बिठाकर गए हैं। अरूणाचलम जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन यदि रेल मंत्री नहीं रहेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा।

सभापति महोदय : मंत्री जी आपकी बात नोट कर रहे हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी : नोट तो कर रहे हैं लेकिन जवाब तो नहीं देंगे।

मैं रेल विभाग के हर स्टाफ को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि यह विभाग देश का सबसे बड़ा विभाग है। इसमें बहुत सारे उद्योग और रोजगार हैं और देश का कम्यूनिकेशन भी एक जगह से दूसरी जगह होता है। इसलिए इंडियन रेलवे की भूमिका देश के लिए बहुत अहम है। मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, साथ-साथ दो बातें कहना चाहती हूं। रेल बजट में रीजनल बैलैंस का हर वर्ष ध्यान नहीं रखा जाता। एक स्टेट को अच्छा मिलता है और दूसरे स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे इस रेल बजट में बंगाल और बिहार दोनों स्टेट बहुत ही डिप्राइव हुए हैं। आपको मालूम है कि बंगाल से हमारी वैगन इंडस्ट्री है। उसे रेलवे मंत्रालय द्वारा पहले आर्डर दिया जाता था। उसमें बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर के व्यक्ति इनवॉल्व हैं

दो मार्च 1994 को एक क्वश्चन हमारे एक आनरेबल मैम्बर ने पूछा था, उसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि

|अनुवाद|

''कि माल यातायात में कमी आने के कारण माल डिब्बे की जरूरत कम हो गई है, दूसरी ओर स्पेन से प्रयुक्त किए गए 500 मांल डिब्बों के आयात के समाचार है।''

|हिन्दी|

अगर आप रेलवे वैगन इंडस्ट्री की मदद नहीं करेंगे तो वैगन इंडस्ट्री पर जो प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर डिपेंड करते हैं, वे बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र बर्नस्टैंडर्ड, हावडा तथा बर्नपुर, भारत वैगन तथा इंजीनियरिंग कंपनी, ब्रेथवेरे, जैस्सप्स, निजीक्षेत्र- टेक्समेको, सिमको, हिन्दुस्तान डेवलेपमेंट कारपोरेशन, मोर्डन इंडस्ट्रीज।

[हिन्दी]

इसको आपने करटेल कर दिया है। 1989-90 में फोर व्हीलर यूनिट जो थे, उनमें आडर्स थे 1990-91 में 23,500, 1991-92 में 25,700, 1992-93 में 25,300, 1993-94 में 18,500 और पिछले सात दिसम्बर महीने में 15,250 ही रह गये। इसका नतीजा यह हुआ कि इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज बहुत तकलीफ में हैं। इसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑन योर वैगन नाम से एक स्कीम चलायी थी। बिग इंडस्ट्रियल हाउसिज ने इसके शेयर खरीद लिये लेकिन स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इसके शेयर नहीं खरीद सकी।

आज इंडस्ट्रीज को समय पर ऑर्डर्स तथा मैटिरियल नहीं मिलते हैं। आप इस पर ध्यान दें। जिसके पास अच्छा रूपया है, वह तो उनको आसानी से ले लेता है, लेकिन जिन के पास रूपया नहीं है, इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद करना जरूरी है। आज धनवान खजाना भर रहा है और कानून उसकी हिफाजत कर रहा है लकिन मजदूर अपनी तकदीर को रो रहा है। मैंने पहले भी रेल बजट पर बोलते समय कहा था कि हमारा स्टेट डिप्राइव हुआ है। नार्थ बंगाल में एक लाख का बालूघाट प्रोजेक्ट था। मैं मंत्री जी से इसके बारे में बात करने उनके दफ्तर भी गई थी। मैंने वेस्ट बंगाल का जब दौरा किया तो देखा कि साउथ दीनाजपुर नाम का जो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहां के लोगों की बहुत दिनों से यह मांग है कि इस पैडिंग पड़े प्रौजेक्ट को पूरा किया जाये। आपने एक हजार करोड़ रूपया इस प्रोजैक्ट के लिये दिया है। इतनी राशि में कुछ नहीं होता है। मैं इसको कंडैम करती हूं। आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? वहां 70 परसैंट शिडयूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटी क्लास के लोग रहते हैं। वहां कम्यूनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले वायुदूत था। उसको भी अपने बंद कर दिया। अगर प्रैगनैंट लेडी को अस्पताल जाना पड़ता है,

3.00 म.प.

तो उसको कार में जाना पड़ता है, जिसमें तीन घंटे लगते हैं लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वह कार का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। गरीब जनता के लिए तो रेलवे की सुविधा है लेकिन एकलाकी बेलूरघाट में मुझे मालूम नहीं है कि इसका प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसका अच्छी तरह से सर्वे करके 1000 रूपया नहीं बल्कि इसके लिए आपको 10 करोड़ रूपया देना चाहिए। मैं अभी आपसे डिमाण्ड करती हूं कि अगर आपको किसी प्रोजैक्ट में कुछ करना है तो एकलाकी बेलूरघाट में कम से कम 10 करोड़ रूपया एक साल में देना चाहिए। 1000 रूपया क्या होता है, मैं मिनिस्टर को 1000 रुपये का चैक देने गई थी कि आप हमारे पास से तनख्वाह में से 1000 रूपया ले लो, आपको रेलवे का 1000 रूपया देने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले जो रिप्लाई हुआ था तो मंत्री जी ने कहा था कि बजट का मैं फाइनल रिप्लाई दूंगा.

मैं लकी हूं कि कम से कम मिनिस्टर तो यहां आ गये, वह मेरा भाषण तो सुनेंगे। मंत्री जी को मैंने पहले कह दिया लेकिन अभी भी कहती हूँ, मंत्री जी को मालूम है कि एकलाकी बेलूरघाट के लिए मैं 10 करोड़ रुपये की मांग करती हूँ इसलिए कि एकलाकी बेलूरघाट का प्रोजैक्ट पूरा होना चाहिए।

हमारा बंगाल का पिछड़ा हुआ एरिया है, जिसमें कोई कक्यूनिकेशन नहीं है, उसमें 10 वर्ष से यह प्रोजैक्ट पैंडिंग पड़ा है इसलिए दीघा तामलुक हावड़ा आमता ब्राड गेज लाइन जो बहुत दिन से पड़ी है, उसको एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर पूरा करना चाहिए। हर वर्ष एक दो करोड़ रुपये करके हम सैंक्शन करते हैं तो इसका काम ठीक से नहीं होता है। अगर यह प्राजैक्ट लिमिट तय करके जल्दी-जल्दी कम्पलीट हो जाय तो इस तरह का ग्रिवान्स नहीं होता है लेकिन क्या होता है कि हर वर्ष दिखाने के लिए 1000 एक करोड़ दो करोड़ रूपया दे देते है लेकिन उससे फैसला नहीं होता है।

यह बात सच है कि मंत्री जी के पास हर आदमी जाता है कि मेरी कान्सटीट्वेंसी में रेल हो, हर आदमी चाहता है कि उसके क्षेत्र में ज्यादा हो, हर आदमी चाहता है कि उसकी स्टेट में हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में हो, ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में भी हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह रिक्वेस्ट मंत्री जी से करना चाहती हूँ कि दीघा तामलुक हावड़ा आमता ब्राड गेज लाइन पर ध्यान दिया जाय।

हमारे यहां बहुत सारे फ्लाई ओवर्स हैं जिनके लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दी है। उन्होंने कहा है कि इन फ्लाई ओवर्स को बनाने के लिए हम तैयार है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रयोजन न होने की वजह से हम यह नहीं कर पाये हैं इसलिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में लेक गार्डन्स का एक फ्लाई ओवर होना था, यह 1986 से पैंडिंग है। 1986 से 1994 हो गया, इस बीच में कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने ही वहां आदमी मारे गये। मैंने इसके खिलाफ में बहुत बार एजीटेशन भी किया। हर बार कहते हैं कि बात करेंगे, बात करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेक गार्डन्स और बोंडलगेट फ्लाई ओवर्स के लिए मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूँ, इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। आप इन दोनों फ्लाई ओवर्स का जल्दी से जल्दी उद्घाटन करें।

मेरी कांस्टीट्वेंसी ऐसी नहीं है कि हर बात हाउस में बोलनी पड़े। मेरी अर्बन कांस्टीट्वेंसी है इसलिए यह दोनों फ्लाई ओवर्स आम जनता के लिए बनना जरूरी है, इसलिए मैं इसके लिए तीन वर्ष से कोशिश कर रही हूं।

इसके साथ ही रेलवे में जो कैजुअल एम्पलाइज हैं, इनकी तरफ ध्यान देने के लिए भी मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूँ जो रेल के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनमें किसी आदमी का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, तो फिजीकली डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूँ कि फिजीकली हैण्डीकैप्ट लोगों का कोटा तो आपके पास तीन परसेंट है, हर डिपार्टमेंट उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं करता है लेकिन रेल एक्सीडेंट में किसके साथ भी गड़बड़ होती है तो उसके बारे में रेल्वे मंत्री जी को सोचना चाहिए। रेल्वे एक्सीडेंट में किसी का लास हो जाता है तो उसको एम्पलायमेंट देने के लिए रेलवे मिनिस्टर को एक बात

सोचनी चाहिए। ऐसे बहुत से लड़के हमारे पास आते हैं, जिनकी दोनों टांगे रेलवे एक्सीडेंट में कट गई हैं लेकिन उसको अभी तक कुछ करने के लिए कोई भी मौका नहीं मिला है तो उसको महत्व देने के लिए मैं रेलवे मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटेरिन ग्राउण्ड्स पर यह केसेज आप देखें,

[अनुवाद]

3.05 म.प.

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

महिलायें जो आफिस कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं। यह ठीक है कि आपके पास रेलवे फोर्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और इस को इफैक्टिव करने के लिए आपसे रिक्वैस्ट करना चाहती हूँ। साथ-ही-साथ छः किलोमीटर मैट्रो रेलवे के लिए जो आपने डरकॉन एजेंसी से सर्वे करवाया है, इस दिशा में भी काम नहीं हो रहा है। इस बारे में भी मेरी आपसे रिक्वैस्ट है।

[अनुवाद]

कम से कम मंत्री महोदय को हमें इससे वंचित नहीं करना चाहिए। उन्हें इकलारवी-बेलूरघाट लाइन के लिए कुछ पैसा देना चाहिए।

[हिन्दी]

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सभापति महोदय, मैं रेलवे की डिमान्डस के बारे में अपने कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हूं। मेरी दृष्टि में दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके ऊपर रेलवे को ह्यूमेनिटेरियन प्वाइंट ऑफ व्यू से विचार कना चाहिए। दो एक्सीडेंट, एक पुना में और दूसरा बम्बई में, जो हुए हैं, हालांकि वे रेलवे एक्सीडेंट नहीं कहे जा सकते, लेकिन हुए रेलवे लाइन पर हैं, उन पर आपको विचार करना चाहिए। उसके कम्पैंसेशन का मुद्दा हमारे सांसद, श्रीयुत राम नाईक जी ने उठाया था। बम्बई में 13 अक्टूबर, 1993 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 25 महिलायें कम्यूटर्स, किसी कारण से गाड़ी अन्धेरे में रूकी, तो वे गाड़ी से बाहर कूदी और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में सांसद, श्री राम नाईक, ने प्रधान मंत्री जी से भी बात की थी। रेलवे कन्सलटेटिव कमेटी में इस बारे में विचार हो गया था। इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने एश्यारेंस दिया है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको कम्पैंसेशन दिया जाए। इसी प्रकार पूना में 15 नवम्बर, 1993 का एक्सीडेंट हुआ। वह जगह ऐसी है, जहां दूर से गाड़ी दिख नहीं सकती है। 90 कि.मी./घन्टे की गति से गाड़ी आ रही थी और स्कूल के बच्चों की बस वहां से गुजर रही थी। किस की गलती थी, उसको तो आप बाद में देखने वाले हैं।

(श्री सी.के.जाफर शरीफ) : ऐसे मामलों में हमें साफ-साफ कहना है। उसमें गलती बिल्कुल ड्राइवर की थी। आज भी जो ट्रक और बस चलाते हैं, उनको कैसे सबक मिलेगा। ठीक है, आपको रेलवे पर बोलना है, आप बोलिए। उस रास्ते में ट्रेन आती है, देख रहा है कि ट्रेन आ रही है और फिर भी क्रास कर रहा है।

श्री अन्ना जोशी : माननीय मंत्री जी नाराज न हों। ड्राइवर को जो भी शिक्षा देनी है, वह देंगे। जो सजा देनी है, वह देंगे। फिर भी रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उस दृष्टि से वहां के लोगों की इच्छा है, वहां के सांसद के प्रतिनिधि की इच्छा है कि आप कुछ करें। वहां के लोगों ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, तो आप क्यों कतराते हैं। इन दोनों एक्सीडेंट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं, नाराज न होते हुए, थोड़ा प्यार में देखें और बम्बई तथा पूना के एक्सीडेंट्स के बारे में आपसे निवेदन करता हूं।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में रेलवे की सुविधाएं देने के बारे में या नयी ट्रेन चालू करने के बारे में या और कुछ पैसा लगाने के बारे में बम्बई में दिया, इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र को दिया ऐसा नहीं है। आप बम्बई को दो लेकिन उसके साथ-साथ महाराष्ट्र के अन्य विभागों को दो देना चाहिए। पश्चिम महाराष्ट्र से राजस्थान, गुजरात जाने वाले इतने लोग हैं और उन सबकी मांग है कि पूना से अहमदाबाद जाने के लिए जो गाड़ी सप्ताह में एक बार अहिंसा एक्सप्रेस चालू की है उससे सुविधा कम, असुविधा ज्यादा है। इसलिए वहां के लोगों की मांग है कि कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। इसके लिए हमने मंत्री जी को कई बार लिखा है वे कहते हैं कि हमारे पास स्पेयर गाड़ियां नहीं हैं, स्पेयर जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 50 गाड़ियां वहां शुरू की हैं। आपके पास स्पेयर जगह नहीं है या रेल लाइन पर जगह नहीं है तो ये गाड़ियां कैसे चलती हैं।

महोदय, मैं आपसे मांग करता हूँ कि अहिंसा एक्सप्रेस, जो 2-3 प्रांतों को जोड़ने वाली है और लोगों की मांग है तो इसलिये अहिंसा एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाये, ऐसी मेरी आपसे विनती है।

महोदय, दौन के बारे में मैंने जो कहा है उसके लिए मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है तो उसके बार में यहां ज्यादा नहीं बोल सकता। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पूना एक मिलिट्री का महत्वपूर्ण केन्द्र है, सदन कमांड का मुख्यालय है। जब भी कभी कोई इमेंजेंसी आ जाती है तो गोला-बारूद और मशीनरी का डेपलायमेंट तुरंत करना जरूरी होता है और उसके लिए वहां रेलवे का इनडिपेंडेंट डिवीजन होना आवश्यक है। आज बम्बई डिवीजन में आने की वजह से पूना स्टेशन की विकास की दृष्टि से वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां सुविधा बढ़नी चाहिए, नये प्लेटफार्म बनने चाहिए, इसके लिए वहां गुंजाइश होते हुए भी वहां कोई काम नहीं हो रहा है।

एक ही स्थान पर सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे कार्यालय चलने से सब गड़बड़ हो जाता है। इस बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि जब नए डिवीजन बनाने के बारे में विचार होगा तो इस सुझाव पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। हमारा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पूना डिवीजन बनाने के बारे में शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, पूना सिटी एक महानगर बनने जा रहा है और अगले 50 साल के लिए डेवलपमेंट प्लान

तैयार है। इस प्लान में वहां एक रिंग रेल रोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में चर्चा की गई तो बताया गया कि यह रेलवे के अंतरगत नहीं आता है, अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतरगत आता है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पूना के लिए जो रिंग रेल रोड का प्रावधान किया गया है, इसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए और पूना के लिए रिंग रेल रोड़ के निर्माण के बारे में सोच-विचार किया जाए।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि औरंगाबाद से लाईन मनमाड़ आती है, फिर दीन जाती है, उसके बीच में रोटेगांव, मनमाड़, औरंगाबाद लाईन पर आता है और वोटेगांव जो मानमाड और दीन लाईन पर पड़ता है, यदि रोटेगांव और दोटेगांव दोनों को जोड़ दें तो 95 कि.मी. का चक्कर बच सकता है। इससे डिस्टेंस कम होगा, समय और पावर की बचत होगी और लोगों को भी कम पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से मनमाड़ स्टेशन पर जो ज्यादा गाड़ियां आने से भीड़भाड़ हो जाती है, साइडट्रैक होने से उसमें भी कमी आएगी। साउथ के लोग्रों के लिए शिरडी बहुत नजदीक हो जाएगा। इसके बारे में औरंगाबाद और मराठवाड़ा के सदस्य भी मांग करते रहे हैं। इसके बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

इनके अलावा अन्य समस्याओं के बारे में भी हम समय-समय पर आपको लिखते रहते हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि समस्याओं पर विचार करते समय हम लोगों को भी बुला लिया जाए और सुझाव ले लिए जाएं तो लिखापढ़ी का काम काफी कम हो सकता है और समाधान निकालने में भी आसानी हो सकती है।

एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि रेलवे कम्युटर्स से पैसा लिया जाता है लेकिन बैड रोल्स, खान-पान, स्नैक्स वगैरह की उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे आमतौर पर असंतोष रहता है। इसके बारे में प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में बात की गई थी, मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए और समस्याओं पर विचार करते समय हम लोगों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि जनता को अच्छी सुविधाएं उपलबध हो सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी 15 और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय को 2.15 बजे उत्तर देना था और हमने इस विषय पर चर्चा के लिए आबंटित समय से भी दुगुने से भी अधिक समय ले लिया है। मेरे विचार में हम इस पर चर्चा समाप्त करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही(देवगढ़) : महोदय, रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कृपया समय बढ़ा दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जी हां, महोदय, कृपया समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं इसे सभा की इच्छा मानते हुए चर्चा का समय कुछ और बढ़ा देता हूं लेकिन कृपया समझाने की कोशिश कीजिए और सहयोग दीजिए। यहां तक कि अब भी माननीय सदस्य चर्चा में अपने नाम को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सभी प्रकार के विषयों का भी चर्चा में जिक्र किया गया है। कृपया अपनी बात संक्षेप में और स्पष्ट रूप से कहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात केरल की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगी। महोदय, जब बजट पेश किया था तो मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी धारण बनाई थी कि केरल के लिए कुछ किया जायेगा। लेकिन वास्तव में क्या किया गया है? केरल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मंगलौर से त्रिवेंद्रम तक लाइन का दोहरीकरण है। लेकिन इस संबंध में वास्तव में क्या किया गया है? मंत्री जी ने बताया है कि संपूर्ण शोरनोर-मंगलौर लाइन दो लेने के बजाय केवल कुट्टीपुरम से कालीकट तक का क्षेत्र ही लिया जायेगा। उग पग. 62 करोड़ रुपये में से केवल दो करोड़ रुपये अलग रखे गये हैं। लाइन के इस भाग को पूरा होने में और कितने वर्ष लगेंगे।

इसी प्रकार पिछली बार जब अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई थी तो मंत्री महोदय ने हमसे वायदा किया था कि मार्च,1994 तक कयामकुलम क्विलान लाइन का दोहरीकरण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। इसे उन्होंने सभा में स्पष्ट रूप से रखा था। लेकिन अगले सत्र में जब मैंने एक प्रश्न पूछा तो यह उत्तर दिया गया था कि वह केवल करनागापल्ली तक ही होगा। अन्य सभी में बहुत अधिक समय लगेगा और इसे केवल मार्च,1995 तक ही पूरा किया जायेगा। हमारे विचार में संसद में जो कुछ कहा जाता है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन अब हमें अहसास हुआ है कि यहां तक कि इसकी भी कोई महत्ता नहीं है।

[अनुवाद]

कयामकुलम से क्विलोन तक रेल लाइन के दोहरीकरण को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूरी राशि अभी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। 1.7 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। क्विलोन से त्रिवेंद्रम तक के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है? पिछले वर्ष की परिगणना के अनुसार 77 करोड़ रुपये की अपेक्षित राशि की तुलना में केवल 5 करोड़ रुपये अलग से रखे गये हैं। अतः इस लाइन को पूरा करने में कितने वर्ष और लगेंगे? हमें कोकंण रेलवे का लाभ कैसे मिल सकता है? मैं तो कहूंगा कि यह केरल के साथ भेद-भाव के अलावा और कुछ नहीं है। मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं। आपने ऐसा आभास दिलाया कि कोट्टायम साबरीमलाई लाइन पर सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद दोहरीकरण आदि का काम किया जाएगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मंत्री जी बहुत ही चालाक हैं। उन्होंने ऐसा आभास दिया कि केरल के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। इस संबंध में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अब भी किसी दूसरी लाइन पर कार्य आरंभ करने से पहले, मंगलौर-त्रिवेंद्रम लाइन के दोहरीकरण कार्य में तेजी लायें जिसे दो या तीन वर्ष में पूरा कर दिया जाना चाहिए।

इस गति से यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें दस पंद्रह वर्ष और लगेंगे। हमारा यही अनुभव रहा है।

मैं रेलवे से जुड़े उद्योगों के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व हमसे वायदा किया गया था कि हमारे क्षेत्र में रेल के सवारी डिब्बे बनाने का एक कारखाना लगाया जाएगा लेकिन हमारे क्षेत्र में यह कारखाना अभी तक नहीं लगाया गया है। यदि यह कारखाना लगाया जाता है तो वहां के लाखो बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं।

अब मैं एर्णाकुलम से कयामकुलम तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने पर आता हूं। इस मार्ग पर केवल

एक या दो गाड़ियां हैं और उनका समय इतना असुविधाजनक है कि उनसे यात्रा करना बहुत कठिन है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। त्रिवेंद्रम जाने के लिए मुझे 4.00 प्रातः वह गाड़ी पकड़नी पड़ती है। आप जानते हैं कि उस गाड़ी को पकड़ना कितना कठिन है। उस गाड़ी के बाद त्रिवेंद्रम जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। इस कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है। दैनिक यात्रियों की मांग है कि कयामकुलम तक गाड़ी चलाई जानी चाहिए। जहां तक दूसरे क्षेत्रों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि रेलवे लाइनों का दोहरीकरण न किए जाने के कारण रेलवे के लिए नई गाड़ियां चलाना बहुत कठिन है। लेकिन एर्णाकुलम से कयामकुलम या मंगलौर से कयामकुलम और त्रिवेंद्रम तक भी गाड़ी चलाने में क्या कठिनाई है? अलेप्पी से भी एक गाड़ी होनी चाहिए। आप अलेप्पी रेलवे स्टेशन की हालत देखिए। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए आपको रेल लाइन पार करके जाना पड़ता है। अब आप देखिए कि और लोगों की स्थिति क्या होगी? एक दिन जब मैं रेलवे लाइन पार कर रहा था तो रेलवे अधिकारियों ने एक गाड़ी को रोककर मुझे लाइन पार करवाई थी। खेद की बात है कि वहां पर कोई अपरि पुल नहीं है।

हमारे अधिकांश रेलवे स्टेशनों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है। यात्री सुविधाएं बहुत खराब हैं। राजधानी एक्सप्रैस शुरू करने के समय किए गए वायदे का क्या हुआ? यह अभी भी एक वायदा ही है। कोचीन-विलासपुर गाड़ी की बारम्बारता बढ़ाने के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी बारम्बारता अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। इस मौसम में लोग चाहते हैं कि अधिकाधिक गाड़ियां चलाई जाएं। यदि आप इसकी बारम्बारता बढ़ा दें तो इससे बहुत सहायता मिलेगी। केरल में बहुत से लोग अपने राज्य से बहुत दूर रह रहे हैं। वे एक स्टॉपेज वाली अधिकाधिक गाड़िया चाहते हैं।

अब मैं विद्युतीकरण के बारे में कहूंगा। विद्युतीकरण को क्या हुआ? एर्णाकुलम से इरोड़ तक विद्युतीकरण पूरा होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? इस काम के लिए 133 करोड़ रुपये की आवश्यकता है लेकिन आपने इस वर्ष के बजट में इस काम के लिए केवल 13 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यह पालघाट कब पहुंचेगी? ऐसा लगता है कि एर्णाकुलम तक विद्युतीकरण में दस वर्ष और लगेंगे। अतः हर बार काम में विलम्ब हो रहा है। क्या यह भेदभाव नहीं है? हमें प्रसन्नता है कि हमारे पड़ोसी राज्यों को पर्याप्त राशि दी गई है। लेकिन केरल की उपेक्षा की गई है। आपने तमिलनाडु और कर्नाटक को पर्याप्त राशि दी है। तमिलनाडु के लिए आपने 70 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। आपको हमें भी कम से कम उतनी ही राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मुझे संदेह है कि पालघाट और त्रिवेंद्रम रेलवे डिवीज़नों के महत्व को कम करने की साजिश की जा रही है। मैंने ऐसा भी सुना है कि इनका अन्य रेल डिवीजनों के साथ विलय भी किया जा सकता है। यह बहुत बुरी बात है। अतः कृपया हमें संघर्ष के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं। वैसे, केरल राज्य की वहां चलने वाली गाड़ियों के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। सभी बोगियां इतनी पुरानी है और कभी कभार तो बोगियां होती ही नहीं हैं। फिर कुछ अन्य गाड़ियों से बोगियां लेनी पड़ती हैं। उन्हें उन गाड़ियों में लगाया जाता है जिनमें बोगियां नहीं होती हैं। जब आप त्रिवेंद्रम जाते आमतौर पर वहां की गाड़ियों में बोगियां नहीं होती हैं। इसी तरह की अन्य बातें हैं। हमारी अधिकांश गाड़ियां ऐसी ही हैं। पर्याप्त

बोगियां नहीं हैं। मैं अब और अधिक बोगियां बनाए जाने के प्रश्न उठाना नहीं चाहता हूं। लेकिन समय की मांग के अनुसार रेलवे ने अधिक बोगियों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है।

यात्री सुविधाओं पर अभी तक केवल 34 प्रतिशत धन खर्च किया गया है। स्टेशन पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में बहुत सी शिकायतें हैं। इन्हें दूर करना होगा। बेंगलूर से त्रिवेंद्रम तक केवल एक गाड़ी है और यात्रियों को रास्ते में चाय भी नहीं मिलती है। मैंने उस गाड़ी के टू-टियर कम्पार्टमेंट में दो या तीन बार सफर किया है। सभी यात्री यह शिकायत कर रहे थे कि उन्हें चाय भी नहीं मिली। बेंगलूर से एर्णाकुलम के लिए दूसरी गाड़ी है, उस गाड़ी में भी लोगों की यहीं शिकायतें थी। उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में जब आपने बेंगलूर से इस बारे में सुना तो मैंने सोचा कि आप इसे दूर करेंगे लेकिन यह काम अभी तक नहीं किया गया है। सामान बेचने वाले हैं लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, यात्रियों को गाड़ियों में चाय या काफी नहीं मिलती है लेकिन विक्रेताओं को लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है। चूंकि आपका संबंध उस क्षेत्र से है इसलिए आपको भेद-भाव नहीं करना चाहिए।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : बेंगलूर में भी ऐसा कुछ नहीं है। अतः मंत्री पक्षपाती नहीं हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : कम से कम मैं तो पक्षपाती नहीं हूँ। चूकि यह शिकायत केरल की है इसलिए आप इसे नहीं सुन रहे अन्यथा आप इस बारे में कुछ कहते जो भी हो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इन सब बातों पर गौर करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात मंगलौर से त्रिवेंद्रम तक रेल लाइन का दोहरीकरण है। इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और इस लाइन के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

श्री माइमा सिंह युमनाम : मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन की मांग करता हूं। रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का लाभ लेते हुए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाए क्योंकि मणिपुर भी देश का हिस्सा है।

मैं समझता हूं कि देश में सभी राज्यों की राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़ने की देश राष्ट्रीय नीति है। जब रेल मंत्री जी ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए इस सभा में घोषण की थी कि श्रीनगर को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, तो मैंने उनकी इस घोषणा की सराहना की थी। इसी तरह मैं आशा करता हूँ और रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भी रेल लाइन से जोड़ा जाए।

जैसा कि माननीय सदस्यों के साथ-साथ मंत्री जी भी जानते हैं कि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र जैसे हैं यदि रेल लाइन श्रीनगर पहुंच सकती है तो इसका इम्फाल पहुंचना भी आसान होगा। रेलवे लाइन न होने के कारण मणिपुर के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। आप कल्पना कीजिए, इस बात का हिसाब लगाइए कि हमें कितनी कठिनाई हुई है। रेल लाइन के बगैर वहां के लोगों की दशा के बारे में सोचिए।

यदि मणिपुर के लोग मणिपुर से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें गुहावाटी पहुंचने के लिए 24 घन्टे बस द्वारा सफर करना पड़ता है। उन्हें देश के अन्य भागों में जाना होता है और उन्हें दीमापुर पहुंचने के लिए 24 घन्टे लगते हैं। जोकि देश के अन्य भागों तक पहुंचने के लिए उनके लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है।

बरसात के मौसम में सड़क मार्ग दो-तीन सप्ताह के लिए बंद हो जाता है और उस समय उन्हें गुहावाटी या कलकत्ता पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाना पड़ता है। कृपया इस बात की कल्पना कीजिए कि यह कितना खर्चीला है? यह एकमात्र कारण नहीं है। कृपया सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पर विचार कीजिए।

मणिपुर तक सीमावर्ती राज्य है इसकी सीमाएं म्यानमार, चीन और बंगलादेश से लगती हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक रेल लाइन मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होती हुई सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए।

मैं इस रेल लाइन के तत्काल निर्माण किया जाने की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल सरकार तथा रेल मंत्रालय के इरादे की बात कर रहा हूं कि रेल लाइन को इम्फाल तक बनाया जाना चाहिए और इससे भी बढ़कर देश के और इसके साथ साथ राज्य के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाना जाना चाहिए। यदि माननीय मंत्री कम से कम अपने इरादे की ही घोषणा करते हैं, जैसा कि इन्होंने श्रीनगर के मामले में किया है, तो मणिपुर के लोगों को प्रसन्नता होगी। हम इसे तत्काल बिछाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ संकेतिक प्रावधानों की व्यवस्था किये जाने और इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किये जाने की बात कर रहे हैं। इसमें जो समय लगना है, उसे लगने दें लेकिन यदि लोगों को रेल मंत्रालय के इरादे का पता चल जाए तो वे अत्यन्त प्रसन्न एवं आभारी होंगे। अतः महोदय, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब माननी मंत्री ने श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की है और यदि इम्फाल आदि के मामले में इससे इंकार कर दिया जाता है, तब कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में युवावर्ग तथा अन्य संगठन अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। वे हमेशा यह कहते हैं कि केन्द्र तथा भारत सरकार देश के इस हिस्से की उपेक्षा कर रही है। अतः स्थिति से निपटने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए और कृपया इम्फाल को रेल मार्ग से जोड़ने और मणिपुर के इस सीमावर्ती क्षेत्र तक रेल लाइन के विस्तार किया जाने के मामले में उठाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कार्यवाही देश की एवं देश सुरक्षा के हित में होगी, इसी कारण से मैं इसकी मांग करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मणिपुर राज्य के रेल में यात्रा करने वाले उन यात्रियों के लिये आरक्षण के कोटे में वृद्धि की जानी चाहिए जोकि रेल यात्रा के लिए गुवाहाटी से अपनी सीटे आरक्षित करवाना चाहते हैं। वर्तमान कोटा बहुत ही कम है। इसलिए लोग इम्फाल से, जहां पर बाहर एजेन्सी बनी हुई है, आरक्षण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। गुवाहाटी जाकर आरक्षण प्राप्त करना बहुत ही कठिन और असुविधाजनक है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के लिए आरक्षण के कोटे में वृद्धि की जाय।

इससे भी बढ़कर, मैं यह कहना चाहूंगा कि बाहर बनी एजेन्सी पर कम्प्यूटर आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें यह पता चल सके कि आरक्षण हो गया है अथवा नहीं।

अंत में मैं गिरिबम रेलवे हैड बनाये जाने के बारे में कहना चाहूंगा जोकि सिलचर लाइन को सेवा योग्य बनाये जाने के लिए जोड़ता है। इस समय इसकी उचित देखभाल नहीं की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप

गिरिबम में रेलवे हैड होने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः मैं एक बार फिर रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गिरिबम मार्ग को और वहां पर बने रेलवे हैड को सुधारने के लिए कदम उठाये जायें। जिससे अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेमधूमल : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। मंत्री जी का रिप्लाई कितने बजे होगा और उसके बाद कौन सा आईटम लिया जाएगा?

श्री सी.के.जाफर शरीफ : एजेन्डा में लिखा हुआ है।

प्रो. प्रेम धूमल : मंत्री जी कह रहे हैं कि लिखा हुआ है, क्या वही होगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह विषयसूची में सम्मिलित है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसे स्पष्ट करूंगा। माननीय मंत्री महोदय 2.15 पर उत्तर देना चाहते थे। लेकिन चूंकि सभा की आम धारणा यह थी कि इसे अभी स्थगित किया जाये ताकि कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जा सके, हमने इसे स्थगित कर दिया। माननीय मंत्री अपना उत्तर देने के लिए तैयार है। जो माननीय सदस्य अब बोलना चाहते हैं, वे अपना भाषण दो अथवा तीन मिनट की अवधि में समाप्त करें। इसके बाद हम अगली मद लेंगे। हमें पहले इसको समाप्त करना चाहिए। यह विषयसूची में पहले से ही सम्मिलित है।

प्रो. प्रेम धूमल : लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार किसी और बात का प्रचार कर रही है, वे लोग अध्यक्ष को भी सूचित नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इससे कोई समस्या नहीं है। जब हम इसे समाप्त करेंगे, मंत्री अपना उत्तर देंगे। कृपया इसके बारे में चिंता न करें। आइये, हम पहले इस कार्यवाही को समाप्त कर लेते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण(कराड) : अपने क्षेत्र की कुछ अति आवश्यक मांगों को रेल मंत्री के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के लिये, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रेल बजट 1994-95 का समर्थन करता हूं और मैं इस अवसर पर पश्चिमी महाराष्ट्र के लोगों की काफी लम्बे समय से लम्बित कतिपय मांगों पर रोशनी डालना चाहता हूं।

रेल मंत्री महोदय ने कृपा करते हुए दो घन्टे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के संसद सदस्यों और विधायकों के साथ बिताये थे और महाराष्ट्र में जो लोग रेल में यात्रा करते हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं पर सविस्तार चर्चा की थी।

वर्तमान समय में रेलवे पश्चिमी महाराष्ट्र से निर्गत होने वाली यात्री यातायात पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है और एक नई गाड़ी, विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए, जिसके अन्तर्गत कोल्हापुर, संगली, सतारा पुणे, सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिले आते हैं, और उत्तरी कर्नाटक का जिला भी आता है, शुरू करने की काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है। महालक्ष्मी एक्सप्रैस, जोकि वर्तमान समय में कोल्हापुर और दादर के

बीच चल रही है, को उत्तर से आने वाली गाड़ियों से जोड़ा गया है। यह रेलगाड़ी कर्नाटक के यात्रियों को लाती है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है और यदि उत्तर से आने वाली गाड़िया समय पर न पहुंचे, तो यह गाड़ी प्रायः देरी से चलती हैं।

प्रतिदिन कोल्हापुर इचालकान्जी, संगली, कराड़, वीता, खांनपुर, इस्लामपुर, सतारा, रत्नागिरि, राजापुर और धीबीवादी जैसे औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र से करीब एक सौ आरामदेह बसें बुम्बई की ओर रवाना होती हैं। मुम्बई में लाखों मेहनतकश मजदूर और औद्योगिक श्रमिक-दी मयादी कामगार इस क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग बसों में यात्रा करने के लिये विवश हैं क्योंकि इन्हें गाड़ियों में आरक्षण नहीं मिलता। जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं, दक्षिण-मध्य रेलवे का कोल्हापुर-मिर्जा-पूणा सैक्शन चीनी के यातायात के रण रेलवे के लिये भारी आय अर्जित करता है, लेकिन रेलवे द्वारा इस क्षेत्र के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं बहुत ही अपर्याप्त है। मानूसन के समय, बस द्वारा मुम्बई की यात्रा करना बहुत ही खतरनाक बन जाता है और स्पष्टतः लोग इससे नाराज हैं।

अतः मैं पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कोल्हापुर और मुम्बई वी.टी. न कि दादर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलायी जाये।

महोदय यह रेलगाड़ी प्रातः 7.00 बजे से पहले मुम्बई पहुंचनी चाहिए ताकि पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग, विधायक और संसद सदस्य तथा ऐसे लोग सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिन्हें महाराष्ट्र की राजधानी में कोई न कोई काम होता है, प्रातः 7.00 से पहले मुम्बई पहुंच सकें उसी दिन अपना काम समाप्त कर सकें और उसी रात अपने अपने घर वापस जा सकें। यह गाड़ी मुम्बई वी.टी. अवश्य जानी चाहिए।

महोदय, दक्षिणी मध्य रेलवे स्पष्टतः इस गाड़ी को चलाने के लिये तैयार है। लेकिन मध्य रेलवे अधिकारियों को मुम्बई वी.टी. में इस गाड़ी की क्षमता के बारे में कुछ आपत्तियां हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि रेलवे तालिका को कुछ इस ढंग से व्यवस्थित किया जाये कि यह गाड़ी विशेषरूप से पश्चिम महाराष्ट्र के लिये हो जाये और इसे यथा संभव शीघ्र शुरू किया जाये।

माननीय मंत्री ने इस पर विचार करने का वायदा किया है। मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र के लोगों की आकाक्षाओं पर ध्यान देते हुए मंत्री महोदय इस गाड़ी को यथाशीघ्र चलाये जाने की व्यवस्था करेंगे।

महोदय, पुणा और मिराज के बीच का सेक्शन वास्तव में दक्षिणी मध्य रेलवे से सम्बद्ध है और इसका मुख्यालय सिकन्दराबाद में है। इस बारे में अनुरोध किया जा रहा है कि इस खण्ड को मध्य रेलवे को स्थानान्तरित कर दिया जाये और इसका मुख्यालय पुणा में स्थानान्तरित कर दिया जाये क्योंकि छोटे छोटे काम के लिये लोगों को सिकन्दराबाद जाना पड़ता है। और पश्चिमी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में यात्री सुविधाओं का भी अभाव है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में यात्री सुविधाओं को देखने के लिये कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से भेजा जाये ताकि रेलवे स्टेशन पर सारा काम सही हो सके।

मेरा एक और अनुरोध है। इस समय मिराज-पूना बड़ी लाइन इकहरी लाइन है। इस लाइन को दोहरी लाइन बनाये जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कई बार गाड़ियों के क्रौसिंग के समय गाड़ियों में विलम्ब

हो जाता है। मैं जानता हूँ कि इस कार्य पर काफी पैसा व्यय होगा। क्या मंत्री जी कहीं कहीं पर दोहरी लाइन की व्यवस्था कर सकेंगे ताकि क्रौसिंग के कारण होने वाली देरी को दूर किया जा सके?

एक अंतिम अनुरोध सतारा जिले में लोनंद को सोलापुर जिले में पंधारपुर से जोड़ने के बारे में है। पंधारपुर हिन्दुओं का पावन स्थान है। दक्षिणी पश्चिमी भारत के चार पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक से लोग विथोबा मंदिर देखने आते हैं। महोदय, यदि इस रेलवे लाइन की स्वीकृति दी जाती है तब भूमि को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होगी और इससे लाखों तीर्थ यात्री इस क्षेत्र की यात्रा कर सकेंगे।

महोदय, मैं सामान्यतः एक जैसी रेल लाइन प्रणाली लागू करने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह कार्यक्रम यथासंभव शीघ्र लागू किया जाये ताकि हमें एक जैसी रेल लाइन प्रणाली के लाभ मिल सकें।

मैं एक बार फिर मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें।

सभापति महोदयः श्री लक्ष्मीनाराण त्रिपाठी को बुलाने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 13 अन्य सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लेना है।

...(व्यवधान)...

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आप जो व्यवस्था अपना रहे हैं उसे मैं समझ नहीं पाया हूं। मैंने अपना नाम दोपहर 10.00 बजे दिया था और अभी तक मैं बोलने का इन्तजार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात को समझ सकते हैं कि विभिन्न दलों के सचेतक नाम भेज रहे हैं। यदि सभी सदस्य अलग-अलग अपने-अपने नाम पीठासीन अधिकारी को भेजेंगे तो इससे बहुत अधिक समस्या पैदा हो जाएगी। आपने अपना नाम पीठासीन अधिकारी को भेजा होगा लेकिन हमें दल के सचेतकों द्वारा दी गई सूची को पहले समाप्त करना है। कृपया इस बात को समझिए।

....(व्यवधान)....

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं रेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेल बजट पर चर्चा समाप्त होने के बाद हम विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के स्थान पर जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करें।**....(व्यवधान)....**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, 1.00 बजे आपने घोषणा की थी कि केवल दस नाम हैं। उसके बाद कम से कम 20 सदस्य बोल चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि 13 और सदस्यों को अभी बोलना है।.... **(व्यवधान).....**

सभापति महोदय : मेरे द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद भी यदि आप इस प्रकार कह रहे हैं तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों को दिया गया समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी

ने जो भी समय दिया है वह सभा के मतैव्य से दिया गया है। कृपया आप इस बात को समझिए कि सूची में से कुछ नाम अभी भी शेष हैं इसलिए मैं पहले उन्हें बुलाने का प्रयास कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि विदेशी मंत्री कुछ अस्वस्थ हैं। इसलिए यह मद समाप्त करने के बाद हम जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करेंगे। श्री धूमल ने भी इसी बात का सुझाव दिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झझंरपुर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : जी हां, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

अभी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा है, सदन में यह व्यवस्था नहीं रही। जो सदन की परम्परा है और व्यवस्था है, कोई भी कार्य सूची जो समाचार दो में प्रकाशित है, जो 25 अप्रैल को हम लोगों को मिली है, इसमें स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए समय संसदीय कार्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा नियत किया गया है। इस क्रम में, जो कार्य सूची में अंकित है, इसके मुताबिक विदेश मंत्रालय नम्बर एक पर और नम्बर दो पर जल संसाधन है। इसमें आप सदन की सहमति लेकर ही परिवर्तन कर सकते हैं या विधेयक एडवाइजरी कमेटी में इसका फैसला कर सकते थे। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो सदन की बिना सहमति के संसदीय कार्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है। यह हम लोगों की सहमति के लिए बिना कैसे डायरेक्टिव दे देंगे। यह सदन में नई परम्परा स्थापित होगी क्या।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है अब आप कृपया बैठ जाइए। प्रो. धूमल ने भी यही मुद्दा उठाया था। मैंने अभी सभा को जानकारी दी है कि सरकार ने पीठासीन अधिकारी को क्या सूचना दी है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं सभा की राय लूंगा। हम इस पर इस मद के समाप्त होने के बाद चर्चा करेंगे। हम अभी इस पर चर्चा नहीं करें क्योंकि हम अभी भिन्न मद पर चर्चा कर रहे हैं। हम जिस जी प्रक्रिया को अपनाएं उसका कड़ाई से पालन करें।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया और मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य उनका पालन करें। जहां तक संभव हो सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन इस प्रकार के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। अब श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपना भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : सभापति जी, मैं देहात का रहने वाला हूं, हिन्दुस्तान के एकदम किनारे नेपाल के बार्डर पर, जिसको थारूओं का इलाका बोलते हैं। माननीय रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि कुछ थोड़े से मेरे भी सुझाव हैं, उसको गंभीरता से सुनें।

रेल एक व्यापारिक संस्था है। व्यापार के साथ साथ सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली के देश के अंदर

विकास करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व उसके ऊपर है। इस बजट को बनाते समय व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाना चाहिए और इसके प्रारूप में जो भी योजना ली जाती है, उस योजना के अन्दर भी देश की चारों दिशाओं को देखा जाना चाहिए। प्रखण्डवार भारतवर्ष के अन्दर विकास की दर क्या है और सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रखण्ड कोन सा है। विकास की दृष्टि से सबसे आगे या बीच में पड़े हुए जो प्रखण्ड हैं, उनके स्तर पर पिछड़े प्रखण्डों को लाभ की योजना बनाने का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए।

हमारा उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती जनपद है, जो गोरखपुर से लेकर, बिहार के बार्डर और इधर बरेली तक जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की उपेक्षा बराबर विगत वर्ष के बजट में भी और उसके पहले बजट में भी हमेशा होती रही है। इसकी उपेक्षा का कारण यह है कि वहां के लोग बहुत सीधे-साधे हैं।

अपनी मांग सरलता से रखते थे, कोई उग्रता की बात नहीं रखते थे। इसलिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और वह मामला उपेक्षित पड़ा हुआ है।

मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज भी जो सीमावर्ती जिले हैं, जहां-जहां भी उग्रवाद बढ़ा हुआ है, उसका एक मात्र कारण यह है कि वह क्षेत्र अविकसित हैं और क्षेत्र अविकसित होने के कारण बेरोजगारी ज्यादा है और बेरोजगार नवयुवकों के सामने आतंकवाद के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपने माल-भड़े में वृद्धि की है। माल भाड़े में वृद्धि करने के साथ-साथ आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हम जो माल भाड़े में वृद्धि कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। दूसरी तरफ ट्रकों द्वारा जो माल का परिवहन हो रहा है उस माल के परिवहन का व्यय और रेल के द्वारा जो व्यय आता है, दोनों में कौन सा कम पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि कोयले के ऊपर ढुलाई में भाड़ा वृद्धि की है और धनबाद से दिल्ली के लिए माल मंगाया जाए तो रेल का भाड़ा अधिक पड़ेगा बनिस्पत ट्रक के द्वारा जो माल आएगा। इस अनुपात में भी आपको देखना चाहिए। आपको चाहिए कि बाजार में जो रेट ट्रकों का चल रहा है, उसको जोड़कर देखें कि जो माल रेल में आता है वह स्टेशन पर गिरेगा, अनलोडिंग होगा और फिर वहां से ट्रक पर लोड होकर उस स्थान पर जाएगा और ट्रक से जो माल लोड होकर चलेगा वह सीधे गन्तव्य स्थान पर जाएगा। रेल से जो माल आता है उसमें माल की कमी हो जाती है, चोरी हो जाती है और वह सारा भार व्यापारी के ऊपर पड़ता है। इस कारण व्यापारी माल को रेल से मंगाना ज्यादा पसन्द नहीं करते हैं और ट्रकों पर निर्भर हो रहे हैं। यही कारण है कि 1992-93 के बजट में जो आपने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की पूर्ति आप नहीं कर पाए और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बजट में आपने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी ओर रेलवे की इस समीक्षा पुस्तिका में व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के विषय में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1988 से 1992 तक की क्षतिपूर्ति के दावों को आप देखें तो उनके अंदर 13,22,655 दावे आपको प्राप्त हुए 1992 तक और इनमें से आपने 5,82,706 दावे निपटाए जिसमें से अभी 7,45,949 दावों का अभी आपको निपटारा करना है। पिछले बजट में आपने माल भाड़े में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। उस समय आपने अपने भाषण में यह स्पष्टीकरण दिया था कि चूंकि लोग

माल छुड़ाते नहीं हैं, माल भाड़ा जल्दी नहीं देते हैं इस कारण रेलवे को ब्याज की हानि होती है और इसलिए 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है ताकि रेलवे को भाड़ा निश्चित अवधि के अन्दर प्राप्त हो सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा वर्ष 1988 से अभी तक आपके विभाग के अन्दर जितने भी व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के दावे अरबों रुपये के पड़े हुए हैं जिनका निपटारा आप 2-3 वर्षों में करते हैं, क्या उन व्यापारियों को भी, जिनका पैसा लगा हुआ होता है, जिनसे आप भाड़ा ले लेते हैं और जिनका आप माल भी ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, क्या उनको ब्याज देना आप उचित समझेंगे? क्या उनके लिए ब्याज का प्रावधान रखेंगे? जो आपने उपभोक्ता है, जो आपके व्यापारी हैं, उनको कहीं पर आप राहत पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे या नहीं?

रेलवे की स्थापना के समय से ओनर रिस्क की बात रखी थी जिसमें कुछ सस्ता माल मिला था और लागत कम लगती थी। आपने ओनर रिस्क की बात तो रख दी और जो माल पहले 13 रुपये टन पर प्राप्त होता था वह आज 600 रुपये टन पर प्राप्त होता है। जो माल 40 हजार रुपये प्रति रैक रेट पर बैठता था वह आज 22 लाख से 24 प्रति रैक पर बैठता है। ऐसे माल के ऊपर ओनर रिस्क घटाकर क्या रेलवे पूरा रिस्क उठाकर माल को व्यापारियों के गन्तव्य स्थान पर देने की व्यवस्था करेंगे? इस तरह की सुविधाएं आपको व्यापारियों को देनी चाहिए।

4.00म.प.

हमारे बहराइच में छुक-छुक गाड़ी चलती थी जो आज भी चल रही है। एक रात हम इस छुक-छुक गाड़ी से रात 9 बजे बहराइच से गोंडा के लिए चले तो रास्ते में गाड़ी रूक गई। हमने पूछा कि क्यों रूकी है तो पता चला कि इंजन का एक आदमी लुकारीबारे कुछ ढूंढ रहा है तो उससे पूछा गया कि क्या ढूंढ रहे हो तो उसने कहा गोबर ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने बेट्री ली गोबर की तलाश करवाई और गोबर इकट्ठा किया गया, थोपा गया तब उसके बाद गाड़ी चली। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद फिर गाड़ी रूकी उसके बाद फिर गोबर तलाशा गया इस तरीके से रात भर होता रहा और सुबह 8 बजे गाड़ी गोंडा पहुंची। इस प्रकार की छुक-छुक गाड़ी हमारे क्षेत्र में चलती है तो उस गाड़ी से कैसे लाभ हो। यह एक गरीब पिछड़ा इलाका है और सीमावर्ती जनपद है उनको आप उनके अधिकार दें, नहीं तो जैसे झारखंड पार्टी के लोग उग्रवादी बने हुए हैं उसी तरह से उस क्षेत्र के लोगों को भी उग्रवादी बनना पड़ेगा, क्या तब उनके अधिकार उनको प्राप्त होंगे।....**(व्यवधान)**....

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया अपने रेल बजट के अंदर क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे का भी आप विकास करेंगे और उसको विकसित करने के लिए आप गोरखपुर से गोंडा तक बड़ी लाइन आपने दी है, लखनऊ तक बड़ी लाइन गई है आप गोंडा से बरेली तक ब्रोडगेज दीजिए और जब आप ब्रांडगेज देंगे तो उस पर देश के पूंजीपति आपका बहराइच जिले के अंदर और उस सीमावर्ती जनपदों के अंदर अपने उद्योग लगायेगा और जब उद्योग लगाएगा तो वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा और हमारा जनपद विकास की ओर पढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे बहराइच जनपद को अविलम्ब आप ब्रोडगेज दें और साथ-साथ में जो छुक-छुक गाड़ी चल रही है उसमें से भाप उस भाप इंजन को हटा करके उस पर आप कम से कम डीजल इंजन दें। डीजल इंजन तो आप दे ही सकते हैं, कुछ डिब्बों की संख्या बढ़ायें और उस पर एक गाड़ी आप गोरखपुर से ले करके मेनाली तक, बरेली तक एक्सप्रेस चलाएं।

4.03 म.प.

श्री पीटर जी अखनिआंग पीठासीन हुए

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न किया था जिसका आपने जवाब दिया था। मैंने प्रश्न किया था कि बरौनी से चलने वाली ट्रेन जो लखनऊ को जाती है उसकी छतों के ऊपर यात्रा करने वाले यात्री जो दुर्घटनाओं में मरते हैं उनको आप क्षतिपूर्ति करते हैं या नहीं तो आपने कहा कि रेल की छत पर यात्रा करना अवैध है। इसलिए छत पर यात्रा करते हुए जो यात्री मृत्यु को प्राप्त होगा उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार से चलने वाला मजदूर कानपुर में मजदूरी करने जाता है, पुर्वाचल से चलने वाला मजदूर कानपुर और पश्चिमी इलाके में मजदूरी करने के लिए आता है उसको आप कोई ट्रेन नहीं देते हैं। वह टिकट लेता है और जब उसको उसमें जगह नहीं मिलती है तो वह छत पर यात्रा करता है। मेरा कहना यह है कि वहां पर जब लोग छतों पर बैठते हैं तो आपका जो जिला प्रशासन है वह उस गाड़ी को क्यों चलने देता है। उस गाड़ी को वहीं पर रोक देना चाहिए और छत पर चलने वाले यात्री को वही पर उतार देना चाहिए तब आपको गाड़ी को आगे चलने देना चाहिए। जब आपने रेल भाड़ा, माल भाड़ा बढ़ाया तो यात्रियों को सुविधा देने के लिए, उस क्षेत्र के गरीबों को भी सुविधा देने के लिये, आप कम से कम एक जनता ट्रेन, जो सब डिब्बे सेकेण्ड क्लास के हो, जिसमें कोई स्लीपर आप न लगाये जिससे कि जो गरीब छतों पर बैठ करके यात्रा करते हैं उनको आप एक यात्री गाड़ी दें। इसी के साथ में आपसे मांग करता हूं कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र को आप न्याय दें, उनको आप इंसाफ दें ताकि वे अपने अधिकार को पाने के लिए गलत रास्ते न अपनाएं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि पहले बजट लाया गया और अब अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है, लेकिन उत्तर भारत और खासकर उत्तर बिहार का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यह क्षेत्र उद्योगों के मामले में, यातायात के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर मामले में क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार रहा है और इस असंतुलन के चलते वहां पर और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि रेल के मामले में वहां मर असंतुलन न आने दे और उत्तर बिहार का भी कुछ ध्यान रखें....**(व्यवधान)....**

उत्तर भारत और खासकर उत्तर बिहार रेल के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं सीमावर्ती इलाके की एक समस्या के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नेपाल-भारत का सीमांचल इलाका है, जहां पर दरभंगा से जय नगर छोटी लाईन जाती है। इसके बाद फिर जनकपुर, जो मिथिलांचल की राजधानी रहाहै, वह पड़ता है। इस लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के बारे में 1994-95 के बजट में विचार करने का आश्वासन भी एक पत्र के उत्तर में दिया गया था, यह एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, यहां पर पर्यटक बहुत आते हैं और बड़ी लाईन हो जाने से और अधिक पर्यटक आने से रेलवे की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। भारत नेपाल मैत्री की भी बहुत बातें चल रही हैं, कई योजनाएं इस बारे में चल रही हैं, उसमें एक कड़ी और जोड़ने का मंत्री महोदय काम करें।

एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयनगर एक सीमा क्षेत्र

होते हुए यहां पर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे, यानि 14 घन्टे तक कोई रेल नहीं आती है। यहां पर रेल सुविधा बढ़ाने की निश्चितरूप से आवश्यकता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और जयनगर में रेल सुविधा बढ़ायेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके मित्रों को भी अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट तक बोलना है। सभा में इसी बात पर सहमति हुई है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मुझे 3 मिनट का समय और दीजिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आप सदस्यों की भावनाओं को समझिए। अपने अधिकारों का इस तरह से उपयोग मत कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दिया गया समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप एक घन्टे का समय और बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको एक मिनट दूंगा आप कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं नरपतनगर की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरज नारायण सिंह 1942 में हजारीबाग की जेल में श्री जयप्रकाश नाराण के साथ निकले थे और आजादी की लड़ाई में अगली पंक्ति में काम करते थे और नरपति नगर उनका पैतृक गांव है वहां पर हाल्ट बनाने के लिए मैं तीन वर्षों से पत्र लिख चुका हूं। नरपत नगर हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है इसलिए सूरज नारायण सिंह के नाम से हाल्ट का निर्माण करवाया जाए। इसी प्रकार निर्मली थड़बिटिया के रेलवे ब्रिज का निर्माण कराया जाए चूंकि वह ब्रिज टूट चुका है और कोसी नदी उसके बीच में पड़ती है। उसके पास सहरसा व अन्य स्थान पड़ते हैं जोकि उसके ठीक न होने की वजह से कट जाते हैं। वह आजादी से पहले ही ध्वस्त हो गया था इसलिए उसका शीघ्रता से निर्माण करवाया जाए। इसी तरह झंझारपुर रेलवे ब्रिज जो कमला नदी और उत्तर बिहार में पड़ता है उस पर बस, ट्रक व अन्य चीजें चलती हैं इसलिए उसके ऊपर रेल का ओवर ब्रिज बनाया जाए। इसके बारे में कई बार प्रस्ताव दिये जा चुके हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मोंकामा से पटना और गया से पटना के लिए बंबई की तरह लोकल ट्रेन चलाई जाए जिससे पटना जाने में सहुलियत हो सके। पटना बिहार की राजधानी है।

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए जबकि और राज्यों को बहुत कुछ दिया गया है लेकिन बिहार को इस बजट के माध्यम से कुछ नहीं दिया गया है। पहली मांग है कि पटना से बैंगलोर के लिए एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जाए क्योंकि बिहार के पढ़ने वाले लड़के बैंगलोर जाते हैं जिससे उनको जाने में सुविधा हो सके। दो बार इस बारे में मंत्री जी को बताया जा चुका है लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी मांग है कि सासाराम-आरा की रेलवे लाईन को फिर से चालू किया जाए जो कि अंग्रेजों के समय से है। मंत्री जी का कहना है कि पैसों का अभाव है। बजट भी करोड़ों रूपयों से कम नहीं है लेकिन यह काम तो 55 करोड़ में होने वाला है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आरा-सासाराम लाइन को फिर से चालू किया जाए। इसी तरह पटना-गया सिंगल लाइन है उसको डबल किया जाए। इसी तरह राजगीर रेलवे लाईन को चालू किया जाए और इसी तरह झंगरा हाल्ट का निर्माण किया जाए जिसकी मांग बहुत दिनों से लंबित है।

मेरी एक और मांग है कि जैसे अलीगढ़ से दिल्ली आने वाले लोगों को मंथली पास अनुमति है, ऐसे बक्सर से पटना जिसका कि अलीगढ़ से दिल्ली जितनी दूरी है वहां के लोगों को भी ऐसा ही माहवार पास की अनुमति दी जाये। दिल्ली हावड़ा जनता एक्सप्रैस जो मुगलसराय से पटना तक तमाम स्टेशंस पर रूकती है, लेकिन बरना स्टेशन पर नहीं रूकती। मेरी मांग है कि वहां भी इसे रोका जाए।

1987 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक देश भर में कैजुअल लेबर की पैनल लिस्ट तैयार होनी थी, वह हो चुकी है। लेकिन बक्सर और दिलदार नगर में जो लोग काम करते थे उनकी पीटिशन दानापुर से लंबित है। मैं मांग करता हूं कि उस लिस्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाये आप नौकरी दें या न दें, लेकिन लिस्ट तो तैयार करवा दें। बक्सर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है। लेकिन वहां रिटायरिंग रूम नहीं है। मेरा आग्रह है कि वहां पर स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाये। ऐसे ही रघुनाथपुर, सिखरिया हाल्ट, बिहियां, बनाड़ी, कौड़िया हाल्ट स्टेशनों पर पीने के पानी की, यात्रियों के सामान की सुरक्षा की और लाइट आदि की व्यवस्था करायें। क्योंकि आपके पास रुपये की कमी नहीं है, रुपये का भण्डार है। रेल विभाग के द्वारा बक्सर से लेकर आरा तक तमाम स्टेशनों को आधुनिक ढंग से बनाया जाये, जिससे वहां की जनता को सुविधा मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : मोहतरम चैयरमैन साहब, मैं रेलवे की जो मांग है उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, रेल मंत्री और पूरे रेल परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कठिन समय में इतना अच्छा रेल बजट और रेलवे का बंदोबस्त किया है। आज हमारा मुल्क दुनिया की रेलवे की अगली पंक्ति में इन्हीं की बदौलत आ सका है। इसके लिए जाफर शरीफ साहब पूरी बधाई के हकदार हैं।

हमारे राजस्थान के लोग उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ इलाका था, एक

गौरवशाली राज्य होते हुए जिसने कभी गुलामी का मुंह नहीं देखा, उसके पिछड़ेपन को रेलवे की मदद से दूर करने का प्रयास किया गया है। हमारे दूर दराज के इलाके और सीमांत इलाकों बाड़मेर-जैसलमेर तक बड़ी रेलवे लाइन जा सकी है। मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र झुंझुनू को भी ब्राडगेज से मिलाया जाये रिवाड़ी से लुहारू, लुहारू से झुंझुनू और झुंझुनू से जयपुर तक जल्द से जल्द ब्राडगेज की व्यवस्था की जाये। इस समय अगर ब्राडगेज से नहीं जोड़ा जा सकता तो इसी दौरान सर्वे के आदेश दिये जायें।

मेरे क्षेत्र में कापर का खेतड़ी में बहुत बड़ा प्लांट है। डाबरा से सिघाना के बीच में कापर का सामान लाने-लेजाने के लिए एक मालगाड़ी चलती है, उसमें एक या दो डिब्बे सवारी के भी लगाये जाये जिससे वहां जो दस हजार के करीब मजदूर काम करते हैं वे उसका फायदा उठा सकें। वह गाड़ी 20 गावों से गुजरती है। मेरी मांग है कि उसका हर गांव में स्टोपेज होना चाहिए जिससे वहां के लोगों को उसका फायदा मिल सके।

ऐसा मेरा मानना है। वह कापर प्रोजेक्ट 50 प्रतिशत पे करने के लिए तैयार है और उसने लिखकर दिया है कि इस रेल लाइन को ब्राड गेज किया जाये। यदि आपकी तरफ से स्वीकृति होती है तो इससे हमारे क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। वहां पर 10 हजार मजदूर काम करते हैं और वहां के लोगों ने रेल आज तक नहीं देखी है। ये लोग भी गौरवशाली होंगे यदि वह सुविधा मिल जाये।

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की स्थानीय रेल समस्याओं को रेल मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे सीतापुर में सीतापुर जंक्शन, सीतापुर कैंट और सीतापुर सिटी नाम से तीन स्टेशन हैं और इनमें सीतापुर जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे और बाकी दोनों उत्तर रेलवे में है। मेरी मांग है कि इन तीनों को पूर्वोत्तर रेलवे में रखा जाये।

सभापति महोदय, सीतापुर-बुढ़हल रेल लाइन का ब्राड गेज में परिवर्तन हो गया है जिसपर मालगाड़ियों का आना जाना तो आरंभ हो गया है लेकिन यात्री गाड़ी केवल एक ही चलायी जा रही है इससे पहले गोंडा सीतापुर के बीच में 4 जोड़ी गाड़ियां चलती थी। अतः मेरी मांग है कि कम से कम 3 जोड़ी यात्री गाड़ी चलायी जाय। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस खंड पर सीतापुर तक सैकड़ों यात्री दिल्ली जाने के लिये आते जाते हैं। इससे गोंडा-गोरखपुर वाया सीतापुर सीधे दिल्ली से जुड़ जायेगा। लेकिकन अफसोस है कि इस पर अभी तक कोई गाड़ी चालू नहीं की गयी है। अतः मेरी मांग है कि कमसे कम तीन जोड़ी गाड़ियां चलायी जायें जिससे यात्री वहां आ सकें। बहुत से यात्री गोरखपुर से हरिद्वार-देहरादून आते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी-सीतापुर आदि से यात्रियों के जाने के लिये देहरादून से गोरखपुर तक एक रेलगाड़ी चलायी जाये।

सभापति महोदय, लखनऊ काठगोदाम तक का रेल मार्ग रामपुर तक बड़ी लाईन में है लेकिन लखनऊ से काठगोदाम तक जाने वाली ट्रेन लाल कुंआ तक समाप्त हो जायेगी क्योंकि यह मीटर गेज लाईन है। अतः मेरी मांग है कि लखनऊ-काठगोदाम रेल लाईन को ब्राड गेज में कनवर्ट किया जाये जिससे सीतापुर-लखीमपुर-पीलीभीत के यात्री काठगोदाम जा सके सभापति महोदय, सीतापुर-शाहजहांपुर के बीच में रेल पथ का नवीनीकरण होना

है जिसमें जंगबहादुर तक 1992-93 में हो गया है लेकिन उसके बाद रोक दिया गया है और केवल 40 कि.मी. शेष है। अगर इसका नवीनीकरण कर दिया जाय तो एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिये पास हो सकेगी।

क्योंकि सीतापुर से शाहजहांपुर तक आने में चार घंटे से ऊपर का समय लगता है। अगर इन ट्रेनों और रेल पथ का सुधार कर दिया जाए तो ट्रेन आसानी से एक डेढ़ घंटे में पास हो सकेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सैयद मसूदल हुसैन।

...(**व्यवधान**)....

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, श्री हाराधनराय ने कल अपना नाम दिया था और मैंने तो अपना नाम आज ही दिया है।....(**व्यवधान**)....

सभापति महोदय : इस प्रकार आप अपने बोलने का अवसर खो रहे हैं श्री हाराधन राय। आप कृपया केवल तीन मिनट लीजिए।

***श्री हाराधन राय (आसनसोल) :** सभापति महोदय, मैं बंगला में बोलूगां। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के अनेक सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के वैगन उद्योग का उल्लेख किया है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में वैगनों के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकार वैगनों का आयात करना चाहती है जिससे इस क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। यह राष्ट्र के विरुद्ध कार्य है। सरकार ने जानबूझकर धनाभाव के कारण सरकारी क्षेत्र के एकक बंद करने का निर्णय लिया है।

सरकार के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में धन का अभाव है और उनके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। सरकार और रेल मंत्रालय ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। वे उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करना चाहते हैं जिन्हें 1947 के पश्चात् काफी मेहनत से स्थापित किया गया है।

रेल बजट पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हर वर्ष रेल किरायों में वृद्धि की जाती है। वास्तव में रेल मंत्रालय के बजटीय प्रस्तावों में प्रत्येक वर्ष किराये बढ़ाने का प्रस्ताव होता है, लेकिन महोदय क्या जिस देश में 70 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है वहां ऐसा करना न्यायसंगत है? यहां अधिकांश जनता की आमदनी बहुत कम है। यदि किराये हर वर्ष बढ़ा दिए जाएं तो वे किराये कैसे देंगे? जबकि यात्रियों को हर वर्ष अधिक से अधिक पैसा देना पड़ता है फिर भी उन्हें सुविधाएं या उपयुक्त सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं। पीने का पानी, बिजली अच्छी खाने-पीने की सुविधाएं या उपयुक्त शौचालय आदि नहीं है। यात्रियों को कोई सेवा या मूलभूत सुविधाएं दिए बिना ही किराये बढ़ा दिये जाते हैं। इस प्रकार आप जनता को बिना टिकट यात्रा करने और बेईमानी के लिए प्रेरित करते हैं जब उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती तो वे अधिक किराया क्यों दें? जब यात्री हर

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

वर्ष अधिक किराया देते हैं तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं? जो धन रेलवे कमाता है वह देश की जनता का धन है। यह रेलवे या भारत सरकार की संपत्ति नहीं हैं उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलों में पुराने और जर्जर डिब्बे जोड़े जाते हैं जिससे जनता की जान खतरे में रहती है और दुर्घटनाएं होती हैं। रेल मंत्री ने अपने पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि वित्तीय संकट के कारण वह नए डिब्बे नहीं प्रदान कर सकते हैं और अभी पुराने डिब्बों से ही काम चलाना होगा।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा डिब्बों में चोरी और वैगनों को तोड़े जाने से संबंधित है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जी.आर.पी.एफ. आर.पी.एफ. और रेल अधिकारी वैगनों में चोरी करते हैं और वैगनो तोड़ते हैं, मेरे क्षेत्र में रानीगंज स्टेशन पर जी आर. पी. के क्वार्टरों के समीप रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ और एक मिठाई की दुकान खुल गई है। यहां न केवल वैगनों में चोरी होती हैं बल्कि मिठाई की दुकान के बहाने कोयला, लोहा आदि एकत्र किया जाता है। यहां सभी प्रकार के अपराधिक कार्य होते हैं जैसे शराब, स्त्री और जुआ। इन क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों ने अनेक बार इन गतिविधियों का विरोध किया है लेकिन उन्हें पीटा गया और उन्हें यह धमकी दी गई कि यदि उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश तो उसके बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने डी.आर.एम. और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी शिकायत की लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने आसनसोल के डी.आर.एम. पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और रेल मंत्री को भी लिखा था लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। कोई कार्यवाही न करने के स्थान पर डी.आर.एम. ने यह तर्क दिया कि चूंकि रेलवे हॉकर्स यूनियन ऑफिस वहां स्थित है इसलिए वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मैंने तत्काल ही यूनियन के सदस्यों को अनुरोध किया कि अपना दफ्तर गिरा दें तो तत्काल उन्होंने ऐसा कर दिया लेकिन मिठाई की दुकान तब भी वहां बनी रही और गैरकानूनी कार्य अभी भी जारी है। साथ ही एक काली मंदिर भी बन गया है जिससे उनकी गैर-कानूनी गतिविधियां छुप सकें।

महोदय, रेल मंत्री के ध्यान में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों, जी.आर.पी. और आर. पी.एफ. की सांठगाठं के कारण रेलवे की खाली भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है। मेरा यह सुझाव यह है कि वहां कुछ बाजार बनाए जाएं ताकि बेरोज़गार युवकों को कुछ कार्य मिल सके। मैंने डी.आर. एम. से अनुरोध किया था कि सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ छोटी मार्किटें बनाई जाएं ताकि बेरोज़गार युवकों को कुछ रोजगार मिल सके लेकिन मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय, कृपया बैठ जाइए।

श्री हाराधन राय : महोदय, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे कुछ मुद्दों पर बोलना है। यह पूर्णतः भेदभावपूर्ण नीति है। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं इसके विरोध में बहिष्कार करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया बैठे जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अगले सदस्य को बुलाता हूं।

श्री हाराधन राय : महोदय, यह उपयुक्त नहीं है। मैं इसके विरोध में बहिष्कार करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टू) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस महान सभा में मुझे सुझाव रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। क्रमिक रूप से अपना चौथा रेल बजट पेश करते हुए माननीय रेल मंत्री ने यात्री किरायों में वृद्धि कर दी है। इससे आम जनता के साथ-साथ पर्यटकों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। योजनागत परिव्यय में कमी के कारण मंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट में राजस्व के लिए 997 करोड़ रुपये बढ़ाये हैं और इसका 80 प्रतिशत, माल यातायात के माध्यम से आना है। श्री नन्जुडाप्पा की अध्यक्षता में किराये और मालभाड़े में वृद्धि पर गठित समिति, जिसने सरकार को मालभाड़े की दर को धीमी गति से बढ़ाने की सलाह दी थी, की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने इस सुझाव का ध्यान नहीं रखा है और माल भाड़े में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है अर्थात् 1993-94 में अर्जित राजस्व पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि।

जहां तक यात्री किराये में वृद्धि का सम्बन्ध है, जिसके लिए समिति ने उन्हें ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा था, माननीय मंत्री ने केवल 197 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए यात्री किराये की दरों में वृद्धि की है। माल यातायात की आठ अथवा नौ मदें, जो रेल यातायात का 90 प्रतिशत से अधिक भाग है की पहले से ही ऊंची दरों को संशोधित करके और बढ़ा दिया गया है। इन वस्तुओं में उर्वरक, लौह-अयस्क, कोयला, सीमेंट तथा इस्पात इत्यादि हैं।

मैं इस संबंध में, सविनय अपने कुछ विचार पेश करना चाहता हूं जिनका बजट तैयार करने से पहले भी अनुपालन किया जाना चाहिए था। हमारी सक्रिय नेता, पुरात्शी, थालेवी डा. जे. जयललिता ने अनेक अवसरों पर रेलवे से संबंधित विभाग ही नहीं अपितु केन्द्र सरकार के अधीन सभी विभागों, जिनका राज्य सरकार से संबंध है, के विकास और पुर्ननिर्माण के संबंध में ध्यान देने के लिए कहा है।

हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सांसदों की बहुत सी शिकायतें हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों की रेलवे द्वारा उपेक्षा की जा रही है। आवश्यक सुविधाओं सहित और अधिक स्टेशनों, गाड़ियों और रेलवे लाइनों के लिए हमारी लड़ाई गलत नहीं है।

यात्री डिब्बों के उपयोग में सुधार करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। यह प्रशंसनीय है। इस योजना के तहत, रेलवे ने हर चक्कर के बाद टर्मिनल स्टेशन पर यात्री डिब्बों की धुलाई और रखरखाव के लिए लगने वाले छः घन्टे समाप्त कर दिए हैं, इसके स्थान पर अब ऐसा न्यूनतम 2,000 किलोमीटर और अधिकतम 3,000 किलोमीटर की दूरी पर किया जायेगा। इससे रेलवे उन्हीं डिब्बों से और अधिक गाड़ियों चलाने में समर्थ हो सकेगा।

चूंकि चालू वर्ष के दौरान डिब्बों की प्राप्ति घटकर 600 हो गई है इसलिए दो 'कैपटिव' कोच निर्माण करने वाली इकाईयों को डिब्बे और बसें बनाने के लिए कहा गया है इन दो इकाइयां - एक मद्रास में पैराम्बूर में इन्टेगरल कोच फैक्टरी जिसे आई.सी.एफ. के नाम से जाना जाता है तथा दूसरी कपूरथला में है - को अपनी जरूरतों के लिए काफी नई मशीनरी और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तिरूपुर-कुनाथुर सड़क पर एक ऊपरिपुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है सड़क ऊपरि पुल के निर्माण में मौजूदा सड़क ऊपरिपुल के नवीकरण में अनुमानित 123.95 लाख रुपये की लागत आयेगी। हमें इस पर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ है कि सारी लागत तमिलनाडु वहन करेगा और केन्द्रीय सरकार कम से कम प्रशासनिक हित में भी राज्य सरकार के सुझावों को कोई महत्व नहीं दे रही है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : महोदय, मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं। मैं यहां कह सकता हूं कि माल और यात्री यातायात के किराये में वृद्धि ही कार्य करने का योग्य तरीका नहीं है। कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए ईंधन के कुशल उपयोग, कार्य दक्षता, अधिक से अधिक विद्युतीकरण, डीजलीकरण तथा पुराने इंजनों के स्थान पर नए इंजन लगाना तथा इसी प्रकार की अन्य बातों की जरूरत होगी। हमें और अधिक नई लाइनों और रेलवे लाइनों के नवीकरण पर भी जोर देना पड़ेगा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे लाइनों के दोहरीकरण तथा जहां कहीं भी जरूरत हो पुलों का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। नए मंडल, जिन पर अभी विचार चल रहा है, को यथाशीघ्र स्वीकृत किया और विशाखापट्टनम को, जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने पहले ही अनुरोध किया है, दक्षिण मध्य रेलवे के नए मण्डल के अंतर्गत लाया जाये।

मेरे क्षेत्र में बहुत सी चीजों की जरूरत है। एक्सप्रैस गाड़ी में वातानुकूलित टू-टीयर कोचों की जरूरत है। हावड़ा-तिरूपति में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा है जो प्रयोग की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त है। इसे तत्काल परिवर्तित किया जाना चाहिए। काकीनाड़ा-कोटीपल्ली रेल लाइन, जिसे पहले हटाया गया था, को यथाशीघ्र बदला जाना चाहिए। भद्राचलम-कोव्वूर लाइन जिसका पहले ही दो बार सर्वेक्षण हो चुका है, पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए। लम्बी दूरी वाली गाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफार्मों में सुधार लाने हेतु बहुत सी सुविधाएं दी जानी हैं। 'शेल्टर' क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए तथा जल-आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। लम्बी अवधि तक बिजली गुल रहने की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं यह भी अवश्य करना चाहूंगा कि विजयवाड़ा-भीमावरम्-नीदादावोलू-लाइन पर बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए इसका यथाशीघ्र दोहरीकरण किया जाना चाहिए। एक्सप्रैस गाड़ियों की सेवा में सुधार के लिए अधिकतम यात्री सेवा देने के उद्देश्य से हमें इसकी गति बढ़ानी होगी तथा इसकी समय सारणी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। कैकालूर स्टेशन में सुधार करने की आवश्यकता है तथा तालकु स्टेशन के 'शेल्टर' क्षेत्र में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक डिब्बे बनाये जाने चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और संभव हो तो फिर निर्यात कर सकें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, भारतीय रेलवे विश्व में अद्वितीय है और हमें इस पर गर्व है। इसकी प्रशंसा की वजह इसकी अनेक बेजोड़ विशेषतायें हैं। यह विश्व की सबसे लम्बी रेलवे प्रणाली है। यह एकल प्रबंध व्यवस्था के अधीन काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 1.7 मिलियन से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। यह सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा खानपान प्रबंधक है इसकी और भी अनेक विलक्षण विशेषताएं हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष ही रेल मंत्रालय का सचिव है। हमारे

यहां अलग से रेल-बजट की व्यवस्था है। चूंकि विस्तार से भारतीय रेलवे की अद्वितीयता का वर्णन करने का समय नहीं है, अतः मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं।

सबसे पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि बड़ी कठिनाई वाले वर्ष की पृष्ठभूमि में यह बजट अपेक्षाकृत नर्म है जिसमें किराये तथा मालभाड़े में केवल छः प्रतिशत की वृद्धि की गई है। संसाधनों की अत्यधिक कमी की पृष्ठभूमि में, उत्तरोत्तर तीन कठोर बजटों के पश्चात् यह कुछ नर्म बजट है। इस वित्तीय वर्ष में 977 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि एकत्र करनी पड़ेगी। लोगों की उम्मीदें अपेक्षाकृत ऊंची हैं। देश के आर्थिक विकास में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी एक प्रभावी माध्यम है। सम्बलपुर तालचेर लाइन के लिए हालांकि बहुत कम धनराशि दी गई लेकिन उसे भी खर्च नहीं किया गया है। वर्ष 1984 में श्री राजीव गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसे पांच वर्षों में पूरा किया जाना था लेकिन अब तक इसका एक तिहाई काम ही पूरा हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री से यथाशीघ्र और संभव हो तो एक वर्ष के भीतर इस लाइन के निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करिये।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे इसका खेद है।....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति जी, साथ ही इस बजट में जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता गया है, हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जैसे पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ है। यहां पर किसी प्रकार के विकास का कार्य नहीं किया गया है। यहां रेलवे लाइन नहीं है। यहां पर सिंगरौली में कोयले की खदानें हैं। पन्ना में हीरे, डायमण्ड की खदानें हैं, खुजराहों में ग्रेनाइट है, दमोह में शीशे की खदानें हैं, इतने कीमती खनिज होने के बाद भी वहां आवागमन के साधन न होने के कारण इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं हुआ है। जब अटल जी, उमा भारती सहित हम सांसद लोग मंत्री जी से मिलने गये थे तो उन्होंने इस ट्रेक पर जो लाइन नहीं बिठाई गई है, उसका सर्वेक्षण कार्य हुआ है, उसको करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस असतुंलन को दूर करें।

इसी तरह से कटनी, बीना, भोपाल के बीच ट्रैक के असंतुलन के कारण वहां पर यात्रियों को कोई वाहन सुविधा नहीं है। बनारस से यदि बम्बई को नई ट्रेने चलाकर बीना से निकल जाती है तो वहां के लोगों को सुविधा हो सकती है और वहां की असंतुलन दूर किया जा सकता है।

इसी तरह से रीवा से भोपाल के लिए यदि ट्रेन वहां से चलाई जाती है तो भी उस क्षेत्र का असंतुलन दूर हो सकता है और इस ट्रेक के यात्रियों को काफी वाहन सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

इसी तरह हमारे इस क्षेत्र के भीतर दमोह में ओवरब्रिज के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन वहां जो साइट सलैक्ट की गई है, उसको यदि फिर से देख लिया जाय और जो अच्छी साइट है, जहां कम खर्चे पर बिना आपत्तियों के ओवरब्रिज बनाया जा सकता है, उसको वहां पर बनाया जाए।

इसके साथ-साथ मैं कुछ ऐसे विषय आपके सामने लाना चाहता हूं, जहां रेल के किराये-भाड़े में वृद्धि तो हुई है लेकिन सुविधाएं कम हुई हैं और जहां भ्रष्टाचार भी है। ऐसे मुद्दों को भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक भागचन्द जैन बड़ा मलैहरा के हैं। उन्होंने 19.3.1993 को दो लाख रुपये का रेडीमेड कपड़े का माल हावड़ा से सतना के लिए बुक कराया था लेकिन वह आज तक वहां उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय में शिकायत भी हमने माननीय मंत्री को की है लेकिन अभी तक उसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने दावा भी पेश किया है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। उसी तरह दमोह जिले के मझगुना हंसराज ग्राम के किसानों की 12 एकड़ भूमि 1965 में कटनी बीमा लाइन पर रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है। अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तत्काल दिलाया जाये।

इसी तरह जबलपुर में आवासीय रेलवे के जो क्वाटर्स हैं, वहां पर कर्मचारियों को रहने के लिए एलाटमेंट नहीं हो रहे हैं लेकिन उनमें बिना एलाटमेंट के लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। वह उसका किराया निजी कर्मचारियों को देते हैं जो उनकी जेब में जाता है। लाखो रुपये का स्कैंडल वहां हो रहा है। इसे रोका जावे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

....(व्यवधान)......

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....(व्यवधान) * ...

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): (व्यवधान) भारतीय रेल को एशिया का प्रथम लैंड ट्रांसोपोर्ट इन्डस्ट्री माना जाता है और यह 62486 कि.मी. नेटवर्क में फैला है। यहां निजी वाहनों के मालिक कुछ ही दिनों में शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। वहां रेलों की स्थिति में गुणात्मक सुधार शोचनीय है।

रेलों से कई प्रकार के वाणिज्यिक लाभ एंव नियोजन का समायोजन किया जा सकता है।

भारतीय रेल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चालक है। लेकिन यहां पर इनकी हालत यह है कि इनके प्रबन्ध में कई प्रकार की खामियां व्याप्त होने से अर्थव्यवस्था में आशातीत सफलता नहीं मिल रही है, बहुत खराब है, जिसके चलते बराबर घाटा होता है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन बहुत किया जाता है। इस संबंध में एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। सचमुच में जो ईनामदार लोग हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसके विपरीत भ्रष्ट लोगों एवं उनके षड्यत्र को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से रेलवे का सुधार नहीं हो सकता है। जब रेलवे का सुधार नहीं होगा, तो देश की स्थिति क्या होगी और देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार होगा।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरी बात मैं रेल बजट के बारे में कहना चाहता हूं, बजट में हमेशा से बिहार की उपेक्षा होती रही है। बिहार को कभी भी लाभ नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं इस सदन में दसवें बजट पर बोल रहा हूं, और लागातार हर बजट में बिहार की उपेक्षा होती रही है। गया और पटना लाइन को अभी तक भी दोहरा नहीं किया गया है। यह सबसे पुरानी लाइन है और अंग्रेजों के समय की लाइन है और इसको अभी तक दोहरीकरण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: इसी प्रकार फतवाह और इस्लामपुर तक जो रेल लाइन चलती थी, जिसमें लोगों के आने जाने में सुविधा होती थी, उसका राष्ट्रीयकरण करके बन्द कर दिया गया है। यदि आप उस जगह से डेढ़ सौ किलोमीटर गया से चलें तो फलगु नदी की ओर, तो दूर तक रेलवे लाइन नहीं है। हमने सुझाव दिया था कि फतवाह और इस्लामपुर में जो छोटी लाईन है, उसको बोधगया तक ले जाये, जिससे वहां के लोगों को लाभ होगा। सरकार का रवैया शुरू से ऐसा रहा है, जब तक कोई उग्र रूप धारण न कर लें, तब तक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और फिर बाद में समझौते की बात की जाती है। इनका शुरू से यही रवैया रहा है। आप पंजाब की दशा, काश्मीर की दशा, असम की दशा को देखिए, बिहार की दशा को देखिए और अगर समूचा देश उग्र हो जाएगा, तब ये विकास की ओर जायेंगे, हम इन से आग्रह करना चाहता है कि आप भ्रष्टाचार को कम करिए। माल ढुलाई और यात्रियों को जो घाटा हो रहा है, उसको आप देखिए। उनको कोई सुविधाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब वह जो कुछ करें वह कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : अब मैं माननीय रेल मंत्री से चर्चा का जवाब देने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : सभापति महोदय, हमने रेल बजट पर एक बार तो आम चर्चा के दौरान व्यापक विचार सुने हैं और अब फिर सुन रहे हैं जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। इस सभा के, सभी दलों के सदस्यों ने भारतीय रेलवे के मामलों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। मैं वास्तव में उन सब का आभारी

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। **(व्यवधान)** यदि आप इस तरह से व्यवधान डालेंगे तो मैं चर्चा का उत्तर किस तरह से दे सकता हूं? इसके बारे में कुछ प्रशंसा और सराहना की गई है और कुछ आलोचना भी की गई है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : मैं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा की गई आलोचना का भी स्वागत करता हूं क्योंकि वह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे भारतीय रेलवे को जाने वाले इस विशाल संगठन को अपनी कार्यकुशलता के बारे में और लोगों की आशाओं के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का पता चलता है और भारतीय रेलवे देश के हित में कार्य करने की कोशिश करता है। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि सुधारों के बारे में दिए गए तमाम सुझावों पर हम पूरा ध्यान देंगे। रेल संबंधी स्थायी समिति ने रेल बजट और रेलवे की कार्य कुशलता की जांच करने में काफी मेहनत की है और विभिन्न विषयों पर जिनमें 1994-95 के लिए अनुदानों की मांगे भी शामिल हैं, अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। मैं उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों और सिफारिशों के लिये उनका आभार व्यक्त करता हूं। रेल मंत्रालय द्वारा ईमानदारी से इनकी जांच की जाएगी और इस संबंध में जो भी कार्यवाही की जाएगी उसकी रिपोर्ट समिति को यथा समय में प्रस्तुत कर दी जाएगी। वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयास एक सतत् प्रक्रिया है और जो कदम उठाये जाने हैं उनके बारे में मैंने इस सभा को विश्वास दिलाया है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने बजट अभिभाषणों में की गई उद्घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में रेलवे द्वारा किये गये कार्यों अथवा सफलता के क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगा।

यात्री सुविधाओं से शुरूआत करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि 1993-94 में 63 करोड़ रुपये और 1994-95 में 60 करोड़ रुपये तक प्रावधानों में वृद्धि की गई है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1992-93 में 36 करोड़ रुपये और पिछले दो वर्षों में औसतन 22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पीने के पानी जैसी मौलिक सुविधाएं और प्लेटफार्म बनाना, वाटर कूलर आदि की व्यवस्था करना आदि अतिरिक्त सुविधाएं, जहां कहीं भी इनका अभाव है, नियोजित ढंग से प्रदान की जा रही हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसकी निरन्तर निगरानी की जाती है। सुविधओं की जांच करने के लिये और जहां कहीं कमियां नजर आती हैं, वहां पर तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नामित किये गये हैं।

अब तक नई दिल्ली और मुम्बई मध्य, नई दिल्ली और हावड़ा, हजरत निजामुद्दीन और मद्रास तथा हजरत निजामुद्दीन और मुम्बई मध्य अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित तीन-टियर सवारी डिब्बे की व्यवस्था की गई है चालू वर्ष में 65 वातानुकूलित रेल डिब्बों के निर्माण की योजना बनायी गई है ताकि राजधानी एक्सप्रेस में उन्हें कुर्सीयान के स्थान पर बदला जा सके। दूसरे किस्म के वातानुकूलित तीन-टियर रेल डिब्बों के इस गर्मी के मौसम तक बन जाने की उम्मीद है और उसके बाद चालू वर्ष में ऐसे 20 डिब्बों महत्वपूर्ण लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिये तैयार किये जाएंगे।

अब गाड़ी अधीक्षक/संवाहक के नियंत्रणाधीन प्रभावी पर्यवेक्षण के लिये 62 महत्वपूर्ण लम्बी दूरी की गाड़ियों में चल सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई है।

महोदय, हम रेल डिब्बों में सफाई की दशा के बारे में आलोचना के प्रति पूर्णतः सजग हैं। रेलवे ने अब समूचे रेलवे विभाग के अंतर्गत 92 स्टेशनों पर विशेष जेट क्लीनिंग की शुरूआत की है ताकि शीघ्र और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जा सकें एक नया गहन सफाई लागू किया गया है और महत्वपूर्ण लम्बी दूरी की गाड़ियों पर चल सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई है।

महोदय, मैं यह जानता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मांगें उठती ही रहती है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा में तथा अलग से दोनों जगह पर अपने सुझाव दिये हैं। जैसा कि यह सभा जानती है रेल सेवा को शुरू करने और उसमें विस्तार करने के लिये पर्याप्त आदानों की आवश्यकता होती है जो न केवल रेल डिब्बों के लिये ही होती है बल्कि स्टेशन सुविधाओं के लिये तथा लाइन की क्षमता को बढ़ाने हेतु रखरखाव व्यवस्था के लिये भी होती है। हालांकि हम अपनी वार्षिक योजनाओं के माध्यम से निरन्तर आदान प्रदान कर रहे हैं, मींग हमेशा क्षमता से अधिक की जाती रही है। अतः अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

एक मांग रेल गाड़ियों की गति बढाये जाने के बारे में भी है। गत वर्ष लगभग 200 बड़ी लाइन की ओर 166 छोटी लाइन की गाड़ियों की गति क्रमशः औसतन 48 मिनट और 35 मिनट के हिसाब से बढ़ायी गयी थी। यह भी एक सतत् प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ रेलवे को गाड़ियों के अतिरिक्त पड़ावों की व्यवस्था करने के लिये भी बहुत सी मांग प्राप्त हुई है। ऐसी मांगे माननीय सदस्यों ने भी की हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पड़ाव के लिये अतिरिक्त समय लगता है जो केवल पड़ाव की अवधि के लिये ही नहीं बल्कि गाड़ी को धीमा करने और फिर पुनः गति में जाने के लिये भी लगता है। अतिरिक्त पड़ावों का लम्बी दूरी की एक्सप्रैस गाड़ियों के दौड़ समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भलिभांति कल्पना की जा सकती है। चूंकि हम अतिरिक्त प्रभार लगा रहे हैं इसलिए सुपरफास्ट गाड़ियों के मामले में विशेषकर जनता और उपभोक्ता मंच हमसे यह उम्मीद करते हैं कि उनके लिये तीव्र और आराम देह सेवा की व्यवस्था की जाये। अतः, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करना चहूंगा कि कम से कम इन मामलों में अतिरिक्त पड़ावों का प्रस्ताव न रखें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : क्या आप राजधानी का समय कम कर रहे है।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : जी हां, हम ऐसा करना चाहेंगे। यदि लोग पड़ाव के लिये हम पर दवाब न डालें तो हम हमेशा गति को बढ़ा सकते हैं और दौड़ समय को कम कर सकते हैं।

सदन को यह जानकारी है कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिये और रेल सेवा में सुधार करने, गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिय, मार्ग ढांचे को मजबूत बनाने, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिये सिगनल और संचार पर निवेश किया जाने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, उत्तम उपभोक्ता सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये किराया भाड़ा और यात्री आरक्षण का कम्प्युटरीकरण करने के लिये पर्याप्त आदानों की आवश्यकता है। राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में असमर्थता से उत्तेजित होकर बजटीय सहायता में कमी करने के कारण रेलवे को संसाधनों के घोर अभाव का सामना करना पड़ा है।

इससे रेलवे की कार्य कुशलता सीमित होकर रह गई है। संसाधनों के आन्तरिक सृजन को बढ़ाने के लिये

तमाम प्रयास किये गये हैं। ऐसा एक क्षेत्र वायु क्षेत्र और भूमि प्रबन्धन का वाणिज्यिक दोहन करना है जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

विशेषज्ञ समिति रेलवे वायु क्षेत्र और संपत्ति विकास के वाणिज्यिक दोहन के बारे में अपना प्रतिवेदन पहले से ही प्रस्तुत कर चुकी है। विकास हेतु संसाधन जुटाये जाने के लिये वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये सरकारी भूमि के उपयोग के संबंध में सिद्धांत अभी निर्धारित किये जाने हैं। सचिवों की समिति ने इसके लिये अपनाये जाने वाले मार्ग-निर्देश पहले से ही तय कर लिये हैं। इन मार्ग निर्देशों को अभी केबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से शुरू करने के लिये, सिद्धांतों के निर्धारण किये जाने की ही देरी है, रेलवे ने विख्यात वास्तुकारों से अवधारणागत योजनाएं आमंत्रित करके चुने गये मुख्य स्थानों पर प्राथमिक कार्य पहले से ही आरंभ कर दिया है। इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार से एक समझौता भी हुआ है।

मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलवे ने सभी संगत तत्वों पर बहुत ही सावधानी से विचार करने के बाद व्यापक आमान परिवर्तन की नीति अपनायी है। रेलवे ने लक्षित यातायात की व्यवस्था के लिये आठवीं योजना में 45,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था।

5.00 म.प.

इसे कम करके 27,202 करोड़ रुपये कर दिया गया। हमारे पास छोटी लाइन, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों को बदलने का काफी बड़ा काम बकाया है। जब परिवहन क्षमता को बहुत ही कम परिव्यय के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता हुई, और छोटी लाइन का हिस्सा कम होने लगा...**(व्यवधान)**

श्री प्रताप सिंह (बांका) : जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अतिरिक्त क्षेत्रों और अतिरिक्त दूरी को रेल से जोड़ने के कार्य को वरीयता देने की बजाये बड़ी लाइनों, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता देने के पीछे क्या दार्शनिकता थी? बड़ी लाइन को दोहरा करने और छोटी लाइन को बदलने को प्राथमिकता देने की आपको प्रेरणा देने के पीछे कुछ खास कारण होंगे। मैं यह चाहता हूं कि आप उन कारणों पर रोशनी डालें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी, यदि आप इससे सहमत हैं तो चर्चा का कोई अंत ही नहीं होगा। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, रेलवे द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होते हैं और इस बात पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आमान परिवर्तन की जो नीति अपनायी गई है। वह युक्तिसंगत नीति है और स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सी.के.जाफर शरीफ : हमारे पास मीटर आमान के मार्ग, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों को बदलने का काफी काम बकाया था। जिस समय काफी थोड़े परिव्यय में परिवहन निवेश में वृद्धि करनी पड़ी और मीटर आमान के लिए मिलने वाली राशि में कमी की जा रही थी, तो उस समय इसके आप्रेशन के आंकड़े बहुत ही कम थे। कटु सत्य यह है कि यद्यपि कुछ मार्ग किलोमीटर का 38 प्रतिशत मार्ग मीटर आमान का है, इस पर

माल यातायात केवल 8 प्रतिशत और यात्री यातायात केवल 12 प्रतिशत रहा। मीटर आमान का प्रचालन अनुपात 171 प्रतिशत है। हमने यह निर्णय लिया कि परिवर्तन और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और इसके साथ साथ प्रणाली क्षमता को सुधारने के लिए आमान परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने यह देखा कि इस प्रयोजन के लिये योजना के अंतर्गत जो धन दिया जाता है, इससे अतिरिक्त धन, मीटर आमान मार्ग के पुर्ननिर्माण और यातायात सुविधा कार्यो जिनमें कुछ दोहरे कार्य भी शामिल हैं जिनकी आगे चलकर आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आमान परिवर्तन से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे, को टालकर प्राप्त किया जा सकता है। आमान परिवर्तन प्रस्तावों को योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और ये प्रस्ताव रेलवे नेटवर्क के विस्तार संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।

अत: मैं अपने साथी, जिन्होंने यह जानना चाहा है कि इस आमान परिवर्तन पर जोर दिया जाने के पीछे क्या कारण है, को इसके बारे में बताना चाहूंगा।

मुझे बेहद खुशी है कि माननीय सदस्य ने कुछ और स्पष्टीकरण मांग कर मुझे एक अवसर प्रदान किया है कि मैं न केवल इस सभा को बल्कि इस सभा के माध्यम से पूरे देश के सामने स्थिति को स्पष्ट कर सकूं। महोदय, मीटर आमान पर किया जाने वाला खर्चा, केवल आज ही नहीं बल्कि विगत दस से पन्द्रह वर्षों से, जिसके बारे में माननीय सदस्यों को शायद न भी पता हो, बहुत ही कम रहा है। अन्य शब्दों में चूंकि मीटर आमान से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, रेलवे भी मीटर आमान पर अधिक धन खर्च नहीं कर रहा था।

कुछ साथियों ने मीटर आमान का ग्रेड बढ़ाये जाने की बात की है। जिस समय 1980 में मैं राज्य मंत्री था तो उस समय मुझे इसके बारे में बताया गया था और मुझे कोई बढ़ा हुआ ग्रेड दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत मीटर आमान की अधिक उपेक्षा की गई थी और शायद ही इस पर कोई धन निवेश किया गया था। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मीटर आमान प्रणाली में निवेश क्यों नहीं किया गया था?

श्री सी.के.जाफर शरीफ : आचार्य जी, चर्चा में भाग लेते हुए आपने काफी लम्बा समय ले लिया है। आदरणीय सभापति महोदय, उस समय आप भी वहां पर होंगे। आचार्य जी, कृपया मेरी बात में व्यवधान न डालें। कृपया मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मैं सभा को समझाना चाहता हूं। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं।

महोदय, खासकर आमान परिवर्तन के मामले में कई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति से आपको यह देखने को मिलेगा कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए विकास आवश्यक है। पहले पांच वर्षों के और अब रेलवे मंत्रालय में होने के अपने अनुभव से मैंने यह पाया है कि निवेशकों के मन में शायद ही कोई यकीन पैदा किया गया हो।

निवेशक को केवल बड़ी लाइन के क्षेत्र में ही विश्वास है। इसलिए निवेश इन क्षेत्रों में ही किया गया है। रेलवे वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के लिये विवश था। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि नई लाइनों अथवा नई लाइन क्षमता के निर्माण अथवा लाइनों को दोहरा करने पर निवेश करने का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं सभा को बता सकता हूं कि चाहे नई लाइनों का क्षेत्र हो अथवा लाइनों को दोहरा किया जाने का क्षेत्र हो, हमने कहीं पर भी कोई समझौता नहीं किया। जैसा कि यह पिछले वर्षों में हुआ करता था और पिछली योजनावधि में

था, वैसा ही कायम रखा जा रहा है। इसे छोड़ा नहीं गया। आमान परिवर्तन के मामले में हमने परिवर्तन की लागत में कमी की है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि प्लेटफार्म नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। निवेश के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता लाइन है।

[अनुवाद]

अगर पटरी है, अगर लाइन है तो स्वभावतः निवेशक आयेंगे ही। उसके पश्चात्, क्षेत्र में विकास के अनुसार, आप एक प्लेटफार्म बना सकते हैं। मान लीजिए, एक उद्योग विकसित होता है, जहां आपको ढुलाई अथवा उतराई करनी पड़ती है तो आपको एक प्लेटफार्म की जरूरत पड़ती है। इससे किसको इंकार है? आप एक प्लेटफार्म बनाते हैं। मान लीजिए, नगर क्षेत्र का विकास होता है और वहां बहुत से यात्री आतेजाते हैं। आप वहां पर स्टेशन बनाते हैं। आप वहां पर सभी सुविधायें देते हैं। मुझे उससे इन्कार नहीं है। लेकिन इससे पहले निवेश को आकर्षित करने के लिए, नौकरियों के सृजन के लिए, उपेक्षित क्षेत्र के विकास के लिए आपको पहले लाइन बिछानी होगी। इसी बात की जरूरत है। आज अगर मैं छोटी लाइनों पर गाड़ियाँ चलाना बन्द कर दूं, तो रेलवे को निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। हमें इस बात को समझना चाहिए। छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन से आर्थिक सहायता मिल रही है। यह कब तक चल सकता है? अगर रेलवे पैसे की बचत कर सकता है, तो वही पैसा आपको विकास के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। यह उसी प्रकार सरल है। अतः, मुझे उम्मीद है, कि हमारे मित्र मेरी बात से संतुष्ट हो गये हैं।

श्री प्रताप सिंह : महोदय, मुझे यह बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई हैं। मैं और स्पष्टीकरण चाहूंगा। मंत्री महोदय ने दोनों प्रश्नों को मिला दिया है....**(व्यवधान)**....

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह : महोदय, मैं उनकी अनुमति से ही पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : महोदय, जब वर्ष 1992-93 में हमने 'एकल' लाइन परियोजना शुरू की तो मैंने माननीय सदस्यों को इससे देश के साथ-साथ भारतीय रेलवे को होने वाले फायदों से अवगत करा दिया था। मैं इस परियोजना के एक महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र करना चाहूंगा। छोटी रेलवे लाइन प्रणाली से माल यातायात की ढुलाई की लागत बड़ी रेलवे लाइन प्रणाली से दुगुने से भी अधिक है। यह उससे भी अधिक है जो हमें माल भाड़े के रूप में ग्राहकों से प्राप्त होता है। अतः, छोटी रेलवे लाइन पर ले जाये गये प्रति टन माल से हमें नुकसान ही होता है। अतः मीटर गेज लाइन के स्थान पर बड़ी रेल लाइन लाकर हम एक अत्यधिक अकुशल प्रणाली से कहीं अधिक कुशल प्रणाली स्थापित करेंगे। इस प्रकार, एक ओर इससे बड़ी रेल लाइन प्रणाली का छोटी रेलवे लाइन प्रणाली को आर्थिक सहायता देना रुक जाएगा और दूसरी ओर बड़ी रेलवे लाइन प्रणाली इन क्षेत्रों के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी और हमारे यात्रियों को और अधिक सुविधा प्रदान करेगी। यही बात मैंने अभी माननीय सदस्य को स्पष्ट की है।

रेल प्रयोक्ता, पहले ही जो आमान परिवर्तन पूरे हो चुके हैं, उनसे होने वाले फायदों को देख रहे हैं। आमान परिवर्तन द्वारा जहां बेहतर रेल सेवायें हो गई हैं उनमें जयपुर-मुम्बई सुपरफास्ट एक्सप्रैस, मराठवाड़ा क्षेत्र तथा मुम्बई के बीच एक सीधी तीव्र सेवा प्रदान करने के लिए तपोवन तथा देवगिरि एक्सप्रैस गाड़ियों का विस्तार, बड़ी रेल लाइन से मद्रास के साथ मदुरई तथा तिरूनेलवल्ली को जोड़ते हुए मद्रास-कन्याकुमारी एक्सप्रैस, मैसूर-बंगलौर खंड पर तीव्र गाड़ियां, नैनीताल इत्यादि पहुंचने के लिए दिल्ली तथा कलकत्ता से काठगोदाम के लिए सीधी बड़ी लाइन की सेवायें शामिल हैं।

आमान परिवर्तन के फलस्वरूप औरंगाबाद तथा बारामती में औद्योगिक विकास स्पष्ट रूप से परिलक्षित है, जहां अनेक नई इकाइयां विकसित हो रही हैं। आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ भीड़भाड़ वाले मार्गों को राहत मिली है तथा यातायात संबंधी रूकावटें दूर हुई हैं। सीतापुर-बुरवाल के परिवर्तन से रोजा और बुरवाल के बीच की दूरी 53 किलोमीटर कम हो गई है और लखनऊ तथा लखनऊ वाले मार्ग पर भीड़ में कमी आई है। बीमानेर-जोधपुर तथा सवाईमाधोपुर-जयपुर-फुलेरा-मेरता मार्ग परिवर्तन से दिल्ली से मुम्बई तक के बड़ी लाइन के मार्ग पर भीड़ को कम करने में मदद मिलती है। इससे गुजरात से राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब को नमक यातायात, उर्वरकों, पी.ओ.एल. यातायात को बढ़ावा मिलेगा। आमान परिवर्तन से पहले एक गाड़ी के मुकाबले चार दैनिक माल गाड़ियां होने से सवाईमाधोपुर-जयपुर लाइन की उपयोगिता में पहले ही सुधार हो चुका है। दिल्ली-रेवाड़ी खंड का परिवर्तन होने के बाद दिल्ली सराय पर वाहनान्तरण पाइन्ट को पहले ही बन्द किया जा चुका है। मदुरई से तुतीकोरिन तक लाइन के परिवर्तन के इरोड से कन्याकुमारी की दूरी 78 किलोमीटर कम हो गई है तथा इरौड-त्रिवेंद्रम लाइन से अत्यधिक व्यस्त मार्ग को विकल्प मिल गया है। मनियाची-तिरूनेलवेल्ली-विरूधनगर-मदुरई सेक्शन पर माल यातायात में काफी वृद्धि हुई है। पुरूलिया-कोटशिला लाइन परिवर्तन से, चांदिल-मूरी एकल लाइन जिसे अब हटाना होगा क्योंकि आप इसे नहीं चाहते- के लिए विकल्प की व्यवस्था होती है।।

श्री बसुदेव आचार्य : हम परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं। लेकिन यह नई लाइन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : व्यवधान में कहीं गई कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलिते नहीं की जायेगी।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : उस लाइन के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र तक आवागमन और अधिक सुचारू हो गया है।

गत समय में आमान परिवर्तन को लगभग नई लाइनों की भांति देखा जाता था जिसमें न ये स्टेशन इमारतें, सेवा इमारतें, स्टाफ क्वार्टर इत्यादि की व्यवस्था होती थी। चूंकि अब इसे कार्यसंचालनात्मक प्रवाह तथा निश्चित अवधि में प्राप्त आय को बढ़ाने, सेवाओं में सुधार तथा जितना जल्दी संभव हो सके, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की नीति के रूप में देखा जाता है, अतः इसका लक्ष्य इसे न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना है। हालांकि आवश्यक मानक वाली पटरी, सुरक्षा के समानुरूप संकेतक तथा इच्छित गति आवश्यक है, यात्री तथा माल के आवागमन के लिए अनिवार्य सुविधाओं की ही व्यवस्था की जाती है। सभी प्रकार के सुधार बाद में किये

जायेंगे। अतः औसत क्षेत्र पर प्रति किलोमीटर नई पटरी के साथ पहले की तरह लगभग 80 लाख रुपये के मुकाबले आमान परिवर्तन की लागत 52 लाख रूपये से 60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर आ रही है।

चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने शंका जताई है कि आमान-परिवर्तन पर ज्यादा जोर देने से नई लाइनों के निर्माण की प्रगति तथा भारतीय रेलों के दोहरीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस शंका को दूर करना चाहूंगा जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि छठी तथा सातवीं योजना के दौरान जो नई लाइनें शुरू की गई थी, उनकी वार्षिक लम्बाई क्रमशः 230 किलोमीटर तथा 176 किलोमीटर एकल लाइन परियोजना को शुरू करने के पश्चात्, आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 230 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त किया। इसी प्रकार से, छठी और सातवीं योजना के दौरान दोहरीकरण के संबंध में 141 किलोमीटर तथा 170 किलोमीटर का वार्षिक लक्ष्य किया गया था जबकि आठवीं योजना के दौरान पहले दो वर्षों के दौरान 496 किलोमीटर लम्बी लाइन शुरू की गई थी, वास्तव में, चालू वर्ष के दौरान 300 किलोमीटर से भी अधिक लम्बी लाइन का दोहरीकरण शुरू किया जाना है, जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है।

जब मैंने इस सभा में बजट पेश किया था, तो बिहार के माननीय सदस्यों ने अपने राज्य के लिए योजनाओं की कमी के बारे में चिंता जाहिर की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने बजट के दस्तावेजों का अध्ययन किये बगैर ही ऐसा किया है। वास्तव में, विभिन्न कार्यों, जैसे नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, सुरक्षा कार्यों, रेलवे विद्युतीकरण तथा बिहार राज्य में कार्यशालाओं के विकास के लिए 179 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो देश के विभिन्न अन्य राज्यों को दी गई धनराशि से कहीं अधिक हैं इस वर्ष के दौरान मुजफ्फरपुर से राजौल तक एक नई बड़ी लाइन का रूट खोला जायेगा।

मैंने इस सभा में बार-बार यह बताया है कि रेलवे की मुख्य चिंता का विषय सुरक्षा है। रेलवे संपत्तियों के सघन उपयोग के बाद भी इस पहलू पर जोर दिये जाने से रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी आई है। दुर्घटनाओं की संख्या जो 1991-92 में 530 थी, वह घटकर 1993-94 में 520 हो गई है, जब कि प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटरों में दुर्घटना की दृष्टि से आंकड़ा 1990-91 के 0.86 के मुकाबले 1992-93 में 0.83 हो गया है। इस तथ्य के बावजूद कि कर्मीदल रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, दुर्घटनाओं में कमी होने की प्रवृत्ति चालू वर्ष में भी जारी है।

रेलवे प्रबंधन मानवीय चूक को दूर करने की जरूरत के प्रति पूर्णतः जागरूक है, जो अक्सर दुर्घटनाओं के महत्वपूर्ण कारणों में से एक होता है। अत्यधिक सलाह-मशविरा, बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर कार्यदशाओं की व्यवस्था की जा रही है तथा साथ ही विकट स्थितियों में काम करने वाले स्टाफ के लोगों पर नियमित रूप से निगाह रखी जा रही है। मैं आंकड़ों में ही नहीं बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं में सुधार की उम्मीद करता हूं। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा है, सड़क प्रयोक्ताओं की लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे फाटकों पर कर्मीदल की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आबंटन किया जा रहा है। अन्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए भी उदारतापूर्वक धनराशि दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इसमें सहयोग देंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने गाड़ियों की खराब नियमितता पर टिप्पणी की है।

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान समय नष्ट न करने वाली मेल और पैसेंजर ट्रेनों का प्रतिशत 92.9 था और इसमें 1993-94 के दौरान आंशिक सुधार हुआ है और यह प्रतिशत बढ़कर 93.3 हो गया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलवे के कार्य निष्पादन में और सुधार करने के संबंध में हम संतोष से नहीं बैठेंगे। रेल विभाग, रेलों के अवरोध को दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। रेलों के परिचालन की विभिन्न स्तरों पर हर समय निगरानी की जाती है। गति ओर समय की पाबंदी में दीर्घकालिक सुधार हेतु ट्रेक सिगनलिंग, को मजबूत करना, और अधिक शक्तिशाली डीज़ल इंजन चलाना, अच्छे डिजाइन के सवारी डिब्बे आदि चलाना जैसे उपाय किये जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बजट भाषण में भी उल्लेख किया था कि इस वर्ष और आगे निर्मित होने वाले नए सवारी डिब्बे उच्च दक्षता के लिए 'एअर ब्रेकस' युक्त होंगे। रेल विभाग के प्रयास आंदोलन, बन्द, रेल लाइन पर बैठ जाना, अलार्य चैन खींचना आदि जैसे वाह्य कारणों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। रेल प्राधिकारी स्थानीय नागरिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखते हैं। जिससे इन समस्याओं को हल करने के लिए उनका सहयोग लिया जा सके।

उपलब्ध रेल गाड़ियों की संख्या के संबंध में वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से, सेवित स्टेशनों इत्यादि की संख्या की दृष्टि से, विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तर-दक्षिण मार्ग जो कि एक कठिन और भीड़-भाड़ वाला मार्ग है के संबंध में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के परिणाम स्वरूप नई दिल्ली और नागपुर के बीच एक नई ट्रेन आरम्भ की गई है।

मैंने सभा में जो प्रस्ताव रखे थे उन्हें पूरा करने के लिए 1992-93 में 126 और 1995-94 में 135 नई ट्रेनें चलाई गई।

बिहार के माननीय सदस्य बिहार क्षेत्र से ट्रेन सेवाएं शुरू करने/उन्हें युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध करते रहे हैं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए 1 जुलाई, 1994 से मगध एक्सप्रैस और पूर्वा एक्सप्रैस की गति बढ़ाई जा रही है ताकि वे दिल्ली जल्दी पहुंच सकें। मगध एक्सप्रैस और पूर्वा एक्सप्रैस की गति बढ़ाने के बाद ये गाड़ियां क्रमशः प्रातः 10.30 बजे और 8.05 बजे दिल्ली पहुंचेगी। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता है कि रेल विभाग जुलाई, 1994 से ग्रैंड कोर्ड और मुख्य लाइन पर शुक्रवार को नई दिल्ली से और रविवार को हावड़ा से राजधानी सेवाएं आरम्भ करेगा। जिससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की लम्बे समय से लंबित मांग पूरी हो जाएगी, बंगलौर के लिए सिकंन्दराबाद होते हुए एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रैस नवम्बर, 1992 में शुरू की गई थी। चूंकि यह गाड़ी काफी लोकप्रिय हुई इसलिए जुलाई 1993 के मद्रास के लिए दूसरी राजधानी एक्सप्रैस शुरू की गई थी। वर्तमान वर्ष में इस गाडी को तिरूअंनतपुरम तक बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रैस पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं। चालू वर्ष के दौरान नई दिल्ली और जम्मूतवी के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रैस शुरू करने का प्रस्ताव है।

कुछ माननीय सदस्य रेल बजट पर आम चर्चा के दौरान अतिरिक्त गाड़ियों की मांग कर रहे हैं

इच्छा का सम्मान करते हुए नई दिल्ली - चण्डीगढ़-कालका के बीच एक वापसी शताब्दी एक्सप्रैस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मेरे मित्र प्रसन्न होंगे कि नई दिल्ली और अमृतसर के बीच एक नई शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ी आरम्भ करने का विचार है। इस गाड़ी के लिए समुचित रोलिंग स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

16 शहरों (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, जयपुर, इन्दौर, भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, ५ [illegible]गबाद, बंगलौर, कोयम्बटूर, मदुरै) में और उनके आस-पास यात्रियों की भीड़-भाड़, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और चार महानगरों सहित कुछ अन्य शहरों को पशु-पुल डीज़ल मल्टीपल यूनिटों और मेन-लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सर्विस में और द्रुत एअर ब्रेक पेसेंजर सर्विसेज को उत्तरोत्तर रूप से शुरू करके पूरा किया जाएगा। डी.एम.यू. टाइप पुश -पुल सर्विसेज 17 प्रतिशत खण्डों पर पहले ही शुरू की जा चुकी है। और निकट भविष्य में ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए 8 अन्य खण्डों का पता लगाया गया है। ई.एम.यू. सर्विसेज नई दिल्ली-गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड पर शुरू की जाएगी। इसका मुख्य कारण दैनिक यात्रियों का ध्यान रखने के लिए लम्बी दूरी और कम दूरी के यात्रियों को अलग करना है।

पहले प्रोटोटाइप में डी एम यू है जिसमें एक मोटर कोच और दो ट्रेलर कोचेज हैं जिन्हें आई सी एफ द्वारा निर्मित किया गया है। एक रेक में ऐसे तीन कंसिस्ट होंगे। इनका श्रृखंलाबृद्ध उत्पादन आवश्यक परीक्षण के बाद किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि मार्च, 1995 तक 6 बी. जी. रेकस और 2 एम. जी रेक्स का उत्पादन हो जाएगा।

आससोन-बर्दवान लाइन पर परीक्षण के लिए एक प्रोटो-टाइप मेन - लाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही चालू वर्ष में 120 एम ई एम यू. सवारी डिब्बों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

बी. ई. एम. एल., बंगलौर को 5 बी. जी. सवारी के रेल डिब्बों का आर्डर दिया गया है ओर प्रोटोटाइप के परीक्षण जिसके जल्दी होने की संभावना है, के बाद उत्पादन शुरू किया जाएगा। 5 एम. जी. रेल कारों के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रेल बसें चलाने के लिए पांच खण्डों की पहचान की गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं में तेजी लाए जाने का अनुरोध किया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे के लिए विद्युतीकरण एक मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे आठवीं योजना प्रस्तावों मे 1709 करोड़ रूपए के योजना परिव्यय से 3500 आर.के. एम. का विद्युतीकरण पूरा किये जाने का लक्ष्य था, योजना परिव्यय को 1350 करोड़ रूपए तक कम कर दिए जाने के कारण लक्ष्य को भी कम करके 2700 आर.के.एम. करना पड़ा था। इसमें से हमने 479 आर.के. एम. और 505 आर.के. एम. आठवीं योजना के दो वर्षों में पूरा कर दिया है। योजना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ-साथ वार्षिक लक्ष्यों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में एक या दो अन्य संगत घटकों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। पहला घटक यह है कि उन घटक कतिपय मार्गों का गेज परिवर्तन करना है जो उन खण्डों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाते हैं जिन्हें अन्यथा विद्युतीकरण के लिए लिया जाएगा। दूसरा घटक यह है

कि तत्काल संदर्भ में विद्युत इंजनों की आवश्यकता और उनके उत्पादन में अन्तर है, उनका उत्पादन कम है। इस स्थिति का अगले कुछ वर्षों में निराकरण हो जाने की उम्मीद है। और अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी रेलवे विद्युतीकरण पर निवेश करना फायदेमंद होगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रेलवे विद्युतीकरण में पर्याप्त प्रगति हुई है।

परियोजनाओं की मंजूर और परियोजनाओं का निष्पादन विभिन्न मार्गों और खण्डों की प्राथमिकतओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

दोहरी लाइन खण्डों पर वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युतीकरण किए गए खण्डों के लिए रेलवे विद्युतीकरण लागत पिछले दशक में लगभग 60 लाख रूपए प्रति मार्ग किलोमीटर तक बढ़ गई है। नवीन तकनीकी परिवतनों, युक्तिसंगत कार्यकरण, निष्पादन के लिए समय में कमी करना, निर्माण में किफायत, ऊपरि खर्चों में कमी करना इत्यादि के माध्यम से लागत को 50 लाख रूपए प्रति रूट किलोमीटर तक कम करने का प्रस्ताव है। आर.डी.एस.ओ. और सी.ओ.आर.ई. को दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए और कार्रवाई निर्धारित करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।

ऐसी आलोचना की गई है कि रेल विभाग इसका पूरी तरह से और विशेष क्षेत्रों में सामना करने क लिए योजना प्रस्ताव तैयार नहीं कर रहा है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रेल विभाग विकास की आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत है। मैं समझता हूं कि सभा इस बात को समझेगी कि एक ओर तो आप किराए और भाड़े में वृद्धि नहीं चाहते हैं और दूसरी ओर आप विकास कार्यो को जारी रखना चाहते हैं। एक बड़ी योजना का अर्थ यह नहीं है कि यह आवश्यक रूप से अति कारगर और उपयोगी योजना है। संसाधनों की कमी है और उनकी लागत अधिक है और उनका अधिकतम उपयोग किया जाना हे। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार की योजना गतिविधि में हमारा निवेश गतिविधि के उस क्षेत्र की आवश्यकता से एकदम सापेक्ष हो। रोलिंग स्टॉक खरीद का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने हाल के वर्षों में अधिकतम अनुपात में निवेश किया हैं अब हमने इसकी पुनः समीक्षा की है। आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में भाड़े से आय अनुमान से काफी कम रही है। इसमें भी कमी आई है औद्योगीकरण में वृद्धि और उद्योगों में वृद्धि निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है। मैं चाहता हूं कि संसद और माननीय संसद-सदस्य एक बात समझेंगे। रोलिंग स्टॉकस्, सवारी डिब्बों, वैगनों पर युक्तिकरण के बिना भारी निवेश किया गया हे। मैंने स्वयं देखा है चाहे पिछले वर्ष का बजट हो या इस वर्ष का बजट, सदस्यगण पूरी रात बैठे हैं। इस वर्ष के बजट पर भी चार बजे प्रातः तक चर्चा होती रही हैं यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि सदस्यों अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अपने क्षेत्रों में अपने राज्यों आदि के विकास में बहुत रूचि ली है। यदि आप इस नेटवर्क में निवेश करना चाहते हैं तो आप हर वर्ष इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : नेटवर्क के विस्तार के लिए आपको अधिक....

[अनुवाद]

श्री सी.के.जाफर शरीफ : जब आप, मंत्री बनोगे, तो आप भी यह महसूस करेंगे कि क्या अधिक

महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आवश्यकता पर आधारित निवेश किया जाए। बहुत से माल डिब्बे कोयला खानों, यार्ड, अथवा अन्य स्थानों पर बेकार ही खड़े हैं।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष जी को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री सी.के.जाफर शरीफ : आवश्यकता नेटवर्क के विस्तार के लिये धन की तलाश करने की है। आज इस देश के लोग हर क्षेत्र में विकास चाहते है। यदि हमे संसाधनों की तलाश करनी है तो आप अतिरिक्त संसाधनों की तलाश नहीं कर सकते, इन्हें हमें उपलब्ध संसाधनों में से ही खोजना होगा। अतः आज जोर इस बात पर है कि निवेश की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। निवेश कहां पर किया जाना चाहिए? 40 वर्षों के बाद भी हम रेलवे नेटवर्क का विस्तार नहीं कर पाये हैं मैं सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं कि हम अधिक निवेश नहीं कर पाये हैं। हमने केवल रेल डिब्बों का भण्डार ही जमा होने दिया है ताकि उन कुछेक उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाये जोकि इनका निर्माण करती है, इनके पूर्णतया निजी क्षेत्र में ही होने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। यह भी सच्चाई है कि कर्मचारियों की भी कतिपय समस्याएं हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मानिकी भट्टाचार्य(जादवपुर) : निवेश में कोई समन्वय नहीं है। समन्वय कहां है?

श्री सी.के.जाफर शरीफ : कृपया मेरी बात सुनें क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूं चूंकि मैं इस मंत्रालय में काम कर रहा हूं। औद्योगिक कर्मचारियों की कुछेक समस्याएं हैं इस पर भी मैं सहमत हूं और हम यथासंभव इनको हल करते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़े से खण्डों को लाभ से वंचित करने छोटे से खण्ड पर ध्यान देने के लिये धनराशि को उधर से इधर नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को देश के चतुर्दिक विकास पर, विशेषकर आर्थिक विकास के क्षेत्र में, ध्यान देना चाहिए।

कतिपय नवीनतम रखरखाव और प्रचालन तौर-तरीकों के पता चलने से हमें यह विश्वास है कि हम अपने रेल डिब्बों को और अधिक प्रयोग में ला सकेंगे जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और अधिक रेल डिब्बों की हमारी आवश्यकता कम हो सकेगी और इसलिए, मंत्रालय ने वास्तविकता आवश्यकता के आधार पर ही अतिरिक्त रेलडिब्बों की आवश्यकता का पता लगाने का कार्य शुरू किया है। मैं इस सभा को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिय रेल डिब्बों के लिये आवश्यक धनराशि संबंधी पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।

इसी तरह से यात्री यातायात विकास जिसके बारे में 5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था, पूरा नहीं हो पाया। योजना के प्रथम वर्ष में यह लक्ष्य 4.6 प्रतिशात रह गया और 1993-94 में भी विकास काफी धीमा रहा। 1994-95 के लिये हमने केवल 2 प्रतिशत विकास का अनुमान रखा है। अब रेल डिब्बों के उपयोग में सुधार पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

धनराशि जुटाने के लियं स्क्रेप को बेचने पर भी अब काफी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विगत वर्षों

में स्क्रेप को बेचने से मिलने वाली धनराशि में भी काफी सुधार हुआ है। 1990-91 में यह राशि 410 करोड़ रुपये थी, 1991-92 में 540 करोड़ रुपये, 1992-93 में 679 करोड़ हो गयी और 1993-94 में 843 करोड़ रुपये हो गयी। आप इसे समझ सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह मीटर आमान के रेल डिब्बों के कारण हुआ है।

श्री सी.के.जाफर शरीफ :यदि आप शांत रहे और समस्याएं पैदा न करें, तो इसमें और वृद्धि हो सकती है।

अधिकाधिक आमान परिवर्तन के कारण समय पर कर चुके मीटर आमान के सवारी डिब्बों को बदलने की आवशकता में अत्याधिक कमी हुई है और वास्तव में अब हम अतिरिक्त मीअर आमान सवारी डिब्बों का निर्यात करने की स्थिति में है। इसलिये हमने सवारी डिब्बों की खरीद की समीक्षा की है और गत वर्ष 2139 के अपेक्षाकृत इस वर्ष इसे 1400 तक लाया गया है।

मीटर आमान के रेल डिब्बों को बेचने के लिये निर्यात बाजार में प्रवेश करने के निर्णय के अनुपालन में एक नियग्रत विकास समिति रेल मंत्रालय में स्थापित की गई और निर्यात संबंधी सारी जानकारी तत्काल देने को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई थी। इसके व्यापक प्रचार के लिये भारतीय दूतावास को ब्यौरा भेजा गया है। निर्यात पर दिये जा रहे जोर के परिणामस्वरूप पांच रेल इंजन बांग्लादेश को पट्टे पर दिये जाने के बारे में बातचीत चल रही है, और अब यह बातचीत प्रगति में है। राइट्स (आर.आई.टी.ई.एस.) ने भी 10 नये वातानुकूलित और पांच नये साधारण शयन रेल डिब्बों के निर्यात के लिये वियतनाम रेलवे के साथ एक समझौता किया है।

बजट भाषण में, मैंने यह कहा था कि रेलवे संगठनात्मक और ढांचागत परिवर्तन लाने पर विचार किया जा रहा है। जिससे उत्पादकता बढ़ सके और एक ऐसा माहौल तैयार हो सके जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता सेवा और उपभोक्ता आराम को सर्वाधिक प्राथमिकता मिल सके। मुझे सभा को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक समिति ने इसके बारे में अपनी प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है और इसकी कुछेक सिफारिशों को पहले से ही स्वीकारा जा चुका हैं पहले जो निर्णय लिये गये हैं, उनके कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है।

मैंने आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में हो रहे कामकाज में प्रभावी निरीक्षण और पर्यवेक्षण की सुविधा के दृष्टिकोण विभिन्न जोनों और मंडलों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार की पुनः परिभाषा करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया था।

फील्ड वर्क के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। फरीदाबाद जोकि दिल्ली के साथ जुड़ा है, मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यदि यहां पर किसी काम की देखरेख की जाती है, तो जनरल मैनेजर को मुम्बई से यहां पर आना पड़ेगा। महाराष्ट्र के संसद सदस्यों को लेवल क्रासिंग दुर्घटना के बारे में पता ही है जिसमें पुणे में कई बच्चों की जान चली गयी थी।

यह डिविजनल रेलवे मैनेजर हुबली के क्षेत्राधिकार में आता है। जिस समय मैं अर्धरात्रि को 2.30 पर स्थल पर पहुंचा तो उस समय डिविजनल रेलवे मैनेजर 3.00 बजे हुबली से वहां पर आये थे। इस तरह की असंगतियां है।

जब हम नये जोन और नये मंडल के सृजन के बारे में विचार करते हैं, तो इन असंगतियों को दूर किया जाएगा।

मैंने आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में हो रहे कामकाज के प्रभावी निरीक्षण और पर्यवेक्षण की सुविधा के दृष्टिगत विभिन्न जोनों और मंडलों को भौगोलिक क्षेत्राधिकार की पुनः परिभाषा करने की आवश्यकता के बारे में कहा था।

गंगन सूचना को, जिसका कि रेल मंत्रालय में एक समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, एकत्रित करने का कार्य प्रगति में है। समिति से आशा की जा रही है कि वह अपने प्रतिवेदन को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान कर देगी और इसके लिये मैंने केवल तीन महीने का समय दिया है और नई इकाइयों की प्रचालन और वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

मैंने अपने भाषण में खानपान सेवाओं में सुधार किये जाने के लिये रेलवे खानपान निगम की स्थापना किये जाने के बारे में कहा था। निगम के लिये आधारभूत योजना तैयार कर ली गई है। राइट्स को एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है जिसके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। इसके बाद मामला अनुमोदनार्थ केबीनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यातयात की व्यवस्था के लिये टर्मिनलों का विकास किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। हमारा यह प्रयास है कि जहां पर चार अथवा इससे अधिक माल गाड़ियां प्रतिमाह चलती है, उन स्टेशनों पर मालगाड़ी हैण्डलिंग टर्मिनल की व्यवस्था की जाये। वर्तमान समय में बहुत से स्थानों नामतः जयपरु, जबलपुर, बिहार शरीफ, कानपुर, बरेली आदि पर माल टर्मिनलों की व्यवस्था किये जाने की योजना है। रेलवे जोनों से विशेषरूप से यह कहा गया है कि वर्ष 1995-96 के बजट में शामिल किया जाने के लिये और अधिक माल टर्मिनलों की व्यवस्था किये जाने संबंधी प्रस्तावों का सुझाव देंवे।

अभी नई दिल्ली और मुम्बई वी.टी. रेलवे स्टेशनों पर पार्सल टर्मिनल प्रदान किये जाने की योजना हे। इसके साथ साथ इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री टर्मिनल सुविधाओं को नया रूप देने और उनमें विस्तार किये जाने की भी योजना है।

भारतीय रेलवे के पास माल यातायात बढ़ जाने के कारण, ''फ्रेट आप्रेशनस इन्फोरमेशन सिस्टम'' को लागू किया जा रहा है। फ्रेट आप्रेशन इन्फोरमेशन सिस्टम रेलवे में लागू किया जा रहा है जिसकी शुरूआत उत्तर रेलवे से की गई है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से रेल डिब्बों का हर समय आवागमन में उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा। यह केन्द्र और जोनल स्तरों पर कम्प्यूटर सहित दो टियर प्रणाली बन जाएगी। केन्द्र प्रणाली रेल डिब्बों के आवागमन को सुनिश्चित करेगी जबकि जोनल प्रणाली यार्ड प्रबन्धन, स्थानीय क्षेत्र प्रबन्धन, कर्मीदल इन्धन आदि की व्यवस्था करेगी।

जहां तक रेल यात्री बीमा योजना का संबंध है, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के हमारे वायदे के अनुपालन में मैंने इस सभा के समक्ष पहले ही घोषण की थी कि यात्रियों को, जिसमें पास धारक भी शामिल हैं, यात्रा अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों, क्रूर आक्रमण, डकैती, बम फटने आदि का शिकार हो जाने की अवस्था में बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

[अनुवाद]

मंत्रालय ने इस संबंध में सभी प्रबंध कर लिए हैं।

मृत्यु तथा घायल होने की स्थिति में मुआवजा देने के उद्देश्य से रेलवे दुर्घटनाओं के साथ-साथ उपरोक्त दुर्घटनाओं को भी सम्मिलित करने के लिए यह सम्मानित सभा पहले ही रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित कर चुकी है, जिसके माध्यम से रेलवे अधिनियम, 1989 से संबंधित उपबंधों तथा रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 में भी संशोधन किया जाएगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में दो लाख रुपये तथा घायल होने की स्थिति में, स्थिति की गंभीरता के आधार पर 1,80,000 रुपये से 16,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावित बीमा व्यवस्था से जनसाधारण को तथा उसके आश्रितों को विपत्ति के समय में आवश्यक राहत तथा ऐसी दुःखद घटनाओं के पीड़ितों की मुसीबतों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। **(व्यवधान)**

विपक्ष तथा कांग्रेस के संसद सदस्यों की मांग के अनुसार पश्चिम बंगाल की भावनाओं को स्वीकार करते हुए मुझे इकलाखी बलूरधार पर पुनः कार्य शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है इस कार्य के लिए वर्ष 1994-95 में 1 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आपने हावड़ा-आमटा लाइन का उल्लेख नहीं किया। **(व्यवधान)***

सभापति महोदय : व्यवधान में कहीं गई बातों को कार्यवाही वृंतात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। हस्तक्षेप न करें।

(व्यवधान)

श्री सी.के.जाफर शरीफ : अगर माननीय सदस्य अपने स्थान ग्रहण करें, तो हम चर्चा कर सकते हैं। महोदय, अगर वे अपने स्थान ग्रहण करें तो मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं, अन्यथा कोई लाभ ही क्या है? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया ।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : महोदय, विभिन्न परियाजनाओं के लिए बहुत सी मांगें हैं। हमारी माननीय सदस्या श्रीमती क्षीरसागर हावड़ा-आमटा लाइन की मांग की तरह ही अहमद नगर-बीड़पुर लाइन के बारे में कह रही हैं। इसा प्रकार की बहुत सी मौंगे हैं। एक दिन योजना आयोग के साथ मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम संसद का सत्र पूरा हो जाने के पश्चात् इस पर चर्चा करेंगे। प्रधान मंत्री की भी इसमें सहानुभूति है। मेरे विचार से अगर इसके लिए मुझे कुछ और परिव्यय मिल जाये तो हम कुछ और परियोजनाओं की व्यवस्था कर सकेंगे। **(व्यवधान)** *

सभापति महोदय : व्यवधान कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी.के.जाफर शरीफ : आंध्र-प्रदेश में एक लाइन है जिसे सी.के. लाइन के नाम से जाना जाता है। मैं योजना आयोग से इसकी भी चर्चा कर रहा हूं। **(व्यवधान)** माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं। **(व्यवधान)** मैने कुछ भी नहीं छोड़ा है। **(व्यवधान)** जो कुछ भी हम कर सकते थे, हमने किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय खड़े हैं। कृपया बैठ जाइये। आपको सभा के नियम अवश्य पढ़ने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : जैसा कि बहुत सी मांगों में स्पष्ट भी किया गया है। **(व्यवधान)**

श्री प्रताप सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। व्यवस्था-संबंधी कोई प्रश्न नहीं है, वह विधि से बाहर कुछ नहीं कह रहे हैं

(व्यवधान)

श्री सी.के.जाफर शरीफ : बिहार, केरल तथा पश्चिम बंगाल के सदस्यों की मांग है। **(व्यवधान)** हमने निष्पक्षतापूर्वक न्यूनाधिक सारे देश को सम्मिलित किया है। **(व्यवधान)** अब मैं सभा से वर्ष 1994-95 के प्राक्कलनों, विनियोजन विधेयकों तथा बीमा विधेयक रेलवे बीमा-विधेयक भी पारित करने का अनुरोध करूंगा।

सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, और मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने बहुत योगदान किया है। हम उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भविष्य में उनका दिशा निर्देश चाहेंगे।

अब, मैं सभा से उन्हें पारित करने का अनुरोध करूंगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया ।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : महोदय मुझे अपने सहयोगी श्री संतोष मोहन देव जोगी गोप्पा से सिलचर तक रेलवे लाइन के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। हम इस पर नये सिरे से विचार करना चाहते हैं। **(व्यवधान)** उन्होंने लंकाड से सिलचर तक एक सर्वेक्षण कराये जाने की सलाह दी है। हम जोगी गप्पा से सिलचर तक के सर्वेक्षण पर नये सिरे से विचार करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन वह त्रिपुरा से रेलवे लाइन की मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : उसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: हम कुछ स्पस्ष्टीकरण चाहते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। **(व्यवधान)** कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : अगर आप मुझे यह सभा चलाने की अनुमति दें तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका यह विचार हो कि आप स्वयं ही सभा को चला रहे हैं, तो आप गलतफहमी में हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने मुझे अनुमति दी है।

सभापति महोदय : जी नहीं, जी नहीं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया ।

सभापति महोदय : अपने स्थान पर जाइये। आप इस प्रकार सभा को परेशान नहीं कर सकते। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवधान में कही गई बातें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएंगी।

(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप जो कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

सभापति महोदय : मेरी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल की जायेगी। मैं सभा को चला रहा हूं। आप सभा को नहीं चला रहे हैं। अब, कृपया नीचे बैठ जाइये।

श्री प्रताप सिंह : महोदय, आपने मंत्री महोदय को केवल पीठासीन अधिकारी को ही संबोधित करने का निर्देश दिया था। अगर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं और अगर पीठासीन अधिकारी मंत्री महोदय का ध्यान अपनी तरफ ही करना चाहते हैं तो फिर हमारी शिकायतों का निवारण किया प्रकार होगा और हम मंत्री महोदय से किस प्रकार निवेदन करें?

सभापति महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप सभी एक ही समय इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप मुझे सभा को चलाने की अनुमति देते हैं तो मैं पार्टी के प्रत्येक सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया कुछ ढील दें।

सभापति महोदय : एक अनुशासित पार्टी के रूप में इन सब बातों पर संसदीय दल में चर्चा होनी चाहिये। निश्चित रूप से आप किस बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं आपमें से कुछ सदस्यों को ही बुलाऊंगा। अगर आपमें से से प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट ले तो मैं प्रत्येक दल से एक सदस्य को अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : सभापति जी, व्यवस्था का सवाल यह है कि अभी रेल मंत्री जी ने कहा कि यह जो रेलवे की अनुदान मांग है, इसके साथ ही रेलवे इंश्योरेंस बिल पास किया जाए। यह बिल तो टेबल पर आया ही नहीं और इस पर चर्चा कब हुई ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी.के.जाफर शरीफ : इसे दो तीन दिन पहले ही पेश किया जा चुका है। जहां तक चर्चा का संबंध है, आज सुबह मैंने कहा है कि इस पर चर्चा की जायेगी।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया ।

श्री जसवन्त सिंह(चित्तोड़गढ़) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। **(व्यवधान)**

श्री सी.के.जाफर शरीफ : आप शायद वहां नहीं थे। लेकिन यह बात कार्यवाही वृत्तांत में है। यह कार्यवाही वृत्तांत में है और कुछ सदस्य इस पर पहले ही अपने विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं।

श्री जसवंत सिंह : मेरे सहयोगी ने एक बहुत सी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह अटकलबाजी का मामला नहीं है। यह सच बात है। उनके व्यवस्था के प्रश्न उठाने से पहले मैंने उनसे अधिकारियों से इस बात की जांच कराने के लिए कहा कि क्या इस विधेयक को चर्चा हेतु सभा में रखा है और क्या इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। विधेयक पर विचार नहीं किया गया। यदि विधेयक पर विचार नहीं किया गया है तो सरकार अथवा मंत्री कैसे प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित कर दिया जाए? यही मुद्दा है। यही सच बात है। यह अटकलबाजी अथवा बहस का मामला नहीं है।

सभापति महोदय : क्या यह संकल्प है?

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह :मेरा कहना है कि जिस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है आप उसके लिए कार्योत्तर स्वीकृति नहीं दे सकते हैं अब रेल बीमा विधेयक पर विचार किये जाने की मांग की गई है।

सभापति महोदय: हम संकल्प पारित करने वाल हैं यह सबसे पहला विषय है उसके बाद हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे और विनियोग विधेयक को लेंगे।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, अभी माननीय रेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर देने के बाद कहा है कि वह प्रस्ताव करेंगे कि रेल बीमा विधेयक पारित किया जाए।

श्री पवनकुमार बंसल : उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया। आप देख सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: मैं देख नहीं रहा हूं सिर्फ सुन रहा हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : वह जिस बात की जानकारी देना चाहते हैं मैं वह जानकारी हासिल कर सकता हूँ।

श्री जसवंत सिंह : मैं रेल विनियोग विधेयक की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : हम अभी उस विषय पर नहीं आये हैं।

श्री जसवंत सिंह : लेकिन मंत्री महोदय ने उस विषय को लिया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मंत्री महोदय ने उस विषय पर बात की है। मंत्री महोदय अब भी दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि विधेयक पर विचार किया गया हे। अब भी वह इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।

सभापति महोदय : हम उस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, कृपया कार्य-सूची देंखे। मंत्री महोदय और सरकार इस बात को दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री सी.के.जाफर शरीफ : क्या मैं स्थिति स्पष्ट करूं ? महोदय शुक्रवार को मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैंने अपने साथी श्री मल्लिकार्जुन जी से निवेदन किया था कि मेरी अनुपस्थिति में विधेयक पुरःस्थापित कर दें। कार्य मंत्रणा समिति में इस बात की सहमति थी कि विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाएगा। अतः विधेयक पारित किया गया। यह स्थिति है। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : मेरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभापति महोदय ऐसे मुद्दों पर सिर्फ मुस्करा कर नहीं रह सकते। यह आज के आदेश पत्र में अधिसूचित है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या आपने अपना महत्वपूर्ण मुद्दा अध्यक्ष महोदय के समक्ष उठाया है।?

श्री जसवंत सिंह : यह मेरे मुद्दे को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का प्रश्न नहीं है। यह विशेष मुद्दा आज की कार्य सूची में अधिसूचित है। **(व्यवधान)**

सभापित महोदय क्या आप इस विषय पर मुझसे बातचीत करना चाहेंगे अथवा क्या आप मुझे जो कुछ चाहूं कहने की अनुमति देंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वह अध्यक्षपीठ के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : जी, हां। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभा की सारी व्यवस्था मार्गच्युत हो गई है। यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है कि विधेयक बिना चर्चा के पारित की गई है। यदि ऐसो बात है तो यह कार्य सूची में कैसे अधिसूचित है? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित नहीं किया गया। मैं शुक्रवार को इस विधेयक पर बोला था और उस विधेयक को पारित किया गया था। केवल मैं ही शुक्रवार को उस विधेयक पर बोला हूँ। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता। क्योंकि आप अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : यह रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों संबंधी प्रस्ताव है न कि रेल बीमा विधेयक संबंधी।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि विधेयक पारित किया जाए। आदेश

पत्र में ऐसा नहीं है। दुर्भाग्यवश जब मंत्री उपस्थित नहीं थे तब इस सभा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था और विभाग ने मंत्री महोदय को इस बारे में समुचित जानकारी नहीं दी। मंत्री महोदय पुनः इस सभा से निवेदन कर रहे हैं कि विधेयक पारित करें। सभा इस विधेयक को कैसे पारित कर सकती है?

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 पर चर्चा कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, लगता है कि बहुत ही असमंजस की बात है। अतः आधे घन्टे के लिए सभा स्थगित कर दी जाए और उसके बाद कार्यवाही जारी रख सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं सादर कहूंगा कि हम मद सं. 19 के बाद के मद पर चर्चा कर रहे हैं। यही बात मेरे मन में थी जब श्री जसवंत सिंह जी बोल रहे थे।

श्री श्रीकान्त जेना : इसमें असमंजस की कोई बात ही नहीं है। लेकिन असमंजस की बात केवल मंत्री महोदय की ओर से है क्योंकि उन्होंने सभा से निवेदन किया कि जब विधेयक सभा के विचाराधीन ही नहीं है तब विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका हे। आप मंत्री महोदय से क्षमा मांगने के लिए कहिए कि उन्होंने सभा से विधेयक पारित करने का अनुरोध क्यों किया जबकि विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है।

सभापति महोदयः अब हम मद सं. 19 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आरम्भ से ही यह कह रहा हूँ कि हम मद सं. 19 पर चर्चा कर रहे हैं। अब हमारी यही कोशिश है कि सदस्यों के हस्तक्षेपों से निपटने के लिए सर्वोत्तम रास्ता ढूंढ निकालें। मैंने कहा है कि हर दल को दो मिनट का समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां तक रेल लाइनों का संबंध है, हम अपनी अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री सी.के.जाफर शरीफ द्वारा 26 अप्रैल को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प सभा के मतदान के लिए रखूंगाः-

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा अन्य सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषांगिक मामलों का पुर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के पांचवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1994 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 27,28,29,30,31 और 34 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं, श्रीमान! हम कटौती-प्रस्ताव रख ना चाहते हैं।

5.50 म.प.

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

सभापति महोदयः आप अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

(व्यवधान)

6.00 म.प.

सभापति महोदय : यदि आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं भी आपको सहयोग दूंगा। केवल यही संकल्प है।

(व्यवधान)

सभापति महोदयः उसके बाद कटौती प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा प्वायंट आफ इन्फारमेशन यह है कि संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है कि आसन ने संसद की मर्यादा घटाने का काम किया है। आपने जिस ढंग से संकल्प रखा है, वह तरीका कभी अपनाया नहीं गया है। सभापति महोदय, हम लोगों को नियमतः आसन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए.....।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः संकल्प पारित हो चुका है। अब कटौती प्रस्ताव रखे जाने से पूर्व कई सदस्य कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : वास्तव में, ज्यादा सदस्य स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री ये इस बारे में निवेदन किया और उन्होंने कहा है कि चर्चा के बाद अध्यक्षपीठ द्वारा सदस्यों को अनुमति दी जानी चाहिए और आपसे यह निवेदन था कि कुछ सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन हर दल से नहीं। कई सदस्य स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं। इसलिए किसी प्रकार की रोक मत लगाइए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या सभा का यह विचार है कि उन सभी स्पष्टीकरण चाहने वाले सदस्यों को अनुमति दी जाए?

अनेक माननीय सदस्यगण : जी, नहीं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अब मेरा निवेदन है कि संकल्प पारित किया जा चुका है। अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जानी है। कि अभी तक उन पर चर्चा नहीं हुई। अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के बाद कटौती प्रस्तावों पर विचार किया जाए। आप अनुदानों की मांगों पर चर्चा करें, इससे पहले ही मैंने आपको उन सदस्यों की सूची सौंपी है जो दो-दो मिनट के लिए स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं। उन सदस्यों ने मुझे ऐसा ही बताया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केवल उन सदस्यों को ही अनुमति दें जिनके नाम मैंने आपको दिए हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इसका अधिकार आपको किसने दिया है?**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। कृपया पहले आप गेरी बात सुनिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं। आपको याद होगा जब आप रेल मंत्री को चर्चा का उत्तर देने की अनुमति देने वाले थे तब कुछ सदस्य खड़े हो गये थे और कहने लगे कि वे बोलना चाहते हैं। मैं अध्यक्षपीठ के पास गया और उसके बाद उन सदस्यों की सूची तैयार की। मैं सभा की दूसरी ओर गया और यह पता लगाया कि कौन कौंन सदस्य बोलना चाहते हैं और केवल वहीं पर बैठे सदस्य ही नहीं अपितु सभा में विभिन्न स्थानों पर बैठे सदस्य भी मेरे पास आये। उनमें कुछ सदस्य भाजपा के थे और कुछ अन्य दलों के थे और मुझे जो भी नाम दिये गये, मैंने उन नामों की सूची आप को दे दी। उस समय जो सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे, उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : मुझे स्पष्टीकरण मांगबे का अधिकार है। **(व्यवधान)** यह आपके विवेक की बात है। कृपया स्पष्टीकरण को एक या दो मिनट तक सीमित रखें ताकि मंत्री जी उस मामले को संभाल सकें और सभा आगे अन्य कार्य कर सके। हमने पहले ही निर्धारित समय से अधिक काफी का समय ले लिया है। अतः यह आपके विवेक पर निर्भर है, चूंकि आप सभा को नियंत्रण कर रहे हैं और यदि आप यह समझते हैं कि आपके पास समय है और आप कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकते हैं तो यह आपके विवेक की बात है। कृपया वैसा ही कीजिए। लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि ज्यादा सदस्यों को बोलने की अनुमति मत दीजिए और ज्यादा समय मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से जब से मैं आया हूं हमेशा कटिहार-जोगबनी के विषय में आग्रह करता आया हूं। जो विचार इन्होंने अभी सदन में सभी सदस्यों का विचार सुनकर रखे उनमें बिहार के साथ सही मायने में घोर उपेक्षा की गई है। बिहार जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, हमने कहा था और माननीय रेल मंत्री जी के निवास पर जाकर भी हमने धरना दिया था कि कटिहार-जोगबनी बहुत महत्वपूर्ण छोटी लाइन है जिसको बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के विषय में रेल मंत्री जी से कहा था पर 1989 से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अररिया कोच स्टेशन से रानीगंज, त्रिवेणीगंज, पिपरा होते हुए सुपौल तक के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ललितग्राम, छातापुर, जतिया होते हुए सहरसा तक

के विषय में भी आपने कुछ नहीं कहा जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैंने आपसे कई बार आग्रह किया और आपने उसके विषय में एक शब्द नहीं कहा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में आज हमें सदन में बताएं कि क्या वहां काम शुरू होने वाला है?

प्रो. रासा सिंह रावत(अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अजमेर रेलवे नगर के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान की हृदय स्थली है। इसलिए अहमदाबाद, अजमेर, दिल्ली ब्रॉड गेज का काम चलते समय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें ताकि जनता को कम से कम तकलीफ हो। साथ ही अजमेर खण्डवा लाइन, अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर लाइन, बांदीकुई आगरा फोर्ट और फुलेरा रींगस-रेवाड़ी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कष्ट करें। मान्यवर, अजमेर-नसीराबाद शटल को विजयनगर तक किया जाए। विजयनगर और गुलाबपुरा के पास आगूचा नाम का स्थान है जहां पर जस्ता और चांदी की खाने हैं और हजारों श्रमिक वहां पर काम करते हैं। इनको आने जाने की सहूलियत हो जाएगी। आपने नयी गाड़ी अजमेर से मारवाड जंक्शन तक चलायी थी, वह तीन महीने बाद बंद कर दी थी, उसको पुनः चालू किया जाए। मान्यवर, राजनैतिक दवाब में आकर लोको और कैरिज कारखानों के काम को अजमेर से कहीं और न ले जाया जाए। अजमेर की आर्थिक व्यवस्था लोको और कैरिज कारखानों पर निर्भर है। मान्यवर, वहां पुष्कर नाम का पवित्र स्थान है, दरगाह ख्वाजा का पवित्र स्थान है जहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं जिससे अजमेर आपको कमाकर देता है। इसलिए अजमेर के रेलवे के महत्व को बनाए रखा जाए यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं। मान्यवर, अजमेर के कारखानों में करोड़ों रुपये का स्क्रैप पड़ा हुआ है जो जंग खा रहा है और उस पर घास उगी हुई है। उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। आधा अजमेर रेलवे की जमीन है जिस पर अधिक्रमण हो रहा है और वहां पर जो रेलवे कलोनियां हैं, रेलवे हॉस्पिटल हैं, रेलवे स्कूल है, रेलवे प्रिटिंग प्रैस है वहां पर जो व्यवस्था है उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपने किराया तो बढ़ा दिया लेकिन यात्रियों को जो सुविधा देनी चाहिए वह नहीं मिल पायी है। उसकी तरफ आप ध्यान दें। आपने राजस्थान की उपेक्षा को दूर किया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मुझे केवल एक बात कहनी है। मेरा कहना है कि पिछले वर्ष उड़ीसा के लिए जो धनराशि आबंटित की गई थी - हालांकि अधिक धनराशि आबंटित नहीं की है - उसे एक से दूसरी लाइन और एक से दूसरे निर्माण में लगा दिया गया है। वह धनराशि भी खर्च नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो धनराशि आबंटित की गई थी, उसे भी खर्च क्यों नहीं किया गया। उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए और उपचारात्मक उपाय अवश्य किये जाने चाहिए। अन्यथा, इस वर्ष भी, जो भी धनराशि आबंटित की गई है, उसे अन्य योजनाओं पर खर्च कर दिया जायेगा और उड़ीसा में कोई विकास कार्य नहीं हो सकेगा।

यह केवल नई लाइनों के लिए ही नहीं है। छोटे रेलवे स्टेशनों के सुधार के मामले में भी धनराशि नहीं खर्च की गई। कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों के निर्माण के संबंध में भी यही बात हुई है। हर वर्ष यही हो रहा है। यद्यपि

उड़ीसा में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय स्थित है परन्तु वह भी काम नहीं करता। कुछ भी नहीं होता है। मैं केवल यही बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे चर्चा का उत्तर देते समय इन सवालों का जवाब भी देंगे। रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया था। कि बिहार को 178 करोड़ रुपये दिये गये हैं लेकिन जो नई ब्रॉडगेज लाइनें ली गयी हैं, जिनका कम्पीलीशन इस साल होना था, उसमें मुजफ्फरपुर रक्सौल को ही सिर्फ रखा गया है। हम लोगों ने पहले भी मांग की थी मुजफ्फरपुर दरभंगा रेलवे लाईन के काम को इस साल अवश्य पूरा करा दिया जाये, उसके लिये कुछ पैसा देने का काम तो हुआ है परन्तु वह लाइन इस साल मुकम्मल नहीं हो पायेगी। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी उस रेल लाइन को इसी साल पूरा करने संबंधी एनाउंसमेंट इस सदन में आज करें।

दूसरे पटना में गंगा ब्रिज के संबंध में रेल मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी के बीच बातचीत हो चुकी है परन्तु उसका कोई जिक्र बजट भाषण में नहीं आया है। इसी के साथ पटना को रेलवे का जोनल ऑफिस बनाने के मामला में भी बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं आया है।

पटना में चिरैंया टांडपुल को चौड़ा करने का मामला भी रेल मंत्री जी के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा था लेकिन उसका कोई भी जिक्र रेल बजट भाषण में नहीं आया है।

इसके अलावा आपने कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिये श्रीनगर तक बड़ी रेल लाईन ले जाने के लिये बजट में प्रावधान किया है लेकिन इस मद में बहुत कम पैसा रखा गया है। मेरी मांग है कि कुछ अधिक पैसे का प्रावधान करके जल्दी इस प्रोजैक्ट को एक्सपेडाइट कराया जाये।

इसके साथ ही, जैसे दूसरे विभागों को बाहर से सामान लाने के लिये फौरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, वैसे ही रेल मंत्रालय को भी फौरेल एक्सचेंज की काफी जरूरत है।'भारत के लगभग 2 मिलियन लोग आज गल्फ कंट्रीज में एन.आर.आई. के रूप में रहते हैं। वहां से भारत में आकर वे डिफरेंट स्थानों को जाते हैं परन्तु उनको रेलवे का टिकट खरीदने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि गल्फ में रहने वाले 20 लाख एन.आर.आईज. के लिये गल्फ में ही टिकट जारी करने की व्यवस्था रेल विभाग को करनी चाहिये ताकि वहीं से उन्हें रेलवे का रिजर्वेशन मिल सके। यह ऐसा काम है जिससे रेल विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ साथ लोगों को सहूलियत भी हो जायेगी।

दुनिया में अनेकों एन.आर.आई. कम्पनियां हैं, जो हिन्दुस्तानी हैं। वे चाहती हैं कि यहां गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के काम को कम्प्यूटराईज कर दिया जाये जिससे न केवल हिन्दुस्तान की कम्पनियों को बल्कि बाहर की कम्पनियों को भी काफी सुविधा हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि गुड्स के कम्प्यूटराइजेशन की तरफ भी मंत्री जी को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

आखिरी सवाल मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने हम लोगों से पर्सनली वायदा किया था कि पटना के लिये कोई सुपरफास्ट ट्रेन दी जायेगी। आज कोई सुपरफास्ट ट्रेन पटना से चलने वाली नहीं है। मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि एक शताब्दी या राजधानी जैसी ट्रेन बिहार की कैपिटल पटना को देने की वे आज ही घोषणा करें क्योंकि यह बहुत अहम सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी चर्चा का उत्तर देने समय मेरे प्रश्नों के जवाब भी देंगे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, वैसे तो मध्य प्रदेश और खासकर दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश जो कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बैल्ट है, वहां पर रेलवे लाइन के लिए हमने बार-बार अनुरोध किया, लेकिन वहां के लिए रेल लाइन नहीं दी गई है। इसके कारण एवं अन्य कई कारणों से वह पिछड़ा रह गया है। इसलिए सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है कि सरगुजा जो इस इलाके का आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रेलवे लाइन पहुंची ही नहीं है। जब वहां रेलवे लाइन पहंची ही नहीं है, तो उसका विकाम कैसे होगा? इसी प्रकार के विश्रामपुर को अंबिकापुर से जोड़ने के लिए सिर्फ 30 किलो मीटर की दूरी है, जिसको जोड़ना आवश्यक है। वहां पर लोहे की खदानें हैं।

सभापति महोदय मेरी दूसरी बात यह है कि अभी तक जो बस्तर है वहां बेलाडीला में अनेक खदानें हैं। वहां पर दल्ली से राजगिरा और बैलाडीला तक रेलवे लाइन बनकर आयरन ओर पहुंचाने की योजना बनाई जिसे सेल (स्टील ऑथेरिटी आफ इंडिया) और रेलवे दोनों मिलकर बनाने वाले हैं, लेकिन उसकी घोषण अभी तक नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उसकी घोषण तुरन्त करनी चाहिए।

मेरा तीसरा निवेदन है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर कोई भी फास्ट ट्रेन नहीं है। केवल एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस है, जो लगभग 36 घन्टे में पहुंचती है जबकि यदि कोई सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए, तो यह दूरी 20-22 घन्टे में पूरी हो सकती है। रायगढ़ से निजामुद्दीन के लिए जो ट्रेन चलती है वह 26 घन्टे में निजामुद्दीन पहुंचती है, तो वहां के लिए भी कोई इसी प्रकार की सुपरफास्ट ट्रेन चलानी चाहिए जो 20-22 घन्टे में छत्तीसगढ़ पहुंच सके।

अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो मैंने ये तीन बातें बताई हैं सरगुजा, बैलडोला और छत्तीसगढ़ की इन पर तुरन्त कार्रवाही मंत्री महोदय करें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महायेदय, महाराष्ट्र में जो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और कोंकण रेलवे में जो रिक्रूटमेंट होती है और जो स्टाल्स दिए जाते हैं उनमें स्थानीय मराठी लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदनय है कि इन्हें इन चीजों में प्रायर्टी दिया जाना जरूरी है।

हमारे मुम्बई में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जिसके बार में वहां के मैनेजर ने लिखा है :

[अनुवाद]

''मुम्बई में प्लेटफार्म पर पैदन ऊपरिपुल की व्यवस्था, जिसे धनराशि उपलब्ध होने पर भविष्य में निर्माण कार्य में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जायेगा।''

[हिन्दी]

वहां पर हर 3-4 महीने में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए वहां पर एक अंडर ब्रिज कोलीवाड़ा तक होना चाहिए।

जैसा अभी हमारे सहयोगी मित्री अन्ना जोशी जी ने भी कहा है कि लेडीज स्पेशल ट्रेन में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 49 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और 70 घायल हुई थी। रेलों का मेंटीनेंस ठीक नहीं होता है इसके कारण यह एक्सीडेंट हुआ था। मंत्री जी ने मुझे इस बारे में खुद लिख कर बताया है। जो जवाब मंत्री जी ने दिया है, वह इस प्रकार है : ''उपनगरीय लाइनों सहित, जो अपनी 25 पच्चीस वर्ष की सामान्य अवधि से भी अधिक समय से काम कर रही हैं, पश्चिमी रेलवे पर 68 ई.एम.यू. डिब्बे और मध्य रेलवे पर 88 ई.एम.यू. डिब्बे हैं।''

[हिन्दी]

यानि 25 वर्ष के बाद भी आप रेल चला रहे हैं। यानी अभी तक यात्री अपनी गर्दन रेल की पटरी पर रखकर रेल में सफर कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि जो मृत्यु हुई हैं उनके लिए आपभी जिम्मेदार हैं क्योंकि आउट डेटेड ट्रेन्स के चलने के कारण ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मैं 56 लाख उपनगरीय रेल यात्रियों की ओर से माग करता हूं कि इसके लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, ताराकेश्वर से आरामबाग तक रेलवे लाइन के विस्तार की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है तथा इसका संबंध पूर्व रेलवे के हावड़ा प्रमंडल से है। तारकेश्वर तथा आरामबाग के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। आरामबाग एक ऐतिहासिक स्थान है। हमारे देश के अनेक महान् सपूतों का संबंध इस क्षेत्र से है। शायद मंत्री जी को मालूम ही होगा कि भारत के महान् सपूत रामकृष्ण देव, राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर उसी क्षेत्र से संबंध रखते थे। साथ ही यह क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। दुर्भाग्य से, इस अनुमंडल में एक किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन भी नहीं है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं।

श्री अनिल बसु : जी हां, हमारे देश के सभी महान् सपूतों का उस क्षेत्र से संबंध रहा है। अतः, मैं रेलवे लाइन को तारकेश्वर से आरामबाग तक बढ़ाने के लिए रेल मंत्री महोदय से तत्काल कुछ कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। वर्ष 1987 में रेल मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया था, लेकिन वह सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया था। रेलवे बोर्ड ने उस सर्वेक्षण को बन्द करने के आदेश दिये और वह सर्वेक्षण वर्ष 1987 में बंद कर दिया गया।। अतः, मैं रेल मंत्री महोदय से सर्वेक्षण कार्य शुरू करवाने तथा जिस आदेश द्वारा सर्वेक्षण बन्द किया गया था उसे वापिस लेने तथा रेलवे लाइन का आर्थिक औचित्य देखने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

अगली हावड़ा-आमटा-चंपाडांगा रेलवे लाइन है। वर्ष 1972 में श्रीमती इंदिरागांधी ने इसका उद्‌घाटन किया था। इस पर कार्य छोटे चरण में शुरू किया गया है और शेष कार्य अनेक वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष एक करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया था और बाद में उस धनराशि को किसी और क्षेत्र के लिए दे दिया गया। यह भी एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि इस परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। दुर्भाग्य से, बीस वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मैं रेल मंत्री जी से इस परियोजना को भी शुरू करवाने तथा इस वर्ष के बजट से इस परियोजना के लिए कुछ धनराशि देने का अनुरोध करता हूं ताकि परियोजना का कार्य इस वर्ष शुरू किया जा सके।

बांकुरा-दामोदर रेलवे लाइन के संबंध में प्रबंधन को अधिकार में ले लिया गया है, लेकिन रेल मंत्री जी ने लाइन का कार्य अभी तक शुरू नहीं करवाया है। मैं रेल मंत्री महोदय से इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मंत्री से इन बातों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि रेलवे को बड़े लाभदायक ढंग से चलाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं और मंत्री जी से स्वीकारात्मक उत्तर चाहता हूँ। बिहार के संबंध में मंत्री जी ने अभी कहा कि बिहार के काफी लोग चिन्ता कर रहे थे इसलिए हम कुछ कर रहे हैं लेकिन कहावत है - ढाके के तीन पात। मगध गाड़ी को थोड़ा फास्ट करने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी जैसे का तैसे है। मैं बिहार के उत्तरी क्षेत्र नेपाल सीमावर्ती सीतामढ़ी से आता हू। समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी रेल लाइन का निर्माण होने वाला है और मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक निर्माण होने वाला है। बगाह-छितौनी पुल बनने वाला है। बीच में दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल बडी रेल लाइन का आश्वासन काफी समय से है।, काफी मांग करते रहे हैं। सीतामढ़ी जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली होने के कारण राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि मंत्री जी बताएं, दरभंगा-सीतामढ़ी रक्सौल की बड़ी रेल लाइन बनाने का कार्य कब होगा।

दो बार सर्वेक्षण हो चुका है। हमने कई बार सवाल किया और मंत्री जी को पत्र भी लिख तो आलेख में उन्होंने पुनरीक्षण करवाकर सर्वेक्षण भी करवाया। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी 7 किलोमीटर की दूरी के पिछड़ा क्षेत्र की नई रेल लाइन का जहां तक सवाल है, हम चाहेंगे कि इस बारे में मंत्री जी आज ही हमें आश्वस्त करें।

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, बिहार का रांची, छोटा नागपुर, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और जिसे हम वनांचल झारखंड कहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। वहां के सांसद कई बार मंत्री जी से मिले हैं रांची बिहार की द्वितीय राजधानी है। वहां से कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। लोगों को वहां से दिल्ली आने में 30-35 घन्टे लगते हैं। हमने समय परिवर्तन की मांग की थी और एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की मांग की थी। लेकिन कुछ नहीं हो पाया है।

मैं चाहूंगा कि रांची को हर जगह से जोड़ने का काम मंत्री जी करवाएं और पुरषोत्तम एक्सप्रैस में रांची से बोगी जोड़ने की व्यवस्था की जाए।

यह पहले भी मांग की गई है कि रांची-हावड़ा ट्रेन में ए.सी. फस्ट क्लास के जो डिब्बे पहले जैसे रहते थे, उन्हें वैसे ही रखा जाये। अभी वह तीन दिन के लिये ही रहते हैं। हटिया-अमृतसर एक्सप्रैस जो कि रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची जाती है, उसमें ए.सी. फस्ट क्लास की बोगी नहीं है। हमारी मांग है कि वहां ए. सी. फस्ट क्लास की बोगी दी जाये चूंकि 30-35 घन्टे की जर्नी है। रांची-लोहरदगा लाइन के बारे में कई वर्षों से यह मांग चल रही है कि इसको बड़ी लाइन में बदला जाए और टोरी से उसे मिलाया जाये।

मैंने कटौती प्रस्तावों में जिन मांगों को रखा है, उन्हें मान लिया जाये।

[अनुवाद]

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : (अमलापुरम) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान छोटी लाइन की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों से आंध्र प्रदेश के सभी सांसद सी.के.लाइन अर्थात् काकीनाड़ा-कोटीपल्ली लाइन की बहाली का अनुरोध कर रहे हैं। यह कोई नई लाइन नहीं है। यह एक पुरानी लाइन है, जो ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1942 तक अस्तित्व में थी। हाल ही में, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके मुताबिक अगर लाइन को पुनः बहाल किया जाता है तो उससे 15 प्रतिशत आय होगी। द्वितीय विश्व युद्ध में सात लाइनों को बन्द किया गया था और उनमें से केवल सी.के. लाइन को छोड़कर सभी छः लाइनों को पुनः चालू कर दिया गया था।

मैं माननीय मंत्री से सी.के. लाइन को पुनः शुरू करने के लिए सांकेतिक अनुदान देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गोरखपुर गोंडा लूप लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। बिना इस लाइन को बदले कोई भी औद्योगिक विकास वहां नहीं हो पा रहा है। यह जनपद सिद्धार्थनगर और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। कपिलवस्तु और लुम्बनी इसके आसपास है। इस मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदला जाये, तो इससे इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सकेगा तथा पर्यटन में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

श्री एम.आर.कादम्बूर जनार्दनम : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे उन खुशी के दिनों को याद करें, जब वे तोतीकोरिन आये थे और उन्होंने वायदा किया था कि डिन्डीगुल-मद्रास बी.जी. लाइन को मार्च,1994 तक पूरा कर लिया जायेगा। अब यह अप्रैल है। मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। काम शुरू नहीं हुआ है। जो धनराशि दी गई है, वह प्रर्याप्त नहीं है। डिन्डीगुल-मद्रास आमान परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य दिन आपने बताया था कि हमें तूतीकोरिन से मुम्बई तक की एक गाड़ी मिलेगी। एकल

लाइन प्रणली से देश की एकता को बढ़ावा मिलता है। इसे दक्षिण तथा उत्तर को जोड़ना चाहिए। अतः, कन्याकुमारी से वाराणसी तक तथा एक गाड़ी तूतीकोरिन से मुम्बई तक अति अनिवार्य है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं क्योंकि उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से वायदा किया था कि वह हावड़ा आमटा बी.जी. लाइन का काम शुरू करेंगे और इसे पूरा करेंगे। हमने उन्हें यह सुझाव दिया था कि अगर मंत्रालय के पास धनराशि नहीं है, तो वे इसे चरणबद्ध रूप से शुरू करें। वह सहमत हो गये हैं। पिछले वर्ष उन्होंने कुछ धनराशि दी थी। लेकिन इस वर्ष इसे वापिस ले लिया गया है। अब उन्होंने हमसे वायदा किया है कि बजट के पश्चात् वे इस पर विचार करेंगे।

अब मैं इस वर्ष के बजट में धनराशि के आबंटन के लिए माननीय मंत्री से कुछ ठोस आश्वासन चाहता हूं।

दूसरे मामले के संबंध में, मैंने बार-बार मंत्री महोदय से चर्चा की है और वह सारे देश में रेलवे हॉकरों को पहचान पत्र अथवा पास अथवा लाइसेंस जारी करने पर सहमत हो गये। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनसे बहुत सहानुभूति है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे सारे दे । में रेलवे हॉकरों को पहचान पत्र अथवा लाइसेंस जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सालूम्बर) : सभापति महोदय, पिछले कई बजटों पर मैंने बोला है, उदयपुर एक पर्यटन स्थल है। राजस्थान में हिन्दुस्तान के तीन बड़े ऐतिहासिक शहर हैं, अजमेर, चित्तौड़ और उदयपुर। कश्मीर के बाद जितने पर्यटक जाते हैं, वह उदयपुर में जाते हैं। जो अण्डरग्राउण्ड खनिज हैं, वह उदयपुर में सबसे ज्यादा मिलते हैं।

सारे देश में यह मांग की जाती है, मैं उनकी मांग को गलत नहीं कहना चाहता लेकिन उनके यहां ब्रॉड गेज चलती है, मीटर लाइन चलती है, बिजली की लाइनें चलती हैं। दो-दो लाइनें चलती हैं और न जाने कितनी गाड़ियां चलती हैं लेकिन फिर भी वह डिमाण्ड करते हैं जनता की मांग है तो वह करें लेकिन उदयपुर में केवल दो गाड़िया चलती हैं। मंत्री महोदय ने बजट में मुझे आश्वासन दिया था कि उदयपुर को भी इस बजट में, आठवीं योजना में लिया जायेगा लेकिन मुझे जो लैटर मिला है, उससे मुझे दुख हुआ, क्योंकि उसको योजना में नहीं लिया गया है। उसमें उदयपुर का नाम भी नहीं है, क्योंकि उदयपुर से कोई बोलता नहीं है, वहां का कोई वजन नहीं है इसलिए शायद ध्यान नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उदयपुर पधारें और देखें कि उदयपुर की जनता, उस क्षेत्र की जनता, राजस्थान की जनता किस तरह से ट्रेन की वजह से परेशान है। मैं चाहूंगा कि उदयपुर लाइन को भी ब्रॉडगेज में लिया जाय, योजना में लिया जाय, बजट में लिया जाय, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात पर सर्वसम्मत है कि विनियोग विधेयक के पारित होने तक सभा की अवधि को बढ़ा दिया जाये?

अनेक माननीय सदस्य् : जी, हां।

सभापति महोदयः यह ठीक है। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप बहुत चालाक हैं। आपको इसे ठीक छः बजे उठाना चाहिए था। आपने अपना व्यवस्था संबंधी प्रश्न, इन सभी लम्बी अवधि तक चलने वाली प्रक्रियाओं, जो अभी सभा में चल रही हैं, के बीच तब उठाया है जब सभा का समय बढ़ाया गया है। अतः आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न अस्वीकार किया जाता है।

श्री थाइल जॉन अंजलोस (अलेप्पी) : माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 1990-92 में अलेप्पी-कयनकुलम लाइन शुरू की थी। जब अलेप्पी से राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम तक दिन में चलने वाली कोई भी सीधी सवारी गाड़ी नहीं है। मैं आपसे अलेप्पी से त्रिवेंद्रम तक दिन में चलने वाली एक नई सवारी गाड़ी शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

दूसरी मांग, थाकाझी-तिरूवल्ला-पुन्नालूर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की है, जो तटीय जिले अलेप्पी तथा पर्वतीय जिले पथनन्थिटा से जुड़ी हुई हैं।

मंगलौर से अलेप्पी तक एक नई गाड़ी शुरू करने का एक अन्य पस्ताव है। पिछले कुछ वर्षों में अलेप्पी लाइन की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री से इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से दो एक बातें जानना चाहता हूँ। बिहार के काफी सांसदों ने अपनी वेदना और तकलीफ मंत्री महोदय के समक्ष रखने का काम किया था। उनके भाषण के दरमियान यह आशा की जा रही थी कि माननीय मंत्री जी कुछ विशेष उपहार के स्वरूप ही नहीं, कुछ हमारी तकलीफ को देखते हुए, बिहार के लोगों को कुछ देने का काम करेंगे, मगर उनके उत्तर से निराशा ही निराशा हाथ लगी। इस बारे में मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कई दफा निवेदन करने का काम किया था, मगर लगता है कि माननीय मंत्री जी का दिल और दिमाग बिहार के लोगों के प्रति उदार नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं पटना और गया लाइन के दोहरीकरण का मामला कई वर्षों से लटका हुआ है और आने-जाने में यात्रियों को 4-5 घन्टे लगते हैं। यह दूरी 70-80 किलोमीटर की है, लेकिन मंत्री जी ने कोई आश्वासन देने का काम नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं, यह काम कब तक पूरा हो जाएगा? बिहार की जनता की आशा को पूरा करने का काम आप करेंगे या नहीं? पटना जंक्शन, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, के ब्यूटिफिकेशन का मामला काफी समय से लम्बित है। इस काम के लिए कई योजनाएं बनती हैं और फिर मामला समाप्त हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पटना जंक्शन के ब्युटिफिकेशन के लिए कब तक फण्ड देने का आप काम करेंगे? पटना और मुगलसराय के विद्युतीकरण का मामला भी कई वर्षों से पड़ा हुआ है। हमेशा माननीय मंत्री जी से आशा रखी जाती है कि यह काम होगा। हर साल बजट आता है, मगर पटना और मुगलसराय के विद्युतीकरण का मामला लम्बित पड़ा हुआ है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं, उन्होंने पटना में जोनल आफिस खुलवाने की बात कही थी और कहा था कि एनाउन्स करेंगे। इससे उनके जवाब देने में निराशा ही हाथ लगी। इसके साथ ही मैं निवेशन करनाय चाहूंगा, पटना ऊपर गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाने की बात चल रही हैं उस पर वे विचार करेंगे।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : सभापति महोदय, हम बंगलौर-अरसीकेरे लाइन के बीच आमान परिवर्तन को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री के आभारी हैं। मैं अरसीकेरे-हुबली-मिराज के बीच आमान परिवर्तन शुरू करने के लिए भी आभारी हूं। हालांकि इससे मंगलौर-अरसीकेरे रेलवे लाइन व्यावहारिक रूप से प्रभावहीन हो जायेगी और यउसमें किया गया निवेश व्यर्थ हो जायेगा। अतः मैं माननीय मंत्री से तत्काल मंगलौर अरसीकेरे लाइन शुरू करने का अनुरोध कर रहा हूं। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। अतः मैं उनसे रेलवे लाइन तत्काल शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, एकलाखी-बेलूरघाट जो रेलवे लाइन है, जो 1984 से चली आ रही है, इस लाइन के लिए मंत्री ने एक करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी है। गए साल भी इन्होंन एक करोड़ रूपया सैंग्शन किया था, फिर सब रूपया उठा लिया और कोई काम नहीं किया। इस साल भी वैस्ट बंगाल के सभी माननीय सदस्य उनसे मिले हैं और उन्होंने इश्यारेंस दिया है कि उसको प्रापर अटेंशन देंगे। उन्होंने इस सदन में एक करोड़ रूपया देने का वायदा किया हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस हाउस को एश्योरेंस दें कि समूचा रूपया इस लाइन के लिए देंगे।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, सूरत और वाराणसी के बीच में ताप्ती गंगा एक्सप्रैस सप्ताह में दो दिन चलती है। यह सप्ताह में चार दिन चले और यह इलाहाबाद होकर चले, इसकी मांग कई महीनों स लोग कर रहे हैं। सूरत में इलाहाबाद जिले के तीन लाख लोग बसते हैं। इलाहाबाद स्टेशन पर प्लेटफार्म नहीं हे, नये प्लेटफार्म बनाये गये हैं लेकिन सूरत, वाराणसी के बीच जो ट्रेन है उसको चार दिन सप्ताह में चलाया जाये। इसे साथ साथ जो पुरी और ओखा के बीच गाड़ी चलती है वह सप्ताह में एक दिन चलती है उसे सप्ताह में तीन-चार दिन चलाया जाय। सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदरा में उड़ीसा के लाखों मजूदर रहते हैं इसलिए यह ट्रेन सप्ताह में तीन या चार दिन चलाई जाये, एसी मेरी मांग है। मैं आशा करता हूं कि ताप्ती गंगा एक्सप्रैस सप्ताह में चार दिन इलाहाबाद हो करके चले।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : माननीय रेल मंत्री ने एक लाखी बालूरघाट के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट आश्वासन भी चाहता हूं कि यह एक करोड़ रूपया केवल इसी कार्य पर खर्च किया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि सिलीगुड़ी जंक्शन और अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच एक महत्वपूर्ण लाइन है

जिसके अंतर्गत 157 चाय बागान आते हैं। मेरा अनुरोध है कि सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन तथा अलीपुर द्वार जंक्शन स्टेशन को चालू हालत में रखने के लिये इसे बनाये रखा जाना चाहिये और इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : सभापति महोदय, मैं आपका तथा माननीय सदस्यों का आभारी हूं। हरेक सदस्य का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए बोलना स्वाभाविक ही है। मैं भी अपने निर्वाचनै क्षेत्र के लिए बोलना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में येलहंका तथा बंगारपेट के बीच एक लाईन है। मैं चाहता हूं कि सदस्य इसका अनुमोदन करें और इसमें रेल मंत्री की सहायता करें क्योंकि अंततः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इसके बारे में मुझसे पूछेंगे। वे कहेंगे, ''आप सभी की बात सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए नहीं बोले।'' मुझे सभा में अगली बार फिर आना पड़ेगा। अतः, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं।

मैं देश के विकास तथा हमारे लोगों के कल्याण के संबंध में सदस्यों द्वारा अधिक रूचि दिखाये जाने के लिए वास्तव में उनका बहुत आभारी हूं। पुनः मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं प्रत्येक सदस्य के प्रश्न का हाथों-हाथ जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि बहुत सारी मांगें की गई हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई दृढ़ भावनाओं को पूर्ण रूप से समझते हैं। हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और भली प्रकार इसकी जांच पड़ताल करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले कहा, योजना आयोग तथा प्रधान मंत्री महोदय से एक प्रकार का आश्वासन मिलेगा।

वे भी लोगों की भावनाओं और मांगों को जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वे हमारे लिए कुछ और अधिक कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है, तो मैं निश्चित रूप से अधिक निर्माण कार्य शुरू करने के मामले पर विचार कर सकता हूं।

कटिहार-जोगबनी लाइन की छोटी लाइन से बड़ी लाईन में परिवर्तित करने की मांग की गई हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, जो हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ने दिल्ली राजहारा-जगदलपुर लाइन के बारे में पूछा हैं। इसे पहले ही बजट में शामिल किया जा चुका है और इस्पात मंत्रालय भी इसकी लागत वहन करेगा। प्रो. रासा सिंह रावत ने अजमेर-खण्डवा और विशेष रूप से अजमेर में कार्यशाला के बारे में बात की है। अजमेर का महत्व धार्मिक और तीर्थस्थान होने की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि रेलवे के मानचित्र में भी इसका एक अतिमहत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रमंडल है, यहां एक वर्कशाप है, दरगाह और पुष्कर वहां हैं, सब कुछ वहां है। नई जरूरत के अनुसार, हम एक नीति तैयार कर रहे हैं।

इस समय मैं माननीय सदस्यों को एक बात के बारे में अवश्य सूचित करूंगा। हम वाष्प से चलने वाले इंजनों को चरणबद्ध रूप से हटा रहे हैं। वहां कुछ छोटे वाष्प लोको शेड वर्कशाप हैं, जहां आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कामगारों का संबंध है, हम उन्हें अब पुनः काम पर लगा रहे हैं।....**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : कोयला तथा कोयले की राख का काम करने वाले श्रमिकों को पुनः काम पर नहीं लगाया जा रहा है।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : वे हमारे श्रमिक नहीं हैं, वे आपके श्रमिक हैं, वे ठेका श्रम के अंतर्गत आते हैं।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी के भाषण में व्यवधान मत पहुंचाइये।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : मैं उनके बारे में भी बहुत चिंतित हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : प्राक्कलन समिति ने उनको पुनः काम पर लगाये जाने की सिफारिश की है।

श्री सी.के.जाफर शरीफः लेकिन समिति ने मुझे पैसा नहीं दिया। जहां तक मजदूरों का संबंध है, मैं उनका बहुत ध्यान रखता हूं। हमारा यही प्रयास है और जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे सबसे बड़ा नियोजक है, इसमें लगभग 17 लाख श्रमिक हैं, जिनका ध्यान रखा जा रहा है। आज, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास श्रम शक्ति आवश्यकता से अधिक है, हम कोई छंटनी किये बिना ही काम चला रहे हैं। जब हम विकास की बात करते हैं, तो संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जा रहा है और प्रबंधन पर कितना खर्च किया जा रहा है, जैसी बातों को भी देखना चाहिए। ये सब बातें मैं किस लिए कह रहा हूं अथवा क्यों मैं इस पर कुछ विस्तार से बोलना चाहता हूं, इसकी वजह यह है कि हम जहां कहीं भी वाष्प से चलने वाले इंजनों को चरणबद्ध रूप से हटा रहे हैं, वहां हम श्रमिकों को पुनः काम पर लगा रहे हैं।

जहां तक डीजल और विद्युताकर्षण में परिवर्तन कार्यों का संबंध है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि विद्युताकर्षण, जिसकी आप अपेक्षाकृत कम गति वाले वाष्प इंजन से तुलना करें तो वे अधिक गति से चलेंगे। ये परिवर्तन अनेक स्थानों पर होंगे और इनको डीजल इंजन में परिवर्तित करने तथा विद्युत कर्षण का कार्य पूरा होने के बाद, वहां यह बात नहीं होगी। कुछ परिवर्तन होंगे, जो आपको झेलने पड़ेंगे, और स्वभावतः श्रमिक और जनता आपके पास आयेगी और आप पर दबाव डालेगी क्योंकि आप स्थानीय व्यक्ति हैं, लेकिन आपको सारे देश के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

मेरे अच्छे मित्र, श्री फातमी ने खाड़ी के देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों के लिए जी.एस.ए. के बारे में एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। वहां कुछ स्थानों की मेरी यात्रा के दौरान, हमारे भारतीय लोग आये और मुझसे मिले तथा वे यह सुविधा चाहते थे। हम इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं क्योंकि इससे रेलवे को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलेगी। इससे उन लोगों को यहां आने तथा संबंधित हवाई अड्डों से स्टेशनों पर पहुंचने के पश्चात् सीधे गाड़ी लेनें में भी सुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरी लाइन के लिए और धनराशि दी जानी चाहिए। यह हमारी इच्छा है और मुझे विश्वास है कि सभा की भी यही भावना है। हम एक योजना तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर हम यात्री टिकटों पर एक रूपया तथा माल भाड़े में एक रूपया और बढ़ा सकें तो हम लगभग पांच-छह वर्ष के समय में इस लाइन को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। अगर हम इस धनराशि को अलग रखें, तो इस धनराशि को इस परियोजना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसे पूरा किया जा सकता है। अगर हम मौजूदा यात्री तथा माल भाड़े दोनों में ही एक रूपया बढ़ा दें तो लगभग छह वर्षों में हम अतिरिक्त धनराशि जुटा सकते हैं और अगर इसे अलग रखा जाये और इस उत्कृष्ट परियोजना पर लगायें तो हम उसे पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। मेरे विचार में सभा इससे सहमत होगी और हम इसे शुरू करने में समर्थ हैं।

श्री रावले ने महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों के लिए स्टॉलों के बारे में कहा है। सामान्यतः इसी प्रकार के मानदंडों को अपनाते हैं। हम बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं देते। अधिकांश वहां स्थानीय लोग ही हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को स्टाल दिए जाते हैं।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : जरूरत पड़ने पर इक्जामिन करा लेते हैं। आपके यहां बाहर के लोग होते हैं तो लोकल एड्रेस देते हैं, हमको क्या पता कि महाराष्ट्र के हैं या नहीं।

[अनुवाद]

चर्चा के समय यही बात हावड़ा-आमटा रेलवे लाइन के बारे में दोहराई जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, मैं योजना आयोग के साथ चर्चा करूंगा तथा एक बार मुझे संसाधन मिल जायें, मैं इसे शुरू करने में समर्थ हो सकूंगा। पुनः हमारे सब मित्र दरभंगा-सीतामढ़ी के बारे में बोले हैं। सीतामढ़ी एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। स्वभावतः हम आमान परिवर्तन के विस्तार के बारे में कुछ करने के इच्छुक हैं। हमें पहले से चल रहे काम को समाप्त करने दीजिए।

दूसरी बात सी.के. - जो मेरे नाम के संक्षिप्ताक्षर हैं- के बारे में है, जिसमें हमारे आंध्र प्रदेश के मित्र अधिक रूचि रखते हैं। मैं इसे शुरू करने के लिए पुनः योजना आयोग से बातचीत कर रहा हूं। मेरे मित्रों ने डिन्डीगल-मद्रास-तूतीकोरिन, मुम्बई और बनारस के लिए गाड़ी, कन्याकुमारी-बनारस इत्यादि के बारे में बात की । मैं आपको यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि हम पटरी में सुधार कर रहे हैं। यह एक यदूसरी बात है, जिसकी माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिये। उच्च गति वाले इंजनों के लिए गति को बनाये रखने के लिए पटरी में भी सुधार कर रहे हैं। अब, जैसा कि मैंने कहा हम ब्रेक प्रणाली वायु-ब्रेक प्रणाली में परिवर्तन कर रहे हैं। एक बार हम लाइन की क्षमता का अनुमान लगा लें, फिर हम इसे करने में समर्थ हो सकेंगे।

एक अन्य मित्र ने मुझे बताया कि उदयपुर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। श्री शिव चरण माथुर, हमारी विद्वान वरिष्ठ सहयोगी तथा हमारे दल की एक वरिष्ठ नेता, श्रीमती गिरिजा व्यास तथा एक अन्य माननीय सदस्य, जिन्होंने स्वयं बोला है, सभी इसकी बात कर रहे हैं। इस अवधि में सबसे भाग्यशाली राज्य शायद राजस्थान है, जहां सबसे अधिक निवेश किया गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य को इतना बड़ा भाग मिला हो। स्वभावतः, प्रत्येक सदस्य अपने राज्य के बारे में बोलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कलकत्ता मैट्रो की दूसरी और तीसरी लाइनों के सर्वेक्षण की क्या स्थिति है?

श्री सी.के.जाफर शरीफ : इसकी जांच करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको यह आश्वासन देना चाहिये कि आप इसकी जांच करेंगे।

श्री सी.के.जाफर शरीफः जी हां, हम इसकी जांच करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

बिहार के बारे में इतना कहा तो अब और क्या कहें?

[अनुवाद]

समग्रतः, जैसे कि मैंने कहा, मैं माननीय सदस्यों का वास्तव में बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने नेटवर्क में इतनी अधिक रूचि दिखाई।

श्री श्रीकान्त जेना : वास्तव में आपने उड़ीसा में क्या चल रहा है, इसका जिक्र नहीं किया। उड़ीसा के लिए जो कुछ भी थोड़ी बहुत धनराशि आपने दी है, उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। श्री सी.के. लेंका मंत्रालय में थे और आपने उन्हें मंत्रालय से निकाल दिया।

श्री सी.के.जाफर शरीफः मुझे खेद है, यह मेरे मस्तिष्क से निकल गया क्योंकि जब आप हस्तक्षेप करते हैं, तो ऐसा ही होता है। उड़ीसा में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने की कुछ समस्या है। इसी वजह से धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। श्री पटनायक ने इसके बारे में उल्लेख किया है;

[अनुवाद]

मैंने इस बात पर ध्यान दिया है। यह बात हुई है। मैं उड़ीसा गया था, मेरे मित्र श्री लेंका पद छोड़ने से पहले मुझे उड़ीसा के लोगों से वचनबद्धता करने के लिए उड़ीसा ले गए थे। हमने जो भी वचनबद्धता की थी, हम उसको पूरा करेंगे। मैं जब भुवनेश्वर गया था तो हमने स्थानीय रूप से इस पर चर्चा कर ली है। समस्या भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिलने की है। समस्या इस बात की नहीं है कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। हमने जितनी भी राशि की वचनबद्धता की है वह खर्च की जाएगी और काम शुरू किया जाएगा, अतः, आपको चिन्ता या भय करने की जरूरत नहीं है, कि इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा।.... **(व्यवधान)**.... जैसा कि मैंने सभा को आश्वासन दिया है, माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न उठाए हैं, हम व्यक्तिगत रूप से सभी सदस्यों को लिखेंगे। हमने उनके प्रश्नों पर विचार कर लिया है, लेकिन जो प्रश्न रह गए हैं हम उनके बारे में सदस्यों को लिखेंगे।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया, बहुमूल्य और रचनात्मक सुझाव दिए और धैर्य का परिचय दिया। महोदय, मैं आपका आभारी हूं, अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि प्राक्कलणों को पारित किया जाए।....**(व्यवधान)**....महोदय, अब मैंने प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को वापस ले सकते हैं।.....**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : 1994-95 की अनुदानों की मांगों (रेल) के संबंध में सदस्यों ने बहुत से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं या कोई भी माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना चाहते हैं?

...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : कृपया उचित व्यवहार करें। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं? ... **(व्यवधान)...**

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।...**(व्यवधान)....**

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 223 और 224 पर पृथक रूप से मतदान के लिए रखवाना चाहता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 333 से 401 तक पृथक रूप से मतदान के लिए रखवाना चाहता हूं।

श्री हाराधन राय : मैं चाहता हूं कि मेरे सभी कटौती प्रस्तावों को अलग से सभा के मतदान के लिए रखा जाए।

7.00 म.प.

सभापति महोदय : अब मैं श्री हाराधन राय द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 120, 132, 133, 172, 173, 222, 225, 226, 554, 555, 580-585, 592-595, 598, 603, 716, 717, 732-735, 862-867, 1172, 1173, 1435-1438, 1629, 1630, 1763-1773, 1961-1964, 2138-2155 और 2214-2219 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकार हुए।

सभापति महोदयः कृपया बाधा मत पहुंचाइए। अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 223 और 224 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को एक रूपया कम किया जाए।

''मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भाड़े की दरों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने में असफलता।''(223)

रेलवे बोर्ड के शीर्ष के अंतर्गत मांग को एक रूपया कम किया जाए।

''द्वितीय श्रेणी के किराये के साथ उपनगरीय गाड़ियों के किराए को 1990 के स्तर तक लाने में असफलता।''(224)

....(व्यवधान)....

लोक सभा में मतदान हुआ।

मत विभाजन संख्या 12 पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जॉन
आचार्य, श्री बसुदेव
खां., श्री सुखेन्दु
चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जैना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम,डा.राम चन्द्र
तेजनाराण सिंह, श्री
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
धूमल, प्रो.प्रेम
पटनायक, श्री शिवाजी
पाल, श्री रूपचन्द
प्रकाश, श्री शशि
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बालयोगी, श्री जी.एम.सी.
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
महतो, श्री बीर सिंह
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुरुमु, श्री रूप चन्द्र
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम कृपाल
राम, श्री प्रेमचन्द्र
राय, डा. सुधीर
राय, श्री हाराधन,
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रावत, प्रो. रासा सिंह
शिवरासन श्री एस.
सिंह श्री रामपाल
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी.
अन्बारासु आर.श्री
अयूब खां श्री
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम,श्री नुरूल
उम्ब्रे, श्री लाईता
कामसन, प्रो. एम.
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरूमल, श्री पी.पी.
कुप्पुस्वामी, श्री सी.के.
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन,
कुरियन, प्रो.पी.जे.
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस.

कृष्ण स्वामी, श्री एम.	कैनिथी, डा. विश्वानाथम
कोंताला, श्री रामकृष्ण	कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी	खां., श्री असलम शेर
गगोई, श्री तरूण	गहलौत श्री अशोक
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव	गोमांगों, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह	चन्द्र शेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल	चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चाक्को, श्री पी.सी.	चार्ल्स, श्री ए.
चालिहा, श्री किरिप	चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चौधरी, स्कवैड्रन लीडर कमल	चौधरी, डा.के.वी.आर.
चौधरी, श्री नारायण सिंह	जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम	जाफर शरीफ, श्री सी.के.
जावाली, डा.बी.जी.	जीवरत्नम श्री आर.
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह	डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन	तंग्काबालु, श्री के.वी.
तारा सिंह, श्री	तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो.के.वी.	थुंगन, श्री पी.के.
थोरात, श्री संदीपन भगवान	दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण	देव, श्री संतोष मोहन
नायकर श्री डी.के.	निकाम, श्री गोविन्दराव
पांडियन, श्री डी.	पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई	पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार	पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पदमा, डा.(श्रीमती)	पवार, डा. बंसत
पांजा, श्री अजित	पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह	पाटील, श्री विजय एन.
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता	पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर	पालाबोला, श्री वी.आर.नायडु
पोतदुखे, श्री शांताराम	प्रधानी, श्री के.
प्रभु, झांट्ये श्री हरीश नारायण	फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फारूक, श्री एम.ओ.एच.
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल,श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेज सिंह राव,
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
भोई, डा. कृपासिन्धु
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लू, डा.आर.
गाडे गोडा, श्री जी.
माथुर, श्री शिवचरण
गीणा, श्री भेरूलाल
मुजाहिद, श्री बी.एम.
मुरलीधरन, श्री के.
मेघे, श्री दत्ता
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
रामचन्द्रन, श्रीमुल्लापल्ली
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रामनिहोर
राव राम सिंह,कर्नल
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी.
रेड्डी श्री ए.इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री एम.बागा
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री
वर्मा, कु.विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी.एस.
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी.
शंकरानन्द, श्री बी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सईद, श्री पी.एम.
सादुल, श्री धर्मण्णा मोडय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए.प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
सिंगला, श्री संतराम
सिल्वेरा, डा.सी.
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, कु. पुष्पा देवी
सिंह, श्री मोतीलाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोडी, श्री मनकूराम
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :-

पक्ष में : 037

विपक्ष में : 127

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चूंकि हमारी मांगों पर सहमति नहीं हुई, इसलिए हम विरोध स्वरूप बहिंगमन कर रहे हैं।

7.12 म.प.

इस मसय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

सभापति महोदयः अब मैं प्रस्तुत किए गए सभी अन्य कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1-124, 127-131, 134-137, 146-171, 174-221, 321-401, 504-507, 546-553, 556-579, 586-591, 596-597, 639-663, 711-714, 718-724, 728-731, 736-742, 745-746, 749-758, 819-861, 942-945, 958-959, 963-993, 1030-1053, 1066-1079,1139-1150,1170-1171, 1174-1183, 1249-1254, 1258 1267, 1272-1279, 1293-1294, 1325-1326, 1339-1358, 1370-1375, 1378-1389, 1410-1418, 1429 1434, 1483-1526, 1607-1628, 1668-1687, 1692-1697, 1700-1725, 1730-1762, 1774-1788, 1826-1859, 1866-1884, 1893-1932, 1937-1960, 1965-1980, 2007-2029, 2042-2043, 2059-2062, 2075-2090, 2136-2137, 2156-2173, 2176-2213, 2220-2264 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

7.14 म.प.

विनियोग विधेयक (रेल) संख्या-II *, 1994

श्री सी.के.जाफर शरीफः मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया

पक्ष में: श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री रामश्रय प्रसाद सिंह।

विपक्ष में: सर्व श्री, जंगबीर सिंह, ए.वेंकट रेड्डी, आर सुरेन्द्र रेड्डी, केवल सिंह, स्वरूप उपाध्याय और के. टी.वान्डायार।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 में दिनांक 27.4.94 को प्रकाशित।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।**

सभापति महोदयः मंत्री महोदय अब प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों(रेल) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

|अनुवाद|

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

''कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।''

अनुसूची, खण्ड1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित। प्रस्तुत।

श्री सी.के.जाफर शरीफः मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि प्रस्ताव पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक 1994*

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च,1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के.जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सी.के.जाफर शरीफः मैं प्रस्ताव करता हूं: *

"कि 31 मार्च,1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 27.4.94 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापित महोदय : क्या हमें कार्यसूची की दूसरी मद लेनी चाहिए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांग कल ली जा सकती है।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : जी हां, मैं उनसे सहमत हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा की यही भावना है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : फिर हम इसे कल लेंगे।

सभा कल, 28 अप्रैल, 1994 को 11.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.20 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 28 अप्रैल, 1994/8 वैशाख 1916 (शक) के गयारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।